राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही की वृत्तान्त

अंक : 3 बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का तहत्तरवां दिवस संख्या : 22

शनिवार,

16 अप्रैल, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति

ईसाई धर्मगुरू और वेटिकनसिटी के राष्ट्राध्यक्ष के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए ईसाई धर्मगुरू वेटिकनसिटी के राष्ट्राध्यक्ष पोप जान पॉल द्वितीय के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप जान पाल द्वितीय का जन्म 18 मई, 1920 को पोलैण्ड में हुआ। आप केरोल जोजफ वोजत्यला के नाम से जाने जाते थे। धर्मशास्त्र और अध्यात्म का गहन अध्ययन करने के बाद आपने धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र में डाक्टर की उपाधियां प्राप्त कीं।

आप 16 मई, 1978 को वेटिकन के सर्वोच्च धर्मगुरू पोप के पद पर चुने गये। श्री केरोल वोजत्यला ने अपने पूर्ववर्ती पोप जान पॉल प्रथम के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए उनका नाम रखा था। पोप के पद पर आसीन होने के बाद आपने पूरी दुनिया में होने वाले अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। वेटिकन की सार्थक भूमिका के विस्तार के लिए आपने अनेक स्वस्थ परम्पराएं स्थापित कीं। धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये आपने

(श्री अध्यक्ष)

पोलिश कैथोलिक चर्च के माध्यम से आन्दोलन चलाया तथा अन्याय और दमन के विरुद्ध लड़ने वाले योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

शान्ति दूत पोप जान पॉल दया, करुणा और उदारता की जीती जागती मिसाल थे। आप लैटिन सहित आठ भाषाओं के ज्ञाता थे। धर्मगुरू पोप चर्च और वेटिकन की सीमाओं में बंधे हुए नहीं रहे। आपने अपने जीवनकाल में भारत सहित 129 देशों की लगभग 8 लाख मील की हवाई यात्राएं कीं। आपकी यात्राओं को इंसान और इंसानियत को करीब से देखने के जज्बे के रूप में देखा जाता है। इन यात्राओं से ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच आपसी समझ और समरसता बढ़ाने में सहायता मिली। आपने ईसाइयों के बीच समझ बूझ बढ़ाने के लिए सभी चर्चों के रीति-रिवाजों को मान्यता प्रदान की थी।

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पोप जान पॉल द्वितीय एक कवि, नाटककार और दार्शनिक होने के अलावा एक खिलाड़ी भी थे। खेलों में आपकी विशेष रुचि और चुस्ती-फुर्ती के कारण आपको ''ईश्वर का एथलीट'' भी कहा जाता था।

पोप जान पॉल द्वितीय का दिनांक 2 अप्रैल, 2005 को निधन हो गया। आपके निधन से धार्मिक आस्था के एक युग का अन्त हो गया।

मैं, दिवंगत पोप जान पॉल द्वितीय को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

याचिकाओं का उपस्थापन

जलमहल, जयपुर में खेती कर रहे किसानों को मुआवजा

श्री हीरालाल (अनुपस्थित) श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री बृज किशोर शर्मा)

अनुमति से जलमहल, जयपुर में खेती कर रहे किसानों को मुआवजा दिलवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतराम।

मालपुरा (जिला टौंक) में ए.डी.एम. कार्यालय खोलने बाबत

श्री जीतराम (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मालपुरा जिला टौंक में ए.डी.एम. कार्यालय खुलवाने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आज चूंकि मुख्य मंत्रीजी एन.डी.सी. की मीटिंग में दिल्ली गई हुई हैं इसलिए उनके स्थान पर श्री राजेन्द्र राठौड़ पी.ए.डी. मिनिस्टर इस विधेयक को विचारार्थ लेने के लिये अनुमति मांगेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विचारार्थ लें, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर जो हमारे वित्त मंत्रीजी से प्रश्न हैं उनके उत्तर भी राठौड़ साहब ही देंगे या फाइनेंस बिल पर मंत्रीजी देंगे इसकी व्यवस्था पहले कर दें। उस दिन भी हमने प्रश्न पूछे, आपने उस दिन भी उत्तर नहीं करवाया, वाइंडअप कर दिया। क्योंकि यह ऐसा बिल है जिसका सीधा सम्बन्ध राजस्थान की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में है और वित्त मंत्री ही कोम्पीटेंट हैं। बिल तो माननीय मंत्रीजी सदन में रख सकते हैं पर वित्त मंत्री की हैसियत से जो सीक्रेसी है वह वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री के बीच में होती है मंत्री के बीच में नहीं होती। इसलिए आप पहले व्यवस्था कर लें कि बिल की दृष्टि से माननीय मंत्री कोम्पीटेंट हैं, निश्चित तौर पर बिल पायलेट कर सकते हैं लेकिन इसके जो मुद्दे उठेंगे उसका सीधा सम्बन्ध वित्त मंत्रीजी से है और वित्त मंत्री जब इसका जवाब दें इनको इनकारपोरेट करे, अभी नहीं दे पाये क्योंकि वह बिजी है हमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन फाइनेंस बिल के समय उनको उन मुद्दों का उत्तर देना चाहिये इसकी व्यवस्था की जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी और दायित्व है इसलिए आपकी अनुमति से मुझे अधिकार भी है और आपने आज्ञा भी प्रदान की है। मैं प्रयास यह करूंगा कि माननीय सदस्य जो प्रश्न खड़ा करें उनका मैं उत्तर दूं और हो सकता है कि कुछ ऐसे सवाल भी हो जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाऊं तो वित्त मंत्रीजी से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन करूंगा कि वह जिस दिन एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलेंगे, उस समय उनको अपने उत्तर में सम्मिलित करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मुख्य मंत्रीजी तो कभी भी बोल सकते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : महावीरजी, मुख्य मंत्री का सवाल नहीं है। हाउस में कोई भी मंत्री बिल पायलेट कर सकता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह बिल पर्टेन करता है फाइनेंस के सम्बन्ध में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिल भी पायलेट कर सकता है और ऐसा लगे मुख्य मंत्रीजी को कि मेरा बोलना आवश्यक है तो वह कभी भी बोल सकते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह दो अलग-अलग चीजे हैं। मुख्य मंत्री हरदम बोल सकता है, यहां वित्त मंत्री की बात हो रही है, मुख्य मंत्री की बात नहीं हो रही है। या तो बिल को डैफर कर दिया जाये, मुख्य मंत्रीजी आयें तब रखवाया जाये कोई तकलीफ नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट कर सकता है। वित्त मंत्री और मुख्य मंत्रीजी तो कभी भी इंटरवीन कर सकते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल ऐसा कोई बिल नहीं है जिसका सम्बन्ध एडमिनिस्ट्रेशन बिलों से है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल कांस्टीट्यूशन की धारा 292, 293 के अंतर्गत आता है और भारत सरकार ने स्टेट को कुछ कंडीशन डाली है जिसके आधार पर 12वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी है, उसका सीधा सम्बन्ध वित्त मंत्री से होता है। मैं यह मानता हूं कि माननीय मंत्रीजी बिल पायलेट करने के लिये कोम्पीटेंट है। पर इस बिल का सीधा सम्बन्ध आने वाले समय में राजस्थान की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में है इसलिए मंत्री महोदय बिल पायलेट करें इनका बहुमत है बिल पास होगा लेकिन जो मुद्दे हम उठाते हैं उन मुद्दों का उत्तर उस दिन भी नहीं दिलाया, आज भी नहीं दिलाया तो फिर हाउस में चर्चा ही नहीं कराई जाये,

(श्री सी.पी. जोशी)

पास करा दिया जाये। उस दिन भी हमने प्रश्न पूछा आपने हाउस को एडजोर्न कर दिया। आज भी आप नहीं कराना चाहे, अनरिप्लाइंड चीजें रह जायें। अध्यक्ष महोदय, हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको एश्योर कर लीजिए कि अनरिप्लाई चीज नहीं रह जाये जो मुद्दे हम उठाते हैं उसका हाउस में रिप्लाई आना चाहिये चाहे वित्त मंत्रीजी दे, मंत्रीजी नहीं दे पाये मुख्य मंत्री दें वित्त मंत्री की हैसियत से, तो भी कोई तकलीफ नहीं लेकिन कोई न कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये उन मुद्दों के सम्बन्ध में, दैट्स आल।

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब दिया जायेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा पी.ए.डी. मिनिस्टर ने बताया कि ज्वाइंट रेस्पोंसेबिलिटी कैबिनेट की होती है। दूसरा जो मिनिस्टर बिल को पायलेट करता है पायलेट करने का अर्थ ही रिप्लाई करने का अधिकार भी उसको होता है। इसलिए पायलेट करने का मतलब यह नहीं है कि सदन में रख दिया और उसकी रिप्लाई नहीं दे। इसलिए रिप्लाई देने का अधिकार भी जो मिनिस्टर पायलेट करता है उसको होता है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं..

डा. सी.पी. जोशी : माननीय नाथूसिंहजी, स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं You have deprived the State Minister. समझ में आई आपको। स्टेट मिनिस्टर अभी तक पायलेट बिल करते रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं। Let him pilot it. Why are you asked as a Cabinet Minister? इसकी महत्ता को हम समझते हैं, एग्री करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर रख रहे हैं हमें कोई तकलीफ नहीं, स्टेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं Let him pilot it.

डा. एन.एस. गुर्जर : It is the sweet will of the Cabinet.

डा. सी.पी. जोशी : It is not the sweet will, if the State Minister is present here. State Minister is for all practical purposes supporting the Cabinet Minister. Let him present the Bill. Why is he the State Minister?

सदन में गलत मैसेज जायेगा कि स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस कोम्पीटेंट नहीं है। आप रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : कई मौके ऐसे आए हैं...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यहां कोई मौका नहीं आया। केबिनेट मिनिस्टर इंटरवीन कर सकता है, बिल पायलेट करने का अधिकार है केबिनेट मिनिस्टर को है, केबिनेट मिनिस्टर की अनुपस्थिति में स्टेट मिनिस्टर करें, स्टेट मिनिस्टर की इनकाम्पीटेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए यदि आप करवा रहे हैं तो यह भी सदन के लिए ठीक परम्परा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर पारित करें इसको।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर केबिनेट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं करता है।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसलिए ऐसा करना होता है... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छी बात कही आपने, जब हमने कहा था कि स्टेट मिनिस्टर केबिनेट की मीटिंग में नहीं आता या पायलेट नहीं कर रहा तब तो आपने रखवाया, होना चाहिए। पहले यह भी बात हमने उठाई थी। आप दोनों बातें कहते हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : सुनिए, एक मिनट, बात सुनिए तो सही, आप कह चुके। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कहिए-कहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर चूंकि केबिनेट की मीटिंग में एनटाइटल नहीं है बैठने के लिए, स्पेशल कोई बुला लिया जाए तो अलग बात है केबिनेट मिनिस्टर ही उसमें बैठते हैं और कई बार ऐसा होता है चूंकि फाइनेंस मीनिस्टर का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी देख रही हैं आज वहां यहां नहीं हैं। केबिनेट का चार्ज उनके पास है, आज वह यहां है नहीं With the permission of the Chair any Cabinet Minister can move the bill and he can also reply upon. इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया, स्टेट मिनिस्टर दे, यह कोई जरूरी नहीं है। केबिनेट मिनिस्टर है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दे रहे हैं, इसमें आपको तकलीफ क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आएगा आप पूछ लेना।

डा. सी.पी. जोशी : आप विद्वान है, आप सप्लीमेन्ट्री कर लेना, आज यह भी पता पड़ जाएगा। आप सप्लीमेन्ट्री करना, आपको भी अधिकार है।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, है ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपने अध्यक्षीय व्यवस्था का द्वितीय खण्ड जो है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : व्यवस्था तो दे चुके ना आप, व्यवस्था तो हो चुकी।

श्री अध्यक्ष : पहले सुनिए आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षीय व्यवस्था का जो द्वितीय-खण्ड है उसमें पेज नम्बर 68 पर, 5.10.1978 को विधेयक के पुरःस्थापन के लिए प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में अन्य मंत्री को प्राधिकृत करने की स्वीकृति। 5 अक्टूबर, 1978 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन विधेयक 1978 को विधि मंत्री द्वारा पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय श्री मूलचंद डागा ने एतराज किया कि मान्यवर इसमें श्री भैरोंसिंह प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है। अतः विधि मंत्री नहीं रख सकते। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी माननीय डागा जी, मैं जानकारी के लिए निवेदन कर दूं... Member in charge of the Bill means; in the case of the Government Bill; any Minister.

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

विधायी कार्यः विधेयक पर विचार

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : डा. एन.एस. गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप उधर से बुलवा लो साहब, उसके बाद हम रिप्लाई कर देंगे।

डा. सी.पी. जोशी : आपको भी अधिकार है, आप बोलो। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बोल लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आग्रह करते रहते हैं कि हमारी-हमारी तरफ से..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, आप बोलिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बोल देता हूं साहब, मैं बोल देता हूं, चिन्ता क्यों कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है यह ऐतिहासिक बिल है। ऐतिहासिक इसलिए कि जिस कन्टैक्स्ट में बिल रखा गया है, हम एक डवलपिंग कंट्री है और पूरी दुनियां में इकनोमिक्स का अर्थ पूरा का पूरा बदल रहा है। डब्ल्यू.टी.ओ. के हस्ताक्षर के बाद और जो स्टेट बैकवर्ड हैं उन स्टेट्स को आगे कैसे लाया जाए, राइट टू इनफोरमेशन का जब से बिल आया उसके बाद पारदर्शिता अधिक से अधिक सरकारी विभागों में कैसे लाई जाए उस दृष्टि से यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, अब तक लोगों को यह शिकायत रहती थी, हम भी, सदन में कई बार यह मामला आया कि बिल में अलग-अलग हैड्स अलग-अलग मांगों पर, बजट में प्रावधान कितना किया गया, खर्चा कितना हुआ। लास्ट डेज में कुछ खर्चा किया जाता है, तीन साल बाद में उसको पता लगता है कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। बीच में उसकी मोनीटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, डैट बढ़ता रहता है। कितने कर्मचारी हैं, उन पर कितना खर्चा होगा, सरकार का एडवांस में कितना मोटे रूप में खर्च होगा, उसको मीट आउट कहां से किया जाएगा, तो बजट के ऊपर टोटल पारदर्शिता की मांग हमेशा होती रही है। पार्लियामैंट में हुई है, विधान सभा में हुई है, जनता की तरफ से भी हुई है। अध्यक्ष महोदया, मुझे यह कहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि जो इन्वेस्टमैंट, फोरेन इन्वेस्टमैंट हम चाहते हैं देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर, वह इसलिए नहीं हुआ कि बार-बार वह लोग यह

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कहते हैं कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वह उसमें स्लोगोईंग प्रोसेस है और पारदर्शिता अधिक नहीं है इसलिए कभी सुझाव देते हैं कि एन.जी.ओज. को लाओ उनके थ्रू हम काम कराएंगे। यह राइट टू इनफोरमेशन की डिमांड बहुत समय पहले से भी आई, फिर एन.जी.ओज. ने की, फिर जनप्रतिनिधियों ने की उसके बाद कुछ स्टेट ने, फिर सेन्टर ने, राइट टू इनफोरमेशन इन्ट्रोयूज हुआ और यह राइट टू इनफोरमेशन को आगे बढ़ाते हुए फाइनैंशियल मैटर्स में अब तक गवर्नमेंट यह दुहाइयां दिया करती थी कि फाइनैंशियल मैटर्स ऐसे हैं जिनको हम डिसक्लोज नहीं कर सकते। यह गवर्नमेंट का अंदरूनी मामला है। इसको नहीं माना गया कि अंदरूदनी मामला जनता के सामने आना चाहिए क्योंकि बजट जनता के लिए होता है। जनता से टैक्स वसूले जाते हैं। जनता के ऊपर खर्चा होता है। जिससे पैसा लिया जाता है और जिस पर खर्च किया जाता है उसको जानने का अधिकार नहीं हो कि क्या हो रहा है उसका मैनजमेंट क्या हो रहा है, इसलिए यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो बिल आया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बजट में पारदर्शिता होनी चाहिए।

पारदर्शिता के साथ-साथ बेहतर मैनेजमेंट, इसलिए बारहवें वित्त आयोग ने इसपर विचार किया। सारी स्टेट्स से विचार-विमर्श किया, अर्थशास्त्रियों से विचार-विमर्श किया।

राइट टू इनफोरमेशन को देखते हुए, सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि हम आज की परिस्थिति में देश को और विदेश को आगे कैसे ले जाएं। आज हम कम्पीटिटिव के युग में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कूपमंडूक, इस पूरे ग्लोबलाइजेशन के कूपमंडूक होकर जीएं ऐसा नहीं है इसलिए तय किया गया कि हम इस तरह की व्यवस्था बजट के अंदर करें।

बाहरवें वित्त आयोग ने कुछ सिफारिशें की और उन सिफारिशों के अंदर जो ऋण राहत योजना है उसके प्रोवीजन के बारे में उन्होंने बताया। रेवेन्यू डेफिसिएट के बारे में उन्होंने कहा। फिसकल डेफिसिएट के बारे में उन्होंने कहा कि इन बस चीजों में क्या होना चाहिए।

बाहरवें वित्त आयोग ने 31.3.2004 तक के लिए गए केन्द्रीय ऋणों की 31.3.2005 तक बकाया राशि का समेकन कर उनका, 20 वर्ष नई अवधि के लिए सारणीबद्ध करने की अनुशंसा की। उसके बाद, इसके परिणामस्वरूप

(डा. एन.एस. गुर्जर)

इन ऋणों की वापसी की अदायगी 20 समान किश्तों में करनी होगी तथा इन पर इन्टरेस्ट घटाकर 7.5 कर दिया।

इसी तरह से 31.3.2004 तक लिये गये केन्द्रीय ऋणों में 2005-06 से 2009-10 तक की वापसी अदायगी जिनके समेकन की सिफारिश की गई को भी अपलेखन योग्य माना जाएगा।

इसके साथ-साथ अपलेखन की प्रतिवर्ष घाटे की राशि को, कमी के 45 प्रतिशत के बराबर यह होगी। यह सब उन्होंने सिफारिशों की लेकिन सम्बन्धित वर्ष में अपलेखन कुल वापसी अदायगियों से अधिक नहीं होगा। यह 12वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं।

इसी तरह से उन्होंने कहा कि उपरोक्त सुविधा की प्राप्ति हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाकर, यानि यह जो बिल आया, बनाकर विधान सभा में पारित करवाना आवश्यक होगा। यह जो इन्टरेस्ट में छूट दी है, इतने साल के लिए ऋणों की अदायगी को समेकित उसमें किया गया है इसके लिए उन्होंने एक मेंडेटरी प्रोविजन डाला कि इस तरीके का बिल विधान सभा में पास करवाना आवश्यक होगा। यह बाउण्डेशन है सरकार पर कि आपको यह चीजें तब मिलेगी जब आप यह बिल लाएंगे।

मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए तुरंत इसी सत्र में बिल लाकर प्रस्तुत करा और राजस्थान को आगे ले जाने की तरफ एक कदम बढ़ाया। इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री को और राज्य सरकार को। इसी तरह इससे राजस्थान को जो ऋण शिड्यूल होगा, प्राप्ति होगी, राज्य सरकार के स्तर पर किये गये आकलन में अनुसार 31.3.2005 की स्थिति में कुल बकाया ऋण की राशि 6177 करोड़ रुपये को 20 वर्षों की अवधि के लिये रि-शिड्यूल करने पर वर्ष 2005-06 में, 2006-10 तक प्रतिवर्ष 308 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान देय होगा। इस प्रकार 5 वर्षों की अवधि में कुल पुनर्भुगतान की राशि 1540 करोड़ रुपये होगी। एस.आर.बी. एक्ट लागू होने और उसके अनुसार लक्ष्य हासिल करने के उपरान्त राज्य सरकार को 5 वर्षों की अवधि के दौरान लगभग 1540 करोड़ रुपये के ऋण का अपलेखन, यानि राइट-आफ तथा लगभग 700 करोड़ रुपये की बकाया में छूट प्राप्ति होगी। इसका यह असर होगा।

श्री अध्यक्ष : आप जनमत के लिये क्यों कह रहे हैं, यह तो बता दो। जनमत के लिये कहा है आपने तो।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैंने तो वह बोलने के लिये देना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

डा. एन.एस. गुर्जर : पुराने सदस्य रहे हैं, अगर मैं इस पर नहीं देता तो आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देतीं इसलिये मैंने दिया है मैं ले लूंगा, उसको वापस लूंगा। मैं भाषण देने के बाद, मैं क्यों वापस लूंगा उसके रीजन बता रहा हूं कि मैं उसको जनमत जानने के लिये जो मैंने दिया है उसको वापस क्यों लूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : पहले गलतफहमी में दिया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, गलतफहमी में नहीं दिया है। आप लोग जानते हैं, सदन की व्यवस्था है, यह मेरी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था की हुई है कि जब किसी बिल पर बोला जाता है तो आपने यह व्यवस्था दे रखी है कि उस... (व्यवधान) हां तो मैं प्रस्ताव पर यह बोल रहा हूं ना कि मैं क्यों वापस लेना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह जनमत जानने के लिये क्यों भेजना चाहते हैं...(व्यवधान) वापस लेना चाहते हैं उसको।

डा. एन.एस. गुर्जर : इस प्रस्ताव में इसलिये वापस लेना चाहता हूं... (व्यवधान) मैं इसलिये रीजन दे रहा हूं कि मैं वापस क्यों लेना चाहता हूं। यह कारण दे रहा हूं मैं। इसलिये मैं बोल रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : हम आपसे कारण पूछना ही नहीं चाहते हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मत पूछिये। मैं आपके कहने के अनुसार बोलूंगा क्या? आप मेरे चीफ व्हिप हैं क्या, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं या मुख्य मंत्री हैं जो आपसे पूछकर बोलूंगा, क्या बोलना है और क्या नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो किसी से पूछकर नहीं बोलते हैं, आप बोलिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप जब बोलें, न तो आपकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कुछ कह सकते हैं, न चीफ व्हिप कुछ कह सकते हैं। आप तो बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा : सदन बिना कारण पूछे आपको इजाजत दे रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई निर्देश नहीं दे सकता है। आपको निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, निर्देश नहीं दे सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी मैम्बर बोल रहे हैं और वह समयानुकूल नहीं बोलें तो कोई भी आब्जेक्शन तो किया जा सकता है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, हम तो चाहते थे, हमारी तो मंशा यह है कि आप बिराजें, कहां बैक-बेंचेज पर जाकर बैठे हैं आप।

डा. सी.पी. जोशी : यहां आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको लगता नहीं है क्या कैसी तैयारी के साथ आये हैं। जिस तैयारी के साथ आये हैं, विनम्रता लिये हुए हैं, अपनी सीट पर अभी बैठ नहीं रहे हैं क्योंकि आगे आना है।

श्री सांवर लाल : यही तो कह रहा हूं ना यहां आना चाहिए, वहां जाकर कहां दूसरी सीट पर बोल रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : हां, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। खरामा-खरामा आ रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर भी मंजिल तक पहुंचेंगे।

श्री सांवर लाल : नहीं, आगे वाली सीट पर पधारिये आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : चौधरी साहब, आप आगे बढ़िये, हम आपके साथ हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका साथ तो मुझे डुबो देगा। इसलिये मुझ पर कृपा करो।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारी इच्छा है कि आप आगे की कुर्सी पर बैठें।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी इच्छा का और मेरी इच्छा का, दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : सी.पी. साहब से कम्पीटीशन है आपका।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, मेरा तो कोई कम्पीटीशन नहीं है, मेरे तो वरिष्ठ हैं। वे ही बैठेंगे और हम सब उनके साथ हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आगे नहीं आने देंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : व्यवहार तो आपका कुछ और है। आपका व्यवहार तो कुछ और है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आज अखबार में है आपने लिखकर भेजा है कि अशोकजी को बनाया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : जैसे कालूलालजी गुर्जर साहब के आने के बाद आपको समझ लेना चाहिए कि आपका नम्बर नहीं आयेगा वैसे ही वी.डी. कल्ला साहब के प्रेसीडेण्ट बनने के बाद सी.पी. जोशी जानते हैं, कौन आयेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह यहां बताना जरूरी था? उदास कर दिया आपने उनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे साफ-साफ नहीं कहना चाहिए, जैसे आपने कह दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार मैंने बताया कि जो मुख्य उद्देश्य है इस बिल को लाने के, 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बिल लाया गया है उसमें राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी लाने के लिये, इससे हमारे राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी और राज्य वित्तीय स्थिरता को बनाये रखना, यानि सब्स्टेंशियल फिस्कल स्टेब्लिटी, तीसरा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, यह जो विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन होगा इसमें ऋणों के ऊपर कठोर होगा, जो ऋण हमारा बढ़ रहा है लगातार। बताया गया है हमारी जो ऋण रेट बढ़ रही थी हालांकि उसको हमारी गवर्नमेंट 18.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत

(डा. एन.एस. गुर्जर)

कर लायी हैं, स्थिर किया है, लेकिन वह और कण्ट्रोल हो उसके लिये वह विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, और सरकार के वित्तीय प्रबन्धन में और पारदर्शिता लाना तथा मध्यकालीन, मीडियम टर्म योजना बनाकर राजकोषीय घाटे का कम करना। यह इसमें 09 तक यह जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको 2008-09 तक जीरो तक लाने सिफारिश की है रेवेन्यू डेफिसिट को और इसके आधार पर इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट को जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत लाने के लिये कहा है और उसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप पहले भी ला सकते हैं और जितनी जल्दी हम उसको लायेंगे उसका लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। इस तरह से राजस्थान को लाभ होगा। यह जो 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो राजस्थान को लाभ होगा यह 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में अधिक है। इसलिये 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों का राजस्थान को 39062.47 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। यह राशि 11वें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित राशि से 16718.52, अर्थात् करीब 15473.84 करोड़ अधिक है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को यह बिल लाते ही आटोमेटिकल यह लाभ मिलेगा। अकेले राजस्थान इस बिल को लाने वाला राज्य नहीं है। इस तरह के कानून जो बनाये जा चुके हैं। वह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और उत्तरप्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो आलरेडी इस तरह के कानून बना चुके हैं। महाराष्ट्र के अन्दर इस तरह का विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। तो यह हमारा अकेला स्टेट नहीं है कि इस तरह का कानून ला रहा है जो डवलप्ड स्टेट्स हैं, विकसित प्रदेश हैं वह इस तरह का कानून पहले ला चुके हैं जो हमारी स्थिति में स्टेट हैं वे इस तरह का कानून ला रहे हैं और जैसा मैंने बताया इसके जो मुख्य प्रावधान राजस्व घाटे को 2008-09 तक शून्य करना, राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में प्रतिवर्ष नियमित 0.4 प्रतिशत ही वार्षिक दर से कमी करते हुए 3 प्रतिशत तक लाना। लोक ऋण एवं जोखिम भारित प्रतिभूतियों को संचित निधि की प्राप्तियों के दुगुने तक सीमित रखना, यह इसके मुख्य प्रावधान हैं और प्रावधान के अनुसार इसको जिस तरह से लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जायेगा उसमें वार्षिक बजट और बजट के समय घोषित नीतियां मध्यकालीन राज्य वित्तीय नीति में

(डा. एन.एस. गुर्जर)

निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार होगी। छमाही बजट से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय के जो ट्रेण्ड्स हैं वह बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये किये जाने वाले उपायों, यानि कि करेक्टिव मेजर्स को रिव्यू किया जायेगा। यह बहुत बड़ी चीज है कि 6 महीने के अन्दर करेक्टिव मेजर्स को रिव्यू करना, यह हमेशा से सदन में मांग होती आ रही है जो लागू करते हैं फील्ड के अन्दर बजट को, वह लोग भी चाहते हैं, अर्थशास्त्रियों ने भी इस तरह का मत व्यक्ति किया है और उसके आधार पर यह सब स्थिति होगी।

यह जो बिल लाया गया है, यह राज्य को आगे लाने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इसलिए मैंने इस बिल को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इसी तरह से जो पिछले वर्षों में राज्य में, डैट स्वेप की, ब्याज राशि की जो बचत की है, गत तीन वर्षों में लगभग यह तो इस बिल के आने से पहले की स्थिति है, मैं बता रहा हूं कि वितीय प्रबन्धन, जो सरकार ने किया है उस वित्तीय प्रबन्धन को और किस तरह से मजबूत किया जाए, इस बिल के आने के बाद वह वित्तीय प्रबन्धन और मजबूत होगा उसकी झलक इस सरकार ने आते ही पहले कदम के रूप में दिखाना शुरू कर दिया था और इसलिए गत कुछ वर्षों में 5800 करोड़ डैट स्वेप किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 355 करोड़ के ब्याज के भुगतान में बचत होने की सम्भावना है।

यहां पर यह बात बहुत बार उठायी गयी कि आप यह ब्याज इतना ज्यादा दे रहे हो, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जब उस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी भाषण दे रही थीं, उस समय भी यह पूछ रहे थे कि आपने इतना ऋण ले लिया और ऋण के ऊपर इतना ब्याज दे रहे हो, ज्यादा हो जाएगा। दो-तीन साल में जब से सरकार आयी है, इस दो साल में, तीन महीने उसके और एक साल यह, इसमें जो कदम उठाये हैं, उससे इतना असर आ गया, अब इस बिल के आने के बाद इसमें गति आएगी और धीरे-धीरे यह जो हमारा ऋण है यह स्थिर ही नहीं होगा, जहां तक हमारा सोचना है, इस ऋण में कमी आएगी। हमारे आन रिसोर्सेज, रेवेन्यू रिसोर्सेज आपने आप बढ़ेंगे और खर्चों में कमी आएगी और समय पर योजना लागू होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि यह अजमेर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

रोड़ बनी है। अजमेर रोड़ सिक्स लाइन का बना है। तय समय से कम समय में पूरा करने में उस कम्पनी को इन्सेंटिव दिया गया है और यदि, यही पुराने ढर्रे के आधार पर, सरकारी काम-काज होता तो यह जितने समय में बनना चाहिए था उससे दुगुने समय में बनता। जब तक उसकी रेट दुगुनी हो जाती और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान होता इसलिए इन चीजों को कण्ट्रोल करने के लिए कि समय पर योजनाएं पूरी हो, समय पर पैसा खर्च हो ताकि सरकार को उसकी बचत हो और यह जो ऋण हम बार-बार ले रहे हैं, यह जो साइकल बन गया है, इस ऋण में कमी आये। ब्याज हमको ज्यादा नहीं देना पड़े और हमारा जो पैसा है वह पैसा विकास के ऊपर ज्यादा खर्च हो इसलिए रिस्क वेटेड गारंटी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक टर्म दी गयी है इसलिए इसके लिए हमारा सैक्शन 5, सैक्शन 6, सैक्शन 8 अगर आप इसमें बिल देख तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय, और इसमें बात कही है रिस्क वेटेड गारंटी है उसका मतलब क्या है? इस व्यवस्था से राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटीज या जोखिम के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा। अर्थात्, जिन संस्थाओं के ऋणों पर गारंटी दी गयी है, उन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति एवं उनके द्वारा ऋणों के पुन भुर्गतान की विगत स्थिति को देखते हुए यह तय किया जाएगा कि ऐसी कौनसी गारंटीज हैं जिनके पेटे राज्य सरकार का ऋणों के भुगतान पर कितना भार आ सकता है। इससे सरकार को अपना वित्तीय मेनेजमेंट ठीक करने में, सरकार को सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कितने-कितने घाटे की स्थिति है। राजस्व घाटे में 2001-2002 में राजस्व प्राप्तियां पर राजस्व व्यय का आधिक्य, यानि, जिसको हम राजस्व घाटा बोलते हैं 3795.69 करोड़ था। 2002-2003 में यह बढ़कर, ज्यादा नहीं बढ़ा, 3933.92 करोड़ हो गया, 2003-2004 के अन्दर यह कम हुआ, देखिये, ज्यों ही हमारी सरकार आयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2001-2002 में रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा था। 2002-2003 में ज्यादा था और ज्यों ही हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली और तीन महीने हमारी सरकार को हुए, उससे 2003-04 में ही यह रेवेन्यू डेफिसिट घटकर 3224.44 करोड़ पर आ गया। यह 3933 से 3424 करोड़ पर आ गया रेवेन्यू डेफिसेट और 2004-05 के सशोधित अनुमानों के अनुसार यह और कम हो गया। 3424 से

(डा. एन.एस. गुर्जर)

और यह केवल 2647.79 करोड़ आ गया और जो 2005-06 के बजट अनुमान हैं, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया, उसके अनुसार 1523 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट होगा। एक मिरेकल कर दिया मुख्य मंत्रीजी ने। राज्य सरकार ने एक मिरेकल कर दिया। यह स्थिति है वित्तीय प्रबन्धन की और इसीलिए यह जो बिल लाया गया है, इस बिल का भी यह सब उद्देश्य है और इसको राज्य सरकार और कम करने के लिए प्रयास कर रही है। कर राजस्व में प्रतिवर्ष यानि, 2004-05 में 15 परसेंट की वृद्धि की है। करों का सरलीकरण किया है। पहले आप लोगों ने सरलीकरण नहीं किया और इंस्पैक्टर राज्य कायम रखा, जिसके कारण लोगों को टैक्स देने में कुछ न कुछ अड़चनें उनको आयीं और टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट नहीं हो पाया। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जनता के ऊपर विश्वास किया और जनता ने मुख्य मंत्रीजी पर विश्वास किया। विश्वास लोकतंत्र का एक आधार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लोकतंत्र की सबसे मजबूत कोई आत्मा है तो वह है विश्वास। विश्वास अगर टूट जाता है तब परिपक्व लोकतंत्र नहीं चल सकता इसलिए परिपक्व लोकतंत्र के लिए विश्वास आवश्यक है और मुख्य मंत्रीजी ने उसका परिचय दिया। पहली बार एक प्रयोग किया और जनता का भी विश्वास किया और टैक्स का सरलीकरण किया। टैक्सों में सरलीकरण के साथ छूट दी और टैक्सेज का फार्मूला है जो आजकल की नई थ्योरी चली है, लाफ्टर थ्योरी, लाफ्टर प्रिंसिपल नई एक थ्योरी है लाफ्टर थ्योरी, लाफ्टर प्रिंसिपल टैक्सेज के सम्बन्ध में, उसको लागू किया, जिसके कारण 15 परसेंट टैक्स ज्यादा कलेक्शन हुआ, यह इसका असर हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कम करने के लिए डैट स्वेप करवाया, उसके आधार पर ब्याज के भुगतान में बचत की गयी और इस तरह से राजस्व घाटे की कमी के फलस्वरूप 2003-2004 और 2004-2005 में क्रमशः 59.17 करोड़ और 2004-05 के लिए 60.61 करोड़ की इन्सेंटिव राशि भी भारत सरकार से प्राप्त हुई और यह 2005-06 में जो व्यवस्था की है, इस सरकार ने, उसके आधार पर यह इन्सेंटिव राशि इस बार भी मिलना निश्चित हो गयी और इस बिल के आने के बाद तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से यह इंसेंटिव राशि इसकी बढेगी इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। इसी तरह से फिस्कल डेफिसिट में भी कमी आयी है। फिस्कल डेफिसिट को देख तो फिस्कल डेफिसिट में कमी आयी है। अध्यक्ष महोदय, फिस्कल डेफिसिट 2003-04 में 7367.13 करोड़ था, यह 2004-05 के संशोधित अनुमानों के आधार पर फिस्कल डेफिसिट कम

(डा. एन.एस. गुर्जर)

होकर 7051.12 करोड़ रह गया और यह जो 2005-06 के बजट अनुमान है, इसके आधार 6966.61 करोड़ पर यह आ जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह रेवेन्यू डेफिसिट में कमी आएगी, फिस्कल डेफिसिट में हमने कमी की है। इस बिल के आने के बाद और कमी आने की सम्भावना है। राजस्थान सरकार का जो वित्तीय प्रबन्धन अच्छा हुआ है उससे वित्तीय प्रबन्धन और मजबूत होने की स्थिति आएगी। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जी.एस.डी.पी. 1994-95 से लेकर 2003-04 तक प्रचलित कीमतों पर वार्षिक औसत 12.57 परसेंट की वृद्धि हुई है और यह 2003-04 के अनुमानों के अनुसार राज्य की जी.एस..डी.पी. 104483.15 करोड़ अनुमानित है। इसी तरह से वर्ष 2004-05 में 108733.99 करोड़ रूपये की जी.एस.डी.पी. होने की अनुमानित है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल के आने से हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। राइट टू इन्फोरमेशन का जो एक्ट बना है उसको बल मिलेगा और इसके आधार पर जो फिस्कलपालिसी स्टेट्मेंट, जो राज्य सरकार ने रखा है, उसमें सैक्शन-5 और यह सैक्शन-6, अगर हम इनको पढ़ेंगे तो यह जो टार्गेट हैं हमारे यह मैंने बताये हैं। क्या हम से 12वें वित्त आयोग ने अपेक्षा की है और क्या हम कहने जा रहे हैं। अगर आप इसमें जो इम्पोर्टेंट सैक्शंस हैं, आप देखेंगे 5-6 और इसका-8, पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू कमेटी, यह भी बनाई जायेगी जिसके आधार पर समय-समय पर यह कमेटी रिव्यू करेगी और क्या करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू कमेटी,

As soon as may be after the commencement of the Act, the Government may, by notification in the Official Gazette appoint a Committee to be called the Public Expenditure Reveiw Committee with the following features :-

(a) The Committee shall consist of not more than five members with professional expertise in the fields of Finance, Economic Management, Planning Administration, Accounts and Audit And Law.

अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फाइनेंशल एक्सपर्ट, आर्थिक विशेषज्ञ, लॉ के लोग, प्लानिंग के लोग, यह सारे लोग इस कमेटी के अन्दर सम्मिलित कर लिये गये और यह कमेटी जब एक्सपर्ट व्यू देगी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज अमेरिका वर्ल्ड के अंदर शक्तिशाली देश यूं ही नहीं बना है। आज अमेरिका में जितनी भी नीतियां

(डा. एन.एस. गुर्जर)

बनती हैं, वहां की यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो वहां के एक्सपर्ट हैं, वह वहां पर शोध करते हैं और शोध करने के बाद वह अपना एक प्रजेन्टेशन देते हैं और प्रजेन्टेशन देने के बाद वह सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, वह एक व्यापक नीति बनाते हैं। नीति बनाकर उसके बाद वह सरकार को भेजते हैं और सरकार अपनी आर्थिक घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए और अन्तरराष्ट्रीय हितों को देखते हुए उस नीति को अमलीजामा पहनाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए डवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके कोन्सेप्ट को स्वीकार करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने एक नई चीज पैदा की है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आगे देखकर दूरदर्शिता का परिचय दिया है, कूप मण्डूक होकर नहीं चली हैं। इसका जो बी पार्ट है, वह भी देखें :-

The terms and conditions of service of the members of the Committee and functions and duties of the Committee shall be such as may be prescribed.

और यह प्रेस्क्राइब यह करेंगे कि किस तरह से इसकी ड्यूटीज होंगी, इसके फंक्शंस क्या होंगे, वह क्या काम करेगी। यह कमेटी का प्रेस्क्राइब करके सरकार बनायेगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों के साथ-साथ यह कुल मिलाकर इसमें राजस्व घाटे को क्रमबद्ध तरीके से 8 मई तक समाप्त किया जायेगा। फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित किया जायेगा। बजट निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता लागू की जायेगी। पेंशन में, स्थापना में, गारंटी आदि के बारे में डिस्क्लोजर किये जायेंगे, बताये जायेंगे जनता को कि इनकी स्थिति क्या है? फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, यह जो स्ट्रेटेजी है, यह किस तरह से होगी, इसके बारे में बताया जायेगा और 12वें वित्त आयोग ने जो-जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए और यह जो बिल लाया गया है, इस बिल के बारे में सारा सदन के सामने रखा है जिस पर माननीय सदस्यों के सुझाव आयेंगे। इसलिए...

श्री अध्यक्ष : काफी ठीक है। आपने सब बता दिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसलिए इस आधार पर सदन को पता चलेगा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न मदों का सदन को पता लगेगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू कमेटी का गठन जैसे इसमें प्रोविजन रखा गया है 8 में, वह करने के बाद में उसकी कंडीशंस तय की जायेगी। कुल मिलाकर यह जो बिल आया है यह राजस्थान को एक नई दिशा देने वाला है। राजस्थान की गरीब जनता, हर वर्ग को लाभ देने वाला है, जो टैक्स पेई हैं, उनको लाभ देने वाला है। गांव के विकास में, शहर के विकास में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, उनके सपनों को पूरा करने वाला है और कुला मिलाकर राजस्थान, जो विकास की दृष्टि से कभी 17वें नम्बर पर था, उसको जब माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार थी, 5 वें नम्बर पर विकास की दृष्टि से लाकर खड़ा किया। आपकी सरकार आई, मैं कोई क्रिटीसाइज करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन आपका फाइनेंशल मैनेजमेंट ठीक नहीं था जिसके कारण आप हमेशा यह कहते रहे कि हमारा खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है और भगवान ने भी कह दिया "तथास्तु" आपका खजाना खाली रहा। आप आगे बढ़ नहीं पाये जिसके कारण राजस्थान पांचवें स्थान से विकास की दृष्टि से 13वें स्थान पर चला गया। हमारी सरकारी ने इस डेढ़-दो साल के कार्यकाल में प्रयास करके विकास की दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो दूसरे राज्यों की तुलना में 9 वें स्थान पर ले आये। यह मुझे विशवास है कि यह बिल आने के बाद सरकार के प्रयास होंगे, यानि ब्यूरोक्रेसी में पारदर्शिता आयेगी, सरकार में पारदर्शिता आयेगी। ब्यूरोक्रेसी पर बार-बार जो उंगली उठाई जाती है, वह उंगली नहीं उठाई जायेगी। और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी, एक नकेल होगी और उससे सारी जनता को जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी, इससे राजस्थान विकास की दृष्टि से मेरा विश्वास है कि माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में, हमारी सरकार के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर विकास की दृष्टि से पहले नम्बर पर आकर कुछ ही सालों में खड़ा हो जायेगा। मेरा एक विश्वास है।

मैं पुनः सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि यह बिल लाई है इसके लिये और आशा करता हूं, आपको शुभकामना देता हूं कि जिस तरह से इस

(डा. एन.एस. गुर्जर)

बिल की मंशा है, उस मंशा के अनुसार यह सरकार कार्यवाही करे और उससे यह राजस्थान आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए जो मैंने जनमत जानने के लिए अमेंडमेंट दिया उसको मैं विद-ड्रा करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इन्हीं शबदों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अनुमति तो ली नहीं आपने विद-ड्रा करने की।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण दे रहा था। मेरा अमेंडमेंट वापस लेने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति है, अनुमति प्रदान की गयी।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं मेरा जो अमेंडमेंट है, उसको वापस लेता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार "द राजस्थान फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एण्ड मैनजमेंट बिल, 2005" लेकर आई है। इसका मकसद सरकार ने यह बताया है कि मूल रूप से राजस्व घाटे को घटाना। वित्तीय अनुशासन कायम करना, वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता लाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है। हम भी इसके हिमायती हैं कि वित्तीय अनुशासन लाना चाहिये और राजस्व घाटा भी घटाना चाहिये, कम करना चाहिये और आपने तो अपना लक्ष्य भी दिया है कि आप 2009 तक जाकर फिस्कल डेफिसिट "जीरो" पर ले आयेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना और मेरा ऐसा मानना है कि इस बिल के माध्यम से राजस्थान सरकार अपनी जनता के लिये खर्च करने से हाथ पीछे खींचना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व घाटा कम करें, कैसे कम होगा? टैक्स रेवेन्यू की क्या स्थिति है आपकी, स्टाम्प ड्यूटी में आप सेचुरेशन

(श्री संयम लोढ़ा)

पर हैं, कामिर्शियल टैक्स में आप सेचुरेशन पर हैं और ट्रांसपोर्ट में आप अचीव कर चुके हैं और अब पीछे की तरफ जा रहे हैं और एक्साइज पॉलिसी में जिस तरह की एक्साइज पॉलिस दी है आपने, उसमें जो रेवेन्यू हो रहा है, उसके बाद उसमें कोई बहुत अधिक धन प्राप्त करने की गुजाइंश नहीं रह जाती। लेकिन दूसरी मंशा इस सरकार ने इस बिल में अपनी बताई है। मैं सैक्शन थ्री की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। फिस्कल मैनेजमेंट ओब्जेक्टिव जिसके बी में आपने मन्तव्य दिया है Pursue non-tax revenue policies with due regard to cost recovery and equity.

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब टैक्स रेवेन्यू और नोन टैक्स रेवेन्यू में किस रूप में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, वह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह निश्चित रूप से लगता है कि सरकार खर्चा कम करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा मुख्य खर्चा है अगर हम बजट का अवलोकन करें तो शिक्षा पर है। शिक्षा में आप क्या कम कर पायेंगे? जिस प्रदेश के अंदर ड्राप आउट की स्थिति इतनी भयावह हो कि वह पूरे राजस्थान का नहीं, पूरे देश की चिन्ता का विषय हो, उस प्रदेश में किसी भी रूप में शिक्षा के क्षेत्र में आप पैसे में कटौती नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा मुख्य खर्चा है चिकित्सा का। ग्रामीण क्षेत्र के एक व्यक्ति पर जब हमारा खर्चा, पूरे इस बजट को आधार मानें तो मात्र एक रुपये 41 पैसे है। कैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में कटौती करेंगे? और तीसरा हमारा मुख्य खर्च है पुलिस और पुलिस का जो बजट है, 94 फीसीदी उसका पैसा जब वेतन और उस पर खर्च हो रहा है तो आप किस रूप में कम खर्च करेंगे, यह मुझे समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 10 में से 7 साल अकाल के होते हैं और अकाल के खर्चे को आप देखो तो प्लान छिन्न-भिन्न हो जाता है, नोन-प्लान का खर्च बढ़ जाता है। आप अब यह कहोगे कि हम केन्द्र की मदद से अकाल का मुकाबला करेंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि केन्द्र की मदद आपको एक निश्चित फार्मूले के आधार पर मिलती है, सी.आर.एफ. में आपको पैसा मिलता है और केन्द्र सरकार तो अपने डेफिसिट कंट्रोल कर लेगी, कोई भी स्थिति होगी तो वह नोट छाप लेगी आपके पास कौनसा रास्ता है नोट छापने का इसलिए मेरी आशंका है और, अध्यक्ष महोदय,

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं इसलिए सदन में आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे सरकार के इरादे नेक नहीं हैं। सरकार राजस्थान की जनता पर टैक्स लगायेगी और टैक्स के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेगी।

जिस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर आपने चुनाव लड़ा, आपने कहा गृह कर खतम करेंगे, आज तक तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाये और खतम भी कर देंगे तो मेरा एक दावा है कि पिछले दरवाजे से आप कोई न कोई टैक्स जरूर लादेंगे। आपने चुंगी खतम की थी, सारी पालिकाओं को पंगु बनाने का काम तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और आज किसानों के साथ आप छल करने वाले हैं, इसकी मुझे पूरी आशंका और पूरा अंदेशा है।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरें बढ़ा दी। ओन रिकार्ड पर बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं। लेकिन सरकार किसी न किसी तरीके से इसको आगे टाले जा रहे हैं। मंत्रीजी, अगर आपमें वाकई ही ईमानदारी है तो आज इस सदन में अपनी रिप्लाई में आप घोषणा करना कि आप विद्युत नियामक कम्पनियों को अनुदान के रूप में कितना रुपया देना चाहते हैं और कितना रुपया देंगे। और नहीं तो होगा क्या कि आप राजस्थान के किसान और राजस्थान के बिजली के उपभोक्ता पर यह बिजली की बढ़ी हुई दरें लादेंगे और पहले से ही टूटे हुए लोगों का जीवन आप मुश्किल कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब जो सिंचाई क्षेत्र के अन्दर है, मेरी आशंका है कि यह जितने भी प्रबन्धन का काम है बांध का और सिंचाई परियोजना है यह सरकार उससे पीछे हटेगी और यूजर्स चार्ज के नाम पर आप किसानों से उन योजनाओं के संचालन का पैसा वसूल करने का काम करेंगे और इस तरीके से आप अपनी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क का काम है, पहले से ही सरकार इस पर आ चुकी है "वोट और बूअ" और इस प्रकार सड़कों का काम कर रही है तो किसी भी रूप में आप अपनी इन सारी जिम्मेदारियों से पीछे हट कर यूजर्स चार्ज के नाम पर पानी का पैसा, बिजली का पैसा, सड़क का पैसा, यह सारा पैसा राजस्थान की आम जनता पर आने वाले समय पर लादने का काम करने वाले हैं।

(श्री संयम लोढा)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि इस बिल में कहा है, मैं सैक्शन-6 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा :-

(a) Reduce revenue deficit to zero within a period of four financial years beginning from 1st day of April, 2005 and ending on the 31st day of March. 2009 by following a path of average annual reduction of 3 percent in the ratio of revenue deficit to revenue receipts;

और इसका बी है, Reduce fiscal deficit to 3 per cent of the estimated Gross State Domestic Product by following a path of average annual reduction of 0.4 per cent in the ratio of fiscal deficit to estimated Gross State Domestic Product.

अब, अध्यक्ष महोदय. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जिस जी.एस.डी.पी. के आधार पर इसकी तरफ बढ़ना चाहती है और 2009 में आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जी.एस.डी.पी. कवर होता है इंडस्ट्रियल सैक्टर से, सर्विस से और एग्रीकल्चर सैक्टर से और इसमें भी 28 परसेंट आपका एग्रीकल्चर से आता है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होता है कि आप का पूर्वानुमान 2008 तक क्या है, वह राजस्थान की जनता के समाने पेश करते तब इस बात की सच्चाई मालूम पड़ती कि किस रूप में आप डेफिसिट को कंट्रोल करने वाले हैं लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं है और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की हैं कि एग्रीकल्चर का यह जो परसेंटेज है यह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि 10 में से 7 वर्ष राजस्थान को अकाल का सामना करना पड़ता है। जैसा कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले 18 महीनों में इस सरकार ने बहुत कुछ वह कार्य किये जिससे हम इस वित्तीय सुधार की दिशा में आगे बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सुधार के कार्य किये और क्या आपने किया? क्या वित्तीय अनुशासन है आपका और आप क्या खर्चों में कमी करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के टूरिज्म की बैठक फाइव स्टार होटलों से नीचे नहीं होती है। रामबाग पैलेस में आप टूरिज्म की बैठक करते हो। आपकी आर्थिक नीति परिषद की बैठक होती है, आप रामबाग होटल में, फाइव स्टार होटल में करते हो क्या शासन सचिवालय में आपको उन बैठकों को करने के लिए कोई जगह नहीं है? आप वित्तीय अनुशासन लायेंगे. लाखों रुपया

(श्री संयम लोढ़ा)

इस तरह से फाइव स्टार होटलों में टूरिज्म के नाम पर राजस्थान के गरीब आदमी की दशा सुधारने में चर्चा करने के नाम पर अब आप खर्च कर देते हैं और उसके बाद आप यह कहना चाहते हैं कि आप वित्तीय अनुशासन लायेंगे, आप वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता लायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जलदाय विभाग में जो सब्मर्सिबल पम्प खरीदे गये 10 करोड़ के सात दिन के अंदर, अल्पकालीन निविदाएं चीफ इन्जीनियर के यहां लगी हुई थीं। वह तो आपने फाइनल की नहीं और आनन-फानन में सात दिन के अन्दर आपने दस करोड़ रुपये के पम्प खरीद दिये जो भी दस परसेंट कम कैपेसिटी के हैं और उससे बिजली का बिल इतना ज्यादा आयेगा कि राजस्थान की सरकार को 100 करोड़ बिजली का अधिक भुगतान करना पड़ेगा और आप इस बिल के माध्यम से पारदर्शिता लाने की बात करते हैं।

जब भारत सरकार ने सितम्बर, 2004 में आपको कहा कि आने वाले वक्त में कोयले का क्राइसिस आ सकता है और आप अपनी तैयारी करें, अपना प्रबन्धन करें, कोयले की व्यवस्था करें बिजली उत्पादन के लिये लेकिन आपन कोई कार्यवाही नहीं की। आप उस आदेश को लेकर बैठे रहे और बाद में आनन -फानन में शोर्ट नोटिस के अन्दर आपने कोयला आयात करने का ठेका बिना अन्तरराष्ट्रीय बाजार में देकर दिया और 98 करोड़ रुपये के उस सौदे में आज एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, एक संशय लग गया है कि पूरे राजस्थान की जनता, जनता के दिमाग में, कि उस कोयला आयात के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है और यह सरकार इस बिल के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, आप वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्री के निवास, 8, सिविल लाइंस पर आप डेढ़ करोड़ रुपया राजस्थान की गरीब जनता का खर्च कर दें, उस सरकारी मकान को आप महल में बदल दें और आप वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं। आप राजस्व घाटे को नियंत्रित करने की बात करते हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों में संशोधन करके, जब एक केबिनेट मंत्री को मात्र एक निजी सहायक लगाने की अनुमति है, आप मुख्य मंत्री को यह सारे अधिकार दे देते हैं कि वह जितने चाहे कांट्रेक्ट बेसिस पर लोगों को लगा सकती हैं और राजस्थान की मुख्य मंत्री 29 लोगों को कांट्रेक्ट बेसिस पर लगा कर राजस्थान की गरीब जनता पर

(श्री संयम लोढ़ा)

एक साल के लिए 20 लाख रुपये का बोझ डाल देती है और आप यह कहना चाहते हैं, हम वित्तीय अनुशासन लाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो बिल पर कोई रिलेवेंसी है नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : बिल पर बोल रहे हैं किस पर बोल रहे हैं? (व्यवधान) यह बहक कैसे जाते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय अनुशासन से जुड़ा हुआ है और राजस्थान की जनता के धन का जिस निर्ममता के साथ यह सरकार प्रयोग कर रही है उसके बाद वित्तीय अनुशासन की बात करने का इस सरकार को कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आमेर के अन्दर, आमेर के सौन्दर्यीकरण को आपने 40 करोड़ का काम किया, क्या प्रोसेस आपने अपनाया? आप बताइये अपनी सरकार की तरफ से, मंत्रीजी....(व्यवधान) जब आप जवाब दें, बताइये कौनसी पारदर्शिता के आधार पर आमेर का 40 करोड़ रुपये का आपने काम दिया है?

श्री अध्यक्ष : बिल से तो कोई रिलेवेंस है नहीं इन बातों की। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में लिखा हुआ है, इस बिल के उद्देश्य में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उद्देश्य में लिखा है तो इसका मतलब यह थोड़ी है... (व्यवधान) जो कुछ किया है उसे आप अब कहें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के कसीदे पढ़ रहे थे टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, तब तो कोई एतराज नहीं था और इस सरकार की कमियों और वित्तीय अनियमितताओं पर अगर ध्यान आकृष्ट करें, वही बात, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं समाप्त करता हूं। लेकिन इस सरकार ने बिल में लिखा है greater transparency in fiscal operations.

श्री कालीचरण सर्राफ : संयमजी, आज ऐसा लगता है कि तैयारी कर के नहीं आये।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो तैयारी पूरी कर के आया हूं, माननीय सदस्य, क्योंकि आप जिस आधार पर बिल लाना चाहते हो मैंने उसी आधार पर बात कही है। मैंने उसी आधार पर बात कही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में और इसके अलावा भी इतना ही नहीं आप वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो राजस्थान दिवस समारोह के नाम पर क्या किया आपने, पन्द्रह करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया राजस्थान की गरीब जनता का और किस तरह का मिस यूज आपने किया। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर खर्च करने के लिए राजस्थान की जनता के धन का दुरुपयोग मत करो। हेमामालिनी और अनुपम खैर जैसे आउट डेटेड लोगों को लाकर राजस्थान की जनता का लाखों रुपया आप उनको देना चाहते हो और आप वित्तीय अनुशासन की बात कर रहे हो यह भारतीय जनता पार्टी की कोटारी के फायदे के लिए राजस्थान की गरीब जनता के धन का दुरुपयोग करके हम कोई राजस्व घाटे पर नियंत्रण नहीं कर सकते और इसके लिए एक साफ दृष्टि और नीयत होनी चाहिए। (व्यवधान) मेरा यह मानना है कि इस राजस्व घाटे पर नियंत्रण का लक्ष्य सरकार इस माध्यम से रख रही है, नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात सैक्शन-3 बी में कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हेमामालिनी माननीय राज्य सभा की सदस्या हैं। राज्य सभा की माननीय सदस्य को आउट डेटेड कहना, मैं समझता हूं उनका अपमान है। यह कार्यवाही से निकलवाओ।

श्री संयम लोढ़ा : आपने राज्य सभा की सदस्य के रूप में नहीं बुलाया। आपने उनको नृत्यांगना के रूप में बुलाया था मैं उसी के रूप में बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई एक व्यक्ति अलग-अलग होता है क्या? राज्य सभा का सदस्य अलग है और (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको इसका सन्दर्भ माननीय मंत्रीजी देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संयम लोढ़ा विधान सभा के अंदर तो अलग हैं और विधान सभा के बाहर दूसरे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर राज्य सभा के सदस्य के रूप में बुलाते तो उनका रेमुनरेशन भुगतान नहीं करते, पेमेंट नहीं करते। उनको आपने नृत्यांगना के रूप में बुलाया था इसलिए आपने भुगतान किया है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी जब भी आप जवाब दें आप यह बताएं इस राजस्व घाटे को कम करने के लिए. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भुगतान किया है क्या?

श्रीमती उषा पूनिया : अध्यक्ष महोदय, हेमामालिनीजी बिलकुल फ्री आयी हैं उन्होंने अपने लिए एक पैसा भी हमसे नहीं लिया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो, अब आदत पड़ गयी है कहने की।

श्री ओम बिड़ला : राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से अच्छा राज्य बनाना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : उनको यहां बुलाया उन पर खर्चा कितना हुआ यह बता दें आप या कह-कह दें कि उनके आने पर इस सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। आप कह दें ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो सुन्दरलालजी इसका जवाब देना चाहते हैं (व्यवधान) बिराजो, सुन्दरलालजी को जवाब देने दें।

श्री अध्यक्ष : सुन्दरलालजी आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा ख्याल है अब आपको चुप बैठ जाना चाहिए। बात खत्म हो गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य जब आते हैं तो खर्चा तो जब भी होता है और सरकार वहन करती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो कहेंगे पर खर्चा होता है एम.पी. के नाते वह तो सरकार वहन करती है एम.एल.ए. का करती है, एम.पी. का करती है।

श्री हरिमोहन शर्मा : एम.पी. का खर्चा राजस्थान सरकार बर्दाश्त नहीं करती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार से खर्चा लेकर नाटक कर रहे हो क्या। यह विधान सभा में भत्ता लेते हैं, खर्चा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यहां (व्यवधान) खर्चा ले रही हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह विधान सभा में खर्चा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलते हो उसका खर्चा ले रहे हो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो बेकार का एतराज है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सांसद की हैसियत से आई हैं हेमामालिनी और उनका अपमान किया है इस सदन में।

श्री सुन्दर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कल यह भी कहेंगे कि जन्मी हेमामालिनी और अब तक कितना खर्चा हो गया वह भी बताओ कहां किया। अब आयी जब तो खर्चा लिया नहीं फिर आपके पेट में दर्द किस बात का हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : क्या बोल गये कुछ समझ में नहीं आया। कह क्या गये हमारे कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा।

श्री सुन्दर लाल : मैं यह कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि कल यह कहेंगे कि हेमामालिनी जन्मी जब से अब तक कितना खर्चा आया वह भी सरकार देगी क्या तो इनको क्या पता इस बात का अब मंत्रीजी ने कह दिया कोई खर्चा नहीं लेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : मंत्रीजी ने यह कहा है भुगतान नहीं किया। खर्चा तो हुआ है पूछ लो आपको गलतफहमी है। हां, खर्चा हुआ है मैं कह रहा हूं।

श्री सुन्दर लाल : आपकी तो आदत पड़ गयी। कोई आदमी उल्टा कुर्ता पहने बैठा था किसी ने पूछा कुर्ता उल्टा क्यों पहना, बोला ढेरा पड़ गया तो बोला क्या निकल गया तो ससुरा ने ओल तो पड़ेगी बाहर से फिरकर भीतर आएंगे। थ्हाने तो ओल गेरनों हैं और कोई काम नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मंत्रीजी से चार-पांच बातें पूछना चाहता हूं कि जब भी आप जवाब दें उनका जवाब हमको दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.डी.पी. स्टेट का है वह 67 हजार करोड़ से 75 हजार करोड़ के बीच में मूवमेंट करता रहता है तो आने वाले इन चार सालों के लिए जो आपने रेवेन्यु घाटा पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा है, इसका पूर्वानुमान किस रूप में आप लगा रहे हैं इसकी आप जानकारी दे दें जिससे आपको यह राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ मंत्रीजी आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो अनुदान सिंचाई के क्षेत्र में किसानों को उपलब्ध है और जो बिजली के क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ता को और किसान को उपलब्ध है आज आप इस सदन में घोषणा कराएं कि आने वाले चार साल के अन्दर राजस्व घाटा नियंत्रण करने के लिए उस अनुदान में आप एक रुपए की कटौती नहीं करेंगे तो हम यह मानेंगे कि यह बिल आप राजस्थान की जनता के हित में लाए हैं, उनकी हिमायत में लाए हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो उल्टी बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो सवाल पूछ रहे हैं (व्यवधान) इस बिल को जनमत जानने के लिए क्यों भेजा जाए इस पर बोल नहीं रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं वह स्टेज नहीं है सवाल पूछने की। यह भी विथड्रा करेंगे यूं।

डा. सी.पी. जोशी : विथड्रा करने वाले ने पूरी बात कही है यह भी बाइंड अप करेंगे बोल देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह कोई विथड्रा करने के लिए बोल रहे थे। मैंने उनसे भी कहा है।

डा. सी.पी. जोशी : वाइंड अप करेंगे तब बोल देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिल की ताइद की और ताइद करने के बाद कहा

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए मैं विथड्रा करना चाहता हूं। पूरी ताइद करने के बाद कहा मैं मेरा अमेंडमेंट वापस ले रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं नहीं लूंगा वापस। मेरा इतना ही निवेदन है कि पानी और बिजली के घरेलू उपभोक्ता और कृषि उपभोक्ता को जो अनुदान प्राप्त है आने वाले समय में सरकार उसमें कोई कमी करेगी कि नहीं करेगी, इसकी भी आप जानकारी दे दें और सरकार से मेरा.....

श्री अध्यक्ष : इसका इससे क्या ताल्लुक है? यह तो मितव्ययता की बात कह रहे हैं इससे क्या ताल्लुक है?

श्री संयम लोढ़ा : ताल्लुक कैसे नहीं है। मेरी आशंका है कि राजस्थान की जनता पर इस राजस्व घाटे को कम करने के नाम पर करोड़ों रुपए का बोझ टैक्स रेवेन्यू के रूप में सरकार डालना चाह रही है और सरकार ने इस बिल में अपनी मंशा प्रकट की है। यह फिस्कल मैनेजमेंट आब्जेक्ट इसका 3-बी-2 सुन लें अध्यक्ष महोदय,

(b) "Pursue non-tax revenue policies with due regard to cost recovery and equity."

क्या कापी पर पैसे बढ़ाओगे?

डा. एन.एस. गुर्जर : माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य, आपको मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। पिछले साल भी सरकार ने रेवेन्यू डेफेसिट कम किया है कोई टैक्स लगाया गया, कोई बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष : वह दे देंगे जवाब।

डा. एन.एस. गुर्जर : हाइपोथेटिकली चर्चा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हाइपोथेटिकल चीज होनी ही नहीं है उसके बारे में कह रहे हैं ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा और हाइपोथेटिकल चीज की चर्चा हाउस में नहीं की जा सकती।

श्री संयम लोढ़ा : आप भी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो। राजस्व घाटा जीरो परसेंट पर लाना, यह हाइपोथेटिकल बात है इसलिए हमें पूछना पड़ेगा कि आप किस तरह राजस्व घाटे को कम करने वाले हो (व्यवधान) आज पूरे राजस्थान की जनता की आंखों में..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : है, वह तो बिना टैक्स लगाए कम किया है (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हमने रेवेन्यू डेफेसिट कम किया है, फिस्कल डेफेसिट कम किया है ईयर बाई ईयर हमने कम किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो नोन टैक्स रेवेन्यू के सम्बन्ध में फिस्कल मैनेजमेंट आब्जेक्टिव-3 बी में कहा है आप कैसे बढ़ाओगे उसको आप उसकी भी जानकारी देना क्या वह किसान की गिरदावरी की कापी लेने जाएंगे वहां, पर उसके पैसे बढ़ाएंगे आप क्या करोगे इसके लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदन में यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो सरकार लाई है इसका भारी भुगतान राजस्थान की गरीब जनता को करना पड़ेगा और करोड़ों रुपए का बोझ राजस्थान की जनता पर पड़ेगा इसलिए इसका पुरजोर विरोध करते हुए मैं कहता हूं कि आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बढ़िया बहुत अच्छा। थैंक्यू। श्री प्रहलाद गुंजल। देखिए दो माननीय सदस्यों ने बहुत समय ले लिया। अकाल और पेयजल पर आज चर्चा होगी और कम से कम भी पच्चीस सदस्यों ने बोलने के लिए अपना यहां पर आवेदन किया है इसलिए बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रहलाद गुंजल : मेरे ख्याल से, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोलूं तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बोलें लेकिन संक्षेप में। बोलें आप।

श्री प्रहलाद गुंजल : क्योंकि कल भी जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, यह सारी भूमिका आसन से पहले बन गयी बोलने से पहले ही आप इस प्रकार से प्रतिबंध लगा दो कि बोलने वाले व्यक्ति की मानसिकता पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। मैं सोचता हूं कि यह बोलने वाले के साथ अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा आप बोलिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : आप आज्ञा देंगे तो मैं तो बिना बोले बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं बोलिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक 2005 जिस पर आज सदन में चर्चा हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने का उद्देश्य स्पष्ट है। इस विधेयक को लाकर सरकार दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता इस प्रान्त में कायम करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को सदन में लाने के समय जो चर्चा हो रही है हमें इसके सारे पहलुओं पर आज विचार करने की आवश्यकता है।

अभी सिरोही से आने वाले मानीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के समय सार्थक सुझावों के बजाय आशंका व्यक्त कर रहे थे। दो उदाहरण हमारे सामने हैं। एक राजस्थान की पिछली सरकार के पांच साल का उदाहरण और एक 80 से 90 तक के दशक का देश का उदाहरण है। दोनों परिस्थितियों को हमने देखा है। 1998 में जब राजस्थान गहलोतजी का राज आया और लगातार खजाना खाली है, खजाना खाली है, मैं राजस्थान का विकास नहीं कर सकता। राजस्थान की जनता के सामने इस प्रकार का चरित्र सरकार पेश करती रही। अभी इस पवित्र सदन में और इस सदन के बाहर सरकार ने इसके बारे में चिंता व्यक्त नहीं की 55,000 करोड़ के कर्जे के बाद हमें कुछ इस प्रकार के वित्तीय प्रबंधन करने चाहिये कि लगातार बढ़ता घाटा राज्य को बदहाली के दौरे की ओर ले जा रहा है, हमें गंभीर चिंतन के साथ उसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिये और बल्कि उत्तरदायित्व से भागने के लिये इस प्रान्त की आर्थिक बदहाली को राजस्थान की जनता के सामने गिनाते रहे, उसका वर्णन करते रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे ज्यादा आपने देखा है। 1980 के दशक में हमारे देश ने इस हिस्ट्री को भुगता है जब 1987 से पूर्व विश्व बैंक को यह आभास हो गया कि भारत आर्थिक बदहाली के दौरे से गुजर रहा है, भारत के सामने आर्थिक संकट की स्थितियां खड़ी हैं और उसका परिणाम हमने देखा है कि मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दवाब में किस प्रकार के निर्णय भारत की सरकार को करने पड़े। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में रुपये की औसत कीमत इक्कीस पैसा कम हो गयी। सामान्य बात नहीं है। और न केवल रुपये

(श्री प्रहलाद गुंजल)

का इक्कीस पैसा अवमूल्यन हुआ बल्कि सरकार ने विश्व बैंक के सामने जिस प्रकार का समर्पण किया, जिस प्रकार से घुटने टेके, देश और संसद के साथ उन्होंने धोखा दिया कि किस प्रकार की नीतियां लागू की? किस प्रकार से देश की संसद को धोखे में रखा? राष्ट्र हित की अनदेखी कर आयातों को उदारता, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, अनुदानों में कटौती, आम उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि जैसे कदम उठाए और जब देश की पार्लियामेंट में इनसे सवाल पूछा गया कि इस देश को, इस पार्लियामेंट को गुमराह करके मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दवाब में सरकार ने किस प्रकार से यह कदम उठाये तो तत्कालीन वित्त मंत्री, जो आज भारत के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने देश की संसद में बयान दिया 6 अगस्त, 1991 को कि यह सारे परिवर्तन महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर किये गये हैं, यह कहकर देश की संसद को गुमराह करने की कोशिश की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिणाम क्या हुआ? वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये देश की पार्लियामेंट में भी इस प्रकार का अधिनियम पारित करना पड़ा और यह अधिनियम पारित करते समय हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों से यह अपेक्षा की गयी कि हिन्दुस्तान के यह तमाम प्रान्त जो अपने प्रान्त की आर्थिक बदहाली को सुधारने के लिये इस प्रकार का अधिनियम लायेंगे। आज जो विधेयक इस सदन में चर्चा के लिये लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, यह विधेयक इस प्रान्त को आर्थिक स्थिरता की ओर ले जायेगा और केवल आर्थिक स्थिरता की और ले जायेगा, इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति में सुधार करके विकास के पथ पर आगे बढ़ायेगा। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब सत्ता संभाली और 2004-05 का बजट इस सदन में पेश किया तब कुशल वित्तीय प्रबंधन के संकेत दिये। और न केवल कुशल वित्तीय प्रबंधन के संकेत दिये गये जब हमने 2005-06 का बजट पेश किया और 2004-05, इस बजट का मूल्यांकन किया तो आपने देखा कि 2004-05 में राजस्व प्राप्तियां के अनुपात में घाटा 22 प्रतिशत से कम होकर लगभग 15 प्रतिशत होना अनुमानित है। 2003-2004 के राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार के फलस्वरूप हमने फिस्कल रिफार्म्स फैसेलिटी के अन्तर्गत उनसठ करोड़ सतहत्तर लाख की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की. और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

2005 के संशोधित अनुमानों के अनुसार एक बार फिर राजस्व घाटे में अपेक्षित सुधार किया। यह सुधार के कदम प्रारम्भ हो और अब माननीय सदस्य इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि सुधार के नाम पर राजस्थान की जनता पर कर लगाये जायेंगे। इस सुधार के नाम पर राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया जायेगा, विकास से राजस्थान की सरकार कदम वापस हटायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने इस दिशा में सार्थक पहल की, सार्थक कदम बढ़ाए। इसका परिणाम इसमें लिखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में 2004-05 के संशोधित अनुमान, 2004-05 के बजट अनुमानों में कुल घाटा तीन सौ चौतीस करोड़ उनतालीस लाख अनुमानित किया गया था। बजट अनुमानों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य हिस्सा राशि के लगभग 198 करोड़ रुपये की कमी हुई परन्तु बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में राज्य के कर राजस्व में 107 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है। राजस्थान की जनता पर से कर हटा है, राजस्थान की जनता पर से टैक्स हटा है और टैक्स हटाने के बाद भी कर में बढ़ोत्तरी हुई और इसलिये आज के इस मौके पर जब हम यह विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज राजस्थान के माथे पर 2004-2005 में सड़सठ हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और हमने अनुमान लगाया है कि जब 2005-06 होगा तो यह कर्जा बढ़कर लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपये का हो जायेगा। आखिर इस चक्र को रोकने के कहीं न कहीं गंभीर प्रयास होने चाहिये और इसके बारे में हम सबको मिलकर चिन्ता करनी चाहिये। इस मौके पर सरकार के सामने इस प्रकार के अवसर सुझाव के रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिये कि हम सब इस राजस्थान को आर्थिक बदहाली की ओर जो बढ़ रहा है उसको रोकें और रोकने के लिये जो यह बिल लाया जा रहा है इसमें किस प्रकार के ठोस कदम उठाये जाएं। इस बिल के माध्यम से किस प्रकार के ठोस निर्णय किये जाएं कि इस बिल को हम लाकर जिसमें हम बजट के प्रबंधन का उत्तरदायित्व लागू करना चाहते हैं। कानून बनाने के पीछे जो हमारी मंशा है राज्य की बदहाली को ठीक करना, वित्तीय प्रबंधन को ठीक करना, इसमें किस प्रकार के ठोस प्रबंध किये जाने चाहिये।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में लिखा है, घाटे को किस प्रकार से कम करेंगे?

टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़ों पर काफी बात करते हुए विस्तारपूर्वक बात कहीं और इसको लागू करने के पीछे जो मूल बात है यह प्रांत की सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। विधेयक बन रहा है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। प्रावधान 14 में आपने लिखा है कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां। इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश में ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

अध्यक्ष महोदय, यह इस बात की मामूली-सी शंका व्यक्त करता है कि हम जिस उद्देश्य को और जिस भावना को लेकर एक्ट ला रहे हैं कहीं न कहीं अगर हम उसके इम्पलीमेंटेशन की ठीक प्रकार से भूमिका नहीं निभा पाये और उसको प्रभावी रूप से जिम्मेदारी के साथ लागू नहीं कर पाये तो अपने आपको रिलैक्स करने के लिए नियम 14 का जो प्रावधान किया है इससे सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति में मामूली-सी कमी नजर आती है। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा कि इस एक्ट को लागू करके राजस्थान की जनता पर कर भार लादने का प्रस्ताव नहीं है। किसी को राहत और किसी को कष्ट देने के लिए अधिनियम बनाने का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान के सामने भविष्य के खतरे की शंकाएं नजर आ रही हैं। जिस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो गया है। मैं उनके उल्लेख में जाना नहीं चाहता। जिस प्रकार से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य मुख्य मंत्री के घर के खर्चे से लेकर और दुनिया भर के खर्चों तक जाकर इस चर्चा में लेकर आ गये, उसमें मैं जाना नहीं चाहता।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस राजस्थान में जिस रोज पांचवां वेतन कमीशन लागू हुआ। इस राजस्थान की विकास की गति को लगातार मेनटेन रखना हर सरकार के सामने चुनौती

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भरा काम हो गया और उसमें बेहतरीन यह होगा कि हम किस प्रकार से हमारी व्यवस्था को ठीक करें। यह मंशा व्यक्त करके सरकार इस विधेयक को लायी है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रावधान 14 में हमने रिलैक्स करने की बात कही है और उसमें एक प्रोविजन डाल दें कि सरकार के सामने कोई ऐसा आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा या जो इस प्रकार के गंभीर मुद्दे हैं इन पर इसके इम्पलीमेंटेशन में, बजट के वित्तीय प्रबन्धन में कोई विशेष प्रकार से प्रोविजन में यह चला सकता है। विशिष्ट कारण जो खड़े हो जायें तो हम इसके इम्प्लीमेंटेशन में रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम इसमें रिलैक्स का प्रावधन रख देंगे तो हम 50 वर्षों से इस सदन में बजट पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय बजट पेश करते समय पूरी सरकार का संकल्प होता है और सपना होता है कि हम इस राजस्थान की जनता के सपने पूरे करेंगे। राजस्थान का कल्याण करेंगे और राजस्थान के विकास को नई गति देंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट जिसको माननीय वित्त मंत्रीजी पढ़ते हैं तो सारे राजस्थान के लोग टकटकी लगाते हैं कि इस बजट की पुस्तिका में राजस्थान का एक साल का कैसा सुनहरा भविष्य लिखा है। लेकिन इस मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव में इस प्रकार के कठोर कानून के अभाव में इस सदन के अंदर जो बजट पारित किये जाते हैं। इस बजट की साल के अन्त में आखिर क्या स्थिति होती है। जब हम फिर अगले बजट पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो फिर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का वातावरण चलता है। आपने पिछले एनुअल प्लान का क्या किया? उसका हमें क्या हुआ? उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, उसमें कटौती कितनी हुई? मैं समझता हूं इन चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए। इस पवित्र सदन में जिस प्रकार से, जिस भावना से, जिस मंशा से राजस्थान के साथ न्याय करने की कल्पना के आधार पर हम जो बजट पेश करना चाहते हैं। उस बजट को एक विशेष प्रकार की परिस्थितियों को छोड़कर जिसमें आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय संकट और कोई अराजकता का वातावरण हो, हमारी सरकार को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना आ जाये, ऐसी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस पवित्र सदन में पारित बजट का ठीक-ठाक पालन कर, ठीक-ठीक तरीके से उसको इस प्रांत के विकास में लगाया जाना चाहिए और इस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस कानून को प्रभावी तरह से मजबूत बनाया जाना चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अध्यक्ष महोदय, यहां तक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हम किस कल्पना में जी रहे हैं। हमें यह भी विचार करना पड़ेगा। खाली आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, राजस्थान की जनता पर टैक्स लग जायेंगे। राजस्थान की जनता पर करों का भार बढ़ जायेगा। राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हो जायेगा। हम इस राजनैतिक मंशा में एक दूसरे से उलझकर इस राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सरकार को इस राजस्थान को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए, मजबूत आर्थिक स्थिति में ले जाने के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं कठोर कदम उठाने पड़ेंगें।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जो लोग सरकार में रहकर इस स्थिति का सामना कर चुके हैं। वह अंर्तमन से इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन खाली राजनैतिक मंशा के कारण इस प्रकार की चर्चा में अपने आपको आगे रखना न्याय संगत बात नहीं है और इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को इसके बारे में गंभीर प्रयास करते हुए और आवश्यक रूप से कदम उठाने चाहिए और प्रयास करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए जैसे कई प्रकार की सब्सिडी है। जिनके हटाये जाने से राजस्थान का गरीब प्रभावित नहीं होता है। कई प्रकार की ऐसी परिसंपत्तियां हैं जिनके निस्तारण से सरकार की आय बढ़ सकती है और इनकम बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश को बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार के ठोस प्रयत्न करके सरकार को इस स्थिति में सुधार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह विधेयक जिस मंशा से सरकार लाई है और जो इच्छा शक्ति इसमें व्यक्त की है कि 2009 तक हम राजस्व राजकोषीय घाटे में कमी करेंगे और एक उल्लेखनीय स्थिति, जो इसमें वर्णन की है, वह पैदा करके बारहवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान को एक स्थिति में ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। यह सरकार का एक रचनात्मक कदम है। हम सबको मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए और इसको लागू करने के लिए ठोस और रचनात्मक सुझाव दिये जाने चाहिए ताकि हम इस राजस्थान के लिये कल्याणकारी कदम उठा सकें। मैंने इसे जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव दिया था, सरकार जिस बिल को लाई हैं उसकी मंशा सवा डेढ साल के कार्यकाल में कार्य रूप में सरकार की प्रशंसा की है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के कदम जिस दिशा में बढ़े हैं और उसको ठोस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अमलीजामा बनाने के लिए कानून का स्वरूप सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से अपनी कार्य शैली पर तरीका अपनाने के लिए जो बनाया है। यह हमें अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देंगे और इसलिए मैं इस उम्मीद के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपने जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान कुछ सैद्धांतिक बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी जो सक्षम मंत्री हैं जब जवाब दें तो इस बात को स्पष्ट करें कि जिस उद्देश्य के लिए हम यह बिल लाये हैं। मैं समझता हूं जो प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं सैद्धांतिक राजस्थान सरकार के आंकड़ों के सम्बन्ध में, भारत सरकार के आंकड़ों के सम्बन्ध में है। आप जब जवाब दें तो बतावें कि क्या वास्तव में यह जो बिल जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लाये हैं वह उद्देश्य पूरा करेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि Statement of objects and Reasons. इसमें लिखा है कि

"This has been stipulated as a pre-condition for availing the benefits of Debt Relief Scheme as recommended by Twelth Finance Commission."

12वें फाइनेन्स कमीशन की जो रिकमंडेशंस हैं उसमें डेट रिलीफ की जो स्कीम है उसको प्राप्त करने के लिए हम यह बिल ला रहे हैं। बारहवें फाइनेन्स कमीशन की रिकमंडेशंस क्या हैं? वह है कि सेन्ट्रल का जितना कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन में स्टेट में जितना 29.5 प्रतिशत जो मिलता था उसको बढ़ाकर उन्होंने 13.5 प्रतिशत कर दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो होरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेन्स का, उसके फार्मूले में जो उन्होंने आधार बनाया है, 12वें फाइनेन्स कमीशन में वह इलेवन्थ फाइनेन्स कमीशन ने किया है उसमें लिखा है उन्होंने कि

"It will be distributed on the following basis

50% based on the per capita income on distance basis;

25% based on population;

(डा. सी.पी. जोशी)

10% on the geographical area;

7.5% on the tax effort; and

7.5 on the fiscal discipline.;

अध्यक्ष महोदय, 15 परसेंट जो आया है वह जो डिवोलुशन होगा फाइनेन्सियल, उसमें होगा आस्पेक्ट महत्वपूर्ण हैं एक तो टैक्स सपोर्ट रखा है और दूसरा रखा है फिजिकल डिसिप्लेन। यह दो आधार हैं जिसके आधार पर हम बिल को यहां पर लेकर आये हैं। भारत सरकार का जो बिल 2003 का है, उसके बाद भारत सरकार ने जो बजट रखा है।

क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है? What is the concept of zero Budget? What is the concept of Special Purpose Vehicle?

अध्यक्ष महोदय, जब तक हम दोनों नए डायमेंशन नहीं समझेंगे तब तक राजस्थान के बजट को हम ढंग से इण्टरप्रिएट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि ऑफ लोड या ऑफ बजट कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट टैंथ फाइनेंस कमीशन के बाद इण्ट्रोड्यूस हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अब जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत सरकार ने टैंथ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन के आधार पर 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक जो प्लान एक्सपेंडेचर है वह ट्रांसफर कर दिया स्टेट पर। स्टेट पर 27 हजार करोड़ रुपए का प्लान एक्सपेंडीचर ट्रांसफर कर दिया, जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार ने लोन लेती थी, भारत सरकार ने छूट दे दी कि अब भारत सरकार से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप भारत सरकार की जगह स्टेट मार्केट से बोरो ले सकते हैं। इस 27 हजार करोड़ रुपए के एक ही स्ट्रोक से भारत सरकार ने अपने रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया कि स्टेट गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करे। भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट की मार्केटिंग बोरो के सम्बन्ध में गाइड लाइन्स में Statutory Liquid Ration (SLR) and Cash Reserve Ration (CRR)

दोनों के नियमों में रिलेक्सेशन दे दिया। अब भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के जो दो नए आधार थे उनमें रिलेक्सेशन दे दिया और स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया कि आप मार्केट से बोरोइन्ग करिए। मार्केट से बोरोइन्ग करने के नोर्म्स क्या होंगे और किस आधार पर होगा, इस सम्बन्ध में कोई नियम और कानून नहीं बनाए और राजस्थान सरकार को कह दिया कि मार्केट से बोरोइन्ग

(डा. सी.पी. जोशी)

उठाए। अध्यक्ष महोदय, एक ही सिंगल स्टेण्ड से भारत सरकार ने सारे स्टेट्स को छूट दे दी और अपना फिस्कल डेफिसिट ठीक करने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा काम उन्होंने यह किया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के सम्बन्ध में 10 हजार करोड़ रुपए के फण्ड का प्रोविजन बजट में नहीं कर रही है। यह बोरोइन्ग मनी करके लगाया जाएगा, 10 हजार करोड़ रुपए उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर दी। आप जो पैसा लेंगे बजट का उसमें कोई प्रोविजन नहीं है और बजट में प्रोविजन नहीं करेंगे मार्केट के बोरोइन्ग के आधार पर काम करेंगे। तीसरा अध्यक्ष महोदय, यह 150 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत सरकार ने सलेक्ट किया है कि 150 डिस्टिक्टस में गरीबों के लिए फूड फोर वर्क का काम किया स्टार्ट किया है जिसके आधार पर ग्रामीण रोजगार योजना के 900 करोड़ रुपए भारत सरकार ने कम किए हैं और कम करने के बाद भारत सरकार ने एफ.सी.आई. को लोन लेकर फूड फोर वर्क का काम स्टार्ट किया है। यह तीसरा हैड खोला है भारत सरकार ने जिसका बजट में कोई प्रोविजन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तीन बातें इसलिए कह रहा हूं कि यह आधार है राजस्थान के बजट का, जिस बजट के आधार पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम अपनी रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर देंगे, हम अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के आंकड़ों पर बाद में आऊंगा पर मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप यह बताएं सदन को, कि भाजपा ने वैट लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था वैट के बारे में। भारत सरकार के जो वित्त मंत्री थे जसवन्तसिंहजी, वह यह बिल लाए थे। यह बिल उन्होंने मूव किया था। आप बताइए कि स्वदेशी जागरण मंच की बात करने वाले, वैट की बात करने वाले क्या राजस्थान सरकार को बताएंगे कि यह जी.डी.पी. का कंसेप्ट है, वह जी.डी.पी. का कंसेप्ट स्टेबल कांसेप्ट है? जी.डी.पी. का आधार क्या है? जी.डी.पी. कैलकूलेट कैसे करते हैं, जी.डी.पी. कैलकुलेट करने का आधार क्या है? इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जी.डी.पी. कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर बदलता है, बेस ईयर 1981 की जगह 1991 कर दिया है, उनकी जो सीरिज है उसको कैलकुलेट करने का आधार बदलता है। एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूं, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि चार

(डा. सी.पी. जोशी)

साल बाद जिस जी.डी.पी. को जी.एफ.डी. के साथ लिंक करके जीरो पर लाना चाहते हैं, वह किस तरह से स्पेक्यूलेटिव कर रही है, किस तरह से अकाउण्ट को मेनटेन कर रहे हैं, किस तरह से राजस्थान की जनता को धोखा मिलेगा। मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं, मंत्रीजी, जब आप खड़े हो तो इस बात को बताएं कि जी.डी.पी. के साथ जी.एफ.डी. को हम को रलेट कर रहे हैं यह जी.डी.पी. कैलकुलेट करने का स्टेबल इन्डेक्स है या नहीं? यह इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार का ब्याज का अमाउण्ट बढ़ा है, उसकी असेट बढ़ी है, मैं आंकड़ों पर बाद में आऊंगा पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आप जानकर आश्चर्य करेंगे एक उदाहरण है, केरल के अन्दर जब यह रिवीजन किया 1993-94 के बेस के आधार पर तब बताया गया कि ".... Resulted in the inflated figure of 9% in the 1994 year. The comparison with the estimated base year of 1980-81 series in the case of Kerala, the revision resulted in the spurt of 18% in the volume of S.D.P. compared with the volume based on the previous base year."

1980-81 के बेस ईयर के आधार की जगह 1993-94 को बनाया तब केरल में जी.डी.पी. 18 प्रतिशत बढ़ा गया। यह जी.डी.पी. कैलकुलेट करने का आधार है वह स्टेबल इन्डेक्स नहीं है, स्टेटिक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, आंकड़े जो हम कलेक्ट करते हैं वह रिलाइबल नहीं है, यह टेनटेटिव हैं, प्राथमिक हैं, प्रारम्भिक है, इसके आधार पर हम फैसला करते हैं। यह स्टेटिक्स जो हम कलेक्ट करते हैं जी.डी.पी. में वह स्टेबल स्टेटिक्स नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मेथोलॉजिकल हम एडोप्ट करते हैं जी.डी.पी. को करेक्ट करने के लिए वह मेथोलॉजी ठीक नहीं है। इसलिए जी.डी.पी. और जी.एफ.डी. के आधार पर हम जो बिल ला रहे हैं यह आउट डेटेड कंसेप्ट हो गया है। 10-15 साल पहले वेस्ट ने स्टार्ट किया था, उसी को हम आधार बनाकर लागू करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा, स्टेबल इन्डेक्स है वह इन्डेक्स है डेट कितना। अध्यक्ष महोदय इन्डेक्स यह होना चाहिए कि आपका डेट कितना है आपकी लाइबिलिटी कितनी बढ़ी आप कितना ब्याज देंगे यह स्टेबल इन्डेक्स आपने लोन लिया, लोन चुकाना है, इसको तो कोई मैन्यूपुलेट नहीं कर सकता। जी.डी.पी. को करेक्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जी.डी.पी. को करेक्ट करना पड़ता है इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, इकोनोमिक मापदण्ड को ठीक करने के लिए, इसलिए जी.डी.पी. को आधार बनाया जाता है। इसलिए जी.डी.पी. के आधार

(डा. सी.पी. जोशी)

पर जो बिल लाया जा रहा है वह स्टेबल इन्डेक्स नहीं है। जब इन्डेक्स स्टेबल नहीं है तो चार साल बाद आप जब इसको 5 प्रतिशत कम करके लाएंगे रेवेन्यू डेफिसिट 3 प्रतिशत का फिस्कल डेफिसिट कम करके लाएंगे जो उसकी प्री कंडीशन, उससे आपके सारे आंकड़े गलत हो जाएंगे और यू हैव टू स्टार्ट ए बी सी डी। राजस्थान में चार साल बाद जी.डी.पी. और इसका रेशो 5 प्रतिशत नहीं है, यह बहुत ज्यादा बढ़ गया। यह नया आधार बन जाएगा इसलिए माननीय मंत्रीजी मैंने कहा कि वित्त मंत्रीजी नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि विभाग के अधिकारी आपको आंकड़े दे रहे हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर आप बिल ला रहे हैं यह आंकड़े जो हैं उनके आधार पर आप बताएं कि राजस्थान का जी.डी.पी. है 2003-04 के एक्चुअल्स अवेलेबल हैं, 2004-05 के एक्चुअल्स अवेलेबल हैं, 2005-06 के एक्चुअल्स अवेलेबल नहीं है जिसके आधार पर आप आंकड़े बनाकर राजस्थान की जनता को बताना चाहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट इतना लाएंगे, फिस्कल डेफिसिट इतना लाएंगे। (व्यवधान) प्लीज सुनिए, आई एम सॉरी, आप बैठिए।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : मैं आपको इण्टरप्ट नहीं कर रहा, एक मिनट आप सुन तो लें।

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजो। I am sorry. Excuse me. I am sorry. This is not the way. I am addressing the Hon'ble Speaker.

आप बताएंगे.....

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान न डालें।

डा. सी.पी. जोशी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्रीजी सदन में रिप्लाई दें तो आप यह बताएं कि चार साल बाद राजस्थान की जनता का कितना डेट होगा? मैं आंकड़े देना चाहता हूं, आप मुझे करेक्ट करेंगे माननीय मंत्रीजी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने यह बताया कि 2004 के मोडीफाई आर.ई. राजस्व घाटा; बजट घाटा हम लाए हैं 6.90 अध्यक्ष महोदय, सकल राजकोषीय घाटा कितना हो गया? माननीय मंत्रीजी, सकल राजकोषीय घाटा, आर.ई. 7.51 करोड़ रुपए, अब आप 2005-06 में ला रहे हैं, 6966.61 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते

(डा. सी.पी. जोशी)

हुए तकलीफ है कि आंकड़ों का खेल मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने रेवेन्यू डेफिसिट कम किया, यह अध्यक्ष महोदय, 6966 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है स्टेट का, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा 5319 करोड़ रुपए केवल मात्र ब्याज के। आपने जो फिस्कल डेफिसिट के एक्चुअल्स 2003-04 के, राजस्थान का टोटल फिस्कल डेफिसिट था 7367 करोड़ रुपए और ब्याज दे रहे थे 4777 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, अब हमको देना पड़ेगा 5319 करोड़ रुपए, यह काहे का फिस्कल प्रूडेंस है? यह क्या आंकड़े आप बताना चाहते हैं? आप ऊपर के आंकड़ों को भी चैक करिए। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह काम किया है कि पूंजीगत खाते में पूंजीगत प्राप्तियों में कितना मैन्यूपुलेशन है। अब पूंजीगत खाते को देखिए, 2003-04 के एक्चुअल्स है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य मैं टोकना तो नहीं चाहता पर यह पहली बार हुआ है मैन्यूपुलेशन पूंजीगत खाते से? आपने तो नहीं किया है?

डा. सी.पी. जोशी : हम तो चोर हैं, डाकू हैं, आप भी कर रहे हैं क्या? हम तो चोर-डाकू हैं आप क्या कर रहे हैं? आपको जवाब देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? आप पहले पढ़कर आए, उतना ही बोले जितना आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बीच में जवाब नहीं दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2003-04 में राजस्व प्राप्तियां थीं 15423.85 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्तियां थीं 18763 करोड़ रुपए, यह 2003-04 के एक्चुअल्स बोल रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए, आपने बताया कि राजस्व प्राप्तियां होंगी, आर.ई. है 17480 करोड़ रुपए, राजस्व प्राप्तियां बढ़ा दी आपने कटारियाजी, आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, पूंजीगत प्राप्तियां 18763 की जगह आपने बताई है 12687, अब बताइए यह 6 हजार करोड़ रुपए से ऊपर की जो पूंजीगत प्राप्तियां कम हो रही है यह क्यों हो रही है? सरकार का पैसा आ रहा है उसमें कमी हो रही है? यह ऑफ लोड है बजट का अध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने बजट के पैसे नहीं लगाकर लोन लेगी इसलिए अध्यक्ष महोदय, 2005-06 के एक्चुअल्स देखिए। राजस्व प्राप्ति जिसका हम श्रेय ले रहे हैं, हमने एक्साइज पालिसी बना दी, यह कर दिया, बिक्री कर में कर दिया, तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपकी राजस्व प्राप्ति होगी

(डा. सी.पी. जोशी)

20538 और पूंजीगत प्राप्ति कितनी होगी कटारिया साहब, केवल मात्र 11203 । अब बताएं यह आंकड़ों का मायाजाल करना चाहते हैं। पिछले लम्बे समय से एक्चुअल्स उठाकर देख लें – right from 1998-99 to 2003-2004,

यह राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसमें पैसा बढ़ता जा रहा है। इनकी सरकार आने के बाद पूंजीगत खाते में पैसा कम हो रहा है। पूंजीगत खाते में पैसा कम क्यों हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, नीचे आंकड़ों को देखिए, सबसे इंट्रेस्ट बात लोक ऋण का भुगतान। लोक ऋण के भुगतान में सरकार पेमेंट कर रही थी 12729 करोड़ रुपये और अब कर रही है 6787 करोड़ रुपये। 2005-06 में करेगी 4001 करोड़ रुपये। यह जी.डी.पी. से जी.एफ.डी. को लिंक करने के लिए केवल मात्र डैट स्वेष लेने के लिए 200-300 करोड़ रुपये लेने के लिए हम राजस्व घाटे को, फिस्कल घाटे को पूरा करने के लिए राजस्थान की जनता पर अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आज 75 हजार करोड़ का ऋण है, अगले दो साल में राजस्थान का एक लाख करोड़ रुपये के ऋण पर जाकर खड़ा होगा और आपको ब्याज देना पड़ेगा। आज जो प्रोजेक्शन है 5319 करोड़ रुपये, दो साल बाद माननीय मंत्रीजी आप प्रोजेक्ट करके बताएं दो साल बाद यह ब्याज देना पड़ेगा राजस्थान की जनता को लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपये। आपके प्लान का साइज है 8 करोड़ रुपये, 8 हजार करोड़ प्लान की साइज की जगह 8 हजार करोड़ रुपये आपको ब्याज देना पड़े तो इस सरकार को बजट बंद कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम यह क्या करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में अभी तक यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वैट लागू नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी जागरण की बात करेगी, हमें खुशी होती इसकी जगह ये आकर कहते रेवेन्यू डेफिसिट कम करने का जो काम है, रेवेन्यू डेफेसिट कम हो सकता है एक्सपेंडिचर कम करके। एक्सपेंडिचर हम कम नहीं करना चाहते। रेवेन्यू डेफेसिट कम हो सकता है टैक्स का नेट बढ़ाने के लिए। टैक्स के नेट को हम बढ़ाना नहीं चाहते। जब आपका रेवेन्यू डेफेसिट कम नहीं होगा तो बताएं कि कैसे आप फिस्कल डेफेसिट को कम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्रोविजन किये हैं, मैं आगे-आगे बताऊंगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कोई जादू की छड़ी है What is the co-relation between 'rajasva ghata' and G.D.P. ?

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा राजस्व घाटा और जी.डी.पी. का कोरेलेशन है, एक्चुअल्स बताऊंगा 2003-04 के 3.4 परसेंट। और अब प्रोजेक्ट बता दिया कि 2.4 मोडिफाई एरिया में एक परसेंट कम कर देंगे। भारत सरकार पाइंट फाइव नहीं कर पा रही है हम पाइंट फाइव नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल्स आप पिछले पांच साल के उठाकर देख लीजिए अभी तक 4.8, 3.4 उठाकर देख लीजिए कभी भी बी.आर.ई. इनमें कभी कंपलीट नहीं हुआ। लेकिन जनता को कहने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, भारत सरकार से लोन ले रहे हैं यह 3.4 को प्रोजेक्ट कर दिया 2.4 । आपके खुद के एक्ट में तो पाइंट फाइव कम करना है, आप इतने होशियार आदमी हो एक परसेंट कम कर दिया। पाइंट फाइव भी नहीं वन परसेंट। it is be yond,

गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया नहीं कर सकती, उससे बियोन्ड केपेबल और कंपीटेंट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसने राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार को भी चलाया, दूसरी सरकार को चलाया वो अधिकारी इतने कंपीटेंट हैं कि वे इनके कहने से एक परसेंट का जी.डी.पी. एक साथ कम कर देंगे। यह देखिए What is the co-relation between 'sakal rajkoshiya ghata'...

एक्चुअल्स जो 2003-04 के उपलब्ध हैं उसमें 7.4 है आज के दिन जी.डी.पी. के साथ लिंक और आपने प्रोजेक्ट कर दिया 6.51 मुझे बताएं 6.5 पूंजीगत खाते में पैसा नहीं आएगा, लोन का पैसा आपको ज्यादा देना है, जनता को देना है, ये आंकड़े देकर जिस ट्रेप में फंसना चाहते हैं, राजस्थान सरकार जनता के साथ फिस्कल स्ट्रेस की स्थिति पैदा कर रही है और जनरेशन के बाद इनकी सरकार तो 5 साल चलेगी, लेकिन आने वाली सरकार को, हम आने वाली जनता के ऊपर इतना टैक्स लगेगा कि प्लान बनाने का काम भी बेकार हो जाएगा। माननीय मंत्रीजी, मैंने उस दिन भी गंभीर प्रश्न उठाये और मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में आप जब चर्चा करें तो निश्चित रूप से बताएं कि यह जो मैंने बातें बतायी हैं, आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पूंजीगत खाते में पैसा कम हो रहा है, लोन के ब्याज का पैसा कम दे रहे हैं, इधर बाजार से बोरोइंग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भारत सरकार का उदाहरण दिया। जिस तरह से भारत सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपयें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट से बारोइंग किया है, यह सरकार बताए कि वो कौन-कौनसी जगह बोरोइंग करी जिससे पूंजीगत खाते में पैसा कम आ रहा है। कैसे आप

(डा. सी.पी. जोशी)

राजस्थान की जनता को 4777 करोड़ की जगह 5300 करोड़ का ब्याज दे रहे हो। यह कम होगा या ज्यादा होगा? यह स्टेबल इंडेक्स है। कोई भी सरकार डेब्ट को कम करे, कोई भी सरकार यह बातें करें तब उस सरकार की जो फिस्कल प्रूईस है वो स्टेबल होती है और उसका लाभ मिलता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्वेलव्थ फाइनेंस कमीशन को कितने स्टेट ने फालो किया, 5-6 स्टेट ने। 5-6 स्टेट्स ने फालो किया और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हम उससे कितना स्वेष ले लेंगे 200 करोड़ रुपये किया। 200 करोड़ रुपये का स्वेष लेने के लिए हम राजस्थान की जनता को 542 करोड़ रुपये का तो ब्याज एक्सेस कर चुके हैं और अगले दो साल में यह एक्सेस बढ़ जाएगा, 1500 करोड़ रुपये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाये हैं उसमें भारत सरकार की बातें भी देख लें।

माननीय मंत्रीजी, बताएं कि राजस्थान सरकार स्पेशल परपज व्हीकल के अंतर्गत कितना लोन लेना चाहेगी? यह लोकल सेल्फ का बिल बनाया है, आपने जो दूसरे बिल बनाये हैं, अध्यक्ष महोदय, यह सारा पैसा आ रहा है वो पैसा इसमें शों करेंगे, बजट में डिसकसन नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक नयी चीज और हुई जिसको भी समझने की आवश्यकता है। आप ए.डी.बी का लोन लेंगे, आप वर्ल्ड बैंक का लोन लेंगे, आपको लोन लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल एडेड एजेंसी से लोन लेना पड़ेगा, उसके बिना आपने जो हवाई किले बनाये हैं, तालियां बजवायी हैं, लोगों को बताया है कि इस राजस्थान में पांच साल में यह कर देंगे, जो हवाई किले बनाये, मुंगेरीलाल के सपने बनाये वो मुंगेरीलाल के सपने बिना वर्ल्ड बैंक के लोन के, ए.डी.बी. के लोन के, बाहर के मार्केट से बोरोइंग करने का काम आप नहीं कर सकते। अब मार्केट से बोरोइंग करने के नोर्म्स ही नहीं है। मार्केट से बोरोइंग आप किस तरह से करेंगे, आपके पास कितनी असेट्स हैं, कितना लोन ले चुके हैं, आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं मार्केटिंग बोरोइंग का। आपकी क्षमता नहीं होगी तो वापस गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको पैसा मिलेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को ऐसे ख्वाब क्यों दिखाएं जिस ख्वाब को हकीकत में बान्वर्ट नहीं कर सकते। यह कोई एल.आई.सी. की योजना तो है नहीं, कोई धर्मगुरू तो है नहीं कि स्वर्ग में जाकर हम काम करेंगे, हम तो राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, चार साल बाद जनता के बीच

(डा. सी.पी. जोशी)

में जाकर सामने खड़ा होना पड़ता है, यह एल.आई.सी. के आधार पर बजट बनाकर लोगों के ख्वाब जगाना, धर्मगुरू के भेष में स्वर्ग की कल्पना करके लोगों की वाहवाही लेने की कल्पना करना मैं समझता हूं, इस बिल के परपज को पूरा नहीं करती। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं यह भी बताएं यह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक एस्टीमेट कमेटी और पी.यू.सी. ये तो विधान सभा में बनी हैं। अब आप बताएं इस बिल में क्या किया? आपने इस बिल में एक एक्सपर्ट कमेटी बनवायी है उस एक्सपर्ट कमेटी में डिसकस कराकर उसके परव्यू से बाहर निकालना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है इस बिल को? भारत सरकार के इस बिल में यह प्रोविजन नहीं है। भारत सरकार के बिल में यह प्रोविजन इसलिए नहीं है- because this is the jurisdiction and domain of the Legislature.

यह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और पी.यू.सी. कमेटी के डोमेन के अंतर्गत है, कि इसके बारे में स्कूटनी करें, जांच करें और यह व्यवस्था करें। आपने इस बिल में पी.ए.सी. और पी.यू.सी. सबको बाहर निकाल दिया। आप नयी एक्सपर्ट कमेटी ले आये। एक्सपर्ट आप बनाएंगे, आपकी पसंद के बनाएंगे, वे आपकी पसंद के एक्सपर्ट आपको सर्टिफिकेट देंगे या हमको सर्टिफिकेट देंगे। जो फिस्कल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए इन्हीं के द्वारा नोमिनेट एक्सपर्ट उस कमेटी का रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद इस भारत सरकार के बिल में तो प्रोविजन है कि पार्लियामेंट में डिसकस करने के लिए रखेंगे। आपने इसमें प्रोविजन रखा है। सैक्शन उठाकर देख लें, सैक्शन 9 हैं, सैक्शन 9 में आप उठाकर देख लीजिए यह प्रोजिवजन ही नहीं किया कि जो मेजर है इसमें हैडिंग है :-

"Measures to enforce compliance."

वो मिनिस्टर उसकी जांच करेगा, सब कुछ करेगा, पर वो असेम्बली को सूचना नहीं करेगा जबकि यह पार्लियामेंट का बिल उठाकर देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रूल्स में डालेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा। आपने टारगेट क्योंकि (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने तो टारगेट तय किये ना सैक्शन 6 में।

डा. सी.पी. जोशी : आपने टारगेट तय किये लेजिस्लेचर को कमजोर करके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सेक्शन 6 में ला रहे हैं इसको।

डा. सी.पी. जोशी : सेक्शन 6 में लेजिस्लेचर को कम करके। राजेन्द्रजी, जिदंगी भर मंत्री नहीं रहोगे, लेजिस्लेचर को कमजोर करके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यह विधानसभा का अधिकार है, एम.एल.ए. का अधिकार है, आपने पी.ए.सी. और पी.यू.सी. बना रखी है उसके पीछे मंशा यह है कि बजट पास करने के बाद उसका थोरो डिसकसन वहां पर हो, स्क्रूटनी हो उसके बाद फैसला हो। आपने उसको इस बिल से बाहर निकाल दिया। यह भारत सरकार का बिल उठाकर देख लें। उसमें उन्होंने कहा कि करेक्टिव मेजर लेने के बाद भी हाउस में आना पड़ेगा, पार्लियामेंट में डिसकस करना पड़ेगा कि आपने क्या-क्या मेजर लिए। आप लोगों के वाहवाही लेना चाहते हैं। भारत सरकार से आपको डेट स्वैष लेना है ले लीजिए, लेकिन डेट स्वैष के नाम पर जो प्रोविजन आप कर रहे हैं वो करटेलमेंट है हमारे अधिकारों का। आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल को अलाऊ कैसे किया जिसके अधिकारों का करटेलमेंट हो। ऐसा बिल तो अध्यक्ष महोदय, सदन में आना ही नहीं चाहिए कि हम अपने अधिकारों का करटेलमेंट करने का पास करें। आज इनका बहुमत है ये पास कर देंगे, इसका मतलब लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सेक्शन 11 ही कहें।

डा. सी.पी. जोशी : पढ़ लें दुबारा। मैंने एल.एल.बी. कर रखी है, आपने नहीं कर रखी होगी। आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एल.एल.बी. करने से कुछ नहीं होता। कई लोग फिरते हैं एल.एल.बी. करके।

डा. सी.पी. जोशी : आपकी तरह से। बिराजें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सैक्शन 11 पढ़ें।

डा. सी.पी. जोशी : आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, बिराजो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एल.एल.बी. कई मोहर लगाते फिरते हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप बिराजिए। यह रूल्स लिखा हुआ है उस

(डा. सी.पी. जोशी)

कमेटी के सम्बन्ध में, दुबारा पढ़ लें। फुर्सत में टाइम निकालकर पढ़ा करें। 12 बजे तो कल होम डिपार्टमेंट पर चर्चा थी, पढ़ने का काम तो है नहीं और यहां आकर आप बोल रह हैं। रूल 12 है।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : यह दिल्ली से धर्मेन्द्रजी सी.पी. साहब का स्पीच सुनने आये हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रह हैं।

डा. सी.पी. जोशी : हमें बहुत खुशी है हमारी रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप कितना कंपीटेंट है। If you want to reveal your competence, how can we stop it? You will reveal it.

मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह रूल 11 है, यह रूल 11 परटेन टू है कि रूल बनाने के सम्बन्ध में इसका सम्बन्ध इसके साथ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं यह बिल बनाया इस बिल में हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनका भी हनन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं यह बातें नहीं कहना चाहता जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं हैं, मेरा सैद्धांतिक ऑब्जेक्शन है, अध्यक्ष महोदय, नम्बर एक, G.D.P. is not stable index.

जी.डी.पी. को केलकुलेट करने का आपका आधार है उसको आधार मानकर आप फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं तो जैसे जी.डी.पी. को सिस्टम बदलेगा उसकी कोरेस्पोंडिंग आपकी फिस्कल डेफिसिट बदलेगा तो फिर जिस रेवेन्यू डेफिसिट को आप जीरो कर रहे हो, चार साल पहले वह रेवेन्यू डेफिसिट जीरो नहीं होगी और एक्चुअल जो आपके आएंगे वह अब्सोल्यूट टर्म में ज्यादा होंगे, राजस्थान की जनता को बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, आपके प्लान को कंसेप्ट खतम हो जाएगा तो एक तो सबसे पहले यह है कि इस बिल को लाने के सम्बन्ध में यह जो आपने कंसेप्ट बनाया, वह इरेलेवेंट है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है जिसको आप कम करने की बात कर रहे हैं उसमें तो लिखा है कि रेवेन्यू डेफिसिट में तो ईयर लिखा है, राजेन्द्र राठौड़ साहब, आपने फिस्कल डेफिसिट में ईयर नहीं लिखा है कि वहां चार पाइंट में कम करेंगे, देख लो आप। यह सैक्शन जो लिखा है, अध्यक्ष

(डा. सी.पी. जोशी)

महोदय उस सैक्शन में इन्होंने यह लिखा है "reduce revenue deficit to Zero..."

उसमें तो डेट लिखा है। अप्रैल, 2005 टू 31 मार्च, 2009 बट बी में लिखा है

" reduce fiscal deficit to 3 per cent of the estimated Gross State Domestic product by following a path of average annual reduction of 0.4 per cent...

कब करेंगे, इसमे कोई टाइम सीमा नहीं है, पर रेवेन्यू डेफिसिट में तो लिख रखा है इसमें आपने कोई टाइम सीमा नहीं लिखी है कि टाइम सीमा कब करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर आपने अधिकार भी ले लिया है, जैसा गुंजल साहब ने बताया हम कैसे जनता को वापस आकर कह देंगे, हमारी यह मजबूरियां थी इसलिए नहीं कर सके। यही आपने इसमें अधिकार ले लिया है, इसका मतलब ऊपर तो आप करना चाहते हैं, नीचे आपने अधिकार ले लिया है, अधिकार लेकर आप कह देंगे कि हमारी ये मजबूरियां थीं, तब हम यह नहीं कर सके तो ऐसा बिल हम काहे को ले रहे हैं जिस बिल के अन्तर्गत हम जो करना चाहते हैं वह नहीं करने का प्रोविजन साथ-साथ रख रहे हैं कि आपने प्रोविजन यह भी रख रखा है कि इसमें, अध्यक्ष महोदय, नीचे लिखा है-

"Provided further that the excess beyond limits arising due to the grounds mentioned in the first provise shall be explained with a detailed statement on the said grounds, as soon as possible, before the House of the State Legislature."

मतलब आप मान लो यह अचीव नहीं कर सके पाइंट चार का, आप यह अचीव नहीं कर सके तो आपने भी अधिकार ले लिया सदन में आ जाएंगे और छुट्टी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें क्लाज डालिए। यदि यह ऑब्जेक्टिव हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऑनस किस पर रहेगा? फोरेन में सिस्टम कर रखा है या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का इंक्रीमेंट रोकिए या मंत्री को डिवार करिए, मंत्री की तनख्वाह रोकिए और मंत्री को तनख्वाह और हाउस में डिस्कशन हो तो असेम्बली की तनख्वाह रोकिए, कोई न कोई तो आप ऑनस रखिए, ऑनस कौन करेगा इस बात का? हम फैसला कर लें फिर वह खर्च कर दें, खर्च करने के बाद जैसे आज हो रहा है, हम पहले बजट बनाते हैं फिर बी.ई. लेते हैं, फिर आर.ई. लेते हैं और एक्चुअल्स

(डा. सी.पी. जोशी)

में जमीन-आसमान का अंतर है तो अध्यक्ष महोदय, सारे फिस्कल प्रूडेंस खतम करना चाहते हैं तो इसमें ऑनस भी रखना चाहिए मंत्रीजी बिल पेश कर रहे हैं, राजेन्द्रजी राठौड, मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्री बनने के लिए फाइनैंस मिनिस्टर के लिए यदि हों तो फिर दुबारा मिनिस्टर नहीं रहेंगे। साल भर के बाद यह तो आनस भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वाहवाही भी लेना चाहो, पोर्टफोलिया भी लेना चाहो तो ऑनस के सम्बन्ध में नहीं करना चाहो तो इसमें यह भी रेस्पोंसिबिलिटी होनी चाहिए कि यदि यह अधिकारी जो ये सब चीजें कर रहे हैं, रेवेन्यू के टारगेट को रिसीव नहीं कर सके, एक्सपेंडीचर को कम नहीं कर सके, रेवेन्यू डेफिसिट को कम नहीं कर सके तो किसी ने किसी पर प्रोविजन होना चाहिए जिस प्रोविजन के आधार पर उन पर या राइडर रहे कि यदि उन्होंने इस काम को नहीं किया तो अध्यक्ष महोदय, कौन जिम्मेदार है, अध्यक्ष महोदय, हमने सेक्रेटरी बना रखें हैं, इतने अधिकारी बना रखे हैं, पी.ए.सी. बना रखी है, पी.यू.सी. बना रखी है, सब कुछ कर रखा है, ए.जी. बना रखा है, अगर 50 साल की आजादी के बाद अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक बताइए कि बजट के प्रोविजन से ज्यादा एक्सेस खतम हो गया, यह असेम्बली में पास करने के अलावा हमने क्या काम किया? किसी को पनिश किया हमने किसी को रोका? एक आई.ए.एस. आफिसर, चीफ सेक्रेटरी, लेवल का अधिकारी बन जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाता है हमने रोका उसको? कहीं न कहीं यह प्रोविजन रखिए,

अध्यक्ष महोदय, Whosoever may be the Finance Secretary, who-soever may be in the Finance Department, will have to be responsible for this. If they are not able to adhere to this provision, they will have to be penalised.

इंक्रीमेंट होता है, आपका 16 सी.सी.ए., 17 सी.सी.ए. का प्रोविजन है कि आप इंक्रीमेंट भी देते हैं, पनिशें भी करते हैं तो किसी न किसी को, अध्यक्ष महोदय, इसमें प्राविजन करना पड़ेगा कि जो चीजें हम कर रहे हैं, बाध्यता कर रहे हैं और सेल्फ इम्पोज भी उसी का कर रहे हैं और यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई न कोई चीज लागू होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि इस बिल में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है उस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। भारत सरकार के बिल में, अध्यक्ष महोदय, यह मेंशन किया गया है कि

(डा. सी.पी. जोशी)

आर.बी.आई., आप पढ़िए इस बिल को अध्यक्ष महोदय "Borrowings from the Reserve Bank". यह हैड है इसमें।

भारत सरकार ने सुओ-मोटो यह कहा है कि हम इमरजेंसी के अलावा रिजर्व बैंक से लोन नहीं लेंगे, आप भी प्रोविजन डालिए – "Borrowings from the market" यह प्रोविजन रखना पड़ेगा कि "Borrowings from the market" कब लेंगे, किन परिस्थितियों में लेंगे। बोरोइंग हम तब लेंगे जब हमारी यह मजबूरी हो, इमरजेंसी हो तब तो बोरोइंग करेंगे, आपने यह ऑनस ले लिया, अध्यक्ष महोदय, इसमें भारत सरकार ने तो बोरोइंग का और आर.बी.आई. का कर रखा है, आप आर.बी.आई. से लोन लेने की जगह उसको दे दी है, आप मार्केट बोराइंग कर सकते हैं, एक्सलरेट लोन ले सकते हैं, जब आपने यह छूट दी है, अध्यक्ष महोदय, तो किन कंडीशन में लेंगे, कौन से नार्म्स में लेंगे उसका प्रोविजन, अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर नहीं है और अध्यक्ष महोदय, दो अमेंडमेंट किए हैं माननीय मंत्रीजी ने दो अमेंडमेंट क्यों किए हैं वह भी बताएं आप। अध्यक्ष महोदय, इसलिए किए हैं नीचे वालों की जरूरत नहीं है इन्होंने क्या लिखा है- ".. by following a path of minimum average annual reduction of 3 per cent..."

माननीय अध्यक्ष महोदय इसको पढिए. Why this 'minmum'? Why we have introduced 'minimum'?

नीचे वाले में तो मिनिमम यूज नहीं इंट्रोड्यूस किया, इसके नीचे भी यह की यह लैंग्वेज है- "... a path of average annual....."

जब आप फिस्कल डेफिसिट को करेंगे तब तो आपने लिखा है- "... a path of average annual....." और जब आप रेवेन्यू डेफिसिट करेंगे तब आपने लिखा है मिनिमम। अध्यक्ष महोदय, सब चीजें जारगन खड़ा कर रही हैं, इस जारगन के पीछे अध्यक्ष महोदय, बजट की सैंक्टिटी नहीं है, इस जारगन के पीछे, अध्यक्ष महोदय, सरकार बजट के अलावा मार्केट बोरोइंग का अधिकार ले रही है, जो संस्था है उससे लोन ले रही है, राजस्थान की जनता पर बोरोइंग बढ़ेगी और मैंने फीगर देकर बताया, इनके खुद के एक्चुअल बता रहा हूं,

(डा. सी.पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, इसका प्रोजेक्टेड है 2005-06 में जो टोटल फिस्कल आपका डेफिसिट है वह 6966 करोड़ का 5319 करोड़ रूपये का है, यह तो आपका बी.ई. है, अभी तो आप मोडिफाई करेंगे, आर.ई. करेंगे और एक्चुअल आएगा, अध्यक्ष महोदय, उस एक्चुअल के ये आंकड़े पिछले पांच उठाकर देख लें यह हायर साइड पर जाएगा इसलिए माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खुशी होती राजस्थान की सरकार एक लीड लेती हिन्दुस्तान में, राजस्थान की सरकार ने जो अपना फिस्कल आर.बी.आई. की जो आपका बिल ला रहे हैं, उस बिल में कोई नये नियम बनाएं, नये कानून बनाएं, स्टेबल इंडेक्ट बनाएं, डेफ्थ के आधार पर बनाएं, जनता की बोरोइंग नहीं की हम तब हमें खुशी होती, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार कोई काम कर रही है लेकिन जनता को बोरोइंग के नाम पर यह जो खुशनुमा बजट पेश कर रहे हैं, यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, यह बिल उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा, इसिलए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बिल को टैस्ट में नहीं लाया जाए, जन बिल को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जावे, थोरो डिस्कशन किया जावे और उसके बाद ही जो प्रोविजन मैंने बताया जिनमें कुछ चीजें नहीं की हैं, आपने असेम्बली को बाईपास किया है, जो फाइनेंस कमेटी है उनको बाईपास किया है, बोराइंग लेने के कोई नार्म्स आपने तय नहीं किए हैं। इन सब के प्रोविजन करने के बाद में जो बिल लाएंगे, अध्यक्ष महोदय, तो यह बिल एक हम पर ऑनस है, रेस्पोंसिबिलिटी करेगा जिससे आने वाले समय में हम जनता के साथ न्याय कर सकें। यदि हम नहीं कर सके, अध्यक्ष महोदय; तो निश्चित तौर पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करेंगे इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रस्तुत किया जाए। अब बोलिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप एक चीज बता दें, अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से एक ही चीज पूछ लेता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, आप सीधे ही क्यों?

श्री सी.पी. जोशी : हां, तो मंत्री मैं हूं? यह बात उनसे पूछ लीजिए आप। आप तो अपनी काम्पीटेंस बता दीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हाउस में ऐसा वातावरण कर

(डा. एन.एस. गुर्जर)

पैदा दिया। इन्होंने हाउस में ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि इस बिल के द्वारा एस्टीमेंट कमेटी के पावर्स छीन लिए, इस बिल के द्वारा इस तरह से आपने पी.यू.सी. के अधिकार छीन लिए, आपने जिस तरह से माहौल बनाया, मुझे बताइए..

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा है। यदि मैंने गलत कहा है तो मंत्री जवाब दें। It has no relevance with this. What he is saying, I am not concerned with it. Let the minister reply. I still say, they have debarred all the Committees which is not in their purview.

डा. एन.एस. गुर्जर : यह क्लियरिफिकेशन मेरी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री सी.पी. जोशी : पार्लियामेंट के अन्दर नहीं है। Let the minister reply. And it should be recorded.

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा सैक्शन है?

श्री सी.पी. जोशी : सैक्शन-9 पढ़ लीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने जैसा भी वातावरण बनाया है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मंत्रीजी की है, वह सब बातों का स्पष्टीकरण दे देंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं तो मेरी जानकारी के लिए पूछना चाहता था इनसे।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को तो इन्होंने पहले ही चिंता में डाल दिया एकाउंटेबिलिटी और सेलरी बंद करने का कहकर। मंत्रीजी को तो पहले ही चिंता में डाल दिया।

श्री सी.पी. जोशी : आप उनके नजदीक भी रहें, वाहवाही भी लें, कांपीटेंस भी शो करें, ऑनस भी दूसरा यों लेते हैं दो चीजें साथ थोड़े ही हो सकती हैं। मेरे मित्र हैं मुझे भरोसा है कि मेरे से ज्यादा काम्पीटेंट हैं, अच्छा रिप्लाई देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा । हरिमोहनजी, मैं आपको बीच में टोक रही हूं, आप बोलें तो सही लेकिन रिपीटेशन नहीं करें। सिरोही से आने

(श्री अध्यक्ष)

वाले माननीय सदस्य और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने वही सेम बातें कहीं हैं, आप नई बात कहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : बिलकुल पांच मिनट में पहली बार पांच मिनट में खतम करूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, आप नई बात कहिएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक तो निवेदन करना चाहता था कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने राज्य सभा के एक माननीय सदस्य के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी, अब टिप्पणी करें तो दर्शक दीर्घा की तरफ देखकर करना।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको फिल्म सिटी बनानी है इसलिए मैं भी उनको देख रहा हूं कि कैसे फिल्म सिटी बनती है जयपुर में आपके इस चार साल के कार्यकाल में।

श्री अध्यक्ष : आप किसी की बात छोड़िए, अपने मुद्दे की बात पर आइए

श्री हरिमोहन शर्मा : मुद्दा तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर ने उठाया है।

श्री अध्यक्ष : जनमत वाली बात पर आएं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह दिखवा रहे थे मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने तो आपके स्वास्थ्य के लिए किया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो जनमत पर आओ। इस वित्तीय प्रबन्धन के जनमत पर आओ। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो दो-तीन बात मुख्य हैं, वह निवेदन करना चाहता हूं। माननीय टोडारायसिंह से आने वाले सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को किस बात के लिए धन्यवाद दिया था कि उन्होंने पूरे देश में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो इस बात पर आओ न कि विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप सुनें तो सही। मैं तो एक बात जानता हूं कि टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य जो 40 मिनट इस सदन में बोले वो कितना उपयोगी बोले या नहीं बोले, इसको तो मैं विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता लेकिन मैं ठीक बात रखूंगा आपके सामने।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने उनको 40 मिनट तक बुलवा दिया और वो सारा का सारा प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे थे और आप उनको अनुमति पर अनुमति देते गये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव के खिलाफ कहां बोले? प्रस्ताव के खिलाफ कहां बोले? बिल का तो अनुमोदन कर रहे थे, उसके खिलाफ कहां बोले।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बिल के पक्ष में बोल रहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : अपने प्रस्ताव के खिलाफ ही बोल रहे थे वो। उनको बोलना चाहिए था अपने प्रस्ताव पर और वो उसके खिलाफ बोल रहे थे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस आसन पर बैठकर के इस प्रकार की अनुमति आप देते रहे हैं। यह तो आपकी परम्पराओं का पालन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वो बिल के खिलाफ कहां बोले? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने माननीय सदस्यों को इतना डरा दिया कि प्रस्ताव के पक्ष में बोलना तो दूर रहा उसके सरासर खिलाफ बुलवा दिया उनसे।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने परम्पराएं डाल रखी हैं कि बिल पर बोलना है तो अमेंडमेंट देना जरूरी है, इसलिए अमेंडमेंट दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।

डा. एन.एस. गुर्जर : जरूरी बना रखा है, यह व्यवस्था भी दी हुई है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको आसन इजाजत दे सकता है। आसन आपको इजाजत दे सकता था पक्ष में बोलने के लिए। (व्यवधान) व्यवस्था को बदल सकते हैं ये। इनके हाथ की ही बात है।

डा. एन.एस. गुर्जर : बदल देंगे तो हम भी अमेंडमेंट नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप आगे आ जाएं तब यह सब एतराज करियेगा। आज तो मत करो आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था तो सब अध्यक्ष के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : हरिमोहनजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आज से ही प्रतिपक्ष के नेता की तरह रोल करने लगे गये। (व्यवधान) ये तो अभी से ही फार्म पर आ गये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने तमाम भाषण दिया, कोई परम्पराएं नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : ये तो ओपनर थे, इनको सब कुछ माफ है।

श्री अध्यक्ष : आप एक दिन पहले ही अपने रूम में आ गये। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक दिन पहले ही आ गये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो विपक्ष का हूं, मेरी जगह पर हूं और तीन साल आठ महीने तक मेरे लिये यह जगह तय है।

श्री अध्यक्ष · हरिमोहनजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल पर बहुत सारगर्भित तरीके से इस सदन के सभी सदस्यों ने और विशेष रूप से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीरता के साथ विचार व्यक्त किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आफ ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्स, इसमें लिखे हैं, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, जो स्टेट्मेंट ऑफ ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्स में लिखा है आप इस बिल को लाने के लिए राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहे थे लेकिन यह बिल लाये क्यों हैं? आप थोड़े ही लाना चाहते थे इस बिल को। आपकी इच्छा शक्ति थोड़े ही थी। यह है-

"Twlfth Finance Commission has also recommended in its report that each State should enact Fiscal Responsibility Legislation. This has

(श्री हरिमोहन शर्मा)

been stipulated as a pre-condition for availing the benefits of Debt Relief Scheme as recommended by Twelfth Finance Commission."

डा. एन.एस. गुर्जर : यह तो हम पहले ही आपको बता चुके।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह नहीं पढ़ा आपने। अगर आप यह पढ़ते तो यह कहते कि केन्द्र सरकार ने, जो 12वें वित्त आयोग ने डायरेक्शन दिया है, दिल्ली की सरकार ने दिया है उसकी अनुपालना में हम यह बिल लेकर के आये हैं। आपको यह कहना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा : माननीय सदस्य, इसमें लिखा हुआ है- 12वें वित्त आयोग ने ऋण राहत का लाभ प्राप्त करने हेतु। आप इसको पढ़ लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय राज्य मंत्रीजी, न तो आपको जवाब देने के लिए टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य काम्पीटेंट मानते हैं और न यहां के जो प्रभारी मंत्री हैं....

श्री वीरेन्द्र मीणा : इसमें काम्पीटेंसी की बात नहीं हैं। आप जो बता रहे हो उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि 12वें वित्त आयोग ने इसमें ऋण राहत का लाभ प्राप्त करने हेतु ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं भी हरिदेवजी जोशी के टाइम में फाइनेंस का मिनिस्टर बिदाउट इंडिपेडेट डिपार्टमेंट था लेकिन मैंने बिल मूव किया था। न जाने कौनसी परिस्थितियां हैं कि आप पर अविश्वास करके माननीय संसदीय कार्य मंत्री खुद रख रहे हैं। चाहते तो ये आपको असिस्ट कर सकते थे लेकिन जब यह ही आप पर विश्वास नहीं करें तो फिर क्यों जवाब देते हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी वरना मैंने यही बात कही थी कि 12वें वित्त आयोग....(व्यवधान) हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहता हूं कि आप कोट कर रहे हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बताओ।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने मुझे कोट करके कहा है कि मैंने यह बात नहीं कही, मैंने शुरू में ही कहा है कि 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह बिल राजस्थान में लाये हैं और राजस्थान ही नहीं, जहां-जहां आपकी सरकार है, आप यहां तो क्रिटिसाइज कर रहे हो...

श्री हरिमोहन शर्मा : यह मजबूरी लिखी हुई थी। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपकी सरकार पंजाब में है, पंजाब में यह बिल लाया गया है। महाराष्ट्र के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : आप क्यों कह रहे हो?

डा. एन.एस. गुर्जर : ये मुझे कोट कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप क्यों कर रहे हैं, आप उनको रोकिये साहब।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने मुझे कोट किया। पंजाब में लाये हैं, महाराष्ट्र में लाये हैं, कर्नाटक में लाये हैं। यह मुझे कोट करके पूछा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, कभी ये खड़े हो जाते हैं, कभी ये खड़े हो जाते हैं, कभी राज्य मंत्री खड़े हो जाते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके ही माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप खड़े हैं।

श्री सी.डी. देवल : हमको नहीं बिठाओ तो इनको तो बिठाओ। इनको बिठाते ही नहीं हो। हर आदमी खड़ा हो जाता है। कभी वित्त राज्य मंत्री खड़े हो जाते हैं, कभी महावीरजी खड़े हो जाते हैं, कभी ये हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों खड़े हो?

श्री सी.डी देवल : फिर हम क्या करें? हम तो बैठ जाएंगे, इनको भी बिठाओ।

श्री हरिमोहन शर्मा : 2004-05 का जो बजट भाषण था, इस बिल को लाने की घोषणा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2004-05 में ही कर दी थी हम इसी सत्र में फिस्कल मैनेजमेंट बिल लेकर के आयेंगे। फिर आप क्यों नहीं लेकर के आये। यह इसलिए लेकर के नहीं आये कि इस बिल से आने से जो भी डायरेक्शंस और जो भी इसमें रूल्स एण्ड रेगुलेशंस हैं वो कुछ स्वतंत्रतापूर्वक काम करने में बाधा पहुंचाते हैं इसलिए आपने जान-बुझकर के विलम्ब किया। आपने लास्ट बजट में घोषणा की कि यह बिल हम इसी सत्र में लेकर के आयेंगे पर आप उस सत्र में लेकर के नहीं आये। मैं 2-3 पाइंट निवेदन करना

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चाहता हूं। जो आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू कमेटी सैक्शन 8 में बनाई है, यह आर्बिट्रेरी है इनकी। न कोई क्वालिफिकेशन है, न इनकी कोई योग्यता निर्धारित है। खाली यह लिख देना कि ये एक्सपर्ट हैं, ये एक्सपर्ट हैं। मन में आये जिस आदमी को आप नोमिनेट करो।

(समय : 13.06 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मन में आये उस आदमी को आप इस कमेटी में बना दो। इनकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है और राजनीतिक आधार पर आप मनमाने ढंग से अपने-अपने हिसाब से उनकी योग्यता अपने मन में बनाकर के उनको इस महत्वपूर्ण कमेटी में डालकर उनको जो आगे इसमें छूट है, प्रिविलेजेज यह पने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की खातिर आप उन लोगों को देना चाहते हैं इसलिए यह क्लॉज जोड़ा है। अगर आपकी नीयत साफ है तो इनकी क्वालिफिकेशन तो आपको डिसाइड करनी चाहिए कि इस कमेटी में कौन आयेगा।

इसके बाद आपने जो सैक्शन 12 दिया है प्रोटेक्शन आफ एक्शन टेकन इन गुड फैथ, इस क्लॉज में देने की क्या जरूरत है? यह क्लॉज उन लोगों को बचाने का एक माध्यम है जो जान-बूझकर के गलत काम करेंगे लेकिन मंत्रिमण्डल के किसी भी सदस्य की मेहरबानी के कारण उनके गलत किये गये कामों को कानूनी रूप से सजा नहीं दिलवाई जा सके। इसलिए बचाने के नाम पर जब भी ऐसे गलत काम करने वाले लोगों को बचाना होगा तो आप उसका इंटरप्रिटेशन यह कर दोगे कि नहीं, हम यह मानते हैं कि यह गुडफैथ में किया हुआ काम है। इसलिए यह क्लॉज जो इसमें डाला हुआ है, मैं मानता हूं कि यह क्लाज इसमें अनुपयुक्त क्लॉज है। इस प्रकार आप सैक्शन 13 देखिये....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे बिलों में ऐसे क्लॉज हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब ही तो आदमी बचते हैं, मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बचते नहीं है। कोई बदनीयती से किया हुआ

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

तो बचे नहीं और जो अच्छी नीयत से किया गया काम हो, वह फंसे नहीं, इसके लिए है यह। यह तो बुद्धि की बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो आब्रिट्रेरी है। आर्बिट्ररी अधिकार क्या होता है? अपन चाहे तो उसको गुडफैथ में मान लें और एक सरकार गुडफैथ में मानें और राज बदल जाए तो उसको बैडफैथ में मान लें। यह तो अपनी मर्जी का काम है इसलिए इसका जो प्रोविजन है वह अनुपयुक्त है और यह ठीक नहीं है।

दूसरा, सैक्शन 13 में "Application of other laws not barred. – The provision of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any of other law for the time being in force."

मान लो इसका प्रोविजन और दूसरे लॉ का प्रोविजन इनकंसिस्टेंस है, एक-दूसरे के विरोधाभासी है तो कौनसा प्रोविजन चलेगा? आप बताइये। कौनसा प्रोविजन चलेगा और इनकंसिस्टेंस प्रोविजन कोई दूसरे लॉ, जिनको आपने एप्लीकेबल किया है, अगर उसका प्रोविजन और इस एक्ट का प्रोविजन इनकंसिस्टेंस है तो आप बताइये कि कौनसा प्रोविजन मानेंगे? इसका मानेंगे या दूसरे लॉ जिनके प्रोविजन को भी इसमें एप्लीकेबल माना है उनको मानेंगे? यह महत्वपूर्ण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लेकर के एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं कि शायद राजस्थान की सरकार, आप बहुमत के आधार पर इस बिल को पास करावायेंगे लेकिन इस बिल को पास कराने के बाद अब मैं यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार की घोर अनियमितताएं इस बिल के अभाव में आप अब तक करते आये हैं बिना टैण्डर के आप सामान बेचते आये हैं, बिना टैण्डर के आप आर्डर देते आये हैं, बिना टैण्डर के ही आप महलों की मरम्मत कराते आये हैं, मेहरबानी करके आप अपनी नीयत को ठीक रखो, यह कानून कोई काम में आने वाला नहीं है, अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी इच्छा ठीक है, आप ईमानदार हैं और आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, कानून नहीं हो तो भी आप ईमानदारी से काम करके इन सब बातों को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक गये साल में आपने जिस तरीके से घोर अनियमितता बरती और राजस्थान सरकार का और पब्लिक के फण्ड का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल को

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आप अपनी मर्जी से पास करने के बाद कम से कम भविष्य में मैं नैतिकता का भी परिचय देंगे और कानून की भी पालना करेंगे। इन इनकंसिस्टेंट प्रोविजन के कारण मैं इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्र शेखर बैद (अनुपस्थित), श्री मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थिति), श्री मदन राठौड़ (अनुपस्थिति), श्री जोगाराम पटेल (अनुपस्थित), डाक्टर जालमसिंह रावलोत (अनुपस्थित), श्री जयराम जाटव (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज के सदन के अन्दर राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधेयक, 2005 विचारार्थ है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये। लोकतंत्र के अन्दर पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे की कमियों की चर्चा करे तो यह तो एक तरह से आवश्यक बन गया है परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, कई इस तरह के काम भी होते हैं जिनको हमें देखने के लिए हमारा पैमाना भी बदलना चाहिए और देखने के लिए अंदाज भी बदलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज विचारार्थ है यह विधेयक कोई इस देश के लिए नया नहीं है। 26 अगस्त, 2003 को भारत सरकार ने इस विधेयक को कानून का रूप दिया जिसकी चर्चा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने की। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब और उत्तरप्रदेश, इन सरकारों ने भी इसको पारित किया और उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक के जरिये हम राजस्थान की जनता के साथ अन्याय करने वाले हैं, खर्चों में कटौती करने वाले हैं और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य तो यहां तक कह गये कि सरकार पिछले दरवाजे से और कर्ज लेने के लिए मार्केटिंग बोराइंग के लिए इस विधेयक को लेकर आ रही है और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम बिना इच्छा शक्ति के लाये हैं और घोर अनियमितता करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, अच्छा होता कि आप इस विधेयक को..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने यह नहीं कहा, उसको मिस-कोट करो मत। मैंने जो कहा, वह आपने नोट नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलिये, आपने अपने शब्द वापस ले लिये, पर अच्छा यह रहता कि इस विधेयक के पृष्ठ (5) की तरफ आप अपनी दृष्टि डालते।

उपाध्यक्ष महोदय, पृष्ट (5) में उद्देश्यों और कारणों के कथन, किन किन उद्देश्यों को लेकर और किस कारण से सरकार इस विधेयक को लेकर आई, उस पर सब सरकारों ने कहा है कि सरकार की इच्छा है कि राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी रहे, सुदृढ रहे और वित्तीय अनुशासन में रहे। राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी रहे, हमारा ऋण प्रबन्धन विवेकपूर्ण हो और सरकार की वित्तीय प्रबंधन नीतियां, इसमें पारदर्शिता रहे और राज्य में वित्तीय स्थिरता रहे। इन उद्देश्यों को लेकर हम इस विधेयक को लेकर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पांच वर्ष के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के बाद भारत सरकार एक वित्त आयोग की स्थापना करता है और यह वित्त आयोग केन्द्रीय करों में बंटवारे और राज्यों की सहायतार्थ अनुदान का आधार भी निर्धारित करता है। 12वें वित्त आयोग, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने कई बार की है, डाक्टर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में वित्त आयोग बना और 17.12.2004 को इस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपी और इसकी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, वह भी 26.12.2004 को संसद में प्रस्तुत की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि इस बिल को लाने के अन्दर 12वें वित्त आयोग की जो सिफारिश हैं और 12वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों के माध्यम से इस 12वें वित्त आयोग ने चिंता क्या की है, अपनी सिफारिश में जो चिंता प्रकट की है, वह कोई राजस्थान सरकार के लिए नहीं है, पूरे देश की सरकारें के लिए है केन्द्र सरकार के लिए है और 12वें वित्त आयोग ने कहा है कि केन्द्र राज्यों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य सरकारों को वित्तीय अनुशासन के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि केन्द्र और राज्य सरकारों का कर्जा बढ़ रहा है, जो सही भी है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, यह लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ-साथ गैर उत्पादक व्यय (नोन प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर) यह अनियमित तरीके से बढ़ रहे हैं और इसके साथ-साथ 12वें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि इन हालातों के चलते देश के अधिकांश राज्य अब फिस्कल स्ट्रेस में आ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार के पहले भारत सरकार ने जो अभी बजट प्रस्तुत किया 2005-06 का, इसके अनुमानों के अनुसार आज भारत सरकार का राजस्व घाटा इसी वित्तीय बजट के अन्दर 95,312 करोड़ रुपये है और राजकोषीय घाटे को देखें तो 1,51,144 करोड़ रुपये है मतलब अब तक नहीं हुआ और ऋण भार की जब चर्चा करें, जिस ऋण भार की चर्चा अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य प्रवाह में बोलते हुए कर रहे थे कि ऋण भारत में आज कहीं एक राजस्थान सरकार की बात नहीं हैं इस देश के अन्दर कोई भी सूबे की सरकार नहीं होगी जो ऋण ले नहीं रही हो और इन्होंने तो ऋण की बात को लेकर जब यह शासन में आये थे तो श्वेत-पत्र जारी किया था। इन्होंने तो बड़े कशीदे कसने की बात कही थी कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह राजस्थान को बदहाल करके चली गई। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इसी वित्तीय बजट के अन्दर जो केन्द्रीय सरकार ने रखा है, 22,31,586 करोड़ का ऋण भार आज केन्द्रीय सरकार पर है। इसलिए मैं इस बात को बिलकुल स्वीकार करता हूं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कि 12वें वित्त आयोग की सिफारिश में केन्द्र में विशुद्ध कर या कर राजस्व के अन्दर राज्यों का हिस्सा बढ़ा है। 11वें वित्त आयोग में यह 29.5 प्रतिशत था अब बढ़कर यह 30.5 प्रतिशत हो गया और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज राजस्थान का सेन्ट्रल डिवेल्यूएशन है, उसका प्रतिशत भी बढ़ा है। 11वें वित्त आयोग में 5.42 प्रतिशत था जो बढ़कर 5.609 प्रतिशत हो गया और इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिफारिश और की, उन्होंने यह कहा कि पेट्रोलियम के केन्द्र में लाभांश, जो नई पालिसी आ रही है न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पालिसी, उसके तहत जो ब्लाक हैं, उसमें हमें 50 फीसदी हिस्सा लाभांश का मिलता है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मैं निवेदन करना चाहूंगा और बिलकुल सही कहा था टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने, कि 11वें वित्त आयोग और 12वें वित्त आयोग को अगर हम देखें कि इनकी सिफारिश से जो पैसा हमें प्राप्त होता है, यह पांच साल के लिए है, लगभग 15,473 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये निश्चित रूप से हमें ज्यादा मिले हैं परन्तु इसके साथ-साथ 12वें वित्त आयोग ने जो महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने यह कहा कि बदलती हुई परिस्थितियों में राज्य सरकार का वित्तीय प्रबन्धन पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, उत्तरदायी हो और वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण हो, इसके लिए यह वित्तीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबन्धन विधेयक सरकार लेकर आई है। हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने तो पूरे वित्तीय प्रबन्धन को पारदर्शी बनाने की बात की है, उत्तरदायित्व बढ़ाने की बात की है। राजस्थान के आम-अवाम को यह मालूम पड़ जाये कि राजस्थान की सरकार किस दिशा में और किस दिशा के अन्दर राजस्थान की आर्थिक स्थिति को ले जाना चाहती है, किस तरह से आर्थिक हालात ठीक हो और यह बिलकुल सही बात कही नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि इसके अन्दर सरकारों को ऋण राहत योजना का लाभ भी नहीं मिलने की बात कही, जो इस तरह के विधेयक को पारित करेगा, अब उपाध्यक्ष महोदय, यह ऋण राहत योजना कोई छोटी योजना नहीं है, और इसका समय भी निश्चित कर दिया। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को प्रतिपक्ष इसके लिए बधाई दे या नहीं दे, पर इस ऋण राहत योजना से जो लाभ होगा, ऋण राहत योजना से हमें जो राशि बचेगी, जो राजस्थान के गरीब पर खर्च होगी, राजस्थान के किसान पर खर्च होगी, उसके मुंह से निश्चित तौर पर, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, दुआ निकलेगी, कि हमने अच्छा काम किया और मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं और मैं रेखांकित भी करना चाहता हूं कि यह जो ऋण राहत योजना है, इसके अन्दर 31.3.2004 से लेकर 31.3.2005, समय इतना ही रखा और 31.3.2004 को जिन ऋणों के लिए केन्द्र सरकार से अनुबंध हो गया और 31.3.2005 तक जो बकाया रही, अब यह पैसा, उपाध्यक्ष महोदय, अलग-अलग ब्याज दर पर लिया गया है, कहीं किसी प्रकरण के अन्दर 9 प्रतिशत है, कहीं 11 प्रतिशत है, कहीं 12 प्रतिशत है पर जिस ऋण राहत योजना का लाभ राजस्थान की सरकार ले रही है, इसमें तय कर दिया कि साढ़े सात प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ेगा।

श्री सी.पी. जोशी : अमाउंट बताइये, कितना अमाउंट मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बताऊंगा निश्चित तौर पर बताऊंगा। उसमें यह तय कर दिया कि बीस वर्ष तक इसको रिशिड्यूल कर दिया और उपाध्यक्ष महोदय, रिशिड्यूल के साथ-साथ जो रिशिड्यूल से किस्तें आई हैं, उसमें ट्वेल्थ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड पीरियड है, 2005-06 से लेकर 2010 तक, इसकी किस्तों को पट्टे खाते और अपलेखन में डालने की बात कर दी, यह शर्त जरूर लगा दी कि यह लाभ आपको जब मिलेगा और इस लाभ में राजस्व घाटा जितना कम करोगे उसका ब्याज तो पैंतालीस प्रतिशत मिलेगा या किस्तों के अन्दर, दोनों किस्तों में देय राशि, दोनों में जो कम हो, वह मिलेगी। इसलिये राजस्थान की जनता के लिए यह बहुत बड़ी जरूरत थी कि इस योजना का लाभ हम लें, हम अपने राजस्व घाटे को लगातार कम करें और प्रत्येक वर्ष यह राजस्व घाटे की पैंतालीस प्रतिशत राशि में हमें मिलेगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाता हूं, आपने सवाल किया कितनी राशि मिलेगी, इसके लिए भी आयोग ने आंकलन किया है, यह आपको मैं आंकड़े बताऊंगा और अगर आप कहेंगे तो जो सरकारी आंकड़े हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान) नहीं, पूरा बताऊंगा मैं आज। आप कहें तो नहीं बताऊं। नहीं, मैं तो उसी में बता दूं पूरा।

श्री उपाध्यक्ष : इसी पर आ जाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2005 और 2010 तक के लिए राजस्थान को होने वाला लाभ किस्तोंकी अदायगी के अपलेखन के कारण, पट्टे खाते डालने के कारण, यह माननीय सदस्य, 1708 करोड़ 38 लाख और ब्याज की अदायगी से जो लाभ होगा क्योंकि ब्याज का प्रतिशत कम हो गया है, वह है 962 करोड़ और कुल लाभ होगा 2670.73 करोड़। यह आंकडे मेरे नहीं है, यह आंकड़े उस ट्वेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर है जो रिपोर्ट शायद आपने भी उद्वत की थी। उसके खुद के, ट्वेल्थ कमीशन के यह प्रोजेक्शन हैं, मेरे प्रोजेक्शन नहीं हैं।

श्री सी.पी. जोशी : यह तो बुक एंट्री होगी, आपको क्या मिलेगा? These are book entries. These are book entries.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वह बता रहा हूं। चलिये, मैं बता रहा हूं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो..(व्यवधान) नहीं, यह तो प्रोजेक्शन उनका है पर जो राजस्थान की सरकार को मिला वह भी बता रहा हूं और वह आंकड़े लिख भी लो आप चाहे। राजस्थान सरकार को जो फायदा होगा, किस्तों की अदायगी के अपलेखन के कारण होगा 1540 करोड़, ब्याज की अदायगी के कारण होगा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

700 करोड़ और कुल लाभ मिलेगा उपाध्यक्ष महोदय, 2240 करोड़। अब इसको यह चाहते नहीं, यह चाहते नहीं, इनको यह दर्द नहीं कि इस अच्छे काम से, इस विधेयक के आने के बाद राजस्थान की माली हालात, आर्थिक हालत सुधेरगी और यह 2240 करोड़ रूपया जो बचेगा, यह राजस्थान की बहबूदी और विकास के लिए खर्च हो। मतलब मिन-मेख निकालना ही अगर हमारा काम है, एक ही चश्मे से अगर हम हर चीज को देखेंगे, मैं सम्मान करता हूं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का..

श्री सी.पी. जोशी : राठौड़ साहब, मुझे बोलना नहीं चाहिए..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये, मैं जब बोल रहा था, देखिये, आप जो बोल रहे हैं, नहीं, माननीय सदस्य, जब आप बोल रहे थे मैं एक बार खड़ा हुआ, आपने मुझे कहा कि नहीं..

श्री सी.पी. जोशी : अब आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी बात कह दूं, उसके बाद आप कहना।

श्री सी.पी. जोशी : बिलकुल, बिलकुल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसके बाद क्या कहेंगे, वोट होगा, और क्या होगा।

श्री सी.पी. जोशी : उसके बाद क्या। क्या वोट होगा। ऐसे ही पास कर लो न आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने यह कह दिया कि योजनागत सहायता में जो ऋण सीधे बाजार से उठाना है उसके लिए आपने कह दिया कि इसमें क्या गाइड लाइन होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर ने पूरे राज्यों के, जो वित्त सचिव थे, उनको बुलाकर पिछले महीने बैठक की, उसमें उस गाइड लाइन को तय किया गया कि किस गाइड लाइन पर आप योजनागत सहायता के लिए बाजार से ऋण लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह राजकोषीय सुधार योजना है और यह डैट स्वेप है, यह सारा एक अप्रैल, 2005 से बंद भी हो गया, इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि इस कानून को अमली जामा पहनाने की इस विधयक के माध्यम से एक कानून बनाया जाय। अब बहुत बड़ी इन्होंने बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कही, इन्होंने खूब कहा कि आपका वित्तीय प्रबन्धन भ्रामक है, आंकड़ों पर आधारित है। उपाध्यक्ष महोदय, सब को मालूम है कि केन्द्र सरकार ने फिस्कल रिफोर्म्स फैसेलिटी, उन स्टेट को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा था जो अपने वित्तीय प्रबंधन को अच्छा और शानदार करे। 2003-04 में हमें 59 करोड़ 17 लाख रुपये मिले और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 2004 और 2005 जो वित्तीय वर्ष अभी समाप्त हुआ है, हमने हमारे शानदार वित्तीय प्रबंधन के जिस रथ को हांका था उसको उसी गति में रखा और उसी का लाभ मिला, इस बार 60 करोड़ रुपये की हमें फिस्कल रिफोर्म्स फैसेलिटी के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि मिली है। और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यह मैं नहीं कह रहा, आप तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, विश्व बैंक ने भी स्टेट फिस्कल रिफोर्म्स इन इण्डिया, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जो राजस्थान की सरकार के लिए कहा उसको मैं दो मिनट उद्वत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की सरकार ने वाणिज्यिक कर सुधार में अद्वितीय काम किया, करों का सरलीकरण किया, कर-प्रक्रिया का, टैक्स डाक्यूमेंट्स और टैक्स रेट को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया और गोल्ड कार्ड योजना, इस योजना की भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय मंत्रीजी, इसी रिपोर्ट में राजस्थान को देश के पुअरेस्ट स्टेट में बताया है, यह भी पढ़ लें आप साथ में, पुअरेस्ट स्टेट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मुझे बता देना आपके पास हो तो टेबल कर देना और जो मैंने उद्धृत किया है, अगर..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप बोलें तो अभी पन्द्रह मिनट में टेबल कर दूंगा रिपोर्ट, मेरे पास ही पड़ी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कर देना और जो मैंने कहा है, यह जिम्मेवारी से कहा है।

श्री संयम लोढ़ा : पुअरेस्ट स्टेट माना है, देश के पुअरेस्ट स्टेट में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप राजस्थान को जिस चश्मे में देखते हैं, मुझे कहते हुए अफसोस है कि कम से कम आपके मन में एक भाव तो रहना चाहिए कि हम राजस्थान के हैं और राजस्थान हमारा है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसको आप उद्धत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने बात छेड़ दी..

श्री सी.पी. जोशी : वह कागज भी मंगा लो...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नहीं-नहीं, यह रिपोर्ट में होगा पर इसके लिए जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा है। आप उसको उद्धत मत करो ज्यादा। उसके लिए रेस्पांसिबल आपकी पार्टी है जिसने सन् 1952 से राज किया है यहां पर।

श्री सी.पी. जोशी : हमारी तो, प्रोफेसर साहब, बहुत ज्यादा है, आप ऐसा मत समझाओ कि हम आपको कहें बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने बात छेड़ ही दी तो मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि आपने विरासत के अंदर जिस आर्थिक जर्जरता और आर्थिक बदहाली में राजस्थान प्रदेश को हमें सौंपा है, आप भूल गये। क्या आप भूल गये कि आपकी सरकार के अंदर ओवरड्राफ्ट होना आम बात थी। उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 1998 से दिसम्बर, 2003, मतलब 704 दिन ओ.डी. में रहे यह महानुभाव और अब शेखियां बघार रहे हैं और हमारा जो कोई वित्तीय प्रबंधन..

श्री सी.पी. जोशी : शेखी नहीं बघार रहे श्रीमान...(व्यवधान) ओवरड्राफ्ट, आप कैसे बचे हो, कल स्वेष और यह नहीं होता तो आपको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता। आप काहे की वाहवाही ले रहे हो। आपका क्या अचीवमेंट है इसमें। आप जबरदस्ती वाहवाही ले रहे हो, आपका क्या अचीवमेंट है। व्हाट इज योर अचीवमेंट फालतू की बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब वहां से बैठे-बैठे...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी हालत क्या है?

श्री सी.पी. जोशी : यह ओवरड्राफ्ट अचीवमेंट है क्या..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : झांकने की ही फुरसत नहीं हुई। +++

श्री सी.पी. जोशी : बात कर रहे हैं अपन, कोई प्रबन्धन नहीं है, भारत सरकार ने व्यवस्था की उसका लाभ मिला।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया। राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया आपने।

श्री सी.पी. जोशी : बाकी ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता है..(व्यवधान) भैरोंसिंहजी शेखावत ने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया? आप तो पहले भी मंत्री थे, भैरोंसिंहजी की सरकार में ओवरड्राफ्ट नहीं होता था? अब इसका जवाब है आपके पास?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कभी कहते थे हमारा दिमाग खाली है, कभी कहते थे हमारा खजाना खाली है। आप सोते रहे।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य, अगर पहले से हमने सुधार कर लिया, इसलिए यह आपत्ति है क्या आपको। भैरोंसिंहजी के टाइम में मान लीजिये हमने ओवरड्राफ्ट लिया होगा और आजकल हमारा बेहतर प्रबंधन है तो आपको कोई तकलीफ है क्या।

श्री सी.पी. जोशी : नहीं, वित्तीय प्रबंधन नहीं भैरोंसिंहजी के जमाने में स्वेष और यह व्यवस्था नहीं थी इसलिए लेना पड़ता था। आज आपको व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, उसमें आपका क्या अचीवमेंट है, इट इज नॉट अचीवमेंट।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप तो, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, इतना बता दो, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से, कि जब 1990 में आप गवर्नमेंट छोड़कर गये थे तो राजस्थान पर आठ हजार करोड़ का कर्जा इन्होंने छोड़ा 1990 में, उसके बाद 1998 में हम लोग कर्जा छोड़कर के गये, तेइस हजार करोड़ रुपये..

श्री सी.पी. जोशी : हां, आगे बोलो, आगे बोलो।

डा. एन.एस. गुर्जर : बोल रहा हूं, पूरा सुनें न, एक मिनट, पूरा सुनें आप।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ा लेकिन साढ़े अठारह हजार करोड़ की परिसम्पत्तियां भी देकर गये इनको बनाकर।

डा. सी.पी. जोशी : सिवाय तनख्वाह के अलावा एक भी परिसम्पत्ति

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं दी। भाषण दे रहे हो खामख्वाह। रिकार्ड में है। काहे की परिसम्पतियां बता रहे हो।

डा. एन.एस. गुर्जर : उसके बाद में, यह आंकड़े हैं। आप पूरी बात सुनिये।

डा. सी.पी. जोशी : परिसम्पतियां बता रहे हो लाइये कागज रखिये। ले करिये हाउस में। हाउस में ले करिये यहां पर।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आंकड़े दूंगा या तो आप इस्तीफा दें या मैं दूंगा। आंकड़े बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : ले करिये या इस्तीफा दें। आप रखिये यहां पर।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप बैठिये अभी दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : इन्होंने साढ़े अठारह हजार करोड़ की अगर संपत्तियां बनायी होतीं तो 32 सीटें नहीं आतीं आपकी।

डा.एन.एस. गुर्जर : ..(व्यवधान).. उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह 55 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ कर हमारे ऊपर गये।

श्री उपाध्यक्ष : वो मान रहे हैं इस बात को।

डा. एन.एस. गुर्जर : लेकिन परिसंपत्तियां कितने की दी उस दिन भी जब मैं बजट भाषण पर पिछले सत्र में भाषण दे रहा था तो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, 75 हजार करोड़ का लोन लिया नाथूजी छोड़ कर गये आज 75 हजार करोड़ का लोन हो गया और नाथूजी बच गये बाकी सब मंत्री बन गये।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप सुनिये। आप सुनिये तो सही। मेरी बात तो सुनें।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो आज का रिकार्ड है 75 हजार करोड़ का लोन का। ये नाथूसिंहजी मंत्री, मत्री नहीं हैं बाकी सब चीजें समान हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : वो 75 हजार को मैं समझा रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : समझाने की जरूरत नहीं है (व्यवधान)...

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बिराजें न, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाथूसिंहजी मंत्री हो गये क्या?

डा. सी.पी जोशी : नाथूसिंहजी तो आपसे निपट लें काफी है हमारा नंबर ही नहीं है। आप ही निपट लें आपस में पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये आपके चक्कर में आने वाले नहीं हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, 55 हजार करोड़ का कर्जा इन्होंने छोड़ा उसके विपरीत असेट्स कितनी बनायी, वो मैं बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : बिजली घर में पैदा हुई क्या? ये बिजली बांट रहे हो वो घर में पैदा हुई क्या? असेट्स किसने बनायी, आपने बिजली पैदा की है क्या? हमने बिजली पैदा की यह असेट्स नहीं है क्या?

डा. एन.एस. गुर्जर : कर्जा तो दुगुना कर दिया और असेट्स...।

डा. सी.पी. जोशी : आपने एक मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं की। और बात कर रहे हो। 5 हजार मेगावाट पांच साल में हमने बिजली पैदा की यह असेट्स नहीं है क्या?

डा. एन.एस. गुर्जर : असेट्स उसकी तुलना में बहुत कम है और उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद अब जो कर्जे की बात कर रहे हैं कर्जा इतना बढ़ गया, आप परसेंटेज लगा लो, उपाध्यक्ष महोदय, 18.5 की दर से कर्जा बढ़ रहा था उसको घटा कर हम 12 प्रतिशत पर ले आये। हम कम लाये कर्जे को।

डा. सी. पी जोशी : यह 5300 करोड़ रुपये ब्याज दे रहे हो.. (व्यवधान) यह बढ़ा है कि घटा है?

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसा है कि लगा लो आप। लगा लो आप कितना परसेंटेज लगाओ कितना है और असेट्स कितनी है.. (व्यवधान) .. दोनों को देखें तुलनात्मक दृष्टि से।

डा. सी.पी. जोशी : 4770 करोड़ की जगह 5312 हो गया यह घटा है

(डा. सी.पी. जोशी)

कि बढ़ा है भाषण दे रहे हो। यह घटा है कि बढ़ा है? 4770 करोड़ रुपये की जगह 5312 करोड़ रुपये यह घटा है कि बढ़ा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि सच बड़ा कड़वा होता है।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और मैं मैथेमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैं ज्यादा जानता हूं परसेंटेज वगैरह।

डा. सी.पी. जोशी : मैंने तो बी.एससी. मैथेटिक्स भी की है एम.एससी. फिज़ीक्स भी की है और एल.एलबी. भी की है, आप करेक्ट करें। मैं कोई फिलासफी का नहीं हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, तब तो अच्छी बात है तब तो और भी अच्छी बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य निश्चित तौर पर विद्वान हैं परन्तु प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर किस तरह बने हैं यह तो मुझे कुछ नहीं कहना बहुत विद्वान हैं मेरे मित्र हैं पर प्रोफेसर में एक कमी रहती है।

डा. सी. पी. जोशी : नकल करके नहीं बना हूं खुद की मत लगाइये। नहीं तो और बातें सामने आएंगी, क्या मतलब है। आप जितना कम कहें उतना ही ठीक है। अपनी मित्रता उतनी निभायें जितनी निभ सके। नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा फिर कटारियाजी को जांच करानी पड़ेगी मतलब क्या है। मैं नहीं चाहता कि कटारियाजी को जांच करानी पड़े आप क्यों जानना चाहते हैं उन चीजों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो ठीक है बिराजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि एक बात जरूर रहती है कि प्रोफेसर को भाषण अच्छा आता है लेकिन सुनते कम हैं। मेरा निवेदन है मेरे मित्र से कि मेरी बात को तसल्ली से सुन लें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अगर मैं कोई गलत तथ्य सदन में रख रहा हूं तो अभी थर्ड रीडिंग में आपका धुंआधार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भाषण मेरे को लगता है कि फिर होगा आप नहीं बोलें तो वैसे बतायें तो तब आप कह देना। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि राजस्थान जिस हालात में मिला वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह ओवरड्राफ्ट ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है क्यों होता है ओवरड्राफ्ट। दो साल से ज्यादा समय तक जो सरकार पांच साल में ओवरड्राफ्ट में रहे 704 दिन और यह सरकार सिर्फ 8 दिन ओवरड्राफ्ट में रही है। यह माननीय सदस्य स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने बेज एड मीन्स का प्रबन्धन निश्चित तौर पर काबिले तारीफ किया और उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन उद्देश्यों को लेकर जिन लक्ष्यों को लेकर यह विधेयक सदन में प्रस्तुत है उन लक्ष्यों की प्राप्ति की यात्रा का शुभारंभ हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस दिन मुख्य मंत्री का पद संभाला उसी दिन से करना प्रारम्भ कर दी थी। यह मैं आगे सिद्ध करूंगा यह बातों से नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने निश्चित तौर पर उसमें काम किया अब इस विधेयक से सम्बन्धित कई तरह के सवाल और कई तरह की जिज्ञासाएं यहां माननीय सदस्यों ने रखीं। मैं बड़े संक्षेप में इस विधेयक के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के खंड-3 में उन उद्देश्यों को जिन उद्देश्यों को लेकर यह विधेयक लाया गया उसका उल्लेख किया गया है। राजस्व घाटे में कमी करना, राज्य वित्तीय घाटा सहनीय स्तर तक रखना, पूंजीगत व्यय के विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करना। यह तो हमारे उद्देश्य थे पर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे लक्ष्य क्या हैं। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं निवेदन यह कर रहा था जिन लक्ष्यों की बात मैं कर रहा हूं, आपने भारत सरकार के इस कानून के बारे में यहां बात की उसमें लक्ष्य नहीं हैं। यह उस एक्ट का पार्ट नहीं है भारत सरकार के रूल्स में जरूर डाला है और मैं समझता हूं कि आप तो अच्छी तरह जानते हैं और रूल्स को तो बदला जा सकता है पर एक्ट के प्रोविजनों को बदलने के लिए वापस इनको संसद में जाना पड़ा अब इसमें लक्ष्यक्या हैं, खंड-6 क में कहा है 1 अप्रैल, 2005 से चार वर्ष में प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे को रेवेन्यू लोसेज को राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में 3 प्रतिशत कम करके 2008-09 तक शून्य करने का। आपको याद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं होगा शायद तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री चन्दनमलजी बैद ने जब पहला बजट यहां रखा था मैं उद्धृत करूंगा उन्होंने क्या कहा था और फिर 2001-02 में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री के रूप में क्या कहा था, इन्होंने भी इस तरह के लक्ष्यों को निर्धारित किया था। इन्होंने भी पारदर्शिता की बात की थी। उपाध्यक्ष महोदय, पारदर्शिता और उत्तरदायी की बात कहना आसान है कानूनी जामा पहना कर कानून के रूप में इसे लागू करना अपने-आप पर बाध्य करना बहुत बड़ा कठिन काम है।

इसी तरह मैं निवेदन कर रहा हूं खंड-6 ख में राजकोषीय घाटे को प्रतिवर्ष जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में .4 की कमी लाते हुए 3 प्रतिशत सहनीय स्तर तक करने का लक्ष्य रखा गया है और आप अभी चर्चा कर रहे थे कि आप यह रिस्क वेटेड गारंटी की बात कर रहे हो। कितना लोन लेंगे आप एस.पी.बी. की बात कर रहे हो इसमें उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें साफ यह प्रावधान है खंड- 6 ग में, और लोक लेखा के अतिरिक्त बकाया ऋण व जोखिम भारित जिसको रिस्क वेटेड गारंटी है किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य की सिंचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड की अनुमानित प्राप्तियों से दुगुने से अधिक नहीं होगी। हालांकि उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 293-1 में भी यह प्रोविजन इस तरह का डाला गया है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : इसमें जो अमेंडमेंट किया है why have you introduced this? नंबर-1 और नंबर-2 जो बी में आप बोले हैं ऊपर ए में तो आपने 2009 का दे रखा है बी में .5 करके ईयर का कुछ नहीं किया। दो चीजें और करेक्ट कर दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि अभी इसमें खंडवार जो पारण होगा उसमें हम जब अमेंडमेंट मूव करेंगे तो उसमें आप भी अपनी बात कह दें मैं भी मेरी बात कह दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इसके बाद आज राजस्थान के आम-आवाम का यह मालूम नहीं है कि राजस्थान सरकार पर पूंजीगत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कितना रुपया खर्चा होता है मेरे कहने का उद्देश्य है कि हमारे वेतन में कितनी राशि जाती है, हमारी पेंशन में कितनी राशि जाती है, इस खंड-6 ड में साफ कहा गया है कि बजट के साथ कर्मचारियों की संख्या वेतन दायित्व का विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा राजस्थान के आम-आवाम को, कि राजस्थान की सरकार की क्या-क्या मजबूरियां हैं कितना पैसा वेतन में जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि पांचवें वेतन आयोग की रिकमंडेशन के बाद आज राज्यों की जो हालत है उपाध्यक्ष महोदय, वह किसी से छुपी हुई नहीं है और मैंने जो पहले कहा कि जिन लक्ष्यों और जिन उद्देश्यों को लेकर आज यह विधेयक आया है हमने प्रारम्भ से भी उन्हीं लक्ष्यों और उसी आधार पर काम करना प्रारम्भ कर दिया था। अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कई तरह के प्रश्न खड़ किये। मैं जो बोल रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं यह बजट एट ग्लांस 2005-06 के पृष्ठ-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्व घाटा 2003-04 में यह राजस्व घाटे को कम करने का इस विधेयक में प्रमुखता से बात कही गयी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2003-04 में 3424 करोड़ रुपये हैं माननीय सदस्य और 2004-05 की आर.ई. की बात कर रहा हूं, मैं उसमें है 2647 करोड़ रुपये। 2005-06 में जो हमारा बी.ई. है उसमें 1523 करोड़ किस रफ्तार से कम हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार का शानदार वित्तीय प्रबन्धन और मेरा दावा है...

इनकी सरकार में अगर इसी ट्रेंड से राजस्व घाटा कम हुआ है तो माननीय सदस्य के साथ कह दे। राजस्व घाटा और राजस्व प्राप्तियां का जो प्रतिशत है यह भी बजट एट ग्लांस के पेज 2 में देख लें। 2002-03 में 30 प्रतिशत था, 2003-04 में 22 प्रतिशत और 2004-05 की आर.ई. की मैं बात कर रहा हूं 15 प्रतिशत। कितना शानदान वित्तीय प्रबन्धन है। राजकोषीय घाटे की आपने चिंता की, राजकोषीय घाटा 2003-04 में था 7367 करोड़ और 2004-05 की आर.ई. में 7051 करोड़ और 2005-06 में जो हमने बी.ई. में रखा है उसमें लिखा है 6966 करोड़ और अगर जी.एस.डी.पी. से इनका प्रतिशत निकाले..

डा.सी.पी जोशी : उसके साथ आप ब्याज भी बता दो, इस पर ब्याज कितना दे रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ब्याज भी बताऊंगा। अगर आप इसका जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत करे तो कहां 2003 में 7.05 था..

डा.सी.पी. जोशी : मान्यवर, 4777.15 करोड़ ब्याज दे रहे हैं और आज जब आप 6966 ला रहे हो तब 5319 करोड़ रुपये ब्याज देना पड़ेगा। यह भी फिगर चैक किया कि नहीं, उसको चैक कर लो आप। आप घाटे का पर्सेंटेज निकाल रहे हैं लेकिन इसका पर्सेंटेज निकालिए कि राजस्थान की जनता को 4777 करोड़ देने पड़ रहे थे ब्याज के 2003-04 में और अब जब आपका घाटा 6966 करोड़ रुपये हैं तब देना पड़ रहा है 5319 करोड़ रुपये ब्याज के। यह कम हुआ है या ज्यादा हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं पर मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप ऋण भार का जिक्र भी कर दिया और ब्याज का भी जिक्र कर दिया। आप जरा प्रतिशत से मुझे बता दे किस रफ्तार से ऋण बढ़ रहा था हमारी सरकार ने कहां आकर रोका है। आप वोल्यूम की बात करते हैं प्रतिशत की बात नहीं करते।

डा. सी.पी. जोशी : गुमराह करने की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन भी मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस दिन भी मैंने यह कहा कि आप यह स्पष्ट कीजिए 4777 करोड़ रुपये आज ब्याज देने पड़ रहे हैं जब राजस्व घाटा 7367 अब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो 6966 तब ब्याज देना पड़ रहा है 5316 और दो महीने की एन्ट्री दी आपके पूंजीगत खाते में एन्ट्री वह कम हो रही है उसका जवाब दो ना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका भी मैं जवाब दूंगा। पूंजीगत खाते की कमी क्यों हुई, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : इनको मंत्रीजी बना दो हमेशा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी : सुरेन्द्रजी, मैं तो बन जाऊंगा पर राजेन्द्रजी को कौन हटायेगा। आपको तो बाइपास कर दिया मैं नहीं कर सकता इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे इस तरह के भाई रहेंगे तो बने रहेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो आपके कालज के गुरू रहे हैं गुरू ही मानो इनको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : मेरे गुरू आप हो, मैं तो आपका चेला बनूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब बताओ, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रिश्ता ही अजीब हो गया अब मैं किसका चेला रहा हमारे गुरू भी कहते हैं कि वह हमारे गुरू तो मेरे लिये तो बड़ी मुश्किल हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि जी.एस.डी.पी. जब बढ़ती है तो फ़िस्कल डेफिसिट अपने आप कम होगा कि नहीं, यह भी बता दो आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता : एक बात बताना चाहता हूं माननीय जोशीजी ने यह कहा कि ब्याज बढ़ रहा है और घाटा कम हो रहा है, कारण क्या है। ब्याज हम दे रहे हैं असेस्ट्स पर। यह कोई गलत बात नहीं है अगर हम वेतन भत्तों में वाहनों के खर्चों में, अनावश्यक मदों में खर्चा करें तो ब्याज..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मोहनजी, यह बातें फाइनेंस से सम्बन्धित है आप क्यों बोल रहे है। आपको मालूम ही नहीं है हो क्या रहा है यह आपकी फर्म का हिसाब-किताब नहीं है यह सरकार का हिसाब-किताब है इसको तो ध्यान रखिए आप। मैं माफी चाहता हूं आपसे मेहरबानी करके रेकार्ड पर यह बातें नहीं आये रेकार्ड में तो सरकार का हिसाब-किताब है राजेन्द्र राठौड़जी ही ठीक रहेंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : हमारे सबसे विद्वान सदस्य को आप ऐसे मत करो।

डा. सी.पी. जोशी : यह भी बैठे हैं मंत्री की लाइन में, इनको क्यों विद्वान बनाते हो इनको रहने दो वहीं पर। आई.एम सारी मोहनजी, आप सी.ए. हैं लेकिन let the department supply it to the minister.

अच्छा नहीं लगेगा बाकी आप बोलो, मुझे कोई तकलीफ नहीं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अच्छा आप बता दो वेतन के पेटे ब्याज दे रहे हैं क्या?

श्री संयम लोढ़ा : नाथूसिंहजी, आपकी पार्टी में क्या सारे विद्वान सरकार से बाहर ही है क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक में ऐसी पारदर्शिता और सरकार की नीति और नीयत क्या है, इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् राजस्थान का दूर बैठा आम व्यक्ति भी पता कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक खंड-3 में उन प्राथमिकताओं का जिक्र किया है जिनके आधार पर प्रदेश के गरीब और आम आदमी के कल्याण के लिये पूंजीगत व्यय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता संभालते ही अपने विजन डाक्यूमेंट के माध्यम से जो प्राथमिकताएं उस वक्त तय की थीं 12वें वित्त आयोग के आधार पर जो बिल हम लेकर आये हैं, इस बिल में हमने जो परिलक्षित किया है उसमें वही हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी विधेयक के खंड-5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बड़ा इम्पोर्टेण्ट खंड है। इसके 3 (ख) में एक बात कही है आप उधार लें, उधार सहित पूंजीगत प्राप्तियां भी प्राप्त करें परन्तु इसका उपयोग स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण में किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, कैपिटल आउट-ले जो है (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय मोहनजी, मैं तो फिगर लेकर आया हूं। कैपिटल आउट ले तीनों सर्विसेज में वही पर्सेंटेज है तीन साल का। कैपिटल आउट ले को डबल करने के बाद सोशियल सैक्टर, सर्विस सैक्टर और इकोनोमिक सैक्टर में प्रतिशत वो का वो ही है। आप केवल भाषण क्या दे रहे हैं यह तो मैं एक्चुअल आंकड़े देखकर बता रहा हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आपके मूल प्रश्न का जवाब आ गया उसके बाद आप दूसरी बात का जवाब पूछ लें। हम तो वेतन-भत्तों में ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, सरकार को चलाने के लिये लोन लेकर काम नहीं कर रहे यह आप कर रहे थे काम, कांग्रेस सरकार कर रही थी काम।

डा. सी.पी. जोशी : आप कैपिटल आउट ले को, जिस उद्देश्य की बात कर रहे हो, उस पर खर्च नहीं कर रहे। आपने कैपिटल आउट ले को डबल किया उसके बाद..(व्यवधान) आप उलटा काम..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान फिर बजट एट ग्लांस पेज 12 (घ) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कैपिटल आउट ले में हमने जो ऊंचाइयां छुई हैं, उन आंकड़ों को दर्शाया गया है। आपके शासनकाल में कैपिटल आउट-ले कितना रहा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास किताब हो तो आप देख लें और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आप मजबूरी से स्वीकार करें कि हमारे शासनकाल में 2002-03 में कैपिटल आउट ले 2027 करोड़ था हमने उसको बढ़ाकर 5161 करोड़ करके राजस्थान में परिसम्पत्तियों के निर्माण करने के लिये एक शानदार काम करने का काम किया है और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कैपिटल आउट ले के माध्यम से हमने राजस्थान में परिसम्पत्तियां बनाने का जो काम हमने प्रारम्भ किया है यह काम चाहे यह किसी तरह के कटाक्ष करें, किसी तरह के असत्य आरोप लगायें, यह काम रूकने वाला नहीं है। वह समय आ गया जब राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में गर्वित मुद्रा में खड़ा होगा।

इसके अलावा आप प्लान एक्सपेंडीचर की बात कर लें तो वह आंकड़े भी मेरे पास हैं। हमने प्लान एक्सपेंडीचर में 2003-04 में जो 6044 था उसे 8697 करने का काम किया है।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्रजी, मैं फिर माफी चाहता हूं रिकार्ड में आना चाहिये आपका पर्सेंटेज आफ कैपिटल एक्सपेंडीचर इकोनोमिक सर्विसेज 2003-04 में था 56.40 पर्सेंट और आज जो आपने बी.ई. दी, वह 51.70 है। कैपिटल आउट ले डबल करने के बाद इकोनोमिक सर्विसेज में प्रतिशत 51.07 है और 2003-04 में 56.04 है करेक्ट कर लें अपने विभाग से हम केवल वाहवाही ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस कैपिटल आउट ले को अपने चश्मे से देख रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो असेट बना रहे हो, इकोनोमिक एक्टिविटी कर रहे हो आपका कोई खर्चा सोशियल एक्टिविटी में नहीं हो रहा है। आप तो भाषण दे रहे हैं, यहां खर्चा बढ़ रहा है आपका। आपका खर्चा सोशियल सर्विसेज में बढ़ रहा है और हम कह रहे हैं कि डबल कर दिया। हमने यह कर दिया, यह पर्सेंटेज नहीं निकालोगे आप करेक्ट कर दें अपने रिकार्ड से। अपन वही बात कर रहे हैं जो रिकार्ड में है। मंत्री महोदय, मैंने उस दिन भी कहा कि वित्त मंत्रीजी बात कहें तो ठीक रहता। आप आधी बात बता रहे हैं इसको

(डा. सी.पी. जोशी)

करेक्ट करें मैं भी करेक्ट हो जाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कैपिटल आउट ले डबल होने के बात राजस्थान में जो एक्चुअल है 2003-04 में वह पर्सेंटेज था 56.04 वह घटकर रह गया 51.70 और असेट बना रहे हैं, यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग चश्मों से अलग-अलग चीज को देखने की जो अदा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की है उसका कोई सानी नहीं हो सकता। कैपिटल आउट ले बढ़ गया पर इकोनोमिक सर्विसेज के साथ जोड़कर मैं प्रतिशत निकाल कर रखूं इसको किसी के साथ प्रतिशत निकाल ले पर यह सच्चाई है कि कैपिटल आउट ले बढ़ा है। माननीय सदस्य सदन का आम सदस्य से लेकर बाहर थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि कैपिटल आउट ले बढ़ने का परिणाम क्या होगा। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ाया, हमने कैपिटल आउट ले बढ़ाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को लम्बी नहीं करूंगा परन्तु इसमें कोई शक नहीं यह विधेयक क्यों लाया गया, इस विधेयक के पीछे कारण क्या है? खण्ड-4 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय सदस्य, उसमें उन सिद्वान्तों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर यह विधेयक लेकर आये है। हमारा वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी रहे, स्थायित्व रहे। इसको सुनिश्चित कैसे करेंगे, कैसे होगा इसके लिए खण्ड-सात में इसका प्रोवीजन किया है कि जो बजट प्रक्रिया की गोपनीयता है, आपने तो कभी गोपनीयता रखी ही नहीं। मुझे नहीं कहना चाहिए, आपको याद होगा आपका बजट राजस्थान की विधान सभा से पहले धन्नासेठों की तिजोरियों से निकाल कर आता था। सारे के सारे बजट के कर प्रस्ताव पहले ही साया हो जाते थे अखबारों में।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रेकार्ड करेक्ट किया जाए। हमारा धन्नासेठों से आ रहा है तो आपका कहां से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, नाम बताऊं कहां से आ रहा है, फिर आप वह बातें नहीं करें (व्यवधान) यह बातें नहीं कह सकते। आप अपनी बात तो रेकार्ड में करना चाहें और दूसरों की नहीं करना चाहें, दो चीज नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि निश्चित तौर पर यह गोपनीय बजट है। आपको मालूम है जब बजट बनता है तो बजट प्रस्तुत हो उससे कई-कई घंटों पहले बजट बनाने के अन्दर जो सक्रिय रूप से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी हैं, एक तरह से बाहर नहीं जा सकते। उनको वही रहना पड़ता है।

अब इसके अन्दर, खण्ड–सात में कि बजट प्रक्रिया की गोपनीयता को यथासम्भव कम किया जाए और पारदर्शी बनाया जाए और उसके बाद कहा कि राज्य सरकार बजट के साथ फिसकल इंडीकेट में आने वाले महत्व में बदलाव या नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का ब्यौरा भी प्रस्तुत करें, बजट के साथ प्रस्तुत करें। आप देखें किस तरह की पारदर्शिता, आपकी नीतियां किस तरह बदल रही हैं। इसके अन्दर किस तरह इंडीकेटर्स है, यह बजट में प्रस्तुत करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सात में दो-सी में यह कहा है कि 10 वर्ष तक की लाइफ एक्सपैक्टेंसी के साथ आप पर पेंशन का उत्तरदायित्व कितना है? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि जिस तरह की हालत से राज्य सरकारें इस पूरे देश से गुजर रही हैं। राज्य सरकारों पर एस्टेबिलिशमेंट कोस्ट बढ़ता ही जा रहा है और पेंशन दायित्व कितना है इसके पीछे मकसद क्या है सरकार का, कि आम आदमी को यह मालूम पड़ जाए कि राजस्थान में इतने लोगों को पेंशन इस प्रकार को देनी पड़ती है जिसमें इतना व्यय होता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी इन सबको कैसे हम सुनिश्चित करें जिन इंडीकेट, जिन लक्ष्यों के साथ हम इस विधेयक को लेकर आए हैं, जिस तरह की वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता की बात है, वह पूरी कैसे हो इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के खण्ड-5 के अन्दर इसमें मिड टर्म फिस्कल पालिसी की बात भी कही गई है और राज्य वित्तीय स्ट्रेटेजी की बात भी कही है। इसके साथ एक बात यह रखी कि जो प्रभारी मंत्री होगा वह प्रत्येक 6 माह में बजट के प्राप्त और व्यय किये गये रुख को, ट्रेंड क्या है उसकी समीक्षा करेगा मगर वह लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो तो उसके उपाय सुझाए जाएंगे।

हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा एतराज किया कि खण्ड-8 के अन्दर यह जो पब्लिक एक्सपेंडीचर रिव्यू कमेटी बना रहे हैं इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर किसको लेंगे आप? उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे रूल के अन्दर है। इसमें कहा गया है, विशेषज्ञों को लेंगे और विशेषज्ञ भी कौन-कौन, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विशेषज्ञ होगा, आपके प्रबंधन के विशेषज्ञ माननीय जयपुर से आने वाले माननीय मोहन लालजी गुप्ता जैसे, योजना और प्रसाधन लेखों से जुड़े हुए.. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : उनको मंत्री नहीं बनाओगे आप, राजेन्द्रजी मुख्य मंत्री को राय दे रहे हो इनको (व्यवधान) मोहनजी सुना आपने, बातें कर रहे हो, आपको कहां रख दिया, आपको राजेन्द्रजी ने मंत्रिमण्डल से हटाकर वहां रख दिया प्लान कमेटी मैम्बर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने जो बिन्दु यहां खड़े किये हैं उनका बिन्दुवार उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आपने कहा कि हम जो विधेयक लेकर आए उसके पीछे हमारी मंशा खराब है। मंशा ठीक नहीं है। कभी कहा बजट में कटौती कर रहे हैं। कभी कहा इसके पीछे पता नहीं क्या करना चाहेंगे। माननीय सदस्य, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 26 मार्च, 1999, आपकी सरकार आई, बड़े उत्साह के साथ 156 लोगों के साथ। आपने सम्माननीय चंदनमलजी बैद, जो हमारे सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य के राजनीतिक गुरू भी हैं, वैसे हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उनके मुंह से आपने क्या कहलवाया, आपने कहलवाया कि सर्वप्रथम सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के ऋण लेने व राज्य प्रतिभूतियां जारी करने की एक सीमा निर्धारित की जाएगी। यह 26 मार्च को कह रहे हैं। सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में उचित प्रस्ताव विधान सभा के इसी सत्र में लाए जाएंगे। अब आगे फैसला क्या करतें हैं, आज केन्द्र सरकारों के साथ-साथ देश भर के समस्त राज्य भारी राजस्व घाटे में चल रहे हैं। साथ ही विकासीय अवधारणाओं की पूर्ति हेतु राज्य को ऋण भी उगाहना पड़ रहा है, जिसके चलते ब्याज अदायगी का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। संसाधनों की कमी के दवाब को पांचवें वेतन आयोग के भार ने और गहरा कर दिया।

सरकार ने यह संकल्प लिया, संकल्प ले रहे हैं 26 मार्च, 1999 को इस स्थिति में सकारात्मक सुधार लाने हेतु एक कार्यकारी योजना अमल में लाई जाएगी जिसके अन्तर्गत परिहार्य खर्चों में भारी कटौती करेंगे, नये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संसाधन जुटाएंगे और प्रभावी कदम उठाकर पांच वर्षों में शनैः-शनैः राज्य के बजट को, राजकोषीय घाटे को कम करते हुए पूर्णतः समाप्त कर देंगे। यह कह रहे हैं चंदनमलजी बैद। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिए किन हालात में उनको त्याग पत्र देना पड़ा।

उसके बाद, यही नहीं 2000-01 की बात करें वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह, राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य, वे अपने बजट के पैरा नम्बर 16 में क्या कहते हैं आगामी वर्ष हमारा पूरा जोर राजकोषीय फिस्कल कंसोलिडेशन पर, वित्तीय अनुशासन पर रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य इस बात से प्रभावित हैं कि राजस्व घाटा होना उचित नहीं है अतः हम प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व घाटे को तीन वर्ष में समाप्त कर देंगे। जहां तक राजकोषीय घाटे का प्रश्न है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में एक सीमा से अधिक होना बड़ी चिंता की बात है, अतः आगामी वर्षों में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा, हम प्रयास करेंगे। मतलब यह बजट में कह रहे हैं।

मैं कहना यह चाह रहा था कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, प्रयास आपका भी हुआ था। अब जो पारदर्शिता की बात होती है, वह क्यों रुक गई, कैसे रुक गई वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता में, उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विधेयक आया है वह विधेयक राजस्थान के आम-अवाम की खुशहाली के लिए, राजस्थान के माथे पर पिछड़ापन का कलंक मिटाकर, राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए आया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ बातें यहां पर उठाई। मैं दो-तीन मिनट में उन बातों का भी उत्तर देना चाहूंगा। आपने आफ बजट की बात की। आपने पूछा आफ बजट क्या है बताओ। आफ बजट, बजट के अलावा प्राप्त और व्यय करना, आफ बजट।

आपने कहा स्पेशल परपज व्हिकल के द्वारा आप क्या करेंगे? अब स्पेशल परपज व्हिकल के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि खण्ड-2 के (ढ) के अन्दर इसको पारिभाषित किया है।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्रजी, आफ बजट का मतलब डेफीनेशन पूछने का नहीं है। क्या राजस्थान सरकार आफ बजट का उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही यह पूछने का है। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप विद्वान हैं, आप तो बताएं आफ बजट में राजस्थान सरकार करेगी वह बताएं आप या मना कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा कि कर्जा बढ़ा रहे हैं, ब्याज बढ़ा रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट को अगर कम करना है तो उसका इलाज आप बता दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : एक्सपेंडिचर कम करिए, टैक्स बढ़ाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रेवेन्यू डेफिसिट अगर कम करना है तो.. (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : टैक्स बढ़ाने का समर्थन करते हैं क्या? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल, टैक्स बढ़ाइये, समर्थन करते हैं। बिलकुल समर्थन करते हैं लाइये प्रस्ताव। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : प्रस्ताव तो आपका है।

डा. सी.पी. जोशी : हम तो कह रहे हैं, सरकार लाए प्रस्ताव, हम तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : जब ही विपक्ष में बैठो हो।

डा. सी.पी. जोशी : फिर आप हमसे क्यों (व्यवधान) हम तो तैयार हैं, हम तो कह रहे हैं लाइये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता : प्रस्ताव तो आपका है। हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। रेवेन्यू बढाएंगे खर्च कम करके। टैक्स कम करके रेवेन्यू बढ़ाएंगे। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : टैक्स बढाकर आपको सरकार में आने का मौका नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था, आप ही मुझे बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा कहां से आएगा, और क्या यह सही है कि आपके शासन काल में कर्जे की वृद्धि दर थी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कह रहा, रेकार्ड कह रहा है, वह थी 18.4 प्रतिशत, हमारे कर्जे की वृद्धि दर क्या रही 12.8 प्रतिशत। हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 22 प्रतिशत से कम करके, इनका था 22 प्रतिशत और उसको हमने कम किया, 15 प्रतिशत। हमारा प्लान एक्सपेंडिचर 8697 लगभग हमने दुगुना कर दिया फिर आप हमें कह रहे हैं कि हमारा वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कैपिटल के (व्यवधान) यह बताओ प्लान में नोन प्लान में कितना हो रहा है, आधे-आधे ही बोल रहे हो पूरा पढ़कर आओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा पढ़कर आया हूं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : प्लान में जो खर्चा होता है वह नोन प्लान में कितना, सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम का कितना उसका बताइये। प्लान का पैसा आपका नहीं हो रहा नोन प्लान से करके पूरा कर रहे हैं। आधी बात ही बता रहे हैं पूरी बात बतानी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जितनी मेरी जानकारी में है, मैं समझता हूं.. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मुझे बहुत खुशी है कि आपकी तात्कालिक मैमोरी बहुत अच्छी है। आप राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री नहीं बने हैं दीर्घकालीन डुबो देंगे. तात्कालिक वाहवाही ले लेगें। आप तो उस पर आ जाए मंत्रीजी। मुझे कुछ नहीं, आपसे निवेदन करना है आपने जो कहा आप तो यह बता दीजिए खाली यह जी.डी.पी. स्टेबल इंडेक्स है या जी.डी.पी. के अलावा, क्या राजस्थान सरकार अपने आपको, आप बिल लाये बहुत धन्यवाद। लेकिन जो डेट है उस सम्बन्ध में अपने आपको जब तब बाउण्ड नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय सदस्य को, पहली बार, बहुत समय बाद इनके अंतर्मन से धन्यवाद का शब्द निकला है। इसके लिये तो मैं धन्यवाद देना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा और आपने जी.एस.डी.पी. की बात की, अब यह सबको मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय कि यह कंसेप्ट है, यह फ्लूड कंसेप्ट है, जी.एस.डी.पी. का कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं, आप कहीं से ले लें, इसकी डेफिनेशन से लेकर कहीं भी देख लें इसके अन्दर जिस तरह आपने बताया कि प्राइमरी, सैकण्डरी और इसके बाद सर्विसेज इन सबको करें तो इसके अन्दर जब सारे जी.एस.डी.पी. राजस्थान छोड़ किसी सूबे की देख लो तो वह एग्रीकल्चर के साथ जुड़ेगी, प्रोडक्शन के साथ जुड़ेगी। प्रोडक्शन यह तो नहीं है पता ही हो, तय ही हो, अनुमान ही लगाया जाता है। अनुमान के आधार पर हमने यह आंकड़े तैयार किये हैं। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्रजी, मैं फिर माफी चाहूंगा। मैंने यह नहीं कहा है, मैंने यह कहा है कि जी.डी.पी. जो करते हैं उसमें दो चीजें हैं, एक तो बेस ईअर बदलते हैं, एक उसके कारण करते हैं तो कल ऐसी स्थिति नहीं बने कि 4 साल बाद आप जब रेवेन्यू डेफिसिट जीरो ला रहे हो उस वक्त जब वापस चेंज करें जिस ईयर को, तब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जीरो नहीं होकर एक्चुअल से बहुत ज्यादा आये, उसको रोकने के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं आप?

श्री नरपत सिंह राजवी : उस टेबल पाइण्ट पर रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा परन्तु ब्याज के भुगतान की चिन्ता आपने बहुत की। कहा कि ब्याज प्रतिशत बढ रहा है तो मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2002-03 में ब्याज भुगतान की राशि थी 4300 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि हुई 10.89 और राजस्व प्राप्तियों का जो प्रतिशत था, वह 32.87 प्रतिशत था। 2003-04 के अन्दर शासन आपके हाथ में था उसके बाद फिर ब्याज भुगतान निश्चित तौर पर बढ़ा 4777, आप जो देख रहे हो, बजट एट ए ग्लांस में ठीक देख रहे हो, और प्रतिशत हो गया 11.09, और राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत हो गया 30.97। अब आया है, 2004-05 उपाध्यक्ष महोदय, ब्याज की राशि का भुगतान बिलकुल सही है 5181, वृद्धि दर क्या रही, 8.4 और ब्याज भुगतान राजस्व की प्राप्तियों का प्रतिशत देखें तो 29 प्रतिशत और 2005-06 में हमने जो अनुमान लगाया है निश्चित तौर पर आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
आंकड़ा देखकर बतायेंगे बजट एट ए ग्लांस से बतायेंगे, 5319 करोड़ का आंकड़ा निकलेगा। मैं मानता हूं इस बात को स्वीकार करता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : पूंजीगत प्राप्ति कम क्यों हुई, आप यह तो बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मानता हूं। पर इसका प्रतिशत देखो, माननीय सदस्य, एक बार फिर धन्यवाद दो राजस्थान की हुकूमत को कि ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने राजस्व आय बढ़ायी धन्यवाद, पूंजीगत खाता कम क्यों हो रहा है, बताइये। इसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2.67 प्रतिशत। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बातें कह दीं और उसके अलावा भी माननीय सदस्यों के कोई अनुत्तरित सवाल रह गये तो निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि उनके सवालों का मैं उत्तर दूं और मेरा आपसे यही निवेदन है यही आग्रह है कि जिस इच्छा शक्ति के साथ राजस्थान के विकास के लिये राजस्थान की आम-अवाम को राजस्थान के वित्तीय प्रबन्धन में वह किस तरह अच्छी तरह भागीदार बने, इस उद्देश्य को लेकर जो बिल और जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, जनमत जानने हेतु प्रस्ताव आया है, कृपया उसे खारिज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपने एक-दो चीजें उठायी हैं। (व्यवधान) मैं एक मिनट, एक मिनट, रुकिये, उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विधेयक का उद्देश्य जो है अच्छी तरह से जानते हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : थर्ड रीडिंग है, दो मिनट के लिये बोलूंगा, बस विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उस समय में कह देना आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : थर्ड रीडिंग आ गया ना।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बाद में आयेगा, खण्डश: विचार है।

श्री श्रवण कुमार : इनकी विद्वता पर डाउट है क्या आपको? (व्यवधान) बहुत विद्वान आदमी हैं, मान लिया हमने। (व्यवधान) आप तो वैसे ही विद्वान आदमी हो, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड-6, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उप खण्ड- ख में विद्यमान अभिव्यक्ति 0.4 प्रतिशत के पश्चात और अभिव्यक्ति औसत वार्षिक कमी से पूर्व अभिव्यक्ति "न्यूनतम अंश" स्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें ''ग'' और है, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन और है ''ग'' में, खण्ड 6 के उप खण्ड-ग में विद्यमान अभिव्यक्ति बकाया ऋण और के पश्चात और अभिव्यक्ति बकाया प्रतिभूतियों के पूर्व अभिव्यक्ति "जोखिम भार अंश" स्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।)

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 से 14 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 से 14 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 से 14 स्वीकार किये गये।

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

विधेयक का पारण

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

डा. एन.एस. गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, दो मिनट ले रहा हूं, ज्यादा नहीं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आपने जो मुद्दे लिये हैं।..(व्यवधान) ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

राज्य में अकाल एवं पेयजल आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा।

श्री बाबूसिंह राठौड़।

राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल व अकाल पर चर्चा हो रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की अकाल से सम्बन्धित व पेयजल की समस्याएं उठाने से पूर्व मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री व लोकप्रिय मुख्य मंत्री महारानी साहिबा वसुंधराजी को साधुवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 2005-06 की जो वार्षिक योजना 8350 करोड़ रुपये की स्वीकृत करायी है उस योजना में सिंचाई व पेयजल के लिये विशेष प्रावधान किये हैं। इसके लिये हम उनके आभारी हैं और जो विशेष प्रावधान किये हैं उनमें जल संसाधनों की वृद्धि हेतु इन्दिरा गांधी नहर परियोजना- 235 करोड़ 9 लाख, सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 71 करोड़ 56 लाख, सिंचाई परियोजना पर 756 करोड़ 57 लाख, बांधों एवं नहरों

श्री बाबूसिंह राठौड़)

के जीर्णोद्धार के लिए 37 करोड़, सेम समस्या पर 5 करोड़, नर्मदा परियोजना पर 200 करोड़ व राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना- 150 करोड़, इसी प्रकार से राजस्थान के सभी जिलों में अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट का प्रावधान राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के अन्दर किया है।

इस वर्ष राज्य के नौ हजार गांवों और ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कराने का लक्ष्य पूर्ण किया है व आगामी वर्ष दस हजार अतिरिक्त गांवों व ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान बजट के अन्दर किया है। दस हजार अतिरिक्त गांवों को पेयजल योजना का जिस प्रकार का समावेश किया है, मैं भी चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में हमारे यहां भी नलकूप खोदें। कुछ पेयजल की योजनाएं चल रही हैं जिसमें 54 मील शेरगढ़ चाबा योजना, इसमें हमारे यहां पहली जो योजना स्वीकृत हुई वह एफ.सी. 234 में 26.10.1996 को स्वीकृति, लागत 4.26 करोड़ इसमें 19 गांव, 95 ढाणियों को शामिल किया गया है। अब इस योजना में 20 गांव और 206 ढाणियां जुड़ गयी हैं। इस योजना के अन्दर जो अभी योजना चल रही है, इस योजना में 35 जी.एल.आर. की ढाणियां में अभी पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरी योजना कलाऊ-पाबूसर योजना है जो पी.पी. ई-116,25.11.94 को स्वीकृत हुई, लागत- 2.00 करोड़ रुपये, 7 गांव और 27 ढाणियां इसमें शामिल की गयी हैं। अभी इस योजना के अन्दर 11 जी.एल.आर. की ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सालौड़ी- आगोलाई योजना, 234- पी.पी.सी., 26.10.96 को योजना स्वीकृत हुई। इस योजना की लागत 1 करोड़ 81 लाख 12 गांव, 28 ढाणियां थीं और उसमें अभी 14 गांव और 45 ढाणियां जुड़ चुकी हैं जिसमें 10 जी.एल.आर. की ढाणियों में अभी पानी नहीं पहुंचा है।

यह जो तीनों योजनाएं बनी हैं यह योजनाएं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री एवं वर्तमान महामहिम उपराष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत सरकार के समय में बनीं और आगे भी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को राजीव गांधी लिफ्ट योजनाओं से जुड़े, इसके लिए भी स्कीम बनायी गयी है। मैं हमारे आदरणीय सांवर लालजी जाट पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी, का आभरी हूं कि हमारी यह जो पेयजल योजनाएं बनी हैं इन पेयजल योजनाओं में जहां पम्प खराब हो रहे थे, जहां पाइप लाइन खराब हो रही थी और रिप्लेसमैंट के लिए मांग हो रही थी,

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जो प्रावधान आपने किया है, हमने विधायक दल की मीटिंग के अन्दर उनसे मांग की थी कि जो पूर्व सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार के समय के पी.एच.ई.डी. मंत्री- सी.पी. जोशी साहब रहे और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे चीफ इंजीनियर को आठ लाख लागत तक के प्रावधान उनके पास थे, वे आठ लाख तक की स्कीम्स स्वीकृत कर सकते थे और एडिशनल चीफ इंजीनियर को दो लाख तक की स्कीम को स्वीकृत करने का अधिकार था, वह अधिकार छीन कर अपने पास ले लिया। अगर आधे किलोमीटर की या कुछ पाइप लाइन स्वीकृत करने के लिए या कोई पम्प स्वीकृत करने के लिए, कोई केवल स्वीकृत करने के लिए बजट राशि की जरूरत होती थी तो वह स्कीम बनाकर, फाइल बनाकर वह प्रपोजल बनाकर राजस्थान सरकार से हमको स्वीकृति लेनी पड़ती थी, इस प्रकार की व्यवस्था को इन्होंने सीज किया था, वह दुबारा इन्होंने बहाल की और आज जिस प्रकार से हमको पम्प, केवल और इस स्कीम के अन्दर जब भी पाइप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो वह चीफ इंजीनियर को इन्होंने आठ लाख व एडिशनल चीफ इंजीनियर को दो लाख के पावर्स देकर इस प्रकार की योजनाएं जिला मुख्यालयों पर स्वीकृत करने का आदेश इन्होंने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जिन्होंने अपने केन्द्र सरकार के कार्यकाल के समय में स्वजल धारा योजना शुरू की और अपने जन्म दिन के अवसर पर प्रधान मंत्री घोषणा योजना शुरू की। उस प्रधान मंत्री घोषणा योजना के अन्दर 10 परसेंट कंट्रीब्यूशन विधायक का रहता है और शे . एम.पी. व 35 हजार रुपये की राशि केन्द्र सरकार से मिलती है। उसके तहत हमारे यहां आदरणीय सांवरलालजी जाट, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी ने मेरे यहां पर 360 हैण्ड पम्प व 125 स्कूलों के हैण्ड पम्प, कुल मिलाकर बीते एक वर्ष में 485 हैण्ड पम्प स्वीकृत करके हमारे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के वासियों को लाभान्वित किया है। स्वजल धारा योजना के अन्दर भी हमारे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में काफी राशि स्वीकृत हुई है और पूरे राजस्थान, हिन्दुस्तान के अन्दर स्वजल धारा योजना के अन्दर कार्य चल रहे हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से, कि अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी का अवसर है। इस समय आप 200 हैण्ड पम्प व 25 नये नलकूप और दें, जिससे यह जो योजनाएं

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

अभी चल रही हैं, इन योजनाओं को सुचारू किया जा सकें और हैण्ड पम्पों के माध्यम से गांवों में अच्छा पानी मिल सके। एक हैण्ड पम्प ही ऐसा साधन है जिसमें 24 घंटे पानी मिलता रहता है। सर्दी के मौसम में गर्म पानी मिलता है और गर्मी के मौसम में उस हैण्ड पम्प में ठंडा पानी मिलता है, इसलिए ज्यादा हैण्ड पम्पों को स्वीकृत करें।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारी जो राजीव गांधी लिफ्ट योजनाएं बन रही हैं, उस योजना के अनुसार अभी जो हम मांग कर रहे हैं, पाइप लाइन बदलने की और कुछ नयी ट्यूबवैल खोदने की कुछ नये पम्प लगाने की तो उसमें हमारे साथ यह अड़चन आ रही है कि यह एक मेगा प्रोजेक्ट है और यह जब यह मेगा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा तो अभी पाइप लाइन लगाने की, नई ट्यूबवैल खुदाने की कहां जरूरत है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब योजना स्वीकृत हो जाएगी तो जो पाइप लाइन लग रही है, उन्हीं पाइप लाइनों को काम लिया जाएगा तो मैं चाहूंगा कि नई पाइप लाइन्स और नये ट्यूबवैल्स और दिये जाएं, जिससे यह हमारी जो योजना चल रही है, यह सही ढंग से, सुचारू रूप से शुरू हो जाए। अभी वृहद्व जल प्रदाय योजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से बन रही है। हमारे यहां इंदिरा गांधी नहर से जोधपुर को पानी पिलाने के लिए एक 1109-आर.डी. इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग करके 200 किलोमीटर, जोधपुर राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट कैनाल योजना 1984 में 35 करोड़ की स्वीकृत हुई थी, उसके बाद में 1998 में 105 करोड़ की संशोधित स्वीकृति हमको मिली। 1994 में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत सरकार के समय इस योजना में 256 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली, जिससे जोधपुर को हिमालय का पेयजल उपलब्ध हो सका और जोधपुर में जिस ढंग की आशंका बन गयी थी वह आशंका निराधार हुई और जोधपुर शहर के वासियों में यह भावना बन गयी थी कि पानी की समस्या की वजह से हमको पलायन करना पड़ेगा, हमको बाहर जाना पड़ेगा, यह इंदिरा गांधी नहर पहुंचने से, राजीव गांधी लिफ्ट का पानी पहुंचने से जोधपुर वासियों में एक अच्छी उमंग हुई है और आज जोधपुर के अन्दर चाहे जमीनों का हो, चाहे व्यवसाय हो, सब जगह हमारे भाव बढ़ने लगे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमारे यहां पर आयी है। जब यह योजना बनी तो इसके अन्दर यह प्रावधान किया गया था कि रास्ते के अन्दर जितनी भी ढाणियां आएंगी, रास्ते के अंदर

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जितने भी गांव आएंगे, राजीव गांधी लिफ्ट से जोड़कर उन गांवों को और ढाणियों को यह हिमालय का पानी पिलाया जाएगा। वास्तव में मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं माननीय भैरोसिंहजी शेखावत सरकार को जिन्होंने 256 करोड़ रुपये का उस समय बजट में प्रावधान किया और यह इंदिरा गांधी नहर से राजीव गांधी लिफ्ट नहर पहुंची और इसके पहुंचने से हमारे मरूस्थलीय क्षेत्र में एक मरू गंगा आयी। जब यह मरू गंगा 1984 में स्वीकृत हुई थी तो उस समय हमारे दादो-सा खेतसिंहजी राठौड़, जो सन 1952 से चुनाव लड़ रहे थे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में, उन्होंने घोषणा की कि अब इसी, यह जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर जा रही है, इस राजीव गांधी लिफ्ट नहर से शेरगढ़ वासियों को हिमालय का पानी पिलाएंगे और हिमालय का पानी पिलाने की उन्होंने घोषणा की और जब यह चुनावों में जाते थे तो चुनावों में यही वादा करते थे कि आप यह जो अस्थियां लेकर ज़ाते हो, अस्थियां विसर्जन करने के लिए गंगाजी में जाते हो, अब तो गंगा आपके विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आ रही है और आप बोतल के अन्दर, केटली के अन्दर हिमालय का पानी लेकर आते हो, गंगाजी का लेकर आते हो, अब यह गंगा आपको घर के अन्दर मिलेगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 20 वर्ष तक लगातार इसी वादे पर वे चुनाव लड़ते रहे कि इस बार आप मुझे चुनाव जीता दीजिए। मेरी अन्तिम इच्छा है कि आपको हिमालय का पानी लेकर पिला दूं और हिमालय का पानी पिलाने के बाद मेरी अन्तिम इच्छा पूरी हो जाए। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि वह सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे। 1984 के बाद लगातार 20 वर्ष हो गये, हिमालय का पानी आया नहीं और जब सी.पी. जोशी महोदय पी.एच.ई.डी. मंत्री थे तो उन्होंने हमारे यहां जो यह दो योजनाएं चल रही हैं, पहली-आर.डी. 154 देवानिया नालडाऊ और कनोडिया 54 मील शेरगढ़ चाबा योजना थी, इस योजना में और दूसरी योजना आर.डी. 159.50 खुडियाला जीयावेरी, आगोलाई जीयावेरी, सिहान्दा बालेसर, यह दोनों योजनाओं का उदघाटन 7 सितम्बर, 2003 को मुख्य अतिथि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्षता सी.पी. जोशी. और विशिष्ट अतिथि- माननीय खेतसिंहजी के द्वारा घोषणा की गयी और जब मुख्य मंत्री उस रास्ते से निकले तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि योजना स्वीकृत नहीं हुई इसलिए मैं तो उदघाटन करूंगा नहीं और जो यह पत्थर लगा है सी.पी. जोशी मंत्री और खेतसिंहजी, आप इसका

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

उदघाटन कर दो। 54 मील पर और आगोलाई पर दोनों योजनाओं का उदघाटन कर दिया जबकि यह योजना स्वीकृत नहीं थी। केवल मात्र सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये इस योजना का उदघाटन किया गया। अब जनता ऊब चुकी थी। इस बार मैंने चुनाव लड़ा तो जनता मेरे साथ हो गयी और जनता जब मेरे साथ हो गयी तो विधान सभा में 12 हजार से ज्यादा मतों से मैंने चुनाव जीता। मैं मेरी सरकार से और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय, सांवर लाल जी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो तीन योजनाएं टयूबवैल खोदकर क्षेत्र में खारे बैल्ट के अन्दर जो खोड़ली का पानी है, उस योजना के अन्दर यह योजना चल रही है। धीरे धीरे करके यहां जैसे मथानिया, तिवरी, पीपार, भोपालगढ़ बहुत पानी वाले क्षेत्र थे और मथानिया की मिर्च तो पूरे हिन्दुस्तान में ही विख्यात है, यहां की मिर्च बहुत अच्छी है। लेकिन धीरे-धीरे करते सब जगह पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है और जब जल स्तर नीचे चला जायेगा तो आने वाले समय में पानी की भयंकर समस्या होगी, विकट समस्या होगी। हमारे यहां जो योजना चल रही है, इस वृहद्व जलप्रदाय योजना में मुख्य मंत्रीजी ने प्रावधान किये हैं। मैं चाहूंगा कि पहली योजना है वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134 देवानिया नालडाऊ कनोडिया 54 मील शेरगढ़ भाबा योजना, इसमें 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वे हुआ और 153वीं बी.पी.पी.सी. मीटिंग में इसकी प्रशासिनक व वित्तीय स्वीकृति प्रथम चरण के लिये 57 गांव व 8 करोड़ 78 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। अब मैं चाहूंगा यह पहले 1991 की आबादी को लेकर किया गया था, विधायक बनने के बाद हमने दुबारा इसका सर्वे कराया है। राजस्थान सरकार भी यह चाह रही है कि अब 1991 नहीं, 2001 की आबादी को मानकर यह योजना बनाई जानी चाहिये। 2001 की जनगणना के अनुसार दुबारा सर्वे करवाया गया है और दुबारा सर्वे करवाकर 57 पूर्व सर्वेक्षित जो गांव थे, उसमें 8 गांव उस रूट के अन्दर आते हैं उनको भी शामिल करना व 64 नये राजस्व गांवों को सम्मिलित कर 129 गांवों की योजना बनाई और यह प्रथम चरण के अन्दर 13 करोड़ 70 लाख रुपये की योजना बनाई है। इसकी संशोधित स्वीकृत के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सांवर लालजी, हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। दूसरी वृहद जलप्रदाय योजना आर.डी. 159.50 खुड़ियाला-जीयाबेरी-आगोलाई

श्री बाबू सिंह राठौड़)

जीयाबेरी-सिहान्दा-बालेसर, इसमें 1991 की जनगणना के अनुसार 153वीं पी.पी.सी. मीटिंग में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 37 गांवों को शामिल करते हुए 3.84 करोड़ की स्वीकृति हुई थी। अब 2001 की जनगणना के अनुसार संशोधित योजना में 37 गांव पहले सर्वेक्षित थे, रूट में आने वाले 4 गांवों को शामिल किया और 36 नये राजस्व गांव शामिल करते हुए 77 गांवों की कुल लागत 7.42 करोड़ की प्रथम चरण की संशोधित स्वीकृति जारी करने के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। इन दोनों योजनाओं में हमारा 75 प्रतिशत हिस्सा विधान सभा क्षेत्र का जुड़ रहा है, अब जो 25 प्रतिशत हिस्सा बच रहा है, उसमें विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के, शेष बाकी बचे 23 गांवों को पोकरण लिफ्ट नहर योजना से जोड़कर अब मेरे काकोसा सांग सिंहजी जैसलमेर से विधायक हैं, वह भी चाहेंगे कि जैसलमेर में भी हिमालय का पानी पहुंचे। उनके पोकरण लिफ्ट पहुंच रही है। मैं सीमा में इनका पड़ौसी हूं, इसलिए पोकरण लिफ्ट का पानी हमारे शेरगढ़ में आने दें और शेष बचे हुए गांव जिसमें कलाऊ, उटवालिया, बुडकिया, कनोडिया, महासिंग तथा नये राजस्व गांव जिसमें भीमसागर, विशगनर, नगसिंहपुरा, धौलासर, बाकासर, लक्ष्मणनगर, जवाहरपुरा, जालपुरी, शिवसागर, रामसागर, सादुलपुरा को जुड़वाकर शेरगढ़ की जनता व स्वयं मुझे अनुग्रहित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये शेष गांव भी पोकरण लिफ्ट से जोड़कर आदरणीय सांवर लालजी हमारे शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भागीरथ बनेंगे। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि सदैव से जो सपना शेरगढ़ के लोगों को खेतसिंहजी दादो सा ने दिखाया था, अब वह तो कांग्रेस के थे और कांग्रेस की सरकार के समय यह योजना स्वीकृत नहीं हो सकी। अब मैं उनका पोता, जो भाजपा से जीत चुका हूं तो उनकी अंतिम इच्छा भाजपा से जीता हुआ पोता पूरी करे। इसलिए मैं माननीय सांवर लालजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भाजपा के शासन काल के डेढ़ साल होने पर बहुत जल्दी यह योजना स्वीकृत करा दें। इस योजना को स्वीकृत कराने से शेरगढ़ तहसील के लोगों को हिमालय के पेयजल की योजना भी मिलेगी। इस समय स्वीकृत होने से दादो सा की अन्तिम इच्छा पूरी हो जायेगी और यह तुरन्त योजना स्वीकृत नहीं हुई तो 86 वर्ष की उम्र में पुनः उनको चुनाव लड़ने के लिये मजबूर होना पड़ेगा कि अब अन्तिम इच्छा में आपकी पूरी करूंगा। अब एक बार और वोट दे दीजिये। इसलिए मैं हाथ जोड़कर हमारे सांवर लालजी से निवेदन करना

श्री बाबूसिंह राठौड़)

चाहूंगा अब जो पहली मीटिंग पी.पी.सी. की हो रही है उसी मीटिंग के अन्दर आप योजना इस को शामिल कर लो और इस योजना को शामिल करके आप स्वयं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय पधारकर जो करोड़ों रुपये की योजना बन रही है, उसका वास्तविक, धोखे वाला जो उदघाटन है, वह पत्थर तो वही लगा रहने दें, लेकिन जहां से योजना शुरू हो रही है देवानिया से और सालोड़ी से वहां पधारकर आप उदघाटन करें जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। मैं चाहूंगा कि वास्तव में जो मारवाड़ क्षेत्र है, मरूस्थलीय क्षेत्र है, धोरा का क्षेत्र है, वहां पानी की भयंकर समस्या है और जब-जब पानी की भयंकर समस्या होती है तो हमारे मारवाड़ के अन्दर इस पानी का तीन-तीन, चार-चार बार उपयोग भी किया जाता है। पहले नाहते हैं, नहाने के बाद उस कुण्ड के अन्दर पानी को संभालकर रखते हैं, उससे आंगन भी लीपते हैं, उससे पेड़ों को भी पिलाते हैं, उसकी तराई भी करते हैं, इस प्रकार से पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। छोटी छोटी तलैया, छोटे-छोटे टांके बनाकर पानी को स्टोर करके रखते हैं और विशेष तौर से मारवाड़ के अंदर कई बार तो हमारे वहां के लोग मरूस्थलीय क्षेत्र के लोग 6-6, 12-12 महीने स्नान तक नहीं करते। वहां पानी की भयंकर समस्या है, कमी है। पानी की भयंकर कमी के कारण हमारे यहां मारवाड़ में कई धारणाएं बनी हैं और उन धारणाओं ने दोहों का रूप ले लिया जिसमें कहा गया है-

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न उबरे, मोती मानुस चून।"

इस प्रकार से रहिमनजी ने भी कहा है कि बिन पानी के सब सून हैं। इसी प्रकार से मारवाड़ की एक-दो धारणाएं हैं जिसमें-

"समुद्र में लहरे उठे, अर आवै है ज्वार,
धौरा त्राहि-त्राहि करे, पानी थारी महिमा अपरम्पार।"

समुद्र में लहरें उठ रही हैं और समुद्र में ज्वार उठ रहे हैं लेकिन धौरा त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। यह पानी की महिमा अपरम्पार है। इसी प्रकार से-

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

"नाडा भरिया नीर सूं, वन हरिया सज बेस,

वर्षाले नदिया बहे, दूध दही थल देश।"

वास्तव में यह बात सही है कि जब पुराने समय के अन्दर बारिश अच्छी होती थी और बारिश अच्छी होती थी तो पानी से नाडे भरे रहते थे और नाडे भरे रहते थे तो वनों में भी वास्तव में इस प्रकार की हरियाली होती थी कि ऐसा लगता है कि जैसे सजकर अपने सामने खड़े हों और वर्षा की ऋतु होती थी तब वर्षालो हो तो नदियां बहती थीं और दूध-दही इस थल देश के अंदर, इस मरूस्थल क्षेत्र के अन्दर मिलता था। वास्तव में यह सही बात है कि गांवों के अन्दर हमारा पशुधन ही कमाई का जरिया था। जीवन उपयोगिता का जरिया था। और लोगों के पास पचास-पचास गायें, भैंसें, ऊंट-ऊंटनियां और भेड़ बकरियां इस प्रकार का मारवाड़ के लोगों के पास धन-सम्पदा थी। लेकिन अब हम उससे दूर होते जा रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा 2020 तक जब हमारे पूरे विश्व का परिदृश्य ही अलग होगा तो इस हिन्दुस्तान, इस भारतवर्ष का गौरवमय स्थान बनें और गौरवमय स्थान तब ही बन सकेगा जब गांवों में, ढाणियों में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। लोगों को पानी मिल सकेगा। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा-

"जीवनदाता बादलिया, आसूं जीवन पाय,

भल लुआ बाजो किती, मरुधर सहसी लाय।"

भले ही कितनी ही लू चलो, मरूधर के लोग इस लाय को सहन करने के लिये हमेशा तैयार रहे हैं।

"धौरा मरूधर देश रा, है समुद्र सूं दूर,

उण मोती निपजे, इण में निपजे सूर।"

धौरा मरुधरा देश रहा है लेकिन यह समुद्र बहुत दुर है और समुद्र में तो मोती निपजे, लेकिन मरुधर में और मारवाड़ में सूर निपजे हैं। हमारे यहां मारवाड़ में पानी को लेकर हमेशा ही ऐसी धारणाएं बनी रही हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा हमारे जोधपुर जिले में विशेष तौर पर अभी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और आदरणीय लोकप्रिय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी का हृदय से

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान सरकार में आने के बाद मण्डौर विधान सभा क्षेत्र में भी योजना स्वीकृत की है जो माणकलाव घड़ाव केरू-बेरू योजना, यह दो योजनाएं आपने वहां स्वीकृत कीं। लूणी विधान सभा की स्वीकृत कर दी। अब शेरगढ़ विधान सभा की भी आप संशोधित योजना का आज ही मुझे उम्मीद है कि यह राजस्थान के विकास का सुदृढ़ मंच भी है, पवित्र सदन है, इस सदन में ही घोषणा कर देंगे जिससे मैं शेरगढ़ की धरती पर जाकर गर्व से खड़ा हो सकूंगा कि दादोसा के समय तो नहीं तो पोते के समय में योजना स्वीकृत हुई है। आज आप इस बात की घोषणा कर देंगे और दूसरे हमारे जो क्षेत्र बचे हैं जैसे ओसियां, फलौदी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, इन क्षेत्रों में भी यह योजना बन रही है। अभी हिमालय से पेयजल की योजना पूरे जोधुपर जिले के लोगों को पिलायें। ऐसी योजना आप बहुत जल्दी स्वीकृत करें। मैं तो यह चाहूंगा कि लम्बे समय से लोग हिमाचल पेयजल योजना का इन्तजार कर रहे हैं और इन्तजार करते-करते पानी तो अभी आया नहीं, लेकिन लोगों की आंखों में पानी आ रहा है। इसलिये लोगों की आंखों के अन्दर पानी नहीं आये और यह वास्तविक पानी इस धरती पर पहुंचायें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि और वास्तव में यह सही बात है जिस ढंग से पानी की समस्या बनी हुई है। कर्नल टाड ने भी कहा है कि भविष्य का जो विश्व युद्ध होगा वह पानी के लिए होगा। हमारी राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति सुदृढ़ है, पारदर्शी सरकार है इसलिए इस सरकार ने कलस्टर के काम भी लिये और वाटर हार्वेस्टर के काम भी लिये और इन कामों को लेकर, एनीकट के कामों को लेकर के खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, इस प्रकार की योजनाओं पर आपने बहुत ध्यान दिया है और पेयजल की योजनाओं को भी आप काफी ले रहे हैं।

मैं तो साधुवाद देना चाहूंगा इस सदन के अन्दर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यह सोचा कि हिन्दुस्तान का कायाकल्प करना है, इस राजस्थान के अन्दर हरियाली लानी है तो नदियों से नदियों को जोड़ना पड़ेगा लेकिन यह सरकार बनने के बाद में कई अड़चनें पैदा करना और उसके अन्दर निराशावादी उनकी भावना बन गयी है कि नदियों से नदियां जुड नही सकतीं। मैं तो कहता हूं बीस साल से जोड़ो, तीस साल से जोड़ों लेकिन यह ऐसी योजना बनाओ तो सही, जो पानी बरबाद

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

हो रहा है, पानी समुद्रों मे जा रहा है, अगर उसको मोड़ कर इस हिन्दुस्तान की धरती पर लाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे हिन्दुस्तान का विकास होगा, यह विकसित देश होगा और राजस्थान के अन्दर हरियाली आयेगी।

मैं तो सांवर लालजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसान के बेटे हैं, आप गांव के लोगों की जन समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को, गांव के लोगों की समस्याओं को आप अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी भी गरीब को गणेश मान कर और दलित को नारायण मान कर सेवा कर रही हैं इसलिए इस गरीब जनता को इस हिमालय की पेयजल योजना बहुत जल्दी मिले, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अंत में पेयजल के बारे में आपसे यही निवेदन है कि जो यह दो पेयजल योजनाओं की लम्बे समय से चर्चा चल रही थी विधान सभा में और हमारे चुनाव में भी यही वादा रहा था कि इस बार निश्चित रूप से हम हिमालय की पेयजल योजना स्वीकृत करा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तुरन्त इस योजना को स्वीकृत करवा करके योजना शुरू करायेंगे।

मैं अब अकाल राहत के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्या महोदय, मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो अभी सुनामी लहरों का कहर फूटा है उसके अन्दर राजस्थान की तरफ से दवाइयां हों, चाहे पैसे हों, चाहे मकान बनाने की योजनाएं हों, उन्होंने सुनामी लहर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम किया और विशेष तौर से उनको आर्थिक मदद और सहयोग किया। अकाल राहत के अन्दर 25 जिलों के 50 प्रतिशत वाले खराबे वाले गांव, जिनमें 18,613 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करके फरवरी माह मे ही अकाल के कार्य चालू करवा दिये। फरवरी माह में दो करोड़ 56 लाख मानव दिवसों को रोजगार सृजन किया और बिना लाभ-हानि के चारा डिपो गांवों में खोले गये और पहली बार यह तय हुआ है कि जहां ओलावृष्टि हुई है उनमें भो राहत व सहायता पहली ब्रार उसका सर्वे करा कर दी जा रही है। मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार गंगानगर और दूसरे क्षेत्रों के अन्दर ओलावृष्टि हुई है उसी प्रकार से हमारे

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मारवाड़ क्षेत्र में भी जो पाला पड़ता है, शीत लहर चलती है और शीत लहर चलने से सारी फसल चाहे वह जीरां हो, चाहे वह रायडा हो चाहे वह गेहूं हो, सारा नष्ट हो जाता है तो इसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए और हमको अकाल राहत के अन्दर जो रायड़ा नष्ट हुआ है, खेतों में जो फसलें नष्ट हुई हैं इसमें भी सहायता और मदद दी जानी चाहिए।

पूर्ववर्ती जो सरकार रही उस सरकार ने अकाल के समय गाय और बड़े पशु के लिए 12 रुपये दिये थे और छोटे पशु के लिए उन्होंने 6 रुपये दिये थे, इस बार जो सरकार बनी है यह गाय की रक्षा और पशुधन की रक्षा के लिये उत्तरदायी है। इन्होंने सबसे पहले यह घोषणा कर दी कि बड़े पशु के 12 से 18 रुपये कर देंगे और छोटे पशु के 6 से 9 कर देंगे। वास्तव में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आज हमारे यहां कैटल कैम्प लगे हैं उन कैटल कैम्पों के अन्दर 18 रुपये एक बड़े पशु के लिये दिये जा रहे हैं और छोटे पशु के 6 से 9 दिये जा रहे हैं। जगह-जगह कैटल कैम्प खोले हैं। आज जैसलमेर व बाड़मेर जिले के अन्दर पशुधन के लिए सबसे ज्यादा कैटल कैम्प खोले गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गाय, भैंस और दूसरे बड़े पशु हैं, उनको फेमिन कोड में लिया गया है लेकिन हमारे यहां भेड़ पालन और बकरी पालन का व्यवसाय लोगों के पास जीवन जीने का जरिया रहा है इसलिए राजस्थान सरकार के माध्यम से और केन्द्र सरकार के माध्यम से इन भेड़ और बकरी को भी फेमीन कोड में लेकर इनको भी इस प्रकार की आर्थिक मदद देनी चाहिए।

मैं आभारी हूं इस अवसर पर मुख्य मंत्रीजी का, कि उन्होंने स्वयं अकाल राहत कार्यों को देखा है और विधायकों को विशेष तौर पर निर्देश भी दिये है, निवेदन भी किया है कि आप अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जाकर अकाल राहत के कार्य देखें और उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें किसी प्रकार के घोटाले नहीं हो। मैं इस बात को जानता हूं कि पिछले समय जब अकाल का काम चला था तो सीधे-सीधे जो मस्टररोल आवंटित होते थे, जो मस्टररोल बनते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे ले जाकर घोटाले करते थे और गाडियों की गाडियां गुजरात जाते हुए या दूसरे प्रदेशों में जाते हुए, राजस्थान के गेहूं की गाडिया और अकाल के गेहूं की गाडियां पकड़ी गयी हैं। यह पहली बार पारदर्शी

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

सरकार है। हमारे किरोड़ी लालजी मीणा ने इस प्रकार के निर्देश दे दिये कि आप गांव के अन्दर ग्राम सेवकों को, पटवारियों को और मास्टर जिस स्कूल में ज्यादा हो, उनको प्रभारी बना करके उनके माध्यम से मस्टररोल ले जाकर के गांवों में सब जनता के सामने भरे जाएं और वास्तव में पहली बार है कि जब से अकाल राहत के कार्य शुरू हुए हैं, किसी प्रकार का राजस्थान के अन्दर अकाल को लेकर आन्दोलन नहीं है, सब जगह लोग संतुष्ट हैं कि श्रमिक सीमा भी सही है और अकाल राहत में कैटल कैम्प भी खुले हैं।

अब मैं हमारे अकाल राहत मंत्री, किरोड़ी लालजी को निवेदन करना चाहूंगा कि जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उसमें पक्के कार्य करवाये जाने चाहिए। वास्तव में जब अकाल राहत के कार्य चल रहे थे तो हम भी इस बात का विरोध करते थे कि जो डामर की रोड है, जो पक्की सड़के हैं उसके अन्दर जो मिट्टी की पटरी बन रही है वह मिट्टी की पटरी कोई काम की नहीं है। अब गर्मी का मौसम है, आंधियां चल रही हैं और जो मिट्टी की पटरी बनती है वह सात-आठ दिन में ही उड़ जाती है और जो पटरी मिट्टी की बनती है वह पोली मिट्टी होती है, ट्रक या किसी साधन का एक चक्का नीचे उतरने से वह फंस जाती थी या एक्सीडेंट का खतरा रहता था। हम भी मांग करते थे कि जो कच्ची मिट्टी की पटरी बनी है उस पर ग्रेवल और मुरड़ डाल कर उसको पक्का किया जाना चाहिये। मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि सड़कों के ऊपर आप जो पटरियां बना रहे हैं उसको ग्रेवल डाल कर, मुरड डाल कर पक्का बनाया जाना चाहिए जिससे उस रोड की, उस पटरी की उपयोगिता रहे।

दूसरा, कुछ व्यक्तिगत लाभ योजना के पहले भी काम चले हैं और अब भी मैं चाहूंगा कुछ व्यक्तिगत लाभ योजना के पक्के कार्य शुरू कराये जाने चाहिए जिसमें ग्रेवल सड़कें हैं, श्मशान की, स्कूलों की, सरकारी भवनों की चारदीवारी है वह चारदीवारी होनी चाहिए। हम इस बात को जानते हैं कि जब-जब अकाल पड़ा है और वास्तव में मारवाड़, विशे . तौर से पश्चिमी राजस्थान है जिसके अन्दर एक बार नहीं तीन-चार बार, त्रिकाल काल पड़ा है और उस काल के अन्दर लोगों ने कई परिस्थितियों में जीना सीखा है, लोगों ने छपड़े और छाल उतार-उतार कर उसको पीस कर अपना जीवन काटा है। ऐसे क्षेत्रों के अन्दर आपको विशेष तौर से पक्के कार्य करवाये जाने चाहिए। राजा-महाराजाओं का समय था, उस समय भी उम्मेद भवन और जोधपुर के अन्दर

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जो बड़े अस्पताल हैं, रेलवे स्टेशन है वहां अकाल राहत के अन्दर पक्के कार्य करवाये जाते रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के पक्के कार्य शुरू करवायें जिससे परिसम्पतियां निर्मित हो। अभी नाडियों का काम चल रहा है, अब जो गांव के अन्दर तलाई नाड़ी है, बड़ी नाड़ी उसका तो उपयोग है लेकिन जगह-जगह खेतों के अन्दर नाडियां खोदी जा रही हैं, उन नाडियों का कोई उपयोग नहीं है। उमसें न तो कोई पानी ठहरेगा न वह नाड़ी बनी रहेगी इसलिए जो गांव की बड़ी नाड़ी है इनकी तो खुदाई होनी चाहिए लेकिन हमारे यहां मिट्टी है और मिट्टी के अन्दर ग्रेवल सड़कें बन जायेंगी तो रास्ता भी कायम होगा, रास्ता भी कोई रोकेगा नहीं और ग्रेवल सड़कें बनेंगी, पक्के कार्य होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि पक्के कार्य शुरू कराये जाने चाहिए।

कुछ व्यक्तिगत लाभ योजना के काम पहले चल रहे थे जिसमें टांका है, मकान है, टीन शैड है, अब यह टांके, मकान के अन्दर हम को मैटेरियल की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप सर्व मद का गेहूं है तो टांके के अन्दर पिछली बार 18 क्विंटल मिलता था, आप उस 18 क्विंटल को दे दें, मकान के अन्दर 36 क्विंटल और टीन शैड के अन्दर जो गेहूं मिलता था वह सर्व मद का गेहूं आप दे दें तो जो बाकी हिसाब बचता है मैटेरियल कम्पोनेंट का, वह मैटेरियल कम्पोनेंट के पैसे गांव का गरीब आदमी खुद लगाना चाहता है, वह लगा कर उसकी जहां कच्ची ढाणी है उसमें पक्के मकान बन सकेंगे, टांके बन सकेंगे और जिनके पास मकान नहीं हैं वह टीन शैड के मकान, अपने पड़वे वगैरह बना सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई सी.आर.एफ. के रूल्स नहीं है या कोई और किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है तो व्यक्तिगत लाभ योजना के आप सर्व मद में से दें जिससे यह काम चालू करवाए जा सकें। चाहे नायब तहसीलदार को और तहसीलदार को इस प्रकार से निर्देश दे दें कि यह टांके, मकान और टीन शैड व्यक्तिगत लाभ योजना के जल्दी शुरू कर दें। इस प्रकार के काम शुरू करवाये जाने चाहिए।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जो नाडियां और काम चल रहे हैं उस पंचायत समिति में थोड़े जे.ईएन. कम हैं, दूसरे विभाग के जे.ईएन. देकर उसकी जांच या उसकी नाप, माप करायी जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि वास्तव में अकाल राहत में इस बार पहली बार बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सब की मांग को

(श्री बाबू सिंह राठौड़)

स्वीकार किया है और जोधपुर जिले में विशेष तौर से अभी जो श्रमिक सीमा 90 हजार की है, एक लाख श्रमिक नियोजन किये हुए हैं और आपने कैटल कैम्प के लिए भी हमको सीमा दी है, उसको बढ़ा कर श्रमिक सीमा डेढ़ लाख करवा दें। जोधपुर जिला बहुत बड़ा है और शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र तो जैसलमेर से, बाड़मेर से लगता है और लोक सभा क्षेत्र भी जैसलमेर-बाड़मेर है इसलिए शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 50 हजार की श्रमिक सीमा कराएं और जोधपुर जिले में डेढ़ लाख की श्रमिक सीमा करवा कर 50 हजार पशुओं की सीमा भी निर्धारित करें।

आज इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोगाराम पटेल। (अनुपस्थित)

श्री सांगसिंह भाटी।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दें ना।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई मतलब ही नहीं है फिर आप ना बोलने दो ना।

आपको कौन टोकेगा ना बोलने दो फिर।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आपका है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, इसके बाद नहीं बोलना मेरे को।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसके बाद आपका नम्बर है। यह क्रम चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्या बात है एक ही पार्टी का क्रम चलेगा, क्रम तोड़ना पड़ेगा आपको।

श्री उपाध्यक्ष : दो आदमी पहले उधर से बोले। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : धमकी, क्या यह कोई तरीका थोड़े ही है। हमारी पार्टी का हमारे हिसाब से तो आएगा ना। एक उनका बुलवाओ, एक इधर का बुलवाओ (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पहले से क्रम बना हुआ है। सहमति से बना हुआ है।

श्री रामप्रताप कासनिया : एक उधर से एक इधर से तो बीच वालों की तरफ भी उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा ध्यान रखना (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल और पेयजल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदया और अकाल राहत मंत्री डा. किरोड़ी लालजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अकाल के समय में हमारे जिले में आकर पूरी जनता को संभाला और अकाल का पूरा बंदोबस्त इस हिसाब से किया। किसी भी तरीके से किया, अकाल के अन्दर कोई कमी नहीं रही।

(समय : 14.00 बजे।)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

चाहे श्रमिक संख्या हो, चाहे पशुओं के बारे में कोई भी शिविर हो, आज की तारीख में जैसलमेर जिले में कम से कम अस्सी हजार गाय पशु शिविरों में और पच्चीस हजार से लेकर तीस हजार गाय गौशालाओं में हैं, इस ढंग का बंदोबस्त आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो आज के समय में बंदोबस्त है श्रमिकों के लिए जैसलमेर जिले में 77 हजार श्रमिकों की स्वीकृति माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय ने दी और आज हर जगह हर गांव में श्रमिक लगे हुए हैं। किसी भी तरीके की कमी नहीं है।

प्रतिपक्ष के नेताओं ने कुछ समय पहले जगह-जगह जिला हैडक्वार्टरों पर संदेश भेजा कि आप इस अकाल को लेकर धरने और प्रदर्शन करें और वहां धरने प्रदर्शन शुरू किए जैसलमेर जिले में तो गांव-गांव में गाडियां गयीं, गांव-गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता गए। पब्लिक ने वो जवाब दिया कि हमारे पास किसी भी तरह की कमी नहीं है, अकाल राहत सही ढंग से चल रहे हैं, पशु

(श्री सांगसिंह भाटी)

शिविर सही ढंग से तो हम किस बात का प्रदर्शन करें। उनको मुंह की खाकर अपने गांवों की तरफ लौटना पड़ा, आन्दोलन समाप्त करना पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे बंदोबस्त किए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे ही गांव का महाभभूती, उसका नाम आज सदन के बीच में लेना चाहूंगा, जो एक सन्यासी है और नौ साल पांच महीने तक एक गुफा में रहकर उन्होंने तपस्या की और उस जगह आज 12-13 हजार गायें गौशाला में है, उसका प्रबन्धन पूर्ववर्ती सरकार के समय में भी अकाल पड़े और अकाल के समय में 11-12 हजार गायें, भादरिया महाराज श्री हरबंस सिंहजी निर्मल उस गौशाला में गायों का बंदोबस्त हुआ। मैं हकीकत कह रहा हूं सदन के बीच में कि कुछ कारणवश राजनीति उस जगह भी एक सन्यासी के वहां भी ऐसी चल पड़ी कि सवा करोड़ रुपये उस गौशाला के पूर्ववर्ती सरकार ने रोककर छोड़ दिए आज दिन तक रुके हुए रहे और हमारी यह सरकार आयी और किरोड़ी लालजी आज अकाल राहत मंत्री बनें, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब जैसलमेर आए तो मैं जबरदस्ती उनको खींचकर लेकर गया और उन्होंने वहां बन्दोबस्त देखा उन गायों का, उस गौशाला का और भादरिया बापजी का। जब मैंने कहा कि इस ढंग की संस्था है। यह भादरिया बापजी एक सन्यासी है इनके आज भी सवा करोड़ रुपये रुके पड़े हैं। आते ही पूरी तरह तस्वीर इनको सामने आयी इन्होंने हाथों-हाथ वह पैसे स्वीकृत किए। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय किरोड़ी लालजी को। उससे पहले अकाल राहत मद में अकाल कार्यों में पक्का काम हुआ उस पक्के काम में करोड़ों रुपये अकाल राहत के सरकार ने दिए और वहां पुस्तकालय बना, वह अकाल राहत में बना। आज की तारीख में मैं सदन के दोनों ही पक्षों से सरकार के और प्रतिपक्ष के नेताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस ढंग का सन्यासी है और पुण्य का काम कर रहा है। आज भी ढाई साल हो चुके हैं लगभग एकान्तवास में है और वह पुस्तकालय के पैसे कम से कम दो करोड़ से ऊपर आज पन्द्रह वर्ष हुए, रुके पड़े हैं।

मैं निवेदन करूंगा हमारे किरोड़ी लालजी मंत्री महोदय से और प्रतिपक्ष से भी आप दोनों पक्ष एकजुट होकर उस संस्था के पैसे कैसे भी करके उनको मिलने चाहिए, जो पुण्य के काम में आ रहे हैं।

(श्री सांगसिंह भाटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों में आप आवश्यक कार्य कराते हैं लेकिन पक्के काम जो नहरी क्षेत्र में हमारे काश्तकारों के जो खाले हैं, वाटर कोर्स हैं वह टीबों के अन्दर निकले हुए हैं। आंधियां चलती हैं तो पानी बंद हो जाता है खालों का, तो उस पर आप पट्टी कवरिंग लगाकर उसको अगर पक्के कामों में दे दिया जाए तो कम से कम काश्तकार की माली हालत सुधेरगी और वह बीकानेर क्षेत्र के, जैसलमेर क्षेत्र के हमारे प्रतिपक्ष के सारे सदस्य विराजे हुए हैं, इतना पुण्य का काम होगा काश्तकार हित में, जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य ही काश्तकार के बेटे हैं यह चीज आप लागू करेंगे।

जैसे सिंचाई के लिए और अकाल में आपने जो ट्यूबवैल और हैण्ड पम्पों की सुविधा दी है वह सराहने लायक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे पहले पेयजल की समस्या को देखते हुए 15-16 महीने में 18 ट्यूबवैल खुदवाये गये और लगभग 300 से 325 हैण्डपम्प मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत किए हैं। उसके लिए मैं पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय, आज राज्य में अकाल और पेयजल की आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं पर आलोचना के लिए कोई आलोचना नहीं करूंगा और जो काम प्रशंसा के लायक हैं उसकी प्रशंसा भी करूंगा। जहां तक पेयजल का सवाल है, मेरे यहां पूर्ववती सरकार ने पी.एम.सी. आपणी नाम की योजना लागू की। मैं कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में जो हिमालय का पानी आपणी योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में फर्स्ट फेज में जो काम हुआ है और नोहर तहसील के कुछ गांवों में काम हुआ है। मेरी समझ में राजस्थान में यह सबसे बढिया स्कीम है जिसमें फिल्टर पानी 24 घंटे मिलता है। पर अभी कुछ अवरोध पैदा हो गया कई कारणों से। पेपरों में आपने पढ़ा था, मैंने कुछ अधिकारियों से भी वार्ता की, इसमें प्रथम फेज में जो गांव बाकी बच गये हैं 150 मीटर पाइप

(श्री भंवर लाल शर्मा)

लाइन की वजह से यह फाइल कहां अटकी पड़ी है, मुझे पता नहीं, अगर 150 मीटर पाइप लाइन खरीद दी जाए तो आपके टैंकरों से पानी उस गांव में जा रहा है, टैंकरों से पानी पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मेरे क्षेत्र के सारे गांवों में हिमालय का मीठा पानी पीने को मिल जाएगा।

इसी प्रकार मेरा एक सुझाव है कि इसका सैकिण्ड फेज, जिसमें आपके रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़ आते हैं सैकिण्ड फेज का भी काम अगर जल्दी शुरू करा दिया जाए तो फ्लोराइड से मुक्ति मिल जाएगी।

इसी के साथ-साथ शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पारदर्शी सरकार की चर्चा की। इस प्रकार की पारदर्शिता के कुछ नमूने मैं यहां सदन में रखूंगा। माननीय डा. साहब आप गरीब की बात को समझते हैं, काश्तकार हैं, गरीबी से उठे हुए हैं, पर आपकी जो सरकार है भा.ज.पा की, यह गांव और गरीब की सरकार नहीं है वह पूंजीपतियों की सरकार है। इसका सोच पूंजीपतियों के प्रति है। गांव के व्यक्ति के प्रति सोच हो नहीं सकता.. इसका नमूना, मैं गांव का रहने वाला हूं ..(व्यवधान) अभी हेमराजजी, अब की बार आ जाना आप..(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : पहले भी आये थे, फिर आ जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा है आप मेरी बात के बाद बोल दें... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : कहां चक्करों में पड़ रहे हो आप। बी.जे.पी. से तो टिकट ही नहीं मिला इनको..(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वहीं तो।

अभी मैं चूरू जिले के बारे में आता हूं। आपकी सरकार की मैं यह हरगिज नहीं मानता कि कोई कोताही हो। आपने लेबर सीलिंग 75,000 दी परन्तु हमारे चूरू कलक्टर न 15,000 की लेबर को सरेंडर कर दिया। यह बात मैं कह रहा हूं। डाक्टर साहब, यह बात बिलकुल सही है। सरेंडर इसलिये बना दिया कि चूरू कलक्टर का प्रमोशन हो गया, उनको सैक्रेटरी इसलिये कर दिया, उनको तो वहां रहना नहीं है और यही स्थिति ए.डी.एम. की है। तो कौन माथापच्ची करे।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

डाक्टर साहब, आपको जवाब जिला प्रशासन से संतोषजनक दिया है, तो आप इन रिपोर्टों पर विश्वास न करें। इन रिपोर्ट्स पर हमने विश्वास किया था तो 156 से खाली 53 पर आ गये। अगर आपने इन्हीं अफसरों की रिपोर्टस पर विश्वास किया तो 120 से 20 पर आने वाले हो। आप स्वयं जाकर देखें कि क्या स्थिति है? मैं यह कह देना चाहता हूं हर दसवें दिन मेरी मां, बेटी. फेमिन पर जाती है और पैरों की तरफ ही वह वापस आ जाती है कि आज मस्टररोल में नाम नहीं लिखाया गया। मस्टररोल में नाम नहीं लिखाया गया, किस बात की कमी है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि अनाज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मैं निश्चित तौर से यह कह देना चाहता हूं कि हमारे आरदणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आपने जब भी गेहूं मांगा, 2 लाख टन मांगा, 2 लाख टन दिया। 5 लाख टन मांगा, 5 लाख टन दिया, पैसे मांगे, पैसे दिये। परन्तु यहां नीचे जो मेनेजमेंट है वह मिस-मेनेजमेंट है, उसको सुधारिये निश्चित तौर से। आपके राज्य में तो मैं कहना नहीं चाहता हूं वहां टास्क फोर्स आड़वाणीजी की अध्यक्षता में थी और हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोकजी गहलोत जाते थे तो रोज एक.. (व्यवधान) एक मिनिट सांग सिंहजी साहब, आप बिराजो। आप बिराज जाओ, मेरे बाद में बोल देना..(व्यवधान) मैं साथ में था कि आप साथ में थे वह अंदाज लगाओ। वह सारी बात..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ संबोधित करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस समय केन्द्र सरकार के लोग कहते, बी.जे.पी. के लोग कहते कि..(व्यवधान) गर्ग साहब, आप बिराजे..

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप जिसके साथ होते हैं, उसके साथ नहीं होते और जिसके साथ नहीं होते, उसके साथ होते हैं। माननीय भंवर लालजी, आप जिसके साथ होते हैं, उसके साथ नहीं होते और जिसके साथ नहीं होते, उसके साथ जरूरत होते हैं..

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आपको ज्यादा अनुभव है। सारी नहीं बताऊंगा। हास्पिटल तक चक्कर काटे हैं आपने..(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं आपकी सी.आई.डी. कर चुका हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं यह कह देना चाहता हूं कि उस समय एक ही जवाब रहता कि भीख का कटोरा लेकर आ गये। क्या किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री केन्द्र सरकार से मांग करे..(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इधर देखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : भीख का कटोरा होता है। माननीय सभापति महोदय, भगवान किसी का इंतजार नहीं छोड़ता। दिल्ली में भीख देने वाली जगह भीख नहीं, मैं तो कहूंगा सहायता देने वाली जगह हम आ गये और भीख का कटोरा महारानीजी के हाथ में आ गया, पर हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया अकाल राहत कार्यों में तो लगाने में।

मैं कह देना चाहता हूं कि सरदारशहर की जनता ने पांच हजार व्यक्तियों का पड़ाव 1 मार्च को तहसील क्षेत्र का घेराव किया। अब पारदर्शिता की बात बताता हूं। फर्जी मस्टररोल 64 पी.डब्ल्यू.डी. ने तो जारी किये, कलक्टर ने उसी दिन आदेश से उन मस्टररोलों को निरस्त किया। उसकी कापी है, मैं आपको देता हूं, सदन के पटल पर रखना चाहता हूं उसमें क्या लिखा है..(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप सीधे, सदन के पटल पर क्यों रख रहे हो? आपका एक बार दिल्ली से फोन आया मेरे पास..

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बिलकुल सहमत हूं। आपने मजदूर बढ़ा दिये, मैं वही कह रहा हूं.

डा. किरोड़ी लाल : दिल्ली से फोन आया, आपके फोन पर तुरन्त कार्यवाही की।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बिलकुल सहमत हूं आपकी बात से। जो आपने किया है, अच्छा ही किया है। अच्छा है, बात बोलूंगा। मैं अभी बोल रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अच्छा भारत सरकार से एक काम और करवा दो। हमने मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा मांगा है, एक पाई भी भारत सरकार ने नहीं दी। आप हमें दे दो तो यह सांगसिंहजी माननीय सदस्य जो कह रहे थे यहां पक्के काम करवा दो..(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पक्के काम भी अभी होंगे, मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान) एक मिनिट हेमारामजी, आप बिराजो, मैं जवाब दे दूंगा।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, सरदारशहर। कार्यालय आदेश आज दिनांक 3.2.05 को श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय के चैम्बर में धरनार्थियों द्वारा दी गयी एक सूची कि विभिन्न अकाल राहत कार्यों के गांवों की है जो निम्न प्रकार है। इन गांवों में जारी किये गये मस्टररोल तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। जारी किये गये मस्टररोल तुरन्त प्रभाव से जमा करा दें तथा ग्राम प्रभारी की अनुमति से श्रमिक नियोजित करें। यह 64 मस्टररोल हैं और इनकी कापी भी है। 2.3.05 को सम्बन्धित ग्राम सेवक, पटवारी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता मौके पर जाएं तथा नियोजित करें। कापी भी है। जिला कलक्टर, चूरू, उप खंड अधिकारी, सरदारशहर, श्रीमान भंवरलाल शर्मा, विधायक, सरदारशहर और सहायक अभियंता। यह आपके राज की पारदर्शिता है। इन मस्टररोलों की निश्चित तौर पर आप जांच कराएं..

डा. किरोली लाल : कितने लेबर हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : 64 मस्टररोल हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मजदूर कितने हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : मजदूर 20 हैं, मैं आपको दे रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें बी.पी.एल. के कितने हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : बी.जे.पी. के? (व्यवधान) बी.पी.एल. नहीं, बी.जे.पी. के हैं। बी.पी.एल. होते तो मैं बोलता नहीं। बी.जे.पी. के हैं तो घरों में मस्टररोल दिये हैं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं..

श्री सांगसिंह भाटी : पहले वाली तो सरकार गयी पार्टीबाजी। मजदूरी वाली बी.जे.पी. के साथ हैं, बी.पी.एल. वाले..(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : बी.पी.एल. वाले सारे मजदूरों के साथ हैं.. (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच-बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं?

श्री सांगसिंह भाटी : पार्टीबाजी करने वाली सरकार तो गयी। अब तो पारदर्शिता करने वाली है। सबको एक नजर से देखने वाली है सरकार। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में खड़े नहीं हों।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी प्रकार हरियासर-9 रोड़ पर अभी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। जो मस्टररोल पेमेंट के लिये गये, उस समय रतनलाल नाम का कोई जाट उस गांव में है ही नहीं, रतनलाल बनिया पेमेंट लेने आया। उसने पेमेंट ले लिया। गांव वालों के सामने जब पेमेंट हुआ तो हल्ला हुआ। पेमेंट वाले भाग गये और दोनों मस्टररोल जब्त हुए। उनकी जांच हुई, एफ.आई.आर दर्ज हुई है। इस प्रकार इसमें आपके कनिष्ठ अभियंता जिला और पूणाराम बेलदार दोनों लिप्त हैं। उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। उसकी भी निश्चित तौर से जांच कराएं। यह पारदर्शिता की बात बता रहा हूं। कुछ नमूने हैं..(व्यवधान) पकड़ा नहीं गया। पकड़ाओगे जब देखेंगे..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच में बाधा नहीं करें। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं करें।

डा. किरोड़ी लाल : मुकदमा दर्ज हो गया (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वह पकड़ा तो जायेगा ही।

इसी प्रकार मेरे कुछ सुझाव हैं। गरीबों के जो आवास बन रहे हैं इंदिरा आवास। इंदिरा आवास में चाहे वह एस.सी. के लोग हो, चाहे एस.टी. के लोग हो, चाहे सामान्य हो एक निर्धारित कोटा है। अगर उसको आप फेमिन में डोवटल कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा..

श्री सभापति : अब आप कनक्लूड करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी प्रकार गौशालाओं का जो अनुदान हैं, 18, 9 रुपये आपने कर दिये। 18 और 9 रुपये की मार्च से आपने की है घोषणा, पर अभी तक मेरी समझ में कहीं गौशालाओं को पेमेंट नहीं आया।

पशु शिविर के बारे में आप पिछली सरकार से तुलना कर लें। पशु शिविर के लिये खाली कागजों में ही आपने स्वीकृति दी है, पशु शिविर कोई चालू नहीं हुए।

इसी प्रकार मेरा एक सुझाव है कि सांड और झोंटो के लिये जो अकाल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ग्रस्त क्षेत्र है, लोग अपने-अपने पशुओं का तो कर लेते हैं पर सांड और झोंटे, उनके लिये आप अनुदान निश्चित तौर से दें।

इसी प्रकार पिछली सरकार ने असहायों को पचास किलो महीने का गेहूं सहायता के रूप में दिया था..(व्यवधान) सांड, झोंटे आज जैसे और हमारे जैसे नहीं हैं..

डा. किरोड़ी लाल : किस तरह के हैं?

श्री सभापति : अब आप बोलो ना, जब जवाब दो तब बता देना। अब आप समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोल देना सारा। मैं आपका जवाब सुनूंगा।

चारा डिपो का जहां तक प्रश्न है, चारा डिपो आवश्यकता के अनुसार नहीं खोले गये हैं। मेरे यहां की तुलना कर रहे हैं कि सरदारशहर में तो बहुत ज्यादा 25 डिपो खोले गये हैं जबकि राज्य सरकार के आदेश जाने के बाद भी वहां डिपो बाकी जगह नहीं खोले गये हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। दस रुपये का चारा लेने वाला सभापति महोदय, कोई 15 किलोमीटर दूर से नहीं लायेगा। इसलिये प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चारा डिपो मेहरबानी करके खोल दो। तीन महीने बचे हैं।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी जो नगरपालिकाएं हैं, एक लाख से कम आबादी की हैं और जो अकाल ग्रस्त हैं, अब जयपुर में कोई अकाल नहीं है। अब छोटी लोसल नगरपालिका है, रतनगढ़ है, सरदारशहर है, रतन नगर है, वहां जो गरीब तबका है माइनोरिटी का, एस.सी. का, एस.टी. का, जो लोग खेतिहार मजदूर भी हैं, ऐसे लोगों को किसी प्रकार का कार्य कराने का रास्ता नहीं है तो पक्के कार्मो में आपकी म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से 100-100 आदमिया की सैंक्शन दी है। अगर मैटेरियल कंपोनेंट का पैसा विधायक, सांसद और अन्य मद से आता है तो पक्के कार्य कराने की आप मंजूरी देने की कृपा करें। यह हमारा सुझाव है।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : धन्यवाद इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो आप।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

आपका जो जोहड़ों की खुदाई का मामला है। ठीक है, मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं। आपको मजदूर कहीं न कहीं लगाने पड़ेंगे, पर इन जोहड़ों की खुदाई से कोई मतलब नहीं रह जाता है।

सभापति महोदय, जहां मारवाड़ में या जहां बड़े-बड़े तालाब हैं, नागौर जिले में हैं, जोधपुर में हैं, पाली में हैं वह तो ठीक है जहां पक्के तालाब हैं। लेकिन एक गांव में 6-7 जोहड़ खोदें और मैटेरियल का पैसा है नहीं, पक्के काम करा नहीं सकते। मजदूरों को लगाना पड़ता है इसलिए इसकी बजाय जो गांव के रास्ते हैं उनका अगर सुदृढ़ीकरण करा लिया जाये। उन रास्तों की सफाई करा ली जाये, उन्हें ठीक करा लिया जाये। पूर्ववती सरकार ने ऐसा किया था तो इससे गांव के रास्ते ठीक होंगे और अतिक्रमण भी हट जायेंगे और आवागमन में सुविधा होगी। यह भी मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, दूसरा दस दिन का आपने पखवाड़ा कर रखा है। दस दिन के पखवाड़े से एक आदमी की महिने में बारी आती है। अब मार्च तो गया, अप्रैल, मई, जून, करीब ढाई-तीन महीने बचे हैं। अगर 15 दिन का पखवाड़ा कर दें तो उस गरीब को रोटी ठीक ढंग से मिल जाये। यह भी एक सुझाव है। इसके साथ-साथ जो सुझाव शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं व्यक्तिगत लाभ के काम, टांके और मकानों का, वह भी अच्छा सुझाव है। उस पर भी आप निश्चित रूप से विचार करें। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बरसात के जल को ज्यादा से ज्यादा रोका जाये। मेरा तो इसमें यह भी कहना है जिस प्रकार पंचायत राज के प्रतिनिधियों के लिए दो संतान का आपने कर दिया, कंपलसरी है। इसी प्रकार काश्तकार को चाहे वह सौ बीघा का मालिक हो, चाहे वह दो बीघा का मालिक हो उसके यहां कुण्ड कम्पलसरी कर दें। टांका बनाने की स्वीकृति दे दें ताकि पैसे व्यर्थ नहीं जाये और बरसात का पानी भी रुके।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मजदूरों की संख्या बढ़ायें। आप मंत्रीजी खुद पधारे थे, जिले में मीटिंग ली थी, मैं किसी कारणवश नहीं आ सका। आप मोनिटरिंग करके मजदूरों की जो संख्या है, चूरू जिले में वह बढ़ायें। चूरू जिले में एक जैसी स्थिति नहीं है। चूरू का कुछ पार्ट जहां बरसात हुई है, बाजरा भी हुआ है, चने भी हैं और मेरी साइड का जो चूरू का हिस्सा है,

(श्री भंवर लाल शर्मा)

यह जसरासर, रामपुरा यहां बीज भी डाले वह भी जमीन में ही रह गये, फसल ही नहीं उगी तो सरदारशहर, नोहर डूंगरगढ़, भादरा यह जो क्षेत्र है उसकी हालत बहुत दयनीय है। इसलिए मजदूरों को यहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगायें। अनुपात से ही आप लगाने की चेष्टा करेंगे तो तारानगर, राजगढ़, कुछ क्षेत्र में वहां, नन्दलालजी यहां बिराज रहे हैं, इनके क्षेत्र में भी खूब जगह चुने हुए हैं। मजदूर नहीं मिलेगे लेकिन पूरा राजगढ़ क्षेत्र ठीक नहीं है। जो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हैं उसमें आप उसी अनुपात से मजदूर लगायें और मजदूर नहीं लगाना चाह रहे हैं, जहां खेतों में फसल है, वह अपने आप ही नहीं आयेंगे इसलिए मजदूरों की संख्या बढ़ायें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सड़क पर जो मिट्टी हटाने का काम है, लेकिन आपके पी.डब्ल्यू.डी. वाले, जिसमें माल-पानी होता है वही काम करते हैं, मंत्रीजी, वह कच्चे कामों की माथाफोड़ी नहीं करते। अगर आप और मेरे मित्र राजेन्द्रजी आदेश भी दे देंगे तो उन आदेशों की वह अनदेखी-सी करते हैं। मिट्टी हटाने के काम हैं, सड़कों पर आंधी से मिट्टी आ जाती है। वह भी आप इसमें सहयोग करें और इसके साथ-साथ जो मैंने सुझाव दिये हैं। उनमें जो मैंने करेप्शन के चार्जेज लगाये हैं उनकी जांच करायें तो मैं मानूंगा, क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, इसमें हमें संदेह नहीं है और आपकी पकड़ भी है और कहीं पकड़ से अधिकारी बाहर चले गये तो आने वाला समय ठीक नहीं रहेगा। यह कहते हुए ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री केसर देव बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। जल ही जीवन है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी और हमारे जलदाय विभाग के मंत्री महोदय धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 15 महीने का जो हमारा शासनकाल रहा है इसमें पूरे प्रदेश में जिस तरह से पेयजल की जो समस्या रही उसको निपटाया और इनका वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा एवं सुदृढ़ रहा। गांव में चाहे नलकूप खुदाई हो, चाहे कुओं में डी.सी.बी. करानी हो, चाहे हैंडपम्प लगाने हों, कहीं भी पैसे की कमी नहीं रही और आज पूरे प्रदेश में जो पेयजल की स्थिति है वह संतोष जनक है।

(श्री केसर देव बाबर)

सभापति महोदय, जलदाय विभाग संपूर्णतः इंजीनियरिंग विभाग है। इसमें कुछ खामियां है। वह मैं गिनाना चाहूंगा, जलप्रदाय विभाग विभिन्न योजनाओं के मार्फत प्रदेश में विकास कार्य करवाता है। जैसे शहरी जल योजना, ग्रामीण जल प्रदाय योजना, क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, स्वजलधारा योजना, जनता जल योजना, आपणी योजना, अम्ब्रेला योजना। इसमें एक जो जनता जल योजना है यह ग्रामीण क्षेत्र में लागू है इसमें जो गांव का व्यक्ति मोटर चलाता है उसको प्रतिमाह 500 रुपये दिया जाता है। पम्प सेट के संधारण हेतु मोनोब्लाक पम्प सेट होता है उसको एक हजार रुपये दिये जाते हैं और यदि उसी कुएं में सबमर्सिबल पम्प सैट होता है तो उसको दो हजार रुपये दिये जाते हैं।

सभापित महोदय, ग्रामों में दूसरी जो योजना चलती है वह टी.एस.एस. योजना है उसमें भी इसी तरह के कुएं होते हैं। उनमें एक भेदभाव हो गया है। एक कुएं के लिए सात हजार रुपये देना और बिजली का भी पुनर्भरण करना और दूसरा जो कुआं चल रहा है उसमें सिर्फ बिजली का ही पुनर्भरण किया जाता है। ऐसे एक ही गांव में दो तरह की योजनाएं हैं। या तो सभी कुएं जनता जल योजना से हों ताकि गांव में कोई भेदभाव नहीं हो या सभी टी.एस.एस. योजना हो। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो टी.एस.एस. योजना है वह जनता जल योजना में कन्वर्ट की जाये या फिर टी.एस.एस. मानी जाय।

सभापति महोदय, यह संपूर्ण विभाग इंजीनियरिंग विभाग है। इसमें मैंने पहले भी सदन में एक मामला उठाया था कि आज जो प्रदेश में हैण्डपम्प लगाये जाते हैं। यह हैण्डपम्प फिलहाल पांच इंच का पाइप काम में लिया जाता है यह सन् 1995 में जब पी.एच.ई.डी. की प्रमुख शासन सचिव, माननीय भटनागर थी, उस समय भी मैंने यह मामला उठाया था। प्रदेश में इस तरह का मामला आया था कि चार इंच की जगह हैण्डपम्प में पांच इंच का पाइप लगायें और इंडिया मार्क सैकण्ड की जगह इंण्डिया मार्क थर्ड हैण्ड पम्प लगायें। उसमें जो राइजर पाइप है, जी.आई.पाइप है वह ढाई इंच का पाइप काम में लेवें। उसमें जो सिलेंडर लगाया जाता है व्यास भी साढ़े तीन इंच का होगा। इसलिए पांच इंच के पाइप लगाने प्रदेश में शुरू हो गए। मैं जयपुर में एक सेमीनार में आया हुआ था, वहां पी.एच.ई.डी. के सभी इन्जीनियर और

(श्री केसर देव बाबर)

माननीय भटनागरजी भी उपस्थित थे। मैंने उस समय उनको कहा कि प्रदेश में पांच इंच के पाइप लग रहे हैं इसमें ढाई इंच के जो राइजर पाइप लगा रहे हैं इनका औचित्य क्या है, इससे प्रदेश को लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप जन प्रतिनिधि हैं आपके गांव में चार पाइप नहीं बनेगी सवा इंच की पाइप से, चार पाइप बनते हैं। यह जवाब नोन टैक्नीकल था। फिर वह हैण्डपम्प लगाते रहे। पंचायत समितियों की मीटिंगों में भी हम वहां विरोध कर रहे थे लेकिन फिर वह हैण्डपम्प सक्सेस नहीं हुआ।

सभापति महोदय, ढाई इंच के पाइप फिर हैण्डपम्पों से वापस निकाले गए और हमने विरोध किया कि आपके हैण्डपम्प खराब हैं, हैण्डपम्प आपका चला नहीं, आपकी पूरी डिलीवरी लाइन निकालनी पड़ती है, तो ढाई इंच का पाइप जब पानी से भरा होता है तो उसका लोड ज्यादा हो जाता है। इसलिए टी बोर लिया जाता है, वह ढाई इंच से ले जाने लगे लेकिन मामला सक्सेस नहीं रहा और इनको अंततः ढाई इंच के पाइप निकालने पड़े और सवा इंच के लगाने पड़े।

सभापति महोदय, हमारे दो जिलों, सीकर और झुन्झुनूं का मामला है, यहां राकी और सेण्डी हैण्डपम्प हैं, वहां ढाई इंच के पाइप हटाए और सवा इंच के पाइप इन्होंने लगाए। फिर इन्होंने वह अंदरिया मामला तो चेंज कर दिया लेकिन जो बाहर का था, चार इंच की जगह पांच इंच पाइप लगाए जाते थे तो मिट्टी को रोकने का काम करता है, पानी में उसकी आवश्यता पड़ती नहीं है, फिर मैंने एक अतारांकित प्रश्न लगाया, उस प्रश्न का जवाब आया। हमने पूछा कि प्रदेश में कितने इंच के पाइप हैण्डपम्प में लगाए जाते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि यह तकनीकी बिन्दू है एवं साइड कण्डीशन के अनुसार निर्णय लिया जाता है। सभापति महोदय, इसमें साइड कण्डीशन क्या होगी? प्रदेश की नीति कोई होगी कि राकी में इतने इंच के और सेण्डी में इतने इंच के पाइप लगेंगे। इसमें कोई यह बात थोड़े होती है कि यहां चार इंज का लगेगा और यहां आठ इंच का लगेगा, चार इंच का लगेगा और वहां आठ इंच का लगेगा, कोई अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके के नहीं होंगे। एक नीति तो होगी कि हैण्डपम्प में रॉड कौनसी लगेगी, राइजर कौनसा लगेगा, सिलेण्डर कितने इंच का होगा। यह लिख रहे हैं वैसे सीकर में चार इंच का लगाएंगे, झुन्झुनूं में आठ इंच का लगाएंगे, फतेहपुर में तीन-इंच का लगाएंगे, यह तकनीकी बिन्दू नहीं है, इसमें कहीं भी

(श्री केसर देव बाबर)

इन्जीनियरिंग की कोई परिभाषा नहीं है। इन्जीनियर का मतलब होता है कम खर्च में अच्छा काम हो, बढ़िया काम हो उसको इन्जीनियर कहा जाता है। तो यह इन्जीनियर महोदया, जिनको पता ही नहीं है जो यह काम कर रहे हैं, इससे प्रदेश को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, मैंने पूछा कि इससे पूर्व हैण्ड पम्प में कितने इंच के पाइप लगाए जाते थे तो उसमें विभाग को क्या कठिनाई उत्पन्न हो रही थी इसका जवाब इन्होंने दिया कि डी टी एच प्रक्रिया से खुदने वाले हैण्ड पम्प में प्रारम्भ में पांच इंच के पाइप प्रयोग में लिये जाते थे। सभापति महोदय, डी टी एच का मतलब होता है राकी, राकी में कोई पाइप नहीं लगता।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा मामला है, मैं इस पर दो मिनट बोल लूं। जहां पहाड़ होता है वहां पर पाइप नहीं लगाए जाते, वहां छेद्र होता है, चाहे आप आठ इंच का करें चाहे छह इंच का करें चाहे 10 अन्य का करें, छेद करने के बाद पाइप सिर्फ दस का लगता है, उसमें सरकार का क्या खर्च आएगा? फिर यह कहते हैं कि प्रारम्भ के वर्षों में चार इंच के पाइप का प्रयोग किया गया, उस समय तुलनात्मक रूप से जल स्तर ऊपर था, बोर की गहराई 60 फीट से अधिक नहीं थी, जल स्तर नीचे जाने के कारण व बोर की अधिक गहराई की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए साइड के अनुसार पांच इंच के पाइप का प्रयोग किया गया।

सभापति महोदय, इसमें भी कहीं भी इन्जीनियरिंग की बू नहीं आ रही। आज जो हैण्ड पम्प खोदे जा रहे हैं वह रोटरी मशनी से खोदे जा रहे हैं। पहले रोटरी मशीन छेदन करती है और छेदन करने के बाद चाहे उसमें पांच इंच का पाइप लगाया जाए चाहे तीन इंच का लगाया जाए या आठ इंच का, उसका कोई लेना-देना नहीं है। छेदन चाहे 100 मीटर करो चाहे 150 मीटर करो, रोटरी मशीन के कार्य करने के बाद उसमें एम.एस. पाइप लगाओ चाहे जी.आई. पाइप लगाओ, पाइप बाद में लगाया जाता है इसलिए छेदन कार्य करते वक्त किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी।

गांवों में ऐसा होता भी है। हमारे गांवों में चार इंच के ट्यूबवैल होते

(श्री केसर देव बाबर)

हैं, गांवों के काश्तकारों के चार इंच के ट्यूबवैल हैं। यहां इन्जीनियर महोदय बैठे हैं, मेरे साथ चलें, मैं उनको दिखाऊंगा कि सीकर में चार इंच के पाइप में ट्यूबवैल से मोटर चल रही है, और आपसे हैण्डपम्प भी नहीं चलता। इससे प्रदेश का कितना नुकसान हुआ है, यह कहते हैं कि आठ-दस साल से यह काम चल रहा है।

फिर मैंने पूछा कि क्या यह सही है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों की कोई समिति गठित की है? यदि नहीं तो क्यों? इन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। हैण्डपम्प का कार्य तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में सम्पादित किया जाता है इसलिए अलग से विशेषज्ञों की समिति गठित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

सभापति महोदय, यह राज्य का सर्वोच्च सदन है। मैंने जो प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न पूछने के बाद आप तो समिति गठित करेंगे या हम यूं ही चिल्ला रहे हैं या कोई कारण है? आप तय करते कि नहीं, आप गलत हैं, कोई बात नहीं, हम गलत हैं तो ठीक है लेकिन आप तय तो करते कि चार इंच के पाइप जो हैण्डपम्पों में पहले लगाए जाते थे वह क्यों लगाए जाते थे, इसमें आपको क्या कठिनाई आई? आज भी हैण्डपम्पों में इण्डिया मार्क सैकण्ड लगाया जा रहा है, वही सवा इंच का पाइप लगाया जा रहा है, वही रोड लगाई जा रही है तो फिर हैडों का डायामीटर बढ़ाने का औचित्य क्या होगा?

सभापति महोदय, यह पाइपों का मामला शुरू से ही है, जो सेण्डी है, रेतीला है, वह रेत ढहे नहीं और उसका छेद कालेप्स नहीं हो जाए इसी वजह से हम पाइप लगाते हैं, कई जगह तो सीमेंट के पाइप लगाए जा रहे हैं। हमारे काश्तकार तो सीमेंट के पाइप ही ट्यूबवैल में लगाते हैं। पहले सरकार ने भी पी.वी.सी. पाइप लगाए थे।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री केसरदेव बाबर : हां, सभापति महोदय, मैं कर रहा हूं। क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? इनका जवाब आया है, पत्र के भाग संख्या-4 में हमने जवाब दे दिया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए आप एक समिति बनाएं और समिति तय करें कि

(श्री केसर देव बाबर)

चार इंच की जगह पांच इंच के पाइप लगाए जाने का औचित्य क्या था और यह कब शुरू हुए और क्यों शुरू हुए और इससे क्या फायदा हुआ और पानी की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी तो कितनी बढ़ी? यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्यों? इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि यह मामला हजारों में नहीं है, मामला करोड़ों में पहुंच गया है। अगर इसका डिफरेंस देखें कि चार इंच के पाइप और पांच इंच के पाइप में कितना आएगा तो हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं मिनिमम 20-30 रुपए पर मीटर का फर्क जरूर आएगा और जब यह हजारों मीटरों में जाएगा तो करोड़ों में चला जाएगा इसलिए मंत्री महोदय, इसकी जांच के लिए आप एक कमेटी गठित करें क्योंकि यह कारनामा अपना किया हुआ नहीं है, उस साइड बैठे हैं उनका किया हुआ कारनामा है तो यह देखेंगे, इनके समय में हुआ था यह मामला।

दूसरी चीज हैण्डपम्प की गहराई कम होती है वहां जरूर पांच इंच के पाइप लगाए जाते हैं क्योंकि वहां इण्डिया मार्क थर्ड के हैण्डपम्प लगाए जाते हैं उनमें ढ़ाई इंच के डिलीवरी पाइप लगाते हैं। इसका इन्होंने उल्टा जवाब दिया कि ढाई इंच के पाइप लगेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पांच इंच का पाइप लगाया जाएगा क्योंकि उसके सिलेण्डर की चौड़ाई साढ़े तीन इंच की होगी इसलिए जहां पर चालीस-पचास मीटर गहरा पानी हो वहां पर पांच इंच का पाइप लगाया जाता है और जहां गहराई ज्यादा हो वहां पर चार इंच का पाइप लगाया जाता है और यह पाइप का मामला है, यहां इन्जीनियर्स बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, इनकी बुराई हो रही है तो यह ज़रूर गाली भी निकालेंगे मुझे।

श्री सभापति : माननीय सूर्यकांता व्यास।

श्री केसर देव बाबर : सभापति महोदय, एक बात रह गई। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बोल लूं। लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 6 ग्रामीण जल योजनाओं का संचालन हो रहा है। विभाग द्वारा आर.डब्ल्यू.एस.एस. योजना में ग्राम मंगलूणा, गनेड़ी, गाडोदा, नेछवा, पालड़ी, बलारां में जो योजना है उनके बारे में दोष बिलकुल नहीं दूंगा क्योंकि अभी योजना बननी शुरू हुई है। पहले जो अर्जेण्ट कार्य थे वह करवाए गए हैं लेकिन मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इन गांवों में ग्राम मंगलूणा में टैंक नहीं है, एस.आर. होता है वह गिराने के लिए इन्जीनियर्स ने सिफारिश कर दी है, ग्राम गनेडी, गाडोदा, नेछवा, पालड़ी में जो

(श्री केसर देव बाबर)
पी.एण्ड टी. स्कीम है जिसमें उच्च जलाशय हैं, वह जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं और गिरने वाले हैं, इनकी जगह दुबारा पुनर्गठित योजना बनाएं ताकि ये लाभांवित हो सके।

हमारे चार क्षेत्रीय जल योजनाएं हैं जो एक गांव से 15-20 किलोमीटर दूर पानी जाता है। ग्राम सेवदड़ा, ढहर का बास, नांगल, नांगलढाणी, देवरा, किरडोली बड़ी व छोटी, इन गांवों में पानी जाता है। यहां से लास्ट छोर के जो गांव हैं वहां पानी बहुत कम पहुंचता है, करीब दो-चार मिनट ही पानी पहुंचता है क्योंकि जो ट्यूबवैल बने हुए हैं वह आज से 20-30 साल पहले के हैं और उनमें पानी की कमी हो गई है और पानी की डिमाण्ड बढ़ गई है इसलिए इन रीजनल स्कीम्स के ट्यूबवैल्स दुबारा बनवाएं। जैसे ग्राम झाझड़ की योजना से पानी नागौर जिले में जा रहा है, वहां पानी अच्छा है, वहां से जो अंतिम छोर के गांव हैं उनको पानी मिले। ग्राम भूमा बड़ा और ढाणी भाउजी की ये दो रीजनल स्कीम्स हैं। ये स्कीमें 20 साल पहले बनी थीं, आज पानी की मांग बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है। एक हमारे शहरी जल प्रदाय योजना लक्ष्मणगढ़ शहर है। इसमें भी 2-3 वार्डों में पानी की कमी है। मैं इनकी चिट्ठी लिखकर मंत्री महोदय को दे दूंगा और मंत्री महोदय जरूर हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय सूर्यकान्ता व्यास। अब आप समाप्त करें प्लीज। नो-नो, 20 मिनट हो गये आपको।

श्री केसर देव बाबर : सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन और है। पी.एच.ई.डी. में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, अधीक्षण अभियन्ता, उसके पास क्या पावर है? वह एक डांकिया है। सेंक्शन अथोरिटी या तो एडिशनल चीफ इंजीनियर है और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्स.ईएन. है, जो काम को एक्जीक्यूट कराता है, उसकी ड्यूटी है वह काम को एक्जीक्यूट कराये। एडिशनल चीफ इंजीनियर को फाइनेंशियल पावर है, वह वित्तीय स्वीकृति 2 लाख रुपये तक की निकाले, यह हमारे मंत्री महोदय के बनने के बाद, हमारा शासन आने के बाद पावर दिया, इन्होंने तो वह पावर भी इनसे छीन लिया था। मेरा निवेदन यह है कि या तो एस.ई. की पोस्ट होती है, इसको समाप्त कर दिया जाए अन्यथा इनको भी 50 हजार या एक लाख की वित्तीय स्वीकृति

(श्री केसर देव बाबर)

का पावर दिया जाए ताकि छोटा-मोटा काम हो, जैसे कोई पाइप लाइन खराब हो गई, कोई एकाध हैण्डपम्प लगाना है उनको, थोड़ा वित्तीय पावर मिले ताकि वो व्यवस्था वहां की वहां हो जाए और ऊपर तक बात नहीं आने दें।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री केसर देव बाबर : सभापति महोदय, अकाल के बारे में दो चीज कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब नहीं, माननीय सूर्यकान्ता व्यास।

श्री केसर देव बाबर : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं जल सम्बन्धी और अकाल सम्बन्धी मामले पर विचार प्रकट करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सदन की नेता, राजस्थान की मुख्य मंत्री को और जलदाय विभाग के मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई दूंगी और उन्होंने जोधपुर शहर के अन्दर जिस तरीके से पानी की समस्या का समाधान करने में अपना सहयोग दिया है इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूं ।

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष में शहर के विभिन्न स्थानों पर पेयजल सुविधा के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने हेतु जो कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा किये गये हैं उन कार्यों को लक्षित समय पर पूर्ण कराने हेतु जलप्रदाय मंत्रीजी व राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। पिछले वित्तीय वर्ष में पूर्व में लगे हैण्ड पम्पों पर 7 कंप्रेसर व 28 पावर पम्प लगाने के कार्य संपादित हुए जिनमें शहर के विभिन्न स्थानों पर पेयजल सुविधा हुई। इसी योजना में 80 एम.एम. व्यास से 150 एम.एम. व्यास की 4600 मीटर पाइप लगायी गयी। इस कार्य के पूर्ण होने से क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलाव किया गया। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, पर्याप्त दबाव में जल उपलब्ध कराने में पर्याप्त सुविधा हुई। इस वित्तीय वर्ष में 32 लाख 85 हजार के प्रस्ताव स्वीकृत हैं जिसमें एक स्थान पर नया हैण्डपम्प लगाने व 2700 मीटर के 80 एम.एम. व्यास में 200 एम.एम. व्यास की

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पाइप लाइन लगाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शहर में 20 विभिन्न स्थानों पर पावर पम्प एवं कंप्रेशर पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में पचेटिया पर एक उच्च जलाशय से पाइप लाइन लगाने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने पर मोती चौक, खापटा, पोकरण की हवेली, पीपली गली, सुनारों का बास, उबगरों का बास, डोड़ीदारों का मोहल्ला, बोड़ों की घाटी में उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार जलदाय मंत्रीजी व राज्य सरकार से निवेदन है कि ए.डी.बी. परियोजना द्वारा शहर में पुरानी रियासतकालीन पाइप लाइनों को बदलने तथा पर्याप्त दबाव से जल वितरण हेतु नयी पाइप लाइन लगाने का किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस हेतु शहरी विधान सभा क्षेत्र में सुचारू पेयजल वितरण हेतु 5 करोड़ की योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है जिसे तुरन्त स्वीकृत कराने की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, ए.डी.बी. परियोजना के अन्दर जोधपुर शहर के अन्दर घोड़ों के चौक के अंदर एक एस.आर. बनाने की योजना थी मगर उसको भी अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर शहर बहुत पुराना बसा हुआ शहर है और रियासतकाल में बसा हुआ है। वहां पर काफी बड़ी संख्या में सड़ी-गली लाइनें हैं। उनको तुरन्त बदलने की व्यवस्था करें। मुझे यह बात कहते हुए खुशी होती है कि हमारे मंत्री महोदय जब कभी भी फोन करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फोन किया और काम शुरू हुआ। इसलिए मैं उनको तो बधाई दूंगी लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगी कि ये जैसे ही आर्डर देते हैं वे उस भावना के अनुसार जल्दी कार्यान्वित कर देते हैं, इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। वे ऐसा नहीं कि फाइल लेकर बैठ गये और काम नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब भी रही हूं और मैंने पानी के लिए जो संघर्ष किया है, मेरा जी जानता है हमने पानी के लिए कितना संघर्ष किया है। पूर्व में राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब थे उनको आकर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भी मैंने सारा रोना रोया था और वहां पर फिल्टर हाउस बनाया, लेकिन फिर बाद में कोई कार्यान्वित नहीं हुआ। मैं कहती हूं पानी की दुआ के कारण आज भैरोंसिंहजी शेखावत उच्च पद पर बैठे हैं, उनको पानी की दुआ लगी है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि राजस्थान की मुख्य मंत्री और सदन की नेता को भी पानी के लिए ही सारे लोग दुआ दे रहे हैं। मैं अपनी भा .ा के अन्दर बोलकर कहना चाहूंगी जब मैं मोहल्लों में जाती हूं, क्योंकि मेरा क्षेत्र ऐसा है उसमें गलियों के अन्दर से होकर निकलना पड़ता है, यहां पर जब पानी उनके यहां तक पहुंचता है तो लोग कहते हैं भला हो ऐसी मुख्य मंत्री आयी हैं, आपने तो पानी का आनन्द कर दिया। वे इस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सरकार को दुआ देते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मगर कुछ ऐसी जगह है जहां पानी नहीं पहुंचता है, टेल एंड पर हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसी जगहों पर कुछ व्यवस्था करें जिससे वहां पर पानी पहुंच सके और जो सड़ी-गली लाइनें हैं उनको तुरन्त ठीक कराएं, क्योंकि सीवर लाइन व पाइप लाइन दोनों साथ चलती हैं, एक-दूसरी फूट जाती है तो मालूम नहीं पड़ता और गंदा पानी भी आ जाता है, पानी की अव्यवस्था भी रहती है।

सभापति : आ गयी सारी बात आपकी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट भी नहीं हुए

सभापति : आपकी बात आ गई।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं और कहना चाहूंगी। मैं अकाल के बारे में कहना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में कोई अकाल की बात नहीं है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र की नहीं हूं, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब अकाल पड़ता था, जैसे शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब अकाल पड़ता था तब महाराजा उम्मेद सिंहजी ने उम्मेद भवन बनाया। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जब अकाल का समय हो तो शहर के अन्दर हमें नाडा-नाडी नहीं बनवानी हैं मगर हमारे जो जल क्षेत्र बने हुए है उनकी व्यवस्था आप कराएं ताकि लोगों को पानी मिल सकें। जैसे जालप बावड़ी है, तापी बावड़ी है, जनता को पानी दे रही हैं मगर उनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है, उनकी सार संभाल करने वाला कोई नहीं है। सभापति महोदय,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मैं अपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आप ऐसी व्यवस्था करें। आप स्कूल भी ठीक कराएं। अकाल राहत के अन्दर शहर के अन्दर कुछ ऐसा कार्य कराएं, आप स्कूल न कराएं तो कम से कम जितने जलाशय, कुएं, बावडिया हैं इनकी तो मरम्मत कराएं।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमारामजी चौधरी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं और राजस्थान की मुख्य मंत्री व सदन की नेता और जलदाय मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्रीजी को एक धन्यवाद और देना चाहती हूं कि शहर के अन्दर पहाड़ी पर आज से तीन सौ साल पुराना मण्डलनाथ मंदिर है वहां पर हर साल 20-30 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं। वहां पर स्वर्गीय बरकत साहब ने लाइन लगायी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाइन लगाकर वहां लोगों को पानी मुहैया कराया, इसलिए सरकार की नेता और जलदाय मंत्रीजी को मैं बहुत साधुवाद और बधाई देती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, आज पेयजल और अकाल पर सदन में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी से कुछ निवेदन करना चाहूंगा, कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह इन पर जरूर गौर करेंगे। सबसे पहले मैं पेयजल पर जलदाय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज हर व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का कोई अंत नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि पानी की समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है या मान लो कमी है तो सबसे पहले पैसा किस पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पीने के पानी की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। आप पीने के पानी पर पैसा भी खर्च करो और उसके बावजूद भी अगर जनता को पानी नहीं मिलें तो इस पर आपका पैसा खर्च हो गया, यह काम तो हो गया लेकिन जनता को उससे कोई

श्री हेमाराम चौधरी)

लाभ नहीं मिला। मैं निवेदन करना चाहूंगा बाड़मेर जिले में एक जोगासरिया सनपा सुमेसरा और दूसरी जोगासरिया रावतसर चवा, ये दो रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स काफी लम्बे समय से बनी हुई हैं और इन दोनों योजनाओं से जुड़े हुए गांव और ढाणियां हैं उनमें से सैकड़ों गांव और ढाणियों हैं उनमें से सैकड़ों गांव और ढाणियों में आज भी पानी की एक बूंद नहीं पहुंच रही है, आपकी पाइप लाइन लग गई, जी.एल.आर. बन गये, वह जी.एल.आर. सैंक्शन पड़े हैं, पाइप लाइन सूखे पड़े हैं तो फिर जब आपने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया और उसके बावजूद भी यदि इन गांवों को पानी नहीं मिले तो फिर इसका क्या फायदा हुआ इसलिए आप जोगासरिया सनपा सुमेसरा और जोगासरिया रावतसर चवा सैकड़ों योजनाएं हैं लेकिन मैं मुख्य रूप से आपका ध्यान इन दो योजनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अकाल राहत मंत्रीजी आए, उनके सामने भी यह मामला रखा, पूर्व में भी बहुत-सी बार रखा लेकिन हल नहीं हुआ। इन योजनाओं के अंत में जो गांव और ढाणी हैं उनमें पानी नहीं पहुंचा इसका मुख्य कारण पूर्व में जब ये योजनाएं बनी थीं। उसके बाद में जो पाइप लाइन लगी थी उन पाइप लाइनों में से बहुत सारी सैंकड़ों ढाणियां और जोड़ दीं पाइप लाईनों से, आगे पाइप लाइन डालते गये, जी.एल.आर. बनाते गये जोड़ते ही गये लेकिन पीछे से बड़ी पाइप लाइन दूसरी नहीं डाली, आपने सोर्स नहीं बढ़ाया, ट्यूबवैल नहीं बढाया तो पानी की मात्रा तो बढ़ी ही नहीं और पाइप लाइनें बढ़ा दी उससे क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में क्यों टोका-टोकी कर रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी : किसके जमाने की बात है, हमारे जमाने की बात है, अब तो आपका जमाना है न? कोई समय राजा महाराजाओं का राज था, यह कह रहे हैं कि जब राजा-महाराजाओं का राज था तब उम्मेद पैलेस बनाया था, अब कोई उम्मेद पैलेस तो बनना नहीं है। अब तो पीने के पानी की व्यवस्था का काम है, यह जिम्मा सरकार का है, पीने के पानी की व्यवस्था करे, यह सरकार अगर अपना जिम्मा समझती है तो करे और यह सरकार अगर अपना जिम्मा नहीं समझती है, हमारी पूर्ववर्ती सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा कर....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले क्या करते थे?

श्री हेमाराम चौधरी : हम क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, अब आप क्या करते हो, जनता अब आपको देख रही है, ठीक है न। हमने तो जो कुछ किया सो किया, अच्छा किया या खराब किया, हमको तो देख लिया अब देखने की बारी आपकी है, परखने की बारी, हमको परख लिया, अब आपको परखने की बारी है इसलिए आप तैयार रहें, परीक्षा में आप पास होने के लिए तैयार रहो। अगर आपने पीने के पानी की व्यवस्था कर दी तो आप सफल होंगे इसलिए मैं चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 25-25 लाख रुपये लेकर टिकट दे दिए।

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय, आप बिराजें।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन दो योजनाओं की आग्यूमेंटेशन स्कीम बनाकर, मंत्री महोदय, आग्यूमेंटेशन स्कीम को स्वीकृत करें और कुछ नहीं तो आप मेरे कहने से इन दो योजनाओं की आग्यूमेंटेशन स्कीम तो स्वीकृत कर दें जनता के लिए, स्वीकृति का श्रेय तो आपको ही मिलेगा, हमारा तो सिर्फ आपसे निवेदन है, आप नहीं करोगे तो हम तो यह कहेंगे कि हमने निवेदन करने में कोई कमी नहीं रखी लेकिन मंत्रीजी ने हमारी बात सुनी नहीं।

श्री श्रवण कुमार : हेमाराजजी, आप गये ही नहीं, ये जाते ही हाथों-हाथ काम करते हैं ईमानदारी से, आप कहीं लेट हो गये।

श्री हेमाराम चौधरी : हां, गया नहीं, कभी नहीं गया, यह बात सही है। अब यह आज ही निवेदन कर रहा हूं, आज यह काम हो जाएगा मेरा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नम्बर आए तब बोल लेना। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : और बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन उनका अब विस्तार से यहां जिक्र करूं, इतना वक्त नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इन्दिरा गांधी नहर से मोहनगढ़ बाड़मेर पेयजल लिफ्ट योजना स्वीकृत हुई, शिलान्यास भी हो गया लेकिन अब उसके बाद में फिर कुछ नहीं हो रहा है। अब वह स्वीकृति पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई उसका शिलान्यास

(श्री हेमाराम चौधरी)

पूर्व मुख्य मंत्री ने किया। अगर इस प्रकार से आपको लगे कि इस योजना को हमारे को पांच साल तक कुछ नहीं करना है तब तो बात अलग है लेकिन जनता के लिए आप मेहरबानी करें उस योजना को आप ठंडे बस्ते में नहीं डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसकी वित्तीय स्वीकृति हो गई थी क्या?

श्री हेमाराम चौधरी : हां, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो गई थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्यों मजाक कर रहे हो, केवल भाटे लगाए हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : भाटे तो हमने भी लगाए हैं, और भाटे तो आपने भी लगाए हैं। आपके बहुत-से लगे हुए हैं, आज भी वह भाटे गायब हो गये, यह भाटा तो पड़ा है, आपका गिरल में लगा था बिजली उत्पादन का भाटा, वह कहां गया? छोडो भाटों को। आप विवाद को छोड़ो, आप तो पीने के पानी की व्यवस्था करो, अगर कर सको तो अब भाटों की कहां चर्चा करो, पूर्व में क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया उससे आपका क्या लेना-देना? (व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह मोहनगढ़ बाड़मेर जो लिफ्ट योजना है क्योंकि अभी आपने पोकरण, बालोतरा, सिवाना, लिफ्ट योजना की भी आपने स्वीकृति की बात कही, वह भी ए.एस. या पी.पी.सी. से आपकी क्लियर हुई है तो पी.पी.सी. से क्लियर हुई है। अब पी.पी.सी. से ही क्लियर होने में हो। सब काम हो जाएगा तो फिर वह भी हो जानी चाहिए थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो वह आपने जो दूसरी योजना दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अभी तो समय आपका बहुत बड़ा है इसलिए दूसरी योजना तो आपकी की हुई है, वह पहली हमारे हाथ की, की हुई है इसलिए ऐसा नहीं हो कि हमारे हाथ की की हुई उसके ऊपर आप कुछ ध्यान नहीं दो इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं आप इस योजना पर व पीने के पानी की तरफ ध्यान दें और बाड़मेर को हिमालय का पानी पिलावें, सभी हिमालय के पानी की बात कह रहे थे, बाबूसिंहजी भी कह रहे थे एवं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे, चूरू वाले भी कह रहे थे, अब हिमालय का मीठा पानी, हिमालय के पानी को पीने की इच्छा तो हमारी भी हो रही है

(श्री हेमाराम चौधरी)

और अगर आप हिमालय का पानी हमको पिला दोगे तो जनता आपको याद करेगी। कांता कथूरियाजी कह रही थी, बाड़मेर की जनता आपको याद करेगी, यह नहीं, शहर के लोग तो भूल जाते हैं, गांव के लोग कभी ऐसा नहीं भूलते वह कहते हैं, साहब, भलो होज्योई मुख्य मंत्री रो, म्हाने मीठो पानी पिलायो।

श्री जोगाराम पटेल : कांता कथूरियाजी कहां से आ गई? कांता कथूरियाजी कौन हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : सारी। (व्यवधान) सूर्यकांताजी।

श्री जोगाराम पटेल : साहब, कोई तो ले नींद और कोई कांता कथूरिया, यह क्या आपने बना रखा है?

श्री सभापति : अब आप बिराजो माननीय।

श्री हेमाराम चौधरी : अब हो गया।

श्री जोगाराम पटेल : नाम ही कांता कथूरिया कर दिया, कोई नींद लेवे गिर जावे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी कह रहे थे कि हमारे दादा साहब ने यह किया।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमने तो हेमामालिनी के आने पर कोई एतराज नहीं किया था। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : कांता कथूरिया हैं कौन, हम तो यह जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बिराजें, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी : अब आप छोड़ दीजिए, इस बात को। सभापति महोदय, पीने के पानी के बारे में मैंने आपसे निवेदन किया। दूसरा, हमारे वहां पर मिलिट्री बहुत है।

श्री सभापति : अब आप कंक्लूड करें।

श्री हेमाराम चौधरी : बी.एस.एफ. बहुत है, बोर्डर का जिला है, सीमावर्ती जिला है तो उनको भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है और

(श्री हेमाराम चौधरी

ग्राउण्ड वाटर है वह मान लो ग्राउण्ड वाटर से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और ग्राउण्ड वाटर तो दिनों दिन खतम होता जा रहा है। देखिए, ग्राउण्ड वाटर आने वाले दिनों में खतम हो गया और यह आपने व्यवस्था नहीं की इन्दिरा गांधी नहर से मीठा पीने का पानी तो फिर आने वाले समय में हमारे इस पानी का बहुत गम्भीर संकट पैदा हो सकता है, पीने के पानी के उस संकट को आप एकदम दूर नहीं पाओगे और कभी हो सकता है कि मिलिट्री को भी पीने का पानी नहीं मिलेगा, हमारे यहां के लोग तो फिर भी मजबूत हैं चला रहे हैं। लेकिन आखिर पीने का पानी तो चाहिए। बिना पानी के तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आप मेहबानी करके इसके ऊपर ध्यान दें। यह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केन्द्र सरकार से मिलिट्री के नाम से, किसी प्रकार से, कैसे आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं वह प्राप्त करें और यह कार्यवाही करें। अब मैं अकाल राहत के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : अकाल राहत पर बोलूंगा नहीं? अकाल राहत पर नहीं बोलूं? पहले बोला हूं तो अब भी बोलूं न थोड़ा सा।

श्री सभापति : बोलो, फटाफट बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी : अकाल राहत के बारे में अकाल बाड़मेर से शुरू होता है और फिर यों पूरे राजस्थान में धीरे-धीर फैल जाते हैं। आपके नीचे से शुरू होता है न कमल का फूल और फिर पंखुड़िया उस तरह से यह अकाल है। इसलिए अकाल के बारे में मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे बाड़मेर जिले में मजदूरों की श्रमिक सीमा बढ़ाई। पिछली बार यह मामला जब विधान सभा में मैंने उठाया तो एक अप्रैल से आपने कहा कि हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे। आपके कल ही आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन 10 से पहले हो गये। 11 को एक लाख 60 हजार आपने मजदूर कर दिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी बात मानते भी हैं फिर भी आपका व्यवहार इस तरह का नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय, आप बिराजें।

श्री हेमाराम चौधरी : उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसा नहीं है मुख्य सचेतकजी, मैं इनके अनुशासन से प्रभावित हूं और अनुशासन क्या है कि मैं बाड़मेर की मीटिंग लेने गया, दूसरी बार गया, दो बार मीटिंग ली और दोनों बार संतुष्ट हुए और यह कहा कि कांग्रेस का जब-जब राज था तब मेरे को जिला परिषद की मीटिंग में धरना देना पड़ा और आपके राज में नहीं देना पड़ा। उनके इस अनुशासन से प्रभावित होकर मैंने श्रमिक सीमा बढ़ाई है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह मंत्रीजी, हमारे राज में मैं धरना देता था इसका मतलब यह आप मानते हो कि मैं निष्पक्ष आदमी हूं। आपके राज में आपके विधायक कोई धरना देकर के बता दे तो समझ लेना कि एक-आध विधायक आपकी पार्टी में भी निष्पक्ष है, सही सोच वाला है।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट, सुरेन्द्र सिंहजी का भाषण नहीं पढ़ा क्या आपने? कैसे नहीं हैं, इनके यहां भी हिम्मत वाले हैं।

श्री सभापति : अब आप बिराज जाएं हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : मैंने धरना दिया क्योंकि श्रमिक सीमा नहीं बढ़ रही थी और फिर वो श्रमिक सीमा बढ़ाई और मैंने धरना उठा लिया। जनता के लिए किया, मैंने क्या गलत किया? सत्ता पार्टी के विधायक को धरना देने में जोर आता है यह तो किरोड़ीलालजी आप भी मानते हो न। जोर पड़ता है।

श्री नरपत सिंह राजवी : ये भी धरने के मास्टर हैं, इसलिए दोनों मास्टर हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : ये मास्टर विरोध में थे। ये हमेशा विरोध में रहे इसलिए इनको जोर नहीं आता था। मैंने शब्द यूज किया कि सत्ता पक्ष के विधायक को धरना देने में जोर आता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा आखिर

(श्री हेमाराम चौधरी)

जनता की बात को हम नहीं रखेंगे और सत्ता के नशे में ही डूबे रहेंगे तो फिर सत्ता का नशा तो उतर जाएगा, थोड़े दिनों के बाद में जब चुनाव आयेंगे तो जनता उस समय उतार देगी इसलिए आप सत्ता के नशे में मत रहना। ये महावीरजी बहुत ज्यादा सत्ता के नशे में चलते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो सत्ता से बहुत दूर हूं। मेरे पास कोई सत्ता है क्या?

श्री श्रवण कुमार : महावीरजी, यह कहो कि धरने से कोई कुछ नहीं मानते हैं, जनता तो मानती है उससे ही मानती है।

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्री हेमाराम चौधरी : बोलने दो न थोड़ा सा।

श्री सभापति : आप बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने एक लाख 60 हजार मजदूरों की संख्या की है पर एक लाख 60 हजार मजदूर लगा तो दें। पूर्व में भी आपकी जो श्रमिक सीमा थी उतने मजदूर लगाये नहीं गये थे। आपने कहा कि लोग लगे नहीं तो लगेंगे कैसे, लगेंगे तो तब जब आप लगाओगे। अब आप मस्टररोल दोगे, काम पर लगाओगे, काम पर लगने के लिए वहां पर कतार लगी रहती है। आप यह कर दो कि जितने भी परिवार हैं जो अकाल राहत पर लगाये जाने जरूरी हैं, जिसके घर में नौकर है उसको लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद कहता हूं कि जिसके घर में खेती के सिवाय कोई दूसरा धंधा परिवार के दूसरे मैम्बर के पास नहीं है उसको अकाल राहत पर लगाना पड़ेगा। उनकी आप सूची बना लें और उनको यह कह दें कि एक से 10 तारीख तक यह परिवार लगेंगे, 11 से 20 तारीख तक ये परिवार लगेंगे और 21 से 30 तारीख तक ये परिवार लगेंगे तो वे निश्चित हो जाएं कि अपना नम्बर 21 से 30 तारीख में आना है। अभी जैसे हमारे को बता देते न कि आपका दूसरे नम्बर पर नाम है, आपका पहला नम्बर है और आपका दसवें नम्बर पर है तो अपने आप ही उस हिसाब से बैठें और बैठे रहेंगे और आखिर में नाम ही नहीं बोले।

डा. किराड़ी लाल : ऐसे नहीं मानेंगे हम। आप धीरे बोल रहे हो। जैसे टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य रामस्वरूपजी बोला करते थे वैसे बोलोगे तो मांग पूरी होगी।

श्री हेमाराम चौधरी : टोडाभीम से आने वालों की मैं बराबरी नहीं कर सकता। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा था कि सबको आप यह विश्वास दिला दो कि परिवार में से एक व्यक्ति को महीने में एक बार रोजगार मिल जाएगा और उनकी सूची आप ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रकाशित कर दो कि कौन से परिवार को एक से 10 तारीख में मिलेगा, कौन से को 11 से 20 तारीख में मिलेगा और कौन से परिवार को 21 से 30 तारीख में मिलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस सदन में आज ऐसी विभूति बैठी है दर्शक दीर्घा में जिन्होंने बहुत वर्षों तक अपनी कर्णप्रिय वाणी से हम सब को लाभान्वित किया है। मैं आपके माध्यम से उनका स्वागत करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, ऐसी विभूति जिनके लिए हमने बाहर भी नारे लगाये, भीतर भी लगाये कि मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ और हमने उनको मंत्री बनवाया। हममें ताकत थी कि हमने अशोकजी गहलोत से कहकर इनको मंत्री बनवा दिया और इनमें ताकत नहीं है किसी को मंत्री बनवाने की।

श्री अमराराम (धोद) : आप मंत्री नहीं बनाते तो वे सदन में आ जाते। मंत्री बनवाकर के उनको मरवा दिया आपने।

श्री श्रवण कुमार : किरोड़ी लालजी, आप इनके मित्र नहीं, इनके दुश्मन हो।

श्री हेमाराम चौधरी : आपको पता था कि उनको मंत्री बनाओगे तो वापस आयेंगे नहीं।

श्री श्रवण कुमार : अगर रामस्वरूपजी को ऐसा नहीं करते तो नादौती-नांदौती करते रहते और दुबारा आ जाते मगर आपने ऐसा बनाकर छोड़ दिया कि बोल नहीं सके।

श्री हेमाराम चौधरी : अभी ना पक्ष लाबी में मिले तो मैंने इनसे कहा था कि आप मंत्री बन गये इसलिए आपको सदन से बाहर रहना पड़ा और नहीं बनते तो आप आ जाते। ये मंत्री बनकर के फिर वापस निकलना बड़ा मुश्किल होता है। (व्यवधान) वो क्या करते हैं वो तो कहने वाला ही जाने। अब हम क्या करते हैं वह तो उसके कर्म-धर्म जाने।

श्री सभापति : यह आप किसको संकेत दे रहे हो?

श्री नरपत सिंह राजवी : यह मारवाड़ी में कहावत है न कि- "लोगां न मरतां देख मरणै सूं मन फाटग्यो" वो हालत तो नहीं हो गई है इनकी?

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि परिवार बड़ा है, मैं सुझाव ही दूंगा, सिर्फ सुझाव दूंगा, सिर्फ 2-4 सुझाव दूंगा। एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप पांच सदस्य से ज्यादा सदस्यों का परिवार है तो पांच के बाद में जैसे ही 6 से 10 तक का परिवार है तो उसमें महीने में दो मैम्बर को रोजगार दें और 10 से ज्यादा हैं, कोई बहुत ही बड़ा हो, क्योंकि कई लोग तो बड़े होशियार हैं, कई तो ऐसे भी हो सकते हैं कि पति-पत्नी ने भी अलग कार्ड बना लिये और कार्ड के हिसाब से दोनों लग जाते हैं। वहां तो कार्ड का ही हिसाब है। परिवार उसी को मानते हैं जिसका अलग से कार्ड है और कई ऐसे हैं जिनका 20-20 का शामिल एक ही कार्ड पड़ा है तो आप परिवारों की सदस्य संख्या को भी ध्यान में रखकर ज्यादा हैं तो उनमें दो अलाउ कर दें और बहुत ही ज्यादा हैं तो तीन अलाउ कर दें। यह भी आप देखें।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां। अब आप समाप्त करें प्लीज। समय की सीमा है।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट। मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप टास्क है, मैंने पूर्व में भी आपसे बहुत-सी बार निवेदन किया, आपका टास्क पूर्व में था 2.19 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदना 1.5 गहरा और उस मिट्टी को 30 मीटर तक डालने का था एक दिन में एक श्रमिक को। वो आपने कर दिया 4 क्यूबिक मीटर और लीड भी 30 मीटर की जगह 50 मीटर कर दी। इसलिए श्रमिक पूरा काम कर नहीं पाता है और कर नहीं पाता है तो उसकी मजदूरी बहुत कम आ रही है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। अब नहीं। ऐसा है माननीय सदस्य, आप ज्यों ही मुंह से शब्द निकालते हो उससे पहले तो मंत्रीजी समझ जाते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, थोड़ा सा और। मंत्रीजी कह दें कि नहीं बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए टास्क जो पूर्व में विफोर लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर तो जमाना था। वह टास्क उस हिसाब से कम करें तो मजदूरी भी लोगों को ठीक मिले। आपने तय तो 73 रुपये की है लेकिन मजदूरी कितनी आ रही है? पूर्व में बिफोर लास्ट ईयर जो मजदूरों की मजदूरी थी उससे भी कम आ रही है।

डा. किरोडी लाल : पहले हार्ड और साफ्ट स्ट्रेटा तो बराबर था क्या?

श्री सभापति : आप जवाब दें तो जवाब दे देना।

श्री हेमाराम चौधरी : हार्ड और साफ्ट का अलग-अलग था। हार्ड का अलग है, साफ्ट का अलग है। हार्ड 1.75 था।

श्री सभापति : माननीय रामप्रताप कासनियां।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, मैं बीच में इंटरबीन नहीं करना चाहता, आप एक मिनट सुन तो लें। बाड़मेर, जैसलमेर में आबादी, राष्ट्रीय आबादी की जो वृद्धि प्रतिशत है, उससे कहीं अधिक है और इस अकाल राहत में इसमें और सहयोग लेना चाहते हैं क्या? मैं तो सोच रहा था कि आप डिसकरेज करोगे कि ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए। 20 के परिवार में दो को और दिला दो तो और पहलवान तैयार कर दो यानि आप तो कम से कम बाड़मेर में इस चीज को देख रहे हैं कि 45 प्रतिशत के लगभग आबादी की वृद्धि हुई है।

श्री हेमाराम चौधरी : तो आपके कहने का मतलब है कि जिसका बड़ा परिवार है उसको फेमिन में लगाओ ही मत। आप ऐसा फैसला कर लो कोई बात नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी : डिसकरेज करने का है। सरपंचों को डिसकरेज किया है, यहां पर भी करो।

श्री हेमाराम चौधरी : आपके कहने का मतलब इसको डिसकरेज करने का सिर्फ यही तरीका है बाकी तो मैं तो खुद परिवार कल्याण मंत्री था, मैंने बहुत ही हाथ जोड़े पर किसी ने परिवार नियोजन कराया ही नहीं। अब जबरदस्ती तो 1977 का वक्त मेरा देखा हुआ था इसलिए वैसा तो मैं कर नहीं सकता था। मेरी आत्मा नहीं मानती थी, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मजदूरी कम आ रही है, इसको आप थोड़ा देखें। आप समय भी तो कम करें। पूर्व में गर्मियों में दो घंटे कम किया था समय..

श्री सभापति : अब आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : आप दो घंटे का समय कम करते हैं तो समय के हिसाब से टास्क भी कम करें क्योंकि अब आगे गर्मियों के दिन आने वाले हैं..(व्यवधान) कौनसा मास्टर पढ़ा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? तो आप मत करिये, आपको कौन कहता है...

श्री सभापति : धन्यवाद, प्लीज, अब आप समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : आप दो घंटे और बढा दीजिये। जैसे कल विधान सभा रात को 12 बजे तक चली, आप उन मजदूरों से भले ही 12 बजे तक काम लेते रहो, कौन आपको मना करता है, सरकार आपकी है। आप चाहेंगे जैसा होगा। आप भले ही उनको मुर्गा बना दीजिये। आप बना दोगे तो बनना पड़ेगा। यह कोई बात हुई क्या? मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आपके भले के लिए कह रहा हूं, आप कुछ भले के काम करिये, लोग आपको चाहेंगे, आप भला कुछ करें नहीं तो आपको फिर..(व्यवधान) नहीं-नहीं, तो आपको तकलीफ क्या है। उन मजदूरों के हित की बात कर रहा हूं। आप बातें करते हैं..

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, आज 4.30 बजे मुखबन्द है, सब बोलने वाले हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : महावीरजी, आप बातें करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी। आपके दिल में गरीबों के प्रति कोई सोच नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप टास्क की बात करते। बाकी सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे जन प्रतिनिधि कौनसा नाप करके काम करते हैं? आप दिन भर में कितना काम करते हो, कोई नाप करके करते हो क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे सारे एरिया में गरीब लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा गरीब लोग टोंक में रहते हैं, वे लोग मुझे चुनकर भेजते हैं। मैं कोई वहां बोर्डर के इलाके से नहीं आया हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें प्लीज। आपको 20-25 मिनट हो गये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं निवेदन कर रहा हूं, साहब, टास्क मजदूरों के लिए है, फेमिन में काम करने वालों के लिए है। बाकी के लिए कौन करता है? कौनसे कर्मचारियों के, कौनसे अधिकारियों के आपने मापदण्ड तय कर रखे हैं कि इस दिन इतना काम करेगा तो उस दिन का वेतन मिलेगा, नहीं तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, आपने अभी बोला कि जनता को मुर्गा बना देंगे।

श्री सभापति : अब आप क्यों खड़े हो गये? माननीय सदस्य, आप बिराजें। अंकित नहीं हो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : लेकिन गरीब की कौन सुनता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है इसलिए इनकी 73 रुपये की जो मजदूरी है, उस पर कटौती की जा रही है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और उनकी बात करने पर इनको तकलीफ हो रही है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। मैं तो आपसे निवेदन तो करूं, आप मत करना, आप चाहें तो उनको पांच रुपये ही देना लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनको मजदूरी कम मिल रही है, इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी :.. आप कर सकें तो गौर करें, यह मेरा निवेदन है। व्यक्तिगत लाभ योजना की बात कर रहे हैं, पूर्व से, यह अभी कह रहे थे बाबूसिंहजी, पूर्व से, मैंने कहा कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, मैंने कहा, पूर्व से

(श्री हेमाराम चौधरी)

कब? यह कहो ना कि कांग्रेस की सरकार के समय। व्यक्तिगत लाभ योजना का काम चला था तो आपकी सरकार भी व्यक्तिगत लाभ योजना के काम को हाथ में ले ना। उनके टांके बनायें, उनके आवास बनायें, उनके कुए बनायें, यह भी तो आप करो। अभी आप मैटेरियल की बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि भारत सरकार ने भेजा है। पूर्व की भारत सरकार, आपकी सरकार थी तो मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा दे देती आपकी सरकार हमारी राजस्थान सरकार को? अब आप जो उनसे मांग रहे हो तब आप देते ना तो अब आप हमारी भी बात करते, तब तो आपने मैटेरियल कम्पोनेंट का पैसा नहीं दिया, अब आप अपनी बात को केन्द्र सरकार पर मढ़कर टालना चाहते हो, यह उचित नहीं है। मैटेरियल कम्पोनेंट की व्यवस्था...

श्री सभापति : अब आप माननीय सदस्य, समाप्त करें। ऐसा है माननीय सदस्य, मेरे लिए सभी माननीय सदस्य बराबर हैं। अब आपको 25 मिनट हो गये हैं, मैं ऐसे बर्दाशत नहीं कर सकता क्योंकि सभी माननीय सदस्यों को 10-15 मिनट दे रहा हूं और आपको 25 मिनट हो गये हैं बोलते हुए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, अकाल और पेयजल पर चर्चा हो रही है। अकाल के मामले में राज्य सरकार ने अच्छा प्रबन्धन कर रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मोटे रूप में मैं गंगानगर जिले के बारे में निवेदन कर दूं कि अकाल के अन्दर, घड़साना एरिया के अन्दर रात को जो ओलावृष्टि हुई है, उसका मुआवजा दिया है और ओलावृष्टि होने से फसल बहुत ही बुरी तरह से सड़ने लगी..

(समय : 15.54 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसकी सफाई के लिए, साफ करने के लिए प्रति बीघा 1000 रुपये के लगभग की व्यवस्था की है, यह काफी सराहनीय कदम है और उपाध्यक्ष महोदय, देश आजाद होने के बाद से राजस्थान के अन्दर पहली बार ओलावृष्टि पर काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है।

(श्री रामप्रताप कासिनया)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बुआई तो जरूर हुई है लेकिन फसल नहीं हुई। उन पर दोहरी मार पड़ी है तो इस तरह के इलाकों को भी अकाल राहत कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था और पुनःनिवेदन कर रहा हूं कि जो सेमग्रस्त इलाका है, उसमें लगातार पिछले 20-25 वर्षों से अकाल पड़ रहा है। वहां भी आपको पशुओं की और मजदूरी की कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। वहां के लोगों को काम ही नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां मजदूरी करने की कोई जगह नहीं है। कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां लोग जाकर मजदूरी कर लें। कोई ऐसी जगह नहीं बची हुई है जहां खेत में जाकर काम कर ले तो इस तरह के इलाकों को अकाल राहत कार्यों में सम्मिलित करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में पिछले 58 वर्षों का राजस्थान में लेखा-जोखा किया जाये तो पता नहीं, कितने अरबों रुपये खर्च हो गये और यह खर्चा हम व्यवस्था से करते, इसका दुरुपयोग नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल और पानी दोनों की व्यवस्था एक साथ हो सकती थी, इतना धन खर्च हुआ है कि हर घर के आगे हम तो अपनी भाषा में कुंड कहते हैं, चाहे टैंक बना लें चाहे जी.एल.आर. बना लें, एक-एक घर के आगे हम अलग से उसकी पानी की व्यवस्था कर सकते थे और बरसात के पानी से वह कुंड भरी जा सकती थी। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि राजस्थान की सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है अकाल के अन्दर, परन्तु ऐसा कोई पुख्ता कार्य नहीं किया जिससे यह आये दिन की समस्या है, इसका समाधान हो सके। उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कासनियाजी, यह गंगानगर वाले ही जब इस तरह से अकाल के बारे में करेंगे तो ये मारवाड़ वालों की क्या हालत होगी?

श्री रामप्रताप कासनिया : वह आपका कहना सही है। मैं हमारी भाषा में आपको बताऊं, काल से पूछा काल की मां ने कि बेटा, तुझसे काम पड़ेगा

(श्री रामप्रताप कासनिया)

तो तू कहां मिलेगा तो उसने कहा कि टूलतो-फिरतो बीकानेर पर जैसलमेर। पुख्ता तुझे कोई काम हो तो परमार्नेंट तो जैसलमेर-बाड़मेर वहां मिल जाऊंगा और चलता-फिरता बीकानेर में मिल जाऊंगा। बीकाणा में हम लोग भी आते हैं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर में अब वह हालत नहीं रही है। अब तो सारी कुछ व्यवस्था हो गई है।

श्री रामप्रताप कासनिया : नहीं-नहीं, यह सीपेज वाले एरिया के लिए कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कासनियाजी, आज तो हमारा ध्यान ज्यादातर तो वास्तव में अकाल के एरिया में जो गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं और जहां पेयजल की समस्या है, उन लोगों को थोड़ा बोलने का मौका ज्यादा देने का विचार है।

श्री रामप्रताप कासनिया : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बात फरमाई है वह कुछ हद तक सही है पर उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से भी बढ़कर गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले में एरिया है, उदाहरण के लिए पल्लू आपका देखा हुआ है, यह बरमसर, मोटेर, धांधू, जैसलमेर से भी बदतर हालत है, बोलने को तो उनमें गंगानगर जिला है। (व्यवधान) ओलों का मुआवजा आज से पहले कांग्रेस सरकार में जो मिला है उससे तो ज्यादा मिला है और कांग्रेस ने तो कभी दिया ही नहीं, काम तो निकाला, कुछ दिया तो सही, लूटा तो नहीं, टैक्स तो नहीं बढ़ाये, आबियाना तो नहीं बढ़ाया।

श्री हेमाराम चौधरी : तो हमें तो माफ करो न आप, धन्यवाद देकर बैठो न नीचे।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि सेमग्रस्त एरिया को अकाल के अन्दर हर हालत में सम्मिलित किया जावे और बाड़मेर-जैसलमेर से हालत कम नहीं है। बाड़मेर-जैसलमेर में तो कभी-कभी बरसात होती है, वहां पशुओं के लिए चारा भी पैदा होता है, अनाज भी होता है पर उस इलाके में कुछ भी पैदावार नहीं होती, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके

(श्री रामप्रताप कासनिया)

साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आपने घड़साना में उस फसल की सफाई, गली-सड़ी हुई की सफाई करने के लिए प्रति बीघा हजार या जो भी आपने प्रावधान रखा है उसी तरह से सेमग्रस्त एरिया के अन्दर वाटर लाकिंग के कारण जो क्षारीयपन भूमि पर छह-छह इंच जम गया है उसकी सफाई करने के लिए भी अकाल राहत के अन्दर एक तो मजदूरों को काम मिलेगा, दूसरा जमीन काश्त के लायक होगी। यह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के अन्दर परमानेंट काम करवाये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं, रास्ता साफ करवा लो, आपके इलाके में रास्ते, जैसलमेर-बाड़मेर और हमारे इस पल्लू साइड में गांवों के आवागमन के जो रास्ते हैं, उसमें मजदूर लगे हुए रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दो घंटे आंधी चलने के बाद उस रास्ते की हालत वह की वह है। इसका मतलब, ठीक है हमें रोजगार देना है पर रोजगार कोई ऐसे काम पर देना चाहिए जो काम स्थायी हो, परिसम्पत्ति के रूप में राजस्थान की सम्पत्ति तो बने।

इसके अलावा पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुझे पता है आप घंटी बजायेंगे उपाध्यक्ष महोदय। अभी गंगानगर जिले के अन्दर खूब नहरें हैं, पीने के पानी की शायद कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करोगे कि गंगानगर जिले में भी पी.एच.ई.डी. की स्कीम बनी हुई है, पैसा खर्च हो गया, गांव जोड़े हुए दिखा रखे हैं, खैर, उनके बारे में मैं मंत्री महोदय को अलग से लिखकर दे दूंगा, ज्यादा समय सदन का मैं नहीं लूगा, जो भी समस्या है उनके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह गंगानगर जिला नाम का है, समस्याएं बाड़मेर-जैसलमेर से कोई कम नहीं हैं और पुन: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के अंदर जो भी कार्य करवाये जायें, वह पक्के काम होने चाहिए और बहुत से उपयोगी काम ऐसे हैं जैसे नहरों के अन्दर मिट्टी सफाई करने का प्रोवीजन आपने कर रखा है अकाल के अन्दर, खालों की सफाई करना, पक्की रोड़ के ऊपर से मिट्टी हटाना, इस तरह के स्थायी काम करने चाहिए जिससे कोई आगामी आने वाले समय में राजस्थान के खजाने पर कुछ वजन कम पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अन्दर और राजस्थान नहीं,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक यह जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तब तक चाहे आप कितने ही अकाल राहत के कार्य चलायें और चाहे पी.एच.ई.डी. के चलायें, कम पड़ते जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक, समाप्त कीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल। राकेशजी, आप मार्बल के अन्दर बैठे हैं भाई, दुनिया आपकी तरफ देख रही है..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : लेकिन क्षेत्र तो डेजर्ट है, मार्बल में तो मैं अकेला बैठा हूं, जनता थोड़े बैठी है।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जितना अनुशासित व्यक्ति कोई आपको नहीं मिलेगा, आपने घंटी नहीं बजाई उससे पहले ही बैठ गया।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं, आप सब ही बिना घंटी बैठ रहे हैं। घंटी किसी के टाइम में नहीं बज रही है आज। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के भयंकर अकाल है, आप फरमा रहे हैं कि मार्बल में विराज रहे हैं मार्बल में हैं तो आप जैसी ही महान हस्तियां ही बिराज रही हैं, बाकी की जनता मर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : तो बिराज जाओ न। इनके ग्राहक कम हो गये होंगे।

श्री राकेश मेघवाल : सही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजेजी और माननीय मंत्री सांवरमलजी जाट और राज्य सरकार को ह्रदय से बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा, हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि वर्षों पुरानी जो मांग थी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की. वह मांग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान सरकार ने, माननीय मंत्रीजी ने और विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी, इसमें सम्मिलित हैं, सब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1222 करोड़ की गजनेर लिफ्ट योजना नागौर जिले के लिए स्वीकृत की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अभी कोई मीणा साहब ने इमीजियेट रिलीफ लेनी है उसकी बात करो। अब यह आगे-पीछे की स्कीम में चर्चा मत करो अभी।

श्री राकेश मेघवाल : अच्छा।

श्री उपाध्यक्ष : इमीजियेट आज, अभी जो पानी की और मजदूरों की बात है, उस पर आ जाओ सीधे।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1993 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत, महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत ने 5 करोड़ 64 लाख की स्कीम, बांकापट्टी स्कीम सेंक्शन की थी और थोड़े ही दिनों में कांग्रेस का राज आ गया, वह स्कीम धीरे-धीरे चली और फिर भारतीय जनता पार्टी का राज आया और मैं जीता तो मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से और विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया था कि उस बांकापट्टी स्कीम में जो कमियां रही हैं, उस बांकापट्टी स्कीम में 28 जीएलआर जो बने हुए हैं वह पाइप लाइन से नहीं जोड़े गये और जिस ठेकेदार को टेण्डर हुआ था वह ठेकेदार छोड़ कर भाग गया, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जावे और अनुबंध की धाराओं के तहत रिस्क एण्ड कास्ट पर किसी अन्य ठेकेदार को कार्य देकर 28 जीएलआर पाइप लाइन से जोड़कर पानी पहुंचाया जाय जिसमें जीएलआर के नामों की सूचना मैंने माननीय मंत्रीजी को दे रखी है, 28 भूतल जलाशय बने हुए हैं।

उाध्यक्ष महोदय, एक हमने जियो फिजिकल सर्वे करवाया था, उसमें वह जोधपुर की टीम आई थी और जोधपुर की टीम ने पक्षपात करके नोट फिजीबल, नोट फिजीबल लिखकर ट्यूबवैल का वहां दे दिया, उपाध्यक्ष महोदय, जहां खेड़ी लीला में दो ट्यूबवैल मैंने 1994 में खुदाये, वह आज भी चल रहे हैं, वहां डोबड़ी कलां के लिए ट्यूबवैल की फिजीबल रिपोर्ट मांगी, जियो फिजीबल सर्वे, तो उन्होंने नोट फिजीबल लिख दिया जबकि दो ट्यूबवैल चल रहे हैं। धांधोली में भी नोट फिजीबल लिख दिया जबकि वहां भी ट्यूबवैल चल रहा है, पीलवा में भी चल रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि या तो जयपुर से जियो फिजिकल सर्वे की टीम भेजी जाय या बीकानेर की भेजकर वापिस परबतसर विधान सभा क्षेत्र के और नागौर जिले में वापस

(श्री राकेश मेघवाल)

उसका सर्वे करवाया जाय जहां जमीन में ट्यूबवैल में पानी पूरी उपलब्धता से मिले ताकि जनता को राहत मिले।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर में छोटे-छोटे गांव हैं, पुष्कर की तलहटी में बसा हुआ परबतसर विधान सभा क्षेत्र डेढ़ सौ किलोमीटर के भूभाग में बसा हुआ है और भयंकर अकाल है, इसलिए जितने भी अकाल राहत कार्यों में अपन ज्यादा से ज्यादा, अभी बहुत अकाल राहत का काम अच्छा चल रहा है, जगह-जगह नाडी और तालाब चल रहे हैं, उसके लिए तो अकाल राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्य, सबसे ज्यादा नागौर जिले में ही श्रमिक लगाये गये हैं और परबतसर में भी सबसे ज्यादा श्रमिक लगाये हुए हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तालाब तो बहुत खुद रहे हैं और जो पटरियां हैं, सड़कों की पटरियां हैं या गांव का जो रास्ता है उसमें अकाल राहत कार्य में काम दें ताकि रास्ता भी चौड़ा हो जाय, अतिक्रमण भी हटे और उसके साथ-साथ डामर की सड़क है उनकी पटरियां भी बन जायें ताकि लोगों को मजदूरी भी मिले और आने-जाने में सुविधा हो। उपाध्यक्ष महोदय, कई योजना जो कुओं की है वह हमने माननीय मंत्रीजी को बनाकर दी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दी है जिसमें छोटे-छोटे यह गांव में कुएं हैं, पुराने कुएं हैं उनमें मोटर पम्प लगाने का काम है..और कुओं को गहरा कराने का काम है। कुओं में क्या है पानी झरने का मिल जाता है और कुओं में होरीजेंटल बोर किया जा सकता है डी.सी.बी. किया जाता है और झरने का पानी मिलने से गांवों में पानी सप्लाई की पूरी सुविधा मिल सकती है इसलिए मैं यह चाहता हूं नागौर जिले में और परबतसर विधान सभा क्षेत्र में जितने भी कुएं हैं वह कुंए एक बार अकाल राहत कार्यों में गहरे कराये जायें और पूरे अकाल का बजट है कुओं को गहरा कराने में, नये कुए खुदवाने में, उनमें दिया जाए ताकि पानी का पानी मिले और मजदूरों को मजदूरी मिले और फिर उसमें पी.एच.ई.डी. होरीजेंटल बोर करें, डी.सी.बी. करे और कुओं को कमीशन करे ताकि पानी का पानी मिले और अकाल राहत कार्यों में काम मिले आम के आम गुठलियों के दाम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हर विभाग में जीप है चाहे कोई भी विभाग है उसमें गाड़ी है और आज पी.एच.ई.डी. इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें अगर कुएं की मोटर जल जाती है तो ए.ईएन. और जे.ईएन. को वहां जाना पड़ता है हैल्परों को जाना पड़ता है हैण्डपम्प ठीक करने के लिये भी टीम

(श्री राकेश मेघवाल)

को गांव में भेजना पड़ता है। प्रत्येक हैण्डपम्प को ठीक करने के लिए टीम भेजनी पड़ती है लेकिन पी.एच.ई.डी. एक ऐसा विभाग है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें गाड़ी नहीं है उनके पास विभाग की गाड़ी नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी से मांग करता हूं कि प्रत्येक ए.ईएन. आफिस में एक-एक नयी जीप दी जाए जिससे आने-जाने में, भागदौड़ करने में ए.ईएन., जे.ईएन. को गांवों में सर्वे करने में, गांवों में काम करने में और पेयजल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीप की नितान्त आवश्यकता है इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं हर एक ए.ईएन. आफिस में एक जीप उपलब्ध करायी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रत्येक गांव ढाणी में पानी की भयंकर किल्लत है। माननीय मंत्रीजी ने करीब तीन सौ हैण्डपम्प मेरे क्षेत्र में स्वीकृत किये और खुदाये उसके लिए तहेदिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि अगर 15 घरों की ढाणी है तो वहां हैण्डपम्प होना चाहिए और कई ढाणियां चिन्हित नहीं हैं लेकिन वो 15 घर, 10 घर, 25 घर गांवों में ऐसे बसे हुए हैं जहां तीन-तीन किलोमीटर तक पानी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो प्रत्येक गांव, ढाणी और मौहल्ले में हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति दें। माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत है..

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महावीरजी, ये जो जिप्सी गाड़ी की बात कर रहे हैं उसकी जगह अगर सरकार क्वालिस गाड़ी दे तो क्या बुरा है क्या

श्री राकेश मेघवाल : क्वालिस दे दें, आपने दी क्या? आपने तो छकड़ा भी नहीं दिया कांग्रेस राज में। यह क्वालिस रखने वालों का दिल चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये आपका इंतजार नहीं करते, ये फौरन खरीदते हैं।

श्री राकेश मेघवाल : ये आपका इंतजार नहीं करते और क्वालिस रखने वाले क्वालिस रखेंगे। आप क्या क्वालिस रखोंगे। जब से राजस्थान में क्वालिस आयी थी तो सबसे पहले क्वालिस गाड़ी खरीदने वाला, राजस्थान में कोई भी गाड़ी आती है सबसे पहले खरीदता हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : आपके तो क्वालिस और रेलगाड़ी की यात्राएं हैं, भाजपा के लिए तो।

श्री राकेश मेघवाल : इसलिए तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा अभी तक आप तो मार्बल बेचने वाले हैं जो भी हैं हमारे में शक्ति और हिम्मत है आप सोचते हो कि अनुसूचित जाति का बंदा है तो क्वालिस नहीं रख सकता। राजस्थान में कोई भी कम्पनी अगर गाड़ी लांच करती है तो वो पहले गाडी आर.के. मार्बल में आती है। पहली गाडी खरीदता हूं। जो आदमी को करना चाहिए सब कुछ करते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्वालिस गाड़ी के पीछे उद्देश्य क्या है आपका?

श्री राकेश मेघवाल : आप ही तो थे उस दिन नागौर का नाम बदनाम करने वालों में। आप ही थे और अगर कोई सबूत लेना चाहते हैं तो माननीय गृह मंत्रीजी से ले लीजिये। आप झूठे-झूठे आरोप जो लगा रहे हो एक दूसरे पर ओछे आरोप, ओछी हरकतों पर मत जाओ नहीं तो गृह मंत्रीजी को जवाब देना पड़ेगा कि उस दिन आप उस रात को आप कहां थे। क्वालिस राजस्थान में सबके पास है। क्वालिस रखने का माद्दा चाहिए, दम चाहिए..(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय सदस्य, कौनसी रात को हमें तो बताएं हमें भी जानकारी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये तो आपको उत्तेजित करने के लिए कह रहे हैं उत्तेजित मत होओ आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : वो रात कब आएगी हमें भी तो बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी : ये क्वालिस का मामला क्या है यह स्पष्ट किया जाए। यह क्वालिस का मामला क्या है, यह कुछ संदिग्ध मामला लगता है। यह क्वालिस का मामला क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अकाल का मामला है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय सदस्य, क्वालिस का राज क्या है. राज तो बताओ. यह क्वालिस का राज क्या है?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए साथ ही मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि मुखबंद का समय 6 बजे किया जाए।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मुखबंद का समय 7 बजे रखें क्योंकि काफी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो जाना चाहेंगे न।

श्री जुबेर खान : 7 बजे रखें 7 बजे। 7 बजे का रख लें मुखबंद।

श्री बाबूलाल नागर : सात-साढ़े सात बजे बाद रखिये मुखबंद का समय। (व्यवधान)..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : उपाध्यक्ष महोदय, 8 बजे रखिये, 8 बजे।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना का प्रश्न है मेरा सूचना का प्रश्न एक मिनट..। सूचना का प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मुखबंद थोड़ा लेट रखवाइये ताकि माननीय सदस्य बोल सकें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुखबंद का समय 7 बजे और सदन का समय 8 बजे।

श्री बाबूलाल नागर : और लेट करें सब बोलेंगे। सब बोलेंगे अकाल पानी का मामला है।

डा. सी.पी. जोशी : सदन का समय मांग पारित होने के साथ मुखबंद इन्क्लूड करके पास कराने तक कीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : मुखबंद का समय तय करने की जरूरत नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : सदन की कार्यवाही मांगें पास होने तक जिसमें मुखबंद भी सम्मिलित है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये जो आज का बिजनैस है यह पूरा होने तक इसके बाद में विधेयक पुनःस्थापित भी होगा इसकी कार्यवाही पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आज की कार्यसूची का पूरा विवरण होने तक बढ़ाया जाए, क्या इसमें सदन सहमत है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

श्री राकेश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की तलहटियों में बसा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर चर्चा

श्री राकेश मेघवाल : परबतसर विधान सभा क्षेत्र में एक बवायचा गांव है..

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मुखबंद का समय आज तक नियत किया जाता है कि इतने मुखबंद होकर मांगें पारित की जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : पर कोई इसमें आवश्यक नहीं है।

श्री सांवर लाल : आज तक तो यही हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी सहमति से जब चाहेंगे तब कर लेंगे।

श्री सांवर लाल : नहीं, पर परम्पराओं को एकदम से सहमति से मत करो आप। लेट कर दीजिये आप टाइम।

श्री उपाध्यक्ष : चलता है वो।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कुओं को. (व्यवधान) कमीशन..(व्यवधान)।

श्री जुबेर खान :. .(व्यवधान) हम तो मान लेंगे अगर आपको कहीं जाना है तो चले जाइये।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी कह रहे थे वो ठीक है मुखबंद का समय तय होना चाहिए लेकिन ज्यादातर माननीय सदस्यों के लिए मुखबंद ही रहता है हमेशा 20-25 आदमी बोलते हैं और लोगों को बोलने दें, कहां आफत आ रही है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय सदस्य, क्वालिस का क्या राज है हमें भी तो बतायें।

श्री रामचन्द्र सराधना : और दिक्कत यह आ गयी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पी.एच.ई.डी. पर बात चल रही है, जलदाय की बात चल रही थी, जलदाय विभाग को जिप्सी दिलाने की बात चल रही है बीच में क्वालिस का और माननीय सदस्य को उत्तेजित होने की कहां दिक्कत आ गयी, क्या हो गया, यह समझ में नहीं आ रहा है। कोई अन्तर कथा है तो उसको स्पष्ट करें।

श्री सांवर लाल : तेज दौड़ने वाली गाड़ी चाहिए हैण्डपम्प अभियान में भी यही लगायेंगे हम।

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से पधारे हैं उनके विमान में भारत का झण्डा उलटा लगा हुआ है। यह मैं सूचना देना चाहता हूं। झंडा उलटा लगाना अपमान नहीं है? यह छोटी सूचना है? मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि विमान..। लगाया हुआ है आपको पता नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विभाग में कुओं की जो छोटी-छोटी स्कीमें हैं, वो बनाकर जलदाय विभाग तो भेजी हैं माननीय मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि मेरे 39 गांवों की जो स्कीमें हैं वो किसी मे डेढ़ लाख की है, किसी में चार लाख की है। किसी में 2 लाख की है उसमें कुओं को गहरा कराना है, डी.सी.बी. कराना है होरीजेंटल बोर करना है और कुओं को कमीशन कराने के लिए ये 39 गांवों की योजना बनाकर दे रखी है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदयजी, आप इस योजना को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें जिससे कि पेयजल की उपलब्धता और गांवों में शुद्ध पेयजल मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम परबतसर विधान सभा क्षेत्र में तीन सौ

(श्री राकेश मेघवाल)

हैण्डपम्प पहले आपने दिये हैं वो खुदवा दिये गये हैं अब पांच सौ हैण्डपम्प की और स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करावें। यही मैं आशा के साथ में, आपने उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया, उसके लिए तहेदिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिन्द। जय भारत

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल पर चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने अजमेर शहर और अजमेर जिले की पेयजल व्यवस्था के विषय में कुछ बोलना चाहूंगी। अजमेर शहर एक प्राचीन शहर है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है पुष्कर और दरगाह के कारण विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, माननीय भैरोंसिंहजी साहब, उनके समय में बीसलपुर बांध से पेयजल हेतु एक योजना स्वीकृत हुई थी और उन्हीं के कार्यकाल में उसको प्रारम्भ होने का.. (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट टू करेक्शन। बीसलपुर की योजना की सैंक्शन कांग्रेस के शासन में हुई थी। माननीय हरिदेवजी जोशी जब मुख्य मंत्री थे, तब हुई थी। माननीय हरिदेवजी जोशी जब मुख्य मंत्री थे, तब हुई थी मैं सैंक्शन की बात कर रहा हूं। मैं उस समय मैम्बर आफ पार्लियामेंट था, मनमोहन सिंहजी डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमशीन थे और उस एनुअल प्लान में यह बीसलपुर की योजना स्वीकृत हुई थी। महावीरजी, आपको जानकारी नहीं है यह सन 1985 की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1982 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा। यह सन 1985 में जब हरिदेव जोशीजी मुख्य मंत्री थे, तब यह स्कीम सैंक्शन हुई थी। मनमोहन सिंहजी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, उस समय सैंक्शन हुई थी और मैं उस वक्त मैम्बर आफ पार्लियामेंट था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको गलत जानकारी है।

श्री जुबेर खान : आज महावीरजी ने बहुत तथ्यात्मक बात की है और बड़ी इटेलीजेंट बात की है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विवाद नहीं कि कब बनी, कब शुरू हुई, सबको पता है।

श्रीमती अनिता भदेल : श्री लिटरेचर मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसके आधार पर बता रही हैं विष्णुजी।

श्री सांवर लाल : यह तो सब तथ्यात्मक बाते हैं, सब रिकार्ड में है, कब बनी, कब शुरू हुई, कब कौनसा काम हुआ, इस पर विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह आपको ऐसा लिटरेचर देकर आपसे किस तरह से असत्य बुलाया जा रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल : नहीं असत्य नहीं बुलाया जा रहा है।.. (व्यवधान) लिटेरचर इस समय का नहीं है महावीरजी के पास यह लिटरेचर उपलब्ध है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीसलपुर की जो नींव रखी थी उस समय 8 टी.एम.टी. पानी अजमेर के लिये रखा था।

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य कोई असत्य नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान) भैरोंसिंहजी के टाइम में बनी थी।

श्री रामप्रताप कासनिया : हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान हुआ है उसकी किसी को चिंता ही नहीं है, यूं ही हो हल्ला कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) और यह 80 करोड़ रुपये की योजना आपने खटाई में डाल दी।

श्रीमती अनिता भदेल : भैरोंसिंहजी के वक्त ही यह वित्त पोषित हुई थी क्योंकि बिना पैसे के कोई भी योजना भले कागजों में बन जाये लेकिन उसके कोई मायने नहीं होते।

श्री हरिमोहन शर्मा : उस समय तो यह पार्लियामेंट के मैम्बर थे, और आज इन्टर स्टेट जितनी भी वर्स हैं उसके मामले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सारा काम इनको संभला रखा है। इनकी डेट गलत नहीं हो सकती, आपको याद नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : और आपकी जानकारी के लिये मैं कह रहा हूं एक आदमी हमने डेपुटेशन पर भेजा है जो आज भी वहां बैठकर हमारा काम कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल : मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस आधार पर मैंने इस बात को कहा है 28.4.1993 को 309 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई और पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी के कारण से वह वित्त पोषित हुई थी। कागजों में यदि कोई रिपोर्ट बन जाये कोई योजना बन जाये लेकिन उसके फाइनेंस की कोई योजना न हो तो वह रिपोर्ट किसी लायक नहीं रहती। ऐसे हमने सैंकड़ों बनायी हैं और सैकड़ों खतम भी हुई हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया था। यह योजना स्वीकृत हुई और प्रारम्भ होकर समाप्त भी हुई।

श्री हेमराज मीणा : माननीय सदस्य, मुझे तो जनता ने टिकट दे रखा है और जनता ही यहां भेजती है।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नाप-तौल नहीं है टिकट मुझे भी नहीं मिला है मैं वकालत कर रहा हूं दिनभर। टिकट मुझे नहीं मिला और मैं दिनभर सरकार की वकालत करता हूं इसलिए करता हूं कि अच्छे काम हो रहे हैं।

श्री भंवरलाल राजपुरोहित : यह आपका बड़प्पन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में नहीं। बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पहली बार जीत कर आई हैं, अच्छा बोल रही हैं उनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दें।

श्रीमती अनिता भदेल : मैं पेयजल के विषय में चर्चा कर रही थी। आये दिन अखबारों में छपता है कि अजमेर में 7 दिनों से पानी नहीं आया।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अभी 2-3 दिन पहले भी अजमेर में 72 घंटे और फिर 104 घंटे और उसके बाद भी शहर को पानी नहीं मिला। पूरे शहर में पानी के लिये त्राहि-त्राहि हो गई। उस समय जो योजना स्वीकृत हुई थी वह दो चरणों में पूरी होनी थी। प्रथम चरण का काम माननीय शेखावत साहब के समय में पूरा हुआ और दूसरा चरण कांग्रेस के शासन में पूरा होना था। 2003 में दूसरा चरण समाप्त हो रहा था लेकिन न तो उसकी स्कीम बनी, न उसमें पैसा दिया गया। इसके कारण अजमेर शहर का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, वह प्रथम चरण उसकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगी कि आपने दूसरे चरण की जो योजना बनाई है उसके वित्त की भी आप व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। लेकिन मैं चाहूंगी कि स्कीम को समयबद्ध किया जाये। कितनी स्कीम कितने समय में पूरी होगी यह तय किया जाये और उसके बाद ही कोई कांट्रेक्टर यदि आता है तो उसको उस आधार पर ही कांट्रेक्ट दिया जाये। क्योंकि कई बार हम योजना तो स्वीकृत कर देते हैं और वह प्रारम्भ भी हो जाती है लेकिन समय पर पूरी नहीं होने के कारण उसकी लागत बढ़ती रहती है। मैं चाहूंगी कि यह योजना स्वीकृत होकर काम शुरू हो और समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। बार-बार पानी की पाइप लाइन टूटती है और उसके कारण पेयजल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जो सीमेंट कांकरीट की पाइप लाइन है उसको बदलकर लोहे की पाइप लाइन वहां डाली जाये ताकि बार-बार जो पाइप लाइन घटिया मैटेयिल की वजह से टूटती है उसको दुरुस्त किया जाये और दुरुस्त करने के लिये लोहे की पाइप लाइन अगर वहां डाली जायेगी तो शायद बार-बार की जो पेयजल की समस्या है, उससे अजमेर शहर को निजात मिलेगी।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री महोदय को हैण्डपम्प के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अजमेर पूर्व, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है, उसमें 100 हैण्डपम्प स्वीकृत किये लेकिन इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि इस तरह वित्तीय वर्ष में भी लगभग इसी संख्या में हैण्डपम्प स्वीकृत करें ताकि पेयजल की समस्या से निजात पायी जा सके।

एक दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी कि बार-बार अजमेर शहर में पेपर में यह छपता है बीसलपुर से जयपुर और दूदू की जो स्कीम है उसके

(श्रीमती अनिता भदेल)

कारण से अजमेर को पानी नहीं मिलेगा और अखबारों में यह खूब प्रचारित होता है। तो जब आप अपनी चर्चा का उत्तर दें तब यह स्पष्ट कर दें कि इससे अजमेर का जो पानी होगा, उसकी कोई कटौती नहीं की जायेगी ताकि शहर के लोगों को जो आशंका है उसका समाधान उन्हें मिल जायेगा। मैं अपनी बात यही कहकर समाप्त करना चाहती हूं आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल और पेयजल पर चर्चा हो रही है मैं भी आपके माध्यम से संक्षिप्त में मेरे विचार रखना चाहूंगा। अकाल प्राकृतिक आपदा है और यह किसी के बस की बात नहीं है। राजस्थान में पिछले 6 साल से लगातार अकाल की छाया मंडरा रही है और अकाल का सीधा असर ग्रामीण इलाके में देखने में आता है। जो लोग गांवों में रहते हैं वहां अकाल की छाया कैसी है, आप लोग गांवों में जाकर देखें तो पता लगेगा कि अकाल की पीड़ा क्या है। अकाल मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं है पर जहां भी हैं वो हाउस की कार्यवाही सुन रहे होंगे, मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहूंगा, विशेषकर नागौर जिले की बात मैं निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, नागौर में 1500 गांव हैं और उनमें से 933 गांव अकाल में हैं। आज वहां लेबर सीलिंग 65 हजार है। यह लेबर सीमा नागौर जिले के लिये कम है। मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी से यह मांग करता हूं नागौर जिले की श्रमिक सीमा 1 लाख करने की आज ही घोषणा करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के अभाव में जो लोग पलायन कर रहे हैं वह वहीं बैठे रहे पलायन नहीं करें। पशुओं को कैसे बचाना है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में 30 लाख पशु हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके याद करते ही वह आ गये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह तो किसान परिवार से है और किसानों की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए राजस्थान की जनता इनसे यह उम्मीद करती है..राजस्थान में जो अकाल से पीडित हैं उनके लिए किरोड़ीलालजी मंत्री रहते हुए राजस्थान सरकार से कुछ अच्छा काम कराएंगे। इसी उम्मीद के साथ, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा। मेरे कुछ विचार सदन में रखूंगा।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय, 30 लाख पशुओं में आज सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारे गौ-धन की और भेड़ पालकों की है। आज जो गाएं आवारा फिरती हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के राज में अकाल का प्रबन्धन अच्छा हुआ था और उस अकाल प्रबंधन की सराहना भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि चारे की व्यवस्था की जाए। जो गौशालएं चल रही हैं उन गौशालाओं को अनुदान लगातार जारी रखा जाए। उनको बंद नहीं किया जाए।

गौशाला में जो पशु हैं, वह तो चाहे अकाल हो चाहे नहीं हो उन पशुओं को गौशाला से बाहर नहीं निकालां जाता है। अकाल होता है तब तो चारे की कीमत बढ़ती है और जमाना होता है तो चारा कुछ सस्ता मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि चारे की व्यवस्था को, गौशाला का अनुदान, हमारे जिले में किश्त मिल गई, जो काम हुआ है उसे कहने में कोई संकोच नहीं है। एक किश्त सरकार के द्वारा अभी दी गई है परन्तु जितना पैसा कांग्रेस शासन में गौशालाओं को दिया गया था उसके हिसाब से आपने अभी कुछ नहीं दिया। इस सम्बन्ध में आप विचार करें गौधन को कैसे बचाना है।

गौधन से खाद मिलती है। गौ का मूत्र तो काफी दवाइयों में काम आता है। गाय को माता के रूप में देखा जाता है, वह धन आज हमारे जिले से समाप्त हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर के प्रसिद्ध बैल, मेले में हमारे नागौर के बैलों की जोड़ी पचास हजार रुपये तक बिकी हुई है। आज उस धन की यह हालत है। वन एवं पर्यावरण मंत्रीजी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड की जा रही है। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि छेड़छाड़ नहीं भयंकर छेड़छाड़ की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साखियां जाति, गांवों से यह आवारा पशु हैं उनको गाडियों में, जैसे बोरी के ढागे लगाकर ले जाते हैं यह पाड़े, बूढी भैंसे, गायें इनके चारों पैर बांधकर, ढागे लगाकर ले जाकर जो कत्लखाने हैं, बूचड़खाने हैं उनमें देते हैं।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो महीने पहले, चाय आग लगाकर तो सब बनाते हैं यह तो आप भी सुनते आए हैं, साखिया जाति के लोगों ने शादी की उसमें पांच तो हाथी मंगवाए इन्होंने और 51,000 रुपये भट्टी में लगाकर उससे चाय बनाई, यह बात अखबार में भी आई थी। अखबार में खबर छपी थी। क्यों नहीं करे वह, उनके खून और मांस का पैसा आ रहा है। इसके लिए भी सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो इस धन को बाहर जाने से रोके।

उपाध्यक्ष महोदय, हर इलाके में अकाल के अलग-अलग उपयोगी काम है। हमारे नागौर जिले में सभी गांवों में बड़े तालाब हैं, हमारे जिले के लिए तालाबों की उपयोगी खुदाई हो, वह काम उपयोगी साबित, एनीकट बनाए जाएं, कुछ पक्के काम हाथ में लिए जाएं, यह बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जो लोग अकाल राहत के पैसे चाहे मस्टरोल के जरिए, चाहे फर्जी बिल्टी बनाकर, चाहे परिवहन के जरिए, जो अकाल का पैसा खाते हैं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी हो उसके लिए ऐसा कड़ा शिकंजा कसना चाहिए, जो राजस्थान की जनता के खून-पसीने की कमाई का पैसा खाता है, मंत्रीजी ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे केस बनने चाहिए और वह किसी सिफारिश पर छूटने नहीं चाहिए।

मै आपको उदाहरण के तौर पर, मूंडवा एक गौशाला है, उसमें करीब 30 लाख रुपये का घोटाला हुआ, आज ए.सी.डी. में केस चल रहा है, उस केस का आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। न उनके खिलाफ कोई चालान हुआ। ऐसी बातें लम्बी होने से चोरों के हौंसले बुलंद होते हैं और यह समय-समय पर चोरी करते रहते हैं।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में मेड़ता तहसील भी, बहुत बड़ी तहसील है और करीब 26 ही गांव उसके अभावग्रस्त घोषित किये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी ये निवेदन करूंगा कि वहां भेदभाव किया गया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जहां अकाल की स्थिति बनी हुई है वहां आप जाकर सर्वे कराकर, गिरदावरी कराकर अभावग्रस्त घोषित करके अकाल राहत का काम चलाएं।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें पेयजल के लिए मेरे क्षेत्र की निवेदन करूंगा। ऊपर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी काम करना चाहते हैं पर जो पेयजल की स्थिति बिगड़ रही है वह तमाम इन नीचे, छोटे कर्मचारी, अधिकारियों की वजह से बिगड़ रही है। तीन-तीन जे.ईएन. की पोस्ट खाली पड़ी हैं। माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा मेरे क्षेत्र में डेगाना में दो पोस्टें खाली पड़ी है जे.ईएन. की। एक पोस्ट बूटाडी में खाली पड़ी है।

एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि इन अधिकारियों का इतना अंकुश इन कर्मचारियों पर, अभी खिवताना गांव में एक कर्मचारी, जे.ईएन. वहां गए, लाइन में लीकेज था, उन्होंने देखा तो लीकेज के लिए कहा, तो कुल्हाड़ी लेकर पीछे दौड़ा कि मेरा कुछ कर लेना, वह तो गांव वालों ने बीच में पड़कर छुडाया नहीं तो वह कुल्हाड़ी से हाथ-पैर काटता। यह स्थिति इस विभाग की है।

पिछले साल की कंटीजेंसी में टयूबवैल खोदे गए, उदाहरण के तौर पर उन गांवों के नाम आपको बताऊंगा, मेरे क्षेत्र में राजापुरा, मेराना और खानपुरा। इनमें पिछली साल जो टयूबवैल बनाए गए वह भी आज दिन तक चालू नहीं हुए। कभी तो कह देते हैं कि पत्थर काटने वाली मशीन नहीं आई; कभी कह देते हैं कि उस भूगल में पत्थर फंस गया, कभी कह देते हैं कि बिजली वाले कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, इस तरह की अनियमितताएं, कर्मचारियों की वजह से इस विभाग को बदनामी मिल रही है। माननीय मंत्रीजी, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। राजस्थान की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। चाहे इसके लिए आपको कठोर कदम उठाने पड़े, तो आप उठाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कई गांवों में, जिनमें पीने के पानी नहीं है, पूरे जिले में अधिकांश तहसील में फ्लोराइड युक्त है, वह पानी पीने से लोगों में बीमारी होती है दांत पीले हो जाते हैं, कुबडिया हो जाते हैं, शरीर में खुजली चलने लग जाती है और बाल उड़ने लग जाते हैं। कई गांवों में यह हालत है कि लोग उनकी शादी करने से भी मना कर देते हैं कि आपके गांव में पानी नहीं है हम बच्ची नहीं देंगे। इस पर मंत्रीजी को विचार करना चाहिए।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

जहां ट्यूबवैल, आप इसमें एक सुधार कर दें एम.एल.ए. फण्ड से, जो विधायक अपने फण्डस से टयूबवैल बनाना चाहते हैं। उनको आप छूट दो। राज्य सरकार ने यह अडंगा लगा दिया कि डिपार्टमेंट को दे आप। डिपार्टमेंट टयूबवैल की कीमत मानता है 6 लाख के करीब, विधायक अपने कोटे से पैसा देकर पंचायत के माध्यम से करा लें और पंचायत को ही सुपुर्द कर दें तो उपाध्यक्ष महोदय, उस टयूबवैल को गांव वाले अच्छी तरह से चलाएंगे।

आज भी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है वहां पंचायत के माध्यम से आप टयूबवैल बनाकर उन लोगों को गांव वालों को सुपुर्द कर दें तो वह आपके विभाग से उसकी अच्छी देखरेख करेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे। अच्छी तरह से लोगों को पानी पिलाएंगे। मैं आपके माध्यम से इतनी ही बात निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं, आपका धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता पर मैं आपके माध्यम से, सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय झण्डे का अपमान हुआ है कम से कम निंदा प्रस्ताव तो पारित करे (व्यवधान) सूचना मेरे पास है पक्की, हमारे देश के राष्ट्रीय झण्डे को उल्टा लगाया गया है (व्यवधान) होम मिनिस्टर कोई विधान सभा से ज्यादा बड़े है क्या, यहां सूचना मिलती है होम मिनिस्टर को और सबको। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय झण्डे का अपमान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कासनियाजी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत चिंता का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती वंदना मीणा। आपने सूचना दे दी माननीय कासनियाजी।

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल व अकाल के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं सदन

(श्रीमती वन्दना मीणा)

की नेता को व मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान में सरकार बनते ही उदयपुर जिले में 2 बड़ी परियोजनाएं उन्होंने स्वीकृत की हैं। इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उदयपुर जिला झीलों की नगरी के नाम से पुकारा जाता है और साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी उदयपुर जिला जाना जाता है। मैं मोटे-मोटे रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 41 पंचायतें हैं और शहर के 18 वार्ड हैं। 41 पंचायतें, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की हैं और उन पंचायतों में पानी की भयंकर तकलीफ है। वहां की जनता को काफी सामना करना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि मानसी-वाकल परियोजना का काम अभी वर्तमान में चल रहा है उसके रास्ते में करीबन 4-5 गांव पड़ते हैं उन गांवों को भी उन पाइप-लाइनों से पानी दिया जाए ताकि वहां की जनता की तकलीफें दूर हो सकें। साथ ही देवास, द्वितीय जो अभी प्रारम्भ होने जाएगी, उससे भी उदयपुर जिले की झीलें लाभान्वित होंगी और आस पास की मावली तहसील व भिण्डर भी लाभान्वित होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 5 स्कीम्स मंत्री महोदय को भिजवा दी हैं, तकमीने सहित, रामा, कैलाशपुरी, नाई, अल्सीगढ़ और उमड़ा। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि छोटी-मोटी हैण्डपम्प की समस्या तो मैं दूर कर लूंगी परन्तु यह जो स्कीमें हैं, करीबन 19-20 लाख की, इन स्कीम्स को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराया जाए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी।

साथ ही अकाल के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीबन 153 रेवेन्यू विलेज, गांव हैं और उदयपुर शहर के नजदीक हैं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां के आदिवासियों के पास करीबन 4-5 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। इस स्थिति में सारे आदिवासियों को सुबह उठते ही शहर मजदूरी के लिये आना पड़ता है। उस एरिये में 5 साल पहले भी अकाल था और अभी भी अकाल की भयंकर स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उस एरिये में अच्छी से अच्छी वर्षा हो जाए उसके बावजूद भी उन आदिवासियों के पास, 6 महीने खायें, इतना ही अनाज पकता है क्योंकि वहां की जो जमीन है वह पथरीली और कंकरीली है, अच्छी उपजाऊ नहीं है, इस वजह से उनको शहर व गुजरात में मजदूरी के लियें जाना पड़ता है। इस वजह से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि अभी

(श्रीमती वन्दना मीणा)

वर्तमान में 5325 श्रमिक काम कर रहे हैं, यह बहुत कम संख्या है। वहां श्रमिक बढ़ाये जाएं यह मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी ताकि वहां की गरीब जनता को राहत मिले। अभी माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने कुछ एनीकट भी निकालने के हमारे पास से प्रस्ताव मांगे हैं, वह भी निकाले जाएं ताकि वहां का जो जल स्तर है, जो नीचे है, वह जल स्तर बढ़े । मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. के माध्यम से भी सभी अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है और माननीय मंत्रीजी की अधिकारियों के ऊपर काफी पकड़ है। मैं एक बार पुन: सदन की नेता को व माननीय मंत्रीजी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, आपने जो बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत और पेयजल पर ध्यान आकर्षित करूंगा हकीकत में जालौर जिले की स्थिति भी, बड़ी विकट परिस्थिति में जालौर जिला है और जालौर जिले में आहोर की स्थिति और बहुत ज्यादा विकट है। यह निश्चित है कि पूरे राज्य भर में पेयजल की स्थिति सुधरे इसलिये मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा जो बजट की व्यवस्था की गयी उसके लिये मुख्य मंत्री महोदय धन्यवाद की पात्र हैं और हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर भी धन्यवाद के पात्र हैं। मान्यवर, मेरे आहोर में 136 गांव हैं। 136 गांवों में से 49 गांव इस प्रकार के हैं जो बिलकुल खारे पानी के हैं। उनका पानी, अगर चाय बनानी हो तो दूध फट जाती है, सब्जी नहीं बनती है और 4-5 लीटर का पानी कहीं आहोर सिटी से शहर से ले जाकर अपने घर में रखते हैं मेहमान बगैरह के यूज करने के लिये, वह पानी सम्भाल कर रखते हैं। ऐसे 49 विलेजेज की हमारी स्थिति वहां पर है और उसके साथ-साथ 51 विलेजेज जो फ्लोराइड युक्त हैं और इतना भारी फ्लोराइड है कि वहां के लोगों की हालत ऐसी है कि उनकी हड्डियां इस प्रकार की हो गयी हैं कि मामूली धक्का लगे तो हड्डियां कांच की तरह टूट जाती हैं। इस प्रकार से हमारे 136 गांवों में से सौ गांव बहुत बड़ी विपदा में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय कहीं गये हैं लेकिन मैं उनको आगाह करूंगा। अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान भी मैं चाहूंगा कि मेरे आहोर के इस प्रकार के

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

इन सौ गांवों की हालत और यह आहोर जवाई बांध के बिलकुल किनारे पर बसा हुआ है, जवाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। और उस जवाई बांध के बनने के बाद वह जवाई नदी बिलकुल डार्क जोन में आ गयी है। पेयजल की सुविधा के लिये जवाई बांध की कमी ओवर फ्लो या बाढ़ वाली स्थिति आती है तो पूरी आहोर तहसील उसमें बह जाती है और पानी कहीं और जाता है। इसलिये जवाई बांध का पानी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को हमने स्कीमें बनाकर दी हैं 121 गांवों को जवाई बांध से पानी मिले। आज जो टयूबवैल के माध्यम से, पी.एच.ई.डी. के माध्यम से पानी मिल रहा है पेयजल के लिये। उसमें 13 से 14 रुपये प्रति हजार लीटर पानी का खर्चा आ रहा है और यह पाइप लाइन द्वारा पानी मिलने के बाद 3 से 4 रुपये प्रति हजार लीटर का खर्चा आएगा। इसमें पैसे की भी बचत होगी और जमीन का जो भूजल है वह इतना नीचे चला गया है उसमें भी बचत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में इस स्कीम को लिया है। अब माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि बहुत विकट परिस्थिति है जालौर जिले में और आहोर की इस परिस्थिति में यह जो स्कीम इस बजट मे ली है, इसको तुरन्त गति से आप गति दें, ऐसा मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है। इसके साथ मेरे आहोर के बाकी बचे हुए लगभग 34 गांव ऐसे बचते हैं, उसमें घोतडानाड़ा की योजना, जो 14 गांवों की, हमने सैक्टर की बनाकर दी है। मंत्री महोदय, उसको पास करवाने के लिये मेरा आपसे निवेदन है कि बाकी बचे हुए जो जेतपुरा, जोधपुर से पाली की तरफ पानी आया है, उसमें बाकी बचे हुए 24 गांव जोड़ने की कृपा करेंगे। मैं अकाल राहत मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 18600 गांवों को आपने अभावग्रस्त घोषित किया है, 1688 चारा डिपो चलाये हैं। जालोर जिले में आपने पच्चीस हजार से पैंतीस हजार की सीलिंग की है वह भी हमारे कम है, इस सीलिंग को भी बढ़ाने की कृपा करेंगे, मेरा आपसे यह निवेदन है और साथ में मैटीरियल कम्पोनेंट के जो पक्के काम हैं, वे आपने दस परसेंट दिये हुए हैं, उसकी जगह बीस परसेंट करेंगे तो हमारे जालौर के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया होगा और जालौर की जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी गौशाला जालौर जिले में पथमेड़ा में है और उस

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पथमेड़ा की गौशाला की स्थिति इतनी दयनीय है कि पिछले अकाल के समय एक लाख पशु, एक ऐतिहासिक शौर्य था वहां पर, एक लाख पशुओं की जान बचायी इस पथमेड़ा गौशाला ने। मैं मुख्य मंत्रीजी और आपदा मिनिस्टर श्री किरांड़ीलालजी से निवेदन करूंगा कि एक बार आप दोनों वहां पर दौरा करें और उस गौशाला को आपको देखना चाहिए। देखने पर आप पाएंगे कि वहां पर कई प्रकार की असुविधाएं हैं, किस प्रकार से पशुधन वहां रह रहा है, वह आपके सामने आएगा। मेरा मुख्य मंत्रीजी से विशेष आग्रह है कि उस गौशाला को निश्चित रूप से आप अपना कार्यक्रम बनाकर वहां देखें जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें। मतलब, वह गौशाला ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में तीन करोड़ रुपये उस गौशाला को दिये थे। अब कांग्रेस की सरकार क्या देगी, नहीं देगी, यह तो इनकी जाने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अकाल राहत पर यह जो गेहूं वाला विषय है, इतना बढ़िया सारा चल रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार अकाल राहत के गेहूं बेचकर खा गयी थी, कितने? 60 हजार क्विंटल या ज्यादा, एक लाख क्विंटल, यह अकाल राहत में गरीबों के पेटों पर धक्का देकर गरीबों के पेट को काटकर कांग्रेस के नेता उस गेहूं को बेचकर खा गये। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सिरोही के माननीय सदस्य के शहर स तीन केस और 11600 क्विंटल गेहूं, 11600 क्विंटल गेहूं खाली सिरोही के अन्दर, तीन ऐसे केस हुए, अकाल राहत में बेचकर खा गये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय का श्रेय था उनको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के गेहूं खा गये। आज यह स्थिति नहीं है। हम अकाल राहत के गेहूं बेचकर नहीं खाएंगे। हम तो गरीबों का भला करेंगे और मैं अकाल राहत मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका इतना बढ़िया एक सिस्टम है, उसके कारण यह कार्य बहुत बढिया तरीके से चल रहा है और इसको गति देने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय, 24 घंटे इसको गति देनी होगी और यह पूरी गरीब जनता आपको खूब-खूब याद करेगी।

फिर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए हमारी आहोर की पेयजल की स्कीम, आहोर की जवाई बांध से पानी देना इसको तुरन्त गति दें, बहुत हालत खराब है, यह कभी घड़साणा जैसा आन्दोलन हो सकता है, इसलिए इसको तुरन्त गति दें, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो आपने नाम पुकार लिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं आपत्ति कर रहा हूं कि मैं कुछ बोलूं उसके पहले निवेदन है कि माननीय सदस्य ने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के लिए नामजद रिकार्ड में दर्ज करवाया है। यह सदन की परम्परा के अनुकूल भी नहीं लगता है। मेरे हिसाब से यह ठीक शब्द नहीं है। अगर आप ठीक समझें तो इसको निकलवा भी सकते हैं। नहीं तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर भी प्रदान करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल पर और पेयजल पर चर्चा है। निश्चित तौर पर किसी भी राज्य के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अकाल एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से उस प्रदेश का विकास अवरुद्ध ही नहीं होता है अपितु सरकार और पूरे प्रदेश की जनता उसमें बहुत दुःखी रहती है, बहुत परेशान रहती है। जब तक अकाल की छाया रहती है तब तक विकास के अन्य सभी कार्य अवरुद्ध रहते हैं और रुक जाते हैं। यद्यपि, यह बात सब जानते हैं कि राजस्थान में अधिकांश समय अकाल ही रहा है। चाहे अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग परिस्थितियां हैं, अच्छी बरसात हो जाए फिर भी अकाल की स्थिति किसी न किसी क्षेत्र में बनी रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास जिस तरह के आंकड़े हैं उस हिसाब सं 1981-82 से लेकर 2004-05 तक केवल यह तीन वर्ष ऐसे हैं जिसमें अकाल नहीं आया है 1983-84 में, 1990-91 में, 1994-95 में, बाकी किसी न किसी रूप में अकाल का समय हर जगह रहा है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में जरूर तीन जिलों में अकाल था, उसमें 649 गांव प्रभावित थे। इस वर्ष 25 जिले हैं, 2002-03 में 32 जिले थे, 2000-2001 में 31 जिले थे, 1999-2000 में 26 जिले थे, इस तरह से 1981 से लेकर 2004-05 तक देखें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 24 साल के समय में से अधिकांश समय अकाल का ही रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की जो प्लानिंग होती है वह निश्चित तौर पर फेल होती है। अकाल ऐसी चीज है या कोई भी आपदा हो, जो समय बताकर नहीं आती है और सरकार को पूर्वानुमान नहीं होने की वजह से सारी अव्यवस्था

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

फैल जाती है तो निश्चित तौर पर यह चिन्ता का विषय है और अकाल पर चर्चा कर देने मात्र से और मांग कर देने से इसका कोई स्थाई समाधान नहीं है। हम सबको विचार करना पड़ेगा। चाहे जन-प्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रदेश की जनता हो कि अकाल को हम किस तरह से रोक सकते हैं और इसके प्रभाव को कैसे खतम किया जा सकता है इसके बारे में निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जिस तरह से बढ़ती हुई आबादी, प्रदेश में वनों का कटाव, यह सब कारण अकाल को बुलावा देने वाले हैं इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे प्रदेश में वृक्षारोपण या वनों की सुरक्षा इस तरह के कार्यक्रम ले सकते हैं, इस बारे में हमको निश्चित तौर पर कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। मात्र वन विभाग के भरोसा हम चाहे कि वनों का विस्तार हो जाएं, यह सम्भव नहीं है क्योंकि आज के समय में विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मात्र इस बात पर है कि फण्ड आये, उससे खड्डे खोद दिये या कच्ची बाउण्ड्री बना दी और और वापस गिर गयी। दूसरी बार फिर बजट आया और फिर वही खड्डे खोद दिये और फिर वन बना दिये तो इस तरह से तो वनों का विस्तार नहीं होना है। आम लोगों की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक वनों का विस्तार नहीं हो सकता और जब तक जंगल हमारे नहीं होंगे, बरसात नहीं होगी और बरसात नहीं होगी तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि अकाल की छाया हमारे प्रदेश पर हमेशा छायी रहेगी। पिछले वर्ष अकाल का समय था। 449 गांव प्रभावित थे, तीन जिले प्रभावित थे और उसमें सरकार ने करीब पांच करोड़ रुपये खर्च करके 20 मई से 31 अगस्त की अवधि में अकाल राहत के कार्य चालू करने का ढोल पीटा है और यह कहा गया है कि हमने अच्छा प्रबन्ध किया परन्तु हमारा अनुभव यह रहा है कि पिछले साल जिस तरह के अकाल राहत के काम चले, वे व्यवस्थित नहीं थे। और कम समय की वजह से लोगों में महसूस नहीं हुआ। परन्तु अभी मै विशेषकर ज्यादातर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और पश्चिमी राजस्थान में इन क्षेत्रों में विशेष अकाल का प्रभाव रहता है परन्तु जैसा कि उदयपुर ग्रामीण से आने वाली बहन ने अभी कहा था कि दक्षिणी राजस्थान में अकाल का प्रभाव ज्यादा रहने का कारण यह है कि वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से होल्डिंग कम है और कम होल्डिंग होने से चाहे अच्छी वर्षा हो, तब

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

भी एक फसली इलाका है वह तो निश्चित तौर पर 6 महीने से ज्यादा गुजारा चलायें. इतना अनाज भी नहीं उपजता है और कस्बे हैं या शहर हैं, वह भी कोई 50-60 कि.मी. से नजदीक नहीं होने की वजह से पूरे उदयपुर शहर के चारों तरफ ही आदिवासी बस्तियां हैं और ऐसे लोग हैं जो रोज जाकर काम करके वापस घर आकर अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको हमेशा काम की आवश्यकता रहती है। जब काम की आवश्यकता रहती है तो हमारी सरकार मात्र यही प्राथमिकता देती है तो अकाल राहत के काम हो तो हम उनको सहायता देंगे। अदरवाइज जो सैंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम है, या केन्द्र प्रवर्तित जो योजना है उनके भरोसे ही छोड़ती है। ऐसी स्थिति में उन लोगों को पर्याप्त काम नहीं मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि उदयपुर संभाग, वैसे तो उदयपुर संभाग में पांच जिले हैं परन्तु पांच जिलों में भी ट्राइबल सब प्लान इलाके का ही आपको निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि ट्राइबल सब प्लान इलाके में पांच जिलों में 23 पंचायत समिति आती हैं 45 लाख 14 हजार के करीब पूरी जनसंख्या है, उसमें से 30 लाख 93 हजार ट्राइबल हैं। इतना विशाल ट्राइबल का समूह वहां रहता है। वहां विशेष सहायता की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा भी मैं आपसे निवेदन करूं। गोगुन्दा है, नाथद्वारा है, मावली है, वल्लभनगर है, यह क्षेत्र ऐसे हैं जहां ट्राइबल बहुत ज्यादा हैं। परन्तु फिर भी वह किसी टाडा में नहीं आते। इस वजह से उनको सहायता भी नहीं मिल पाती है। मेरा मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर मंत्रीजी, ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप स्वयं जानते हैं, उस क्षेत्र में घूमे हुए भी हैं कि वहां कि लोगों को कितनी आवश्यकता रहती है। आज की तारीख में स्थिति यह है उदयपुर जिले में मेरे ख्याल से सीलिंग 40 हजार के आस-पास है और वहां पूरा-पूरा ट्राइबल इलाका, 10-11 पंचायत समितियां हैं तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इतनी मजदूरी से वहां लोगों का कैसे भला हो सकेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा। मैंने एक प्रश्न पूछा था उसमें सरसरी तौर से मैंने देखा तो दो पंचायतें ऐसी हैं जहां पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा है। परन्तु उसमें पूरा का पूरा बताया है। जैसे थाना पंचायत है, थाना पंचायत में अभी यह 2-3 दिन पहले ही प्रश्न का उत्तर आया। तब आंकड़े किस तरह से बताते हैं। सी सी रोड निर्माण ग्राम पंचायत थाना और 85,000/- रुपये हैं उसमें 50 हजार की मजदूरी और 35 हजार लेबर कम्पोनेन्ट का है।

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

और सैंक्शन कब हुए 22.12.2005 को, और यह पैसा है ग्याहरवें वित्त आयोग का। इसी तरह से शौचालय निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालपुरिया और सैंक्शन कितनी है 17 हजार की, और सैंक्शन कब हुई है 16.2.2005 को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कन्सर्न मंत्री महोदय को बता देना कि काम-काज शुरू क्यों नहीं हुए? क्या बात है?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मैं निवेदन कर रहा हूं न। सरकार किस तरह से कह रही कि आदिवासी को हम काम दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बता दें। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मजदूर कितने हैं 5-10 ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो माननीय मंत्री महोदय को बता दें।...(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनिये। अकाल पर कितनी भी चर्चा कर लें, उस क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान के अलावा कोई बोलने का अर्थ नहीं है। आप गंगानगर वालों को समय दे दो, चाहे भरतपुर वालों को समय दे दो।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समय की कोई बात नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हमें हमारी बात पूरी कहने दीजिये आप। हम निवेदन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं मंत्रीजी को, कि किस तरह से अधिकारी आपके पास आंकड़े भेज रहे हैं। अगर इस तरह के आप उन आंकड़ों पर रहें न तो वही हाल होगा जो हमारा हुआ। परन्तु मैं आपको एक बात कह दूं हमारा हाल तो समय ने करा दिया जबरदस्ती, ऐसा समय था। .. .(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखित में शिकायत दे देना। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : बाकी पिछली सरकार के समय राजस्थान के 41 हजार गांवों में पूरे के पूरे गांवों में अकाल होते हुए भी 16 अगस्त से काम

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

शुरू हुये और 10 दिन का पखवाड़ा करके, महीने में तीन पखवाड़े करके और 10 दिन में पेमेन्ट करके राजस्थान का जो प्रबन्धन किया था, आज मजदूर याद करते हैं कि राज तो वही अशोक गहलोत का था जिसने समय पर पेमेंट और समय पर काम। इतना ही नहीं..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उसकी वजह से ही है यह। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अकाल के काम को व्यवस्थित रूप से विकास के रूप में बदला। विकास से ज़ोड़ा। अकाल ही नहीं, विकास के सुबह 7 बजे काम पर आओ और एक बजे घर चले जाओ। ऐसा कभी राज आता है क्या? परन्तु इतना बढ़िया प्रबन्धन होते हुए भी हमारा दुर्भाग्य था कि कुछ मिस-अण्डरस्टैंडिंग की वजह से..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। अकाल राहत का समय आपने कभी नहीं बदला। पहली बार जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, उस वक्त समय हमने चेंज किया। उसके बाद यह परम्परा चली। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हमारे समय बदला था।

श्री सांवर लाल : आपके टाइम में बाद में बदला है।...(व्यवधान)

श्री हीरालाल : केवल अकाल राहत का गेहूं बिका है, भ्रष्टाचारी हुई है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आज आपने लेवर रेट तो कर दी 74 और वास्तव में पैसा कितना मिल रहा है, यह पता ही नहीं है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यह +++ जो छोड़ रखे हैं, अकाल राहत में ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। अगर मंत्रीजी, आप कड़क कार्यवाही करो तो आप आज तो मेरे पास है नहीं, परन्तु मैं आने वाले दिन जब भी सदन चलेगा, परसों जब भी टेबल कर सकता हूं कि आपके +++ जिस तरह से डिजायर बनाकर भेज रखी है ए.ईएन. साहब फलाने गांव में उसको मस्टररोल देना, फलाने गांव में उसको मस्टररोल देना। तीन-तीन पैसे के नेता ठेकेदार बने हुए हैं। और यही नहीं मजदूरों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको किसी से कोई व्यक्तिगत शिकायत है, आप कीजिये। जनरल से क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : जनरल बता रहा हूं। जनरल बात कर रहा हूं मैं।

श्री हीरालाल : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने +++ कहा, +++ क्या होता है? इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। +++ क्या होता है? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आप तो +++ नहीं हो। मैंने कहा यह तीन-तीन पैसे के नेता...(व्यवधान)

श्री हीरालाल : +++ क्या होता है? माननीय सदस्य, संसदीय भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ सदस्य हैं । ....(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : विधान सभा में उठाकर जनता ने पटका, फिर वही जिला परिषद के लिये खड़ा हो गया, फिर उठाकर जनता ने पटका।

श्री हीरालाल : नहीं, +++ क्या होता है? +++ परिभाषा बताइये आप तो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हां, तो +++ कह दूं क्या? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : कैसे कह दो?...(व्यवधान)

श्री हीरालाल : +++ (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : नहीं, नहीं, आपको कैसे कह सकते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जनरल इस तरह से आपको... (व्यवधान) इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्षजी, मैं सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं, पर उन्होंने असंसदीय शब्द यहां प्रयोग किया है +++। +++ का मतलब यह कि +++ यह अच्छी बात नहीं है। यह पार्लियामेंट्री लेंग्वेज नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको एक्सपंज करें। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अच्छा, आप अगर कहें..(व्यवधान) मैंने अगर यह कहा..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : +++ तो वफादार होता है बहुत। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : रघुवीरजी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय शब्द है, आप इसे एक्सपंज करें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल : इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। +++ कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं। (व्यवधान) शर्म आनी चाहिए इनको। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इस पवित्र सदन में। जबकि पुराने सदस्य हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : वह तो नहीं कहा मैंने। (व्यवधान) क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चलो ठीक है, वह बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी जमाना है। घरों की रखवाली करते हैं+++। कई ऐसे काम करते हैं जो आदमी करता है। उपाध्यक्ष महोदय, +++ आज वैज्ञानिक तरीके से इतना परफेक्ट हो गया, इतना समझदार हो गया, मैं समझता हूं उसका हमें गर्व से नाम लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनके कोई +++ हैं और मस्टररोल लेकर जाते हों तो बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : आपके घर में इतना प्यारा है। (व्यवधान) उपाध्यक्षजी, इसके एक्सपंज किया जाये। पहले तो हम यह समझें कि "बिल्ले" "बिल्ले" लगाने वाले बिल्ले। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) हमको बिलकुल ऐतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : मैंने समझा कि आपके बिल्ले लगाने वाले, फिर बाद में +++ कहा तो मुझे यह लगा कि असंसदीय शब्द प्रयोग किया गया है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपको तकलीफ है तो एक्सपंज कर दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, +++ लिस्ट आप मुझे दे देना, उनका नाश कर देंगे, चिन्ता मत करो आप। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अगर आप कार्यवाही करो तो निश्चित रूप से सदन पटल पर रखूंगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : गजब कर दिया, आपने, मांग रहे हैं न।

श्री सांवर लाल : नहीं कार्यवाही तो करेंगे पर लेट हो गये तो आपको खतरा है क्या +++? ऐसे क्यों चिन्तित हो रहे हो? आप तो लिस्ट दे देना। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, मैं 19 को रख दूंगा। वह कागज ढूंढ रहा था पर कहीं मिस प्लेस हो गया, मैं 19 को रख दूंगा।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, ..(व्यवधान)... यह असंसदीय शब्द है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए असंसदीय शब्द का यूज नहीं किया जा सकता।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हां, निकाल दो न, क्या दिक्कत है। असंसदीय थोड़ी है।

श्री हीरालाल (निवाई) : बिलकुल असंसदीय भाषा है, निकाला जाए उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अगर आप इसको असंसदीय मानते हो.. (व्यवधान).. हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री हीरालाल (निवाई) : और आज बंशीलालजी नहीं हैं नहीं तो +++ का मतलब आपको वो बता भी देते। ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : +++ इतना वफादार होता है जितना इन्सान नहीं होता... (व्यवधान) बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं।

(श्री बाबूलाल नागर)

(व्यवधान) और माननीय सदस्य को यह क्या चिन्ता हो रही है, +++ तो बहुत वफादार होता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : चपलोतजी, उनकी पार्टी में ऐसी ही भाषा बोली जाती है, अपन क्या करें। उनकी पार्टी में कार्यकर्ताओं को यही कहा जाता होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं वह।

श्री बाबूलाल नागर : ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसने कोई बढिया, बाहर का, विदेशी +++ नहीं पाल रखा हो। करीब-करीब सब मंत्री ने पाल रखा है।

श्री हीरालाल (निवाई) : नागर साहब, क्या आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं को आप +++ ही कहते हो?

श्री बाबूलाल नागर : कार्यकर्ताओं की बात नहीं हुई, कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया माननीय सदस्य ने।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, नहीं मैंने कार्यकर्ता नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जिस अंदाज में कहा था वह ठीक नहीं है, अंकित नहीं करें यह।..(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : विदेशी +++ का नाम भी हमने नहीं बोला, आपने ही बोला है। आपने बोला, मैंने नहीं बोला।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : 19.11.2004 को गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है सरकार ने और यह दावा किया है कि 1.02.2004 से राहत कार्य प्रारम्भ, कई बार आ गया, अखबारों में भी आया है-राहत कार्य एक तारीख से चालू और फिर अखबारों में थोड़े दिन बाद आ रहा है काम चालू, पर मौके पर काम चालू हुए नहीं हैं, अब हुए हैं, एक अप्रैल से काम चालू तो हुए हैं पर पर्याप्त नहीं हुए हैं। सरकार यह मानती है कि चित्तौडगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में वर्तमान में पेयजल की कोई समस्या है ही नहीं और उदयपुर जिले में फिलहाल चारे की कोई कमी नहीं है, बांसवाड़ा में भी कोई कमी नहीं है, सरकार के हिसाब से, डूंगरपुर में भी कोई कमी नहीं है, चित्तौडगढ़ में भी कोई कमी नहीं है। अगर सरकार को यह लगता है कि कोई कमी नहीं है तो हम तो चाहते हैं कि आप तो सोये रहो, अगर आप सोये रहेंगे तो जनता तो दुखी होगी परन्तु वह लाभ वापस आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम को मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चलो फिर ले लो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आपके आंकड़े बोल रहे हैं..(व्यवधान) आपको क्या हो गया है, आप क्यों परेशान हो रहे हो?

श्री हीरालाल (निवाई) : समय बतायेगा आपको, परेशानी की बात नहीं है, परेशान तो आप हो रहे हो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ज्यादा दिन नहीं हैं, साढ़े तीन साल कैसे निकल जायेंगे..

श्री हीरालाल (निवाई) : ज्यादा दिन तो बतायेंगे आपको। चार साल बतायेंगे, हम यहां ही बैठेंगे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : वह तो दिख जायेगा, समय ही बतायेगा।... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : टिकने ही नहीं देते साफा बांधने के बाद, थोड़ा सा टिको तो सही।...(व्यवधान).. साफा तो सांवर लालजी भी बांध कर आते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : प्रभुलालजी भी बांधते हैं।

श्री कनकमल कटारा : इन्होंने पहली बार बांधा है हाउस में।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मैं निवेदन कर रहा था कि उदयपुर संभाग के इन क्षेत्रों में पेयजल की भी बहुत ज्यादा समस्या है, वहां अकाल राहत काम पर्याप्त रूप में खोलने की आवश्यकता है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बताऊं कि हमारे वहां सिर्फ 7000 मजदूर हैं जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 180 गांव हैं। ऐसी स्थिति में 7000 मजदूर कैसे पूरे क्षेत्र में होंगे और वह अकाल राहत के नहीं हैं, कई योजनाओं के लगे हुए हैं। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इलेवन्थ फाइनेंस के हैं, और दूसरी स्कीम्स के भी हैं अकाल राहत के काम हैं और हैं भी तो वहां यह मस्टररोल वाली बीमारी ऐसी घुसी हुई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो जे.ईएन. लेकर आयेगा मेरे घर, मस्टररोल मैं बाटूंगा और फिर जो भी होगा, मजदूर से कहेंगे अच्छा तू तो फलानी पार्टी का है न, चल। दूसरी, एक सबसे बड़ी बीमारी यह है...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसे नहीं करने दे रहा है। सब लोग ध्यान रखते हैं, ऐसे कोई नहीं करने दे रहा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हम कह रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, पूरे अनुभव के साथ कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं...(व्यवधान) बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सब जगह यह ही वातावरण बना हुआ है कि कांग्रेस विचाराधारा के लोगों को काम पर नहीं लगाया जा रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह आपके पुराने अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं रघुवीर सिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : और मैं मंत्रीजी से यह निवेदन भी करना चाह रहा हूं कि आप जांच करा लें, सब जगह यही स्थिति है और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आपको बहुत भारी नुकसान होगा और फिर आपको पछताने के अलावा कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया, कह दिया आपने और क्या?

श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हो गया, आने वाले समय की आपने चेतावनी दे दी। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ऐसे क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की मार सबसे ज्यादा हमारे पर है।

श्री तगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में 1916 गांव अकालग्रस्त हैं, इतना भयंकर अकाल कहीं दूसरे जिलों में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री तगाराम चौधरी : मेरे को आप समय दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बारी आने वाली है आपकी, बैठिये। आपको समय दिया जायेगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : बांसवाड़ा जैसे जिले में 30 हजार मजदूर, चित्तौड़ में एक हजार मजदूर... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : मेरा निवेदन सुन लीजिए आप, मेरे को आप इतनी देर से समय दिलाते हो, तो मेरे को समय मिलता नहीं है, हमेशा मेरे को रोक दिया जाता है।..(व्यवधान) आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष :मिल जायेगा, समय मिल जायेगा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : चित्तौड़ में 20 हजार।..(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : चित्तौड़ में 20 हजार नहीं हैं, 15 हजार भी नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : कम है?

श्री नन्दलाल मीणा : हां।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हां, यह हो सकता है। यह आंकड़े तो इनके आंकड़े हैं।...(व्यवधान)..

श्री तगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप बंद नहीं करते हैं, बहुत-सी बातें कह दीं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आप मेरे को बोलने दीजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं, बोलने दे ही नहीं रहे। आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप मेरी रक्षा भी नहीं कर रहे हैं। आप प्रोटेक्शन कर नहीं रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें।

श्री तगाराम चौधरी : आप कई तरह की भाषाएं प्रयोग कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब नहीं करेंगे। बीच में नहीं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सहायता का सब्जैक्ट है, आप भी हमें सहायता करिये और सरकार से कह रहे हैं कि वह लोग जो भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं उनसे सहायता करिये।..(व्यवधान)

हमारे मुख्य मंत्रीजी को अभी एक वर्ष हो गया। उसके बाद कोटड़ा क्षेत्र में गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, कोटड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां आज की तारीख में

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

बहुत-बहुत मदद करने की आवश्यकता है। परन्तु यह तो है ही नहीं कि मुख्य मंत्रीजी को पता है कि वहां कितने अनाथ बच्चे हैं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने जैसी ड्रेस पहना दी मुख्य मंत्रीजी ने पहन ली, चले गये लोगों से मिल लिये, सब कुछ कर दिया, वहां सैंकड़ों की तादाद में अनाथ बच्चे थे। पिछले समय भी मैंने निवेदन किया था। मुख्य मंत्रीजी ने वहां साइकिल बांटने की घोषणा कर दी, हम खुश हैं, करना चाहिए, सरकार का धर्म है, जो निधि है उसको जितना दे सकें उतना देना चाहिए।

एक मुख्य मंत्रीजी ने कहा 6,18,645 परिवारों को एक रुपया 70 पैसा किलो का नमक देंगे एक महीने के लिए। एक परिवार में पांच सदस्य होंगे उनको एक रुपये 70 पैसे का नमक देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, नमक एक ऐसी चीज है कि रोड के किनारे अपन बोरी डाल दो, कुत्ता भी नहीं खाता है फोकट में और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मैंने तो सुना था मंत्री बनने के बाद व्यक्ति की हैसियत बढ़ जाती है, हमारे मंत्रीजी इतने कमजोर कि फोकट का नमक खाने को तैयार हो गये कनकमलजी कटाराजी।

श्री कनकमल कटारा : ऐसा है आप भी मंत्री रहे हैं लेकिन इस तरह की बात करके, इस क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। आयोडीन नमक की बात है, साधारण नमक की बात नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हम कह रहे हैं वहां मदद करनी है, आप उनको (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : बोलते समय कम से कम यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तीन करोड़ से भी ज्यादा पैसा वहां खर्च कर रहे हैं कोटड़ा के अन्दर। शायद पहली बार होगा जिदंगी में, ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आज की तारीख में आपको पता है कि वहां नमक बंटा? कहीं बंट रहा है क्या नमक?

श्री कनकमल कटारा : आयोडीन नमक की बात है, साधारण नमक की बात नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, नमक बंट रहा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री कनकमल कटारा : आयोडीन नमक की बात कर रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : नहीं, आयोडीन नमक वह खरीद कर खा सकता है। एक रुपये 70 पैसे का नमक एक महीने के लिए एक परिवार को आप दोगे, कोई एहसान कर रहे हो क्या, कोई भीख दे रहे हो क्या? आज तक दुनिया में किसी ने फ्री में नमक नहीं खिलाया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसको आवश्यकता नहीं होगी वह नहीं लेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पहले तो आप तय करिये कि आप नमक बांटने के पक्ष में हो कि खिलाफ हो। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : केवल नमक ही नहीं है, कितनी योजना.. (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, पहले तय करो कि आप पक्ष में हो खिलाफ हो? स्पष्ट करो फिर बात करो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : इतने बड़े समाज को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसको आवश्यक नहीं है वह नहीं लेगा। आपकी बात समाप्त कीजिए आप।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हमारा निवेदन यह है कि आप अकाल राहत कार्य में ईमानदारी से मजदूर बढ़ाने की बात करिये। मुख्य मंत्रीजी, मेरे नाम मुख्य मंत्रीजी आ जाता है..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री जीतमल खांट।

श्री जोगाराम पटेल : हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्यों को बोलना है। पांच-पांच मिनट का टाइम दिया और एक घंटा हो गया है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : क्या एक घंटा हो गया?

श्री जोगाराम पटेल : एक घंटे से ज्यादा हो गया है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : दस मिनट तो मैं बोला हूं 15 मिनट डिस्टर्ब किया है।

श्री जोगाराम पटेल : एक घंटा हो गया है। कोई बात नहीं है, कहीं पिल्ला है, न कहीं कुत्ता है, बस पिल्ला और कुत्ते कि सिवाय कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए, मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है। श्री जीतमल खांट।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : ठीक है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में अकाल और पेयजल पर गम्भीर रूप से चर्चा की जा रही है। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या और इस अकाल और पेयजल की समस्या से हम सब, सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष मिल कर के इनका मुकाबला कैसे करें, निश्चित रूप से इस गम्भीर विषय पर हम लोगों को, सत्तापक्ष हो चाहे हम विपक्ष हो, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ कर के हमें सोचना चाहिए। राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर के हमें सोचना चाहिए और आरोप-प्रत्यारोप लगाकर जो गांव, ढाणी और मजरों में अभाव की जिन्दगी जी रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात नहीं करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी की व्याख्या अगर हम करना चाहें तो सुबह से लगाकर शाम तक जितना भी उसके लिए बोला जाए, वह कम है लेकिन इसके पश्चात भी मैं आपके माध्यम से दोनों ही मंत्री महोदय से सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आपने ग्रास रूट गरीब की परिस्थितियां को बड़े नजदीक से देखा होगा और आप किसान के बेटे होने के नाते मैं चाहूंगा कि अकाल की परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं इन सुझावों के साथ में अपनी बात भी जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा बांसवाड़ा जिले में हमारे कुल आठ पंचायत समितियां हैं। बांसवाड़ा जिला माही परियोजना से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। दो परिस्थितियां हैं। एक कमांड क्षेत्र और एक नोन कमांड क्षेत्र।

(श्री जीतमल खांट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कमांड क्षेत्र है जहां पर माही का पानी किसानों को मिला है, गेहूं की फसल हो चाहे सरसों की फसल हो, निश्चित रूप से वहां पर काश्तकारों को पिछली बार के मुकाबले इस बार राहत मिली है। लेकिन बांसवाड़ा का कुछ भाग जो नोन कमांड क्षेत्र के अन्दर आता है। मैं पूरे जिले के कुछ आंकड़े यहां पर बताना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिले के अन्दर 1510 अभावग्रस्त गांव हैं, कुल 325 ग्राम पंचायतें सम्पूर्ण जिले में आती हैं।

(समय : 17.22 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

अभी वर्तमान परिस्थिति में बांसवाड़ा जिले में 1 अप्रैल, 2005 तक 17,350 श्रमिक कार्यरत हैं। अभी कुछ हमें पता चला है कि बांसवाड़ा जिले में 12 अप्रैल से बारह हजार श्रमिक सीलिंग आपने बढ़ाई है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने उदबोधन में सम्पर्ण ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर गरीब की पीड़ा और अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाला आदिवासी किस तरीके से अपना गुजारा चलाता है, उस पर अपना उदबोधन दे रहे थे। मैं भी अपनी बात को जोड़ता हुआ कहना चाहूंगा कि पूरा बांसवाड़ा जिला हो चाहे डूंगरपुर हो या हमारा उदयपुर का फलासियां, झाडौल हो, निश्चित रूप से हम सबको राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर के आज की तारीख में गुजरात से सटा हुआ जो इलाका है हमारा घरों के अन्दर, टावरों के अन्दर जाकर के जांच कराई जाए, सर्वे करवाया जाए, बुड्ढे मां-बाप के अलावा कई सारे घरों पर ताले भी लगे हुए हैं। कई जगह घरों पर ताले न लगाकर घर के चारों तरफ कांटे बिछाए हुए हैं। यह परिस्थितियां हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभी होली का त्यौंहार मनाने के लिए कुछ लोग आए थे, अपना त्यौंहार मनाकर के घरों में वापस रवाना हो रहे हैं। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी आपका व्यक्तित्व बड़ा गम्भीर है। इस पूरे इलाके का आपको अनुभव है। अकाल की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए आप चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो चाहे झाड़ौल-फलासियां का इलाका हो, ज्यादा से ज्यादा आप अगर कच्चे कामों को हाथ में लेंगे तो हमारी जो सार्वजनिक

(श्री जीतमल खांट)

परिसम्पत्तियां हैं, हम जिनको स्थाई सम्पत्तियां कहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चैक डेम हाथ में लें। आप ऐसे तालाब हाथ में लें, आने वाले समय में जल स्तर ऊंचा रहेगा, भूमि सुधार के कार्यक्रम अपने हाथ में लें। ऐसे कार्यक्रम के साथ-साथ पूरे ट्राइबल सब प्लान के अन्दर माननीय कटारा साहब को भी हमने कहा है कि आप पूरे सम्पूर्ण क्षेत्र के जितने भी निजी कुएं हैं इन कुओं को अकाल से जोड़ने का काम करें। कुछ कुएं तो ऐसे हैं एक या दो बार की ब्लास्टिंग कराने के बाद अधूरे पड़े हुए कुएं हैं और इनको अगर ब्लास्टिंग के साथ में अकाल का मलवा निकालकर के राहत देने का काम करेंगे तो इससे यह होगा कि उस किसान को दोहरा लाभ होगा। स्थानीय स्तर पर उसका रोजगार मिलेगा, उसको दूसरी जगह पलायन नहीं करना पडेगा। दूसरी बात उसको वहां पर आने वाले समय में उस कुएं में से पानी का जल स्तर ऊंचा आएगा, साग-सब्जी उगाएगा, अपनी फसल करेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा ट्राइबल सब प्लान में बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की एक की बात नहीं हम पूरे ट्राइबल सब प्लान की स्थिति पर जिक्र कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको गम्भीर होकर उस पर जितना भी राजस्थान पूरे में अकाल है लेकिन वहां की गरीबी के ऊपर जितना भी चित्रण किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं ज्यादा उस पर व्याख्या नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि लेबर की सीलिंग यह 15 अप्रैल तो निकल गयी, मई और जून दो महीने रहे हैं और दो महीने के अन्दर राजस्थान के हमारे उस पार्ट में रहने वाले सारे आदिवासी लोग जनजाति क्षेत्र हो, चाहे उसके साथ में सामान्य वर्ग से जुड़े हुए इन लोगों को यह महसूस हो कि हमारे अकाल राहत

(समय : 17.28 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने, जनजाति क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों ने हमारे गरीब क्षेत्र की स्थिति का पूरा जायजा लिया और कोई भूख से नहीं मरे, ठोस कदम आपको उठाए। आने वाली क्षेत्र की जनता आपको याद करे, ऐसे कारगर कदम उठाने पड़ेंगे। राजस्थान की सरकार ने पहले कहा है कि हम गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे, निश्चित रूप से आपके इन शब्दों का मैं स्वागत करता हूं।

(श्री जीतमल खांट)

साथ में अकाल राहत मंत्रीजी और हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी भी यहां हैं। मैं आप दोनों से चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के लिए आप एक दौरे का कार्यक्रम निर्धारित करें। तीन दिन का दौरा लेकर पूरे ट्राइबल सब प्लान के अन्दर, क्योंकि राजस्थान के अन्दर जब अशोकजी का सत्ता परिवर्तन करना था तो हमारे सदन की नेता ने परिवर्तन यात्रा करके गरीब और ढाणी में रहने वाले के दर्द को उन्होंने देखा था, सुना था नजदीक से, और उसी विश्वास के साथ वहां की जनता ने समर्थन दिया है। हमारे गम्भीर व्यक्तित्व हैं दोनों ही मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप एक टीम बनाकर उस क्षेत्र का दौरा करेंगे ताकि अभाव की जिदंगी में जीने वाला व्यक्ति, उन अभावों को हम कितना कम कर सकें, आपका कितना योगदान मिले, आने वाले समय में वहां की जनता आपको हमेशा याद करती रहे, ऐसा आपको रिकार्ड तैयार करना है।

दूसरा, मैं हमारे पेयजल मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि माही कमांड क्षेत्र को छोड़कर जितना हमारा नोन कमांड का इलाका है, पुनः सिंचाई मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसानों के बड़े ही हिमायती हैं और शुरू से आप सोशलिस्ट पार्टी के बड़े कट्टर समर्थक रहे हैं। मैं चाहूंगा हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हमारा कुशलगढ़ का इलाका हो, चाहे सुजानगढ़ का इलाका हो, चाहे पीपलखूंट का इलाका हो..(व्यवधान) निकलेगी। हम करीब हैं इनके।

मैं चाहूंगा कि उस इलाके के अन्दर कुछ ऐसे बड़े तालाबों का निर्माण करना चाहिये। यह अकाल बार-बार आता रहेगा, बार-बार इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप नोन कमांड इलाके के अन्दर कुछ तालाबों के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दें और सर्वे करवाएं तो निश्चित रूप से हमारा पेयजल संकट इतना गम्भीर नहीं रहेगा। इस साल इस बार मानसून ने कृपा की है, इन्द्र देवता ने कृपा रखी है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नोन कमांड क्षेत्र के अन्दर पेयजल की किल्लत रहेगी। आप वहां पर तालाबों के निर्माण के लिये, चार पंचायत समितियां बिलकुल नोन कमांड क्षेत्र में आती हैं। मैं चाहूंगा कि आप उस इलाके के अन्दर कुछ इस तरीके से उदार तो हैं ही लेकिन और उदार प्रवृत्ति रखते हुए वहां नोन कमांड इलाके के अन्दर कुछ तालाबों के लिये निश्चित रूप से कोई राशि देने का काम करेंगे।

(श्री जीतमल खांट)

अंत में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पी.एच.ई.डी. के माध्यम से जितने भी हमारे हैंड पम्प खोदे जाते हैं, उनकी लागत है तीस हजार रुपया। अभी हमारे जिले के एक्स-ईएन., पी.एच.ई.डी. ने हमको बताया कि इसकी लागत हमने बढ़ा दी है, अब 36,000 रुपया कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा कोई परिपत्र जारी करके निर्देश दिये हैं क्या? हमारे बांसवाड़ा जिले के अन्दर 25-30,000 की राशि पर्याप्त है और उसमें हमारा सारा काम हो जाता है। दो सौ फीट की जो रेंज है उसके अनुसार हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में पानी आ जाता है उसके बावजूद भी 36,000 बढ़ाने का आपका कोई विचार है? और नहीं, तो वहां के अधिकारियों को आप आदेश जारी करें। 6,000 रुपया क्यों बढ़ाया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि आप इन अभावग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां पेयजल के कुछ काम चाहे एनीकट हो, तालाब हो, चैक डैम हो, ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ में यह काम लें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : क्या इन्फार्मेशन है आपकी?

सूचना

करेड़ा जिला भीलवाड़ा में साम्प्रदायिक दंगा

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले के करेड़ा में आज साम्प्रदायिक दंगा हो गया। पूरा करेड़ा बंद है। वहां अल्पसंख्यकों की दुकानें जला दी हैं जबकि उस गांव की कुल आबादी में एक फीसदी आबादी भी अल्पसंख्यकों की नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पहले भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि प्रदेश लगातार साम्प्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं।

आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ भी राजस्थान के दौरे पर थे और आर.एस.एस. के चीफ भी कल या परसों में आने वाले हैं..(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, करेड़ा में जो कुछ हुआ उसकी सरकार सूचना मंगा रही है लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे की बात जो राजस्थान में आए हैं। अभी अजमेर शरीफ में अमन की दुआ की है उनका और के.सी. सुदर्शन साहब का नाम कहां से आ गया? भीलवाड़ा में तो कई दिनों से वहां पर टेंशन चल रही थी..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, उनको तो पूरा करने दीजिये। आप तो बड़े विद्वान सदस्य हैं, तो उनको बात तो कहने देते... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह इंटरनेशनल बात है। दौरा हो गया लेकिन उसकी आड़ में..(व्यवधान) इस सम्बन्ध में परवेज मुशर्रफ साहब को खेंचना, के.सी. सुदर्शन साहब को खेंचना..(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : सरकार को सूचना हो गयी और बाकायदा सदन को भी है।

श्री विष्णु मोदी : कहां लेना-देना है इसमें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक ही काम है इनका। अध्यक्षजी से परमिशन लेकर सूचना दी है। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में आज फिर स्थिति तनावपूर्ण है। यह कोई जानकारी दे रहे हैं, जवाब दे देंगे। आपको क्या दिक्कत हो गयी इसमें? (व्यवधान) क्या गलत बात कह दी इन्होंने।

श्री जोगेश्वर गर्ग : हम भी अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहे हैं। सूचना पूरी हो गयी इस विषय को खतम किया जाए..(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर : यह तो अध्यक्ष महोदय, जले पर आग लगाने वाला काम कर रहे हैं। इनकी तो आदत पड़ी हुई है।

श्री जयराम जाटव : वह आपके द्वारा सारे दंगे कराये जा रहे हैं। शांति व्यवस्था नहीं रहे राजस्थान प्रदेश में शांति नहीं रहे। आप कहीं न कहीं एक जगह दंगा कराने का प्रयास कराते रहते हैं तो दंगा नहीं होगा..(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि परवेज मुशर्रफ साहब का नाम और के.सी. सुदर्शन साहब का नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, सरकार से कहिये वक्तव्य दे दे, क्या वस्तुस्थिति है? यहां सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात रखी है, सरकार वस्तुस्थिति बताए।

श्री अध्यक्ष : आपने जानकारी दी है। आपने सदन में जानकारी दी है। उस सम्बन्ध में सरकार ने सुन लिया और सुनकर सरकार इस सम्बन्ध में वक्तव्य देगी। सरकार की भी जिम्मेदारी है।

श्री विष्णु मोदी : परवेज मुशर्रफ साहब का नाम और के.सी. सुदर्शन साहब का नाम कार्यवाही से हटवा दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई तालमेल नहीं है। कोई तालमेल नहीं है और यह हमारे रिश्तों की बात है।... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप मुझे बोलने दो तो मैं तालमेल बताता हूं आपको... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आखिर जो घटना हुई उसमें बीच में कहां तो आ गये परवेज मुशर्रफ साहब और कहां आ गये के.सी. सुदर्शन साहब? (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : दंगा चाहे किसी कारण से हो पर बीच-बीच में आर.एस.एस. का नाम लेते हैं। दंगा चाहे किसी कारण से हो। जब भी कहीं दंगा होता है तो आर.एस.एस. का नाम क्यों बीच में आ जाता है? क्या आर.एस.एस. वाले दंगा कराते हैं। दंगा किसी कारण से हो, बार-बार आर.एस.एस. का नाम लेते हैं..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक तरफ तो दरगाह शरीफ में पूरी दुनिया में अमन चैन की दुआ के लिये राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना दे दी, अब आप स्थान ग्रहण करें। सूचना दे दी आपने।

श्री विष्णु मोदी : देखिये नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज की बात है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : यह आपकी गलतफहमी पैदा की हुई है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): यह आपकी गलतफहमी है। यह फिलासफी तो आपकी है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : रूल्स एण्ड प्रोसीजर में कौल एण्ड शकधर का नाम आयेगा ना, दंगों में ऐसे आर.एस.एस. का नाम आयेगा ही..(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस वाले दंगा कराने में पहले नम्बर पर हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय बंसल। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो आपसे निवेदन किया है आप कार्यवाही का अवलोकन करके कम से कम इतना तो बता दीजिये कि आप, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही देखूंगी कि इन्होंने क्या कहा है?

श्री विष्णु मोदी : मैंने सुना नहीं मैडम, आपने क्या कहा?

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि मैं कार्यवाही देखूंगी किस सन्दर्भ में क्या बात कही है, क्या नहीं कहीं है? यह देखूंगी मैं कार्यवाही में।

श्री विष्णु मोदी : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री माननीय सदस्य : यह तो बोल लिये।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल और अकाल पर चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेते हुए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रास्थान में जो उदयपुर डिवीजन है। उदयपुर डिवीजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद जिले आते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अकाल के सम्बन्ध में चर्चा की है।

उदयपुर जिले में 11 पंचायत समितियां हैं, 10 विधान सभा क्षेत्र हैं, वहां पर अभी अकाल राहत में, मैं माननीय अकाल राहत मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मजदूरों की संख्या 11 अप्रैल को निश्चित रूप से

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

20,000 से 40,000 बढ़ायी है, लेकिन उदयपुर जिले में 11 पंचायत समितियां हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की बात करना चाहता हूं। वर्तमान में 4200 लैबर अकाल राहत में काम कर रही है जो आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जहां पर हर परिवार को मजदूरी की जरूरत रहती है, निश्चित रूप से वहां मजदूरों की संख्या, सीलिंग बढ़ायी जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि पूरे उदयपुर जिले में कम से कम एक लाख सीलिंग हो, तब जाकर सभी पंचायत समितियों में दस-दस हजार की लेबर आयेगी।

मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में सोम, कमला, अम्बा से जो-जो फ्लोराइड वाले 86 गांव हैं उसमें 54 गांव मेरे सलूम्बर क्षेत्र के पड़ते हैं और 33 गांव सराड़ा पंचायत समिति के पड़ते हैं, जो फ्लोराइड से ग्रस्त हैं, फ्लोराइड का पानी पीते हैं जिससे इन सभी रहने वालों के दांत खराब हो गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सरकार के पास जो 24 करोड़ की योजना भेजी हुई है उसको शीघ्र से शीघ्र स्वीकृति दिलायी जाए। ताकि उनको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में जो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और विश्वविख्यात है, वहां पर जो तीनों झीलें हैं, फतेह सागर, पिछौला सब खाली पड़ी हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मानसी वाकल की जो योजना शुरू की, इसके लिए मैं मेरी तरफ से हार्दिक आभार प्रेषित करता हूं। जो 60 करोड़ की योजना बनाई है मैं माननीय मंत्री महोदय को और मुख्य मंत्री महोदय को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में उन्होंने देवास, द्वितीय की जो योजना बजट में रखी है। जो उदयपुर की झीलें खाली पड़ी हैं, उनको भरने की योजना बनाई है।

अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर क्षेत्र में पेयजल की दो योजना बनी हैं, एक सोम कमला अम्बा से, दूसरी अम्बा माता डैम से सलूम्बर तालाब से पानी लेने की जो योजना बनाई है, यह योजना स्वीकृत की जाये जिससे वहां रहने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। मैं अधिक नहीं बोलते हुए अंत में माननीय अकाल राहत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

में आपका एक बार दौरा हो जाये। जैसा बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी निवेदन किया था, वहां की रहने वाली जनजातियों के बारे में आपने देखा है। आप जानते भी हैं। लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज वहां यह स्थिति बनी हुई है कि सुबह जब मजदूर काम पर जाता है, शाम को जब मजदूरी लाता है तब जाकर भोजन की व्यवस्था होती है। आपका वहां एक बार दौरा हो जाये और वहां मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री तगाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और अकाल एक पर्यायवाची हैं। राजस्थान और अकाल का चोली-दामन का साथ है। वर्षों से देखते आ रहे हैं। कि राजस्थान में हर तीसरे साल अकाल पड़ता है और मारवाड़ में तो ज्यादा समस्या विकट होती है। तीन साल में नहीं दो साल में अकाल पड़ता रहता। वर्तमान सरकार ने पिछले टाइम में खूब काम किया है। करोड़ों रुपया खर्च किया। मैं संक्षेप में मेरे क्षेत्र पर ही आता हूं। हालांकि सरकार ने तो कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू कर रखी हैं। 960 करोड़ का प्रोविजन रखा है, सब कुछ है।

अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में अकाल लगातार पड़ रहा है। दो साल पहले अकाल नहीं पड़ा था। इस साल भयंकर अकाल है, पिछले साल भी अकाल पड़ा था। नागौर में 50 प्रतिशत पशु मर चुके हैं। 2002 में तो 50 प्रतिशत सात लाख पशु मर गये थे और आज स्थिति बहुत ही विकट है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हर साल पानी नीचे जाता रहा है। मेरा क्षेत्र, जिसका नाम मकराना है, उसका नाम कई वर्षों से बांका पट्टी है क्योंकि 80 गांवों में जो पानी था, उसमें फ्लोराइड था लोग बांके हो जाते थे इसलिए उसका नाम बांका पट्टी रख दिया था। योजना बनी, लेकिन अब होते-होते वह कुएं जो 200 फीट से शुरू हुए थे, हजार फीट तक चले गये। पिछले टाइम में भी हालत खराब हो गयी थी। यह तो यह सरकार थी जिन्होंने 50 लाख रुपया खर्च करके पिछले 6 महीनों में हर गांव-गांव में पानी के टैंकर भेजे। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। प्रत्येक गांव मे पानी का टैंकर गया और करीब 10-12

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

ट्यूबवैल खोदे गये। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कभी अकाल नहीं पड़ा। ऐसा कोई साल था नहीं। जो टैंकर भेजे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सत्य बात है। मैं भी 68 वर्ष का हूं। मैं भी देखता आ रहा हूं। मैं 20 साल तो प्रधान रहा हूं मकराना समिति का। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि यह तो रिकार्ड है, बढ़ा-चढाकर नहीं कह रहा हूं। पिछले साल 60 लाख रुपये का पानी पहुंचाया। करीबन 9 ट्यूबवैल खोदे गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि मकराना में एक तो सीलिंग की संख्या बढ़ायें, माननीय रिलीफ मंत्री बैठे हुए हैं। नागौर राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। जहां पर आप जानते हो कि कितने लाख आदमी बसते हैं और 30 लाख पशु हैं और आप देखें तो पंचायत समिति को छोड़कर सारी में अकाल है। आप सीलिंग जरूर बढ़ायें। आप एक लाख तक तो मजदूर सीलिंग करें। तब काम चलेगा। इतनी हालत खराब होती है। कई शिडयूल्ड कास्ट के गांव हैं, लोग बेकार रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप तालाब खुदा रहे हैं, तालाब काफी खुद चुके हैं। अब गांव में जो कुएं गहरे चले गये, उन कुओं को खुदायें जिससे पानी मिल सके लोगों को और भगवान की कृपा हो जाये और अगले साल बरसात हो जाये तो उन कुओं के नीचे जल आ जाये, जैसाकि अभी सरकार जलग्रहण के प्रोग्राम कर रही है तो उससे जब पानी रिचार्ज होगा तो हो सकता है कि पानी आ जाये। इसलिए गहरे कुएं खोदना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राहत मंत्री से निवेदन करूं कि बोरावड़ नगर जिले का सबसे बड़ा गांव हैं जिसकी जनसंख्या 25 हजार है। वहां अब दो ट्यूबवैल का सोर्स निकला है। पहले 8 ट्यूबवैल थे वह सारे सूख गये हैं। आप वहां पर 2 ट्यूबवैल खोदने के लिये स्वीकृति प्रदान करें। एक सवलपुर गांव हैं जिसमें पानी उपलब्ध नहीं है, तालाब में पानी नहीं है। कुएं सूख गये हैं और वहां ट्यूबवैल की आवश्यकता है। सोर्स पता लग गया है। लेकिन सैंक्शन नहीं है। करकेडी, लाडपुर, जूसरी, बूडस, गोठडी, गैलासर, पदमपुरा, सिनिया, कालवा, देवला, पलाड़ा, कल्याणपुरा, कसारी इन गांवों में मैं अभी गया था, वहां पानी की बहुत भयंकर स्थिति है। वहां ट्यूबवैल का होना जरूरी है। हमने सोर्स का पता लगा लिया है। लेकिन सैंक्शन की आवश्यकता है और वह सैंक्शन हो तो

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

पानी मिलेगा नहीं तो लोगों को दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग को बढ़ाने के साथ-साथ वहां पर सस्ते भाव की दुकानें खोलें और मेडिसन के बारे में मैं देखता हूं कि आपके आदेश जरूर हो चुके होंगे लेकिन जहां मजदूर काम करते हैं वहां पर मेडिसन नहीं आ रही है। इसलिए मेडिसन का होना बहुत जरूरी है और पानी की टंकी वहां होनी चाहिए। पानी के लिए दो आदमी वह अपनों में से रख लेते हैं लेकिन पानी के लिए अलग से सैंक्शन नहीं है। आप पानी की टंकी की व्यवस्था करें क्योंकि चैत्र का महीना आ गया इसलिए पानी के लिए आप कहें कि हमारे जहां लेबर्स काम करते हैं, वहां व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, गौ-शालाओं को जल्दी से जल्दी एड दीजिये। चारे के डिपो हर पंचायत समिति में खोलें। मैं एक बात कहना भूल गया था मकराना क्षेत्र में तो अकाल है, कुचामन समिति, जिसमें मेरे मकराना क्षेत्र की 12 पंचायतें आती हैं वहां के तहसीलदार की हठधर्मी से क्या हुआ कि उनहोंने कह दिया कि कोई गिरदावरी नहीं करेगा, वहां जमाना बताया गया है। अब यह मेरा गांव है जिसमें अकाल और इससे लगते हुए गांव में अकाल नहीं है तो मैंने तहसीलदार से कहा कि तहसीलदारजी इस गांव में तो छांटा ही बरसात नहीं है, उसमें क्या बादल फट गया है। यह जान-बूझकर बदमाशी की है। दस ऐसी पंचायतें हैं जह: घोर अकाल है और वह कुचामन में आती हैं। यहां पर हरीशजी बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। उस एरिया के अंदर जो मेरा एरिया है उसमें घोर अकाल है। लोग हमसे नाराज हैं कि आपने तो अकाल करवा लिया है हमारे अकाल नहीं है जबकि यहां भयंकर अकाल है। मैं नाम बताना चाहता हूं, जब कि यह पंचायत समिति का प्रस्ताव था कुचामन सिटी का इसमें हरियाला, रूपटा, टोरड़ा, आनंदपुर, रसाल- हराजून, कसारी, पदमपुरा और सरगोठ यह जो गांव हैं इनके अन्दर भंयकर अकाल है। लेकिन तहसीलदार ने हठधर्मी से नहीं लिखा है। साल लिखा है- वहां पर तो अकाल है और उनके वहां पर अकाल नहीं हैं। वहां कौनसी बरसात हो गयी। आप गांवों का सर्वे करवायें। यह अन्याय नहीं हो सकता है। लोग हमसे नाहक नाराज होंगे। वह कहेंगे कि हमारी पैरवी सही नहीं की वह तो किसको कह सकते हैं, वह सरकार को कह सकते हैं, सरकार मुझे कह दें, मैं सरकार को कह रहा हूं कि यह अन्याय नहीं होना चाहिए। हमने कलक्टर को कह दिया। उन्होंने कहा कि अब गिरदावरी हो

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

गयी। सो हो गया, आप वापस जांच करवा लीजिये। वहां घास होती तो घास भी दिख जाती है कि यह घास है। यदि वहां कड़क होती तो कड़क के दिख जाती। वहां कुछ उगा ही नहीं और उसको आपने जमाना लिख दिया।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं जिन गांवों के नाम बताएं हैं उनका आप सर्वे कराएं।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कई प्रयत्न सरकार ने किए हैं। एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था कराएं। मैं तो यह भी कहता हूं कि हमारी सरकार को, जो लोकप्रिय सरकार है, विरोधी पार्टी के सदस्य कहते हैं कि हमारे पानी नहीं है, मैं कहता हूं कि पानी सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ नहीं हो, हमारे पास खूब गेहूं है, खूब पैसा है और खूब पैसा आ रहा है इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुले हाथ से राहत कार्य खोलें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य एब्सेंट रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि अभी 31 माननीय सदस्यों का बोलना बाकी है, उसके बाद मांग संख्या 40, राजकीय उपक्रम बाकी है, उसके बाद सारी मांगे मुख बंद से पास करने में कम से कम एक घण्टा लगेगा इसलिए मैं चाहूंगी कि 5 मिनट में संक्षेप में हर वक्ता अपनी बात कह दे। अब आप हाथ जोड़ रहे हैं। बात मैं सही कह रही हूं। 31 बोलने वाले हैं इकतीस पंचे 155, 155 मींस 2 घण्टे 25 मिनट, उसके बाद अब कैसे काम चलेगा मुझे बताइए? एक घण्टा कम से कम मुख बंद में और एक घण्टा मांग संख्या 40, राजकीय उपक्रम में लगेगा इसलिए पांच मिनट में, संक्षेप में प्लीज, पांच मिनट से ज्यादा समय किसी को नहीं दूंगी, मैं पहले ही कह देती हूं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और पानी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका नाम नहीं पुकारूंगी। यदि आप आसन की अवज्ञा करेंगे तो मैं आपका नाम नहीं पुकारूंगी।

श्री बाबूलाल नागर : मैं बैठ जाता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं आपको नम्र शब्दों में कह रही हूं कि पांच मिनट में संक्षेप में कहें, जो मुख्य बात आपको कहनी हैं, वह आप कह दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : एक घण्टा तो मंत्रीगण को लगेगा।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टा न सही, कम से कम..

मोहम्मद माहिर आजाद : किरोड़ीलालजी को तो बहुत ज्यादा जानकारी है, वे बहुत लम्बा बोलते हैं, एक घण्टे में तो दोनों मंत्री ही नहीं सुलटेंगे।

श्री अध्यक्ष : फिर आप सोच लीजिए, रात के वही 12 बजेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, 12 बजने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष : दिक्कत कैसे नहीं आ रही है? रोज-रोज ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, अकाल और पानी का मामला है, इससे बड़ा इम्पोर्टेण्ट कोई मामला हो ही नहीं सकता, 12 भी बजे तो बजने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए और चुपचाप बैठ जाएं। श्री समरजीत सिंह।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने मेरा नाम दिया है, उसमें मेरा नाम आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष से पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है, उसकी मर्जी आएगी, उसका नाम लेगी।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से किसी सदस्य के साथ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है अध्यक्ष से पूछने का, कि किसका नाम है किसका नाम नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है पूछने का अध्यक्ष से।

श्री बाबूलाल नागर : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मेरे क्षेत्र की उपेक्षा हो जाएगी। मेरा अधिकार है, इस विधान सभा में मैं चुनकर आया हूं, किसी के आशीर्वाद से थोड़े आया हूं, जनता ने मुझे चुना है, जनता के आशीर्वाद से आया हूं, मेरा अधिकार बनता है। इस तरह से मेरे अधिकार की उपेक्षा करना आसन के लिए भी उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि कल भी यहां चर्चा हुई है, मेरे दल के लोगों ने मुझे बताया कि आपका नाम इतने नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष : श्री समरजीत सिंह। आप पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा के इस वर्ष में जहां सरकार ने ओलावृष्टि से पीड़ितों को रियायतें देने की घोषणा की, मैं आपका ध्यान मारवाड़ क्षेत्र की तरफ विशेष तौर से जालौर, बाड़मेर और पाली जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां पर पाले व शीतलहर से फसलें चौपट हो गई हैं। हालात यह हैं कि जहां किसानों ने रबी की फसल की तैयारी चार महीने पूरी मेहनत के साथ, अपने खून पसीने को एक करके की थी, इस प्राकृतिक आपदा से उसकी काफी फसलें नष्ट हो गई। जहां अरण्डी की फसल में 60-70 प्रतिशत नुकसान हुआ, जीरे में 50 प्रतिशत नुकसान हुआ, रायड़े और गेहूं में भी इसी तरह का नुकसान हुआ।

अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हैं, किस तरह से गांव में रहने वाला आम किसान अपने फसल की तैयारियां करता है और इस वर्ष तो इससे भी ऊपर बात हुई कि पिछले वर्ष सरकार ने बिजली के कनेक्शन देने की घोषणा की थी। उस चक्कर में सभी किसानों ने ज्यादा से ज्यादा पैसे भरकर, ब्याज पर पैसे लाकर, क्योंकि किसान और गरीब आदमी उसी से भरता है, उसके बाद इस सीजन में पैदा लेने की कोशिश की और उस पर यह प्राकृतिक प्रकोप हुआ।

मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपने ओलावृष्टि और अन्य क्षेत्रों के लिए इतनी रियायतें देने की घोषणा की हैं तो मारवाड़ क्षेत्र के लोगों, किसानों को बिजली के बिल में रियायत और अन्य छूटें दें। इस तकलीफ में गांव में बैठा आम आदमी आपकी तरफ देखता है और सरकार को भी अकाल राहत के

(डा. समरजीत सिंह)

काम खोलने हैं। माननीय मंत्रीजी परसों जालौर पधारे थे और वहां जो 25 हजार की सीलिंग थी उसको 35 हजार करने की घोषणा करके आए। मेरा निवेदन है कि 35 हजार की सीलिंग से काम नहीं चलेगा। आपके बाड़मेर में 1 लाख 60 हजार की सीलिंग है और अभी गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य हेमारामजी बोल रहे थे, भीनमाल का एरिया उनसे बिलकुल सटा हुआ है, जब उसमें इतने हैं, वहां तो एक गांव में 100 लेबर लगी हुई है और हमारे यहां एक गांव में 40 और 60 की लेबर लगी हुई है तो यह जो डिफरेंस है, उसको आप मिटाएं और साथ ही यह भी एन्श्योर कीजिए कि हर गांव में आप भी जानते हैं कि 100 लेबर की लाइन लगती है जिस दिन नाम लिखने की बारी आती है, लोग वापस जाते हैं तो लेबर सीलिंग बढ़ाएंगे तो इस तरह से उसमें मजदूरों को राहत मिलेगी। इसमें भी मजदूरी पर लगने वालों को रोटेशन से लिया जाए, मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, हमारी भी पांच साल पहले सरकार रही, हमने भी देखा है, थैलियां लेकर घूमने वाले मस्टररोल जिस दिन हो, वहां पहुंच जाओ तो आपको वे थैलियां लेकर घूमने वाले दिख जाएंगे। पिछले पांच साल से देख रहे हैं अब भी देख रहे हैं, उनको पता है कि किस दरवाजे पर जाना है, वह ले आएंगे मस्टररोल, इसका भी इलाज करें आप, ताकि मस्टररोल धारकों से आम गरीब, जिसको मजदूरी करनी है, जो उनसे पीड़ित है, परेशान न हो।

आपने मजदूरी 73 रुपये मैक्सिमम फिक्स की है, उसमें भी असमानता हो रही है, 60 रुपए मजदूरी भरी जा रही है, मैं मानता हूं कि यह मेजरमेंट से होता है, लेकिन इसमें भी असमानता है, राजनीतिक भेदभाव या अन्य किसी वजह से हो रहा है, उससे पीड़ित न हो, परेशान न हो। इसको भी आप दिखाएं और सुधारने की कोशिश की जाए। भीनमाल पंचायत समिति के कई गांवों में दो हफ्तों से पेमेंट बाकी है, उन्हें भी भुगतान करने की व्यवस्था की जाए।

सारे जालौर जिले में कहीं भी गौशालाओं को अनुदान अभी तक नहीं दिया गया और गौ-शालाओं का वेरीफिकेशन चल रहा है, इसमें भी यह ध्यान देने की चीज है कि 10 गाएं होती हैं और 20 गाएं बताई जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार का पैसा है, 12 की जगह 18 रुपये आपने किए, इसको भी आप दिखाएं, ताकि पैसा जो खर्च हो रहा है वह सही जगह पहुंचे।

(डा. समरजीत सिंह)

पेयजल के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि दो साल पहले, जब भैरोंसिंहजी प्रतिपक्ष क नेता थे, उन्होंने चिन्ता जताते हुए एक बात कही थी कि इस देश में एक दिन ऐसा आने वाला है जब वाटर इमर्जेन्सी लगानी पड़ेगी। आज हालत यह है हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी जिस तरह से नीचे जा रहा है, आज 600-700 फीट नीचे तक पानी कहीं उपलब्ध नहीं है और वह पानी भी बिना टयूबवैल और बिना बिजली के तो बाहर भी नहीं ला सकते। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिजली विभाग भी यह सुनिश्चित करे कि डैली सप्लाई हो, क्योंकि गांवों में अलटरनेट सप्लाई होने की वजह से लोग जो ढाणियों में बैठे हैं, बेरों पर बैठे हैं, उन्हें डेली सप्लाई नहीं होगी तो उनको पानी की समस्या खड़ी होगी, इसको आप कोआर्डिनेट करें। इसके लिए स्कीम्स जो बनी हुई है, सम्बन्धित मंत्रीजी यहां नहीं है, आप नोट करें।

सरकार द्वारा भीनमाल और रानीवाड़ा और सांचोर की स्कीम तैयार की है नर्मदा का पानी लाने के लिए। हम भी चाहते हैं कि नर्मदा का पानी यहां आए, तभी अल्टीमेटली जालौर जिले की समस्या का सुलटारा होगा। आपकी सरकार गुजरात में भी है, आप सिंचाई मंत्रीजी भी हैं, अपने पी.एच.ई.डी. से कोआर्डिनेट करके जितना जल्दी हो सके, करें ताकि इस क्षेत्र की इस भयंकर समस्या से निपट सकें और भीनमाल शहर के लिए जैतपुरा परियोजना, जो साढ़े ग्यारह करोड़ की सैंक्शन हुई है, उसकी पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। अभी तक वहां सोर्सेज डवलप करके पानी लाने की व्यवस्था नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान देकर शीघ्र पूरा किया जाए। इसी तरह से धुमडिया, जुंजाणी, पुनासा की तीन करोड़ की योजना है। दो साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी उनको अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। इस योजना को भी तेजी से पूरा कराने का कार्य किया जाए।

हमारे यहां कई गांव हैं जैसे वोल्टा वगैरह है वहां 12 महीने ही पानी की सप्लाई टैंकरों से करनी पड़ती है। उन जगहों पर आप समुचित व्यवस्था करें, टयूबवैल सोर्सेज डवलप करें, अन्य कहीं से करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

डा. समरजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। उन योजनाओं को भी समय पर पूरा किया जाए। दासपा में भी तीन टयूबवैल की

(डा. समरजीत सिंह)

स्कीम बनकर गयी हुई है ताकि उस एरिया के लोगों को सही समय पर पानी उपलब्ध हो सके। हैण्डपम्प रिपेयरिंग का मामला है। इसके अलावा अंत में एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह से यह सेंसिटिव मामला है, लोगों के पेयजल का मामला है, अधिकारी कोई भी लगे, हर सरकार अपने अधिकारी लगाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे भीनमाल में एक्स.ईएन., ए.ईएन. इस तरह के लगे हुए हैं कि वे न तो उन योजनाओं की तरफ जाकर देखते हैं कि कौनसी योजना चल रही है, कोई आकर उन्हें कह भी दे कि साहब वहां मोटर जल गई है तो कहते हैं, अच्छा जल गई है, शाम को बैठा कर बात करें। उनहें कोई ज्ञान ही नहीं है। एक तरफ तो साल भर पहले ऐसे एक्स.ईएन. लगे हुए थे जो खुद बेरे में उतरकर, मैं नाम लेना चाहूंगा, उस विभाग में ऐसे लोग बैठे हैं डी.सी. विश्नोई जैसे एक्स.ईएन. लेवल का आदमी खुद बेरे में उतरकर मोटर चैक करवा लेता है और आज ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको होश ही नहीं है कि उन कार्यों को कैसे पूरा कराया जाए। मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि जो मैंने पेयजल और अकाल की तरफ ध्यानाकर्षित किया है, उसकी तरफ सरकार समुचित ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल और पेयजल की चर्चा में अपने विचार रखना चाहूंगा। वैसे तो सरकार की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बधाई देना चाहूंगा, साथ में अकाल राहत मंत्रीजी और पेयजल मंत्रीजी को भी बधाई देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में इन्होंने अकाल से पीड़ित लोगों की कोई समस्या पैदा न हो उसका स्थायी इलाज किया है। उसके साथ ऊपर के जो मीडिया के लोग बैठ हुए हैं, इलेक्ट्रोनिक मीडिया है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि उस सहरिया क्षेत्र का स्थायी इलाज इन्होंने किया है। यदि इस बात को मिलकर मीडिया नहीं उठाता तो शायद उसका स्थायी इलाज नहीं होता। मुख्य मंत्रीजी ने सरकार बनते ही सबसे पहले, 17 हजार आदिवासी परिवार मेरे क्षेत्र में हैं और पूरे हाड़ौती में जब-जब भी अकाल हुआ है तो अकाल सहरिया क्षेत्र और किशनगंज क्षेत्र में ही हुआ है, तो उनका स्थायी इलाज करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया और स्थायी इलाज किया भी है। 17 हजार परिवार आदिवासी हैं। उनके लिए दो रुपये किलो का गेहूं दिया।

(श्री हेमराज मीणा)

आदिवासियों को मजदूरी के लिए 100 दिन की मजदूरी तय की ताकि हर वर्ष में उनको 100 दिन की मजदूरी मिले, यह भी शुरू किया।

अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले जबर्दस्त अकाल हुआ था। उस अकाल में 22 आदिवासी अकाल की मौत मरे थे, भूख के कारण 22 आदिवासी मरे थे। उसके कारण से स्थायी इलाज मेरे इलाके में हुआ। 17 हजार परिवारों की ऐसी व्यवस्था हुई है कि उनको अनाज समय पर मिल रहा है, 100 दिन की मजदूरी प्रत्येक सहरिया को मिलेगी, यह तय कर दिया। फोरेस्ट के क्लोजर के काम स्थायी रूप से चल रहे हैं और वो सारे काम चल रहे हैं उनमें जो लेबर सीलिंग इंगेज हो रही है वो लेबर सीलिंग इन अकाल के कामों में नहीं मानी जा रही है। 17 हजार तो आदिवासी परिवार हैं, उसके अलावा 10 हजार परिवार अनुसूचित जाति के हैं और दूसरे परिवार, जो गरीबी की स्थिति में हैं, उनको रोजगार देना नितान्त आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा मंत्रीजी से, कि बारां जिले की लेबर सीलिंग 25 हजार कर रखी है, लेकिन अभी तक 5 हजार लेबर ही काम पर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, या तो मैं यह कहूं कि प्रशासनिक लेवल पर या नीचे लेवल पर कोई मानीटरिंग नहीं है जिसके कारण से अकाल राहत के काम जिस प्रकार से शुरू होने चाहिए थे वो प्रारम्भ नहीं हुए। अकाल राहत के लिए आदिवासी बंधुओं को रोजगार लगातार मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा लगातार लोग रोजगार के लिए घूम रहे हैं, पंचायत समिति के चक्कर लगा रहे हैं। एस.डी.ओ. आफिस के चक्कर लगा रहे हैं और अकाल राहत के काम दूसरे लोगों के लिए प्रारम्भ नहीं हो पाये।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा वहां पर जो काम चल रहे हैं, ई.एफ.सी., एच.एफ.सी., केवल यही काम हैं, लेकिन अकाल राहत के नाम पर कोई भी मंजूरी अभी तक नहीं निकली। अध्यक्ष महोदय, यह वो काम हैं जो पंचायात समिति के माध्यम से होते हैं और पंचायत समिति का अपना निजी फण्ड है उसके आधार पर ही सारी मजदूरी का आकलन किया जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं इसकी मोनीटरिंग करके देखें कि आदिवासियों के लिए तो सरकार ने स्थायी इन्तजाम कर दिया अब वो भूख से नहीं मर सकते, लेकिन उसके अलावा मेरे क्षेत्र में ऐसी गरीबी है कि उन गरीबों को मजदूरी की आवश्यकता है और लोग दर-दर की ठोकरें खाकर मजदूरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो

(श्री हेमराज मीणा)

आप अन्य लोगों के लिए भी मजदूरी प्रारम्भ करें क्योंकि मोनीटरिंग की कमी रही है। 20 हजार की लेबर सीलिंग पूर्व में थी, 5 हजार की मंत्रीजी ने फिर बढ़ायी, 25 हजार की लेबर सीलिंग हो गई उसके बाद भी केवल 5 हजार की मजदूरी ही इंगेज कर पाये हैं, बाकी अभी तक कर ही नहीं पाये हैं।

अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के कामों में स्थायी स्ट्रक्चर खड़े हों, ऐसे काम मेरे इलाके में शुरू हुए हैं, लेकिन उनमें लेबर सीलिंग बहुत कम इंगेज हुई है और बहुत कम काम शुरू हुए हैं। काम वृहद रूप से हो, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पेयजल की कोई कमी नहीं है। पिछली सरकार ने पेयजल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस वर्ष मैं कह रहा हूं पांच साल में जितने हैण्डपम्प कांग्रेस के जमाने में नहीं लगे होंगे उतने हैण्डपम्प मेरे क्षेत्र में एक वर्ष में लगे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं 300 हैण्डपम्प केवल मेरे विधान सभा में लगे, पांच साल में कांग्रेस के राज में नहीं लग पाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा हैण्डपम्प लग गये, हैण्ड पम्प चालू भी हो गए, लेकिन वाटर लेवल इस गति से नीचे जा रहा है सारे हैण्डपम्प नये लगाने के बाद अब उनमें पाइपों की जरूरत पड़ रही है और इतने गहरे हैण्डपम्प हो गये कि एक हैण्डपम्प को 8-8, 10-10 महिलाएं चलाती हैं। तब वह हैण्डपम्प चलता है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा एक गांव में 10 हैण्डपम्प लगाते हैं, एक हैण्डपम्प पर 40-50 हजार रुपये खर्चा करते हैं तो सरकार इस बात पर भी विचार करे कि एक गांव में एक ट्यूबवैल लगाये उसमें बिजली की मोटर लगाये और साथ में जनरेटर की व्यवस्था करे और एक गांव में पेयजल का स्रोत ऐसा उत्पन्न हो जाए तो सरकार का पैसा भी बच सकता है और पेयजल का इन्तजाम भी होगा। इसके ऊपर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्ति की ओर बढ़ें।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिए पिछले समय में 2[illegible] योजनाएं मेरे क्षेत्र में बनीं, उसके लिए मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। शाहबाद में पानी की इतनी क्राइसस थी, वहां पर हमेशा टैंकर से सप्लाई होती

(श्री हेमराज मीणा)

रही है। जहां-जहां भी पानी के लिए प्रयास किये गये वो प्रयास सफल नहीं हुए। पहली बार एक स्कीम बनायी शाहबाद क्षेत्र में, 75 लाख रुपया सरकार ने उमसें दिया है, उसमें पानी पर्याप्त मिला है। उस कस्बे की समस्या तो मेरे यहां दूर हो गई।

श्री अध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें।

श्री हेमराज मीणा : पेयजल के लिए भंवरगढ़ की स्कीम है जो पी.पी.सी. की मीटिंग के लिए प्रस्तावित है। उसके लिए मंत्रीजी को निवेदन करूंगा उसको मंजूर करे। अकाल राहत के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए स्थायी, इन्तजाम किया है, क्योंकि एक बार जबर्दस्त अकाल में आदिवसियों की मौत हुई थी उसके कारण से सरकार ने चिन्ता करके उनका स्थायी इलाज किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, दूसरे वर्ग के लोग हैं एस.सी. के 10 हजार परिवार हैं, उसके अलावा भी दूसरे परिवार ऐसे हैं, सामान्य जाति के लोग हैं जिनमें भी बहुत गरीब हैं उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वहां मजदूरी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, मोनीटरिंग की नीचे लेवल पर कमी है मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि खुद मंत्रीजी इसकी मीटिंग लें और वहां पर कार्य प्रारम्भ करें ताकि सभी लोगों को मजदूरी मिल सके। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र नागर।

श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नरेन्द्र नागर ने तो अपना समय खो दिया, अब तो बाबूलाल खराड़ी बोलेंगे।

श्री नरेन्द्र नागर : मैं तो दो मिनट में ही अपनी बात पूरी कर दूंगा, साहब. धन्यवाद दे दूंगा, यहीं बैठा था, साहब, मैं।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

श्री नरेन्द्र नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और पेयजल पर चर्चा चल रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इस एक साल के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी योजना स्वीकृत हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक खानपुर बहुत बड़ा कस्बा है जिसमें पानी की बहुत समस्याएं हैं। फ्लोराइड पानी था, पीलिया की समस्या वहां लगातार रही है। एक बड़ी स्कीम लगभग 8 करोड़ 33 लाख की स्वीकृत हुई है उससे उनकी जो लगातार समस्या चल रही थी तो एक परमानेंट सोल्यूशन उसका निकलेगा ताकि उनको समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा एक कंटीजेंसी स्कीम में तुरन्त राज्य सरकार द्वारा 24 लाख की योजना स्वीकृत की गई जो खानपुर से 4 किलोमीटर दूर से पर्याप्त पानी खानपुर को मुहैया हो रहा है, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही कुछ गांव क्षेत्र में ऐसे हैं जहां वाटर लेवल नीचे बैठ चुका है, हैंड पम्प से पानी नहीं निकल पाता है क्योंकि दो सौ, ढाई सौ फीट वाटर लेवल हो चुका है, हैण्डपम्प से पानी निकलना असम्भव है तो राज्य सरकार यह सब व्यवस्थाएं करवाएं कि हैण्डपम्प की जगह होल लगाकर सबमर्सिबल डाली जाए, जैसे अभी किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया, उससे पूरे गांव को पानी मुहैया हो सकेगा और एक हैण्डपम्प पर 50 हजार रुपये खर्च होता है और सरकार एक गांव में 5-5, 10-10 हैंडपम्प भी लगा चुकी है तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दोलाड़ा, मानपुरा, कहीं हथोला, हथोली आदि कुछ अन्य गांव ऐसे हैं जहां ट्यूबवैल की व्यवस्था की जाए ताकि उन गांवों के लोगों को पानी की व्यवस्था मुहैया की जा सके। माननीय अध्यक्षजी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री बाबूलाल खराड़ी, आप भी इनकी तरह से 2-4 मिनट में पूरी कर दें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : बिलकुल, मैं तो बहुत कम बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और पेयजल पर चर्चा हो रही है, मैं भी

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए उस क्षेत्र की बात कहूंगा, जहां आज अकाल राहत काम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि उस एरिया में जिस गति से विकास होना चाहिए, उस गति से विकास नहीं हुआ और आज हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए और वह रोजगार केवल मजदूरी से उपलब्ध हो सकता है, वहां पर कोई स्थाई रोजगार नहीं, न तो कोई उद्योग धंधे हैं, न कोई आसपास में फैक्ट्री है। वह लोग अगर मजदूरी नहीं मिलती है तो या तो गुजरात जाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं या फिर उदयपुर या आसपास में माउंट आबू या इधर कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से उस एरिया का विकास होना चाहिए। मैं तो मंत्री महोदय से आश्वस्त भी हूं कि काफी विकास के काम किए गए और मंत्रीजी काफी इस पर चिंतित भी हैं और करेंगे, निश्चित रूप से, लेकिन विकास के अकाल राहत के काम और बढ़ने चाहिए मतलब जितने अभी हैं, वह निश्चित रूप से कम हैं क्योंकि हर व्यक्ति वहां पर मजदूरी पर आश्रित है। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर बारहों महीने अकाल रहता है और वहां की जमीन उबड-खाबड़ है, बरसात का पानी आता है, बहकर चला जाता है, खेती ठीक ढंग से नहीं होती है इसलिए कम से कम 2-4 महीने के अनाज के अलावा कोई भी अनाज नहीं होता है और वह मजदूरी पर आश्रित होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मजदूरी ज्यादा मिले। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कोटड़ा तहसील में जब पंचायत समिति को इकाई माना है, तहसील को इकाई माना है दो गांव ऐसे हैं कोटड़ा तहसील के, जिनको अकाल में नहीं लिया है। वह या तो कर्मचारियों या अधिकारियों की लापरवाही से छूट गये हैं, जिनका नाम मैं यहां कोट करना चाहूंगा, डांग पंचायत के बैरण और बोछी दो गांव हैं जो अकाल में छूट गये हैं और वह लोग मजदूरी के लिए तरस रहे हैं तो माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा कि वह गांव भी अकाल में आएं और आने के बाद में उन लोगों को भी मजदूरी मिले। यह मेरी मांग है।

पेजयल के लिए झाड़ोल के आसपास का एरिया मानसी वाकल के कमांड एरिया में आता है और मानसी वाकल का पानी उदयपुर को जा रहा है जिससे मेरी सहानुभूति है, उस क्षेत्र की भी सहानुभूति है लेकिन उस एरिया को भी पेयजल सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए 14 गांवों की योजना बनाकर विभाग को भेज रखा है और मंजूर कराएंगे तो उसको निश्चित रूप से वह 14 गांव लाभान्वित होंगे तो पेयजल की समस्या का निश्चित रूप से समाधान

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

होगा। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ऐसा एरिया है जहां पर गाड़िया नहीं जाती हैं और वहां पर लोग आज भी अपने परम्परागत स्रोतों से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं और अच्छा पानी नहीं है उससे बीमारी फैलती हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे एरिया में जहां गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, वहां मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक कुएं खोदने की अनुमति देंगे तो निश्चित रूप से उस एरिया के लोग अच्छा पानी पीएंगे, स्वच्छ पानी पीएंगे। मेरी यह भी मांग है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय की मेरे कोटड़ा पर बड़ी कृपा की है, फलासिया पर बड़ी कृपा है, एक स्थाई समाधान यही हो सकता है कि उस क्षेत्र का पानी बहकर गुजरात जा रहा है इसको रोका जाए। सिंचाई मंत्री जी ने मेरे एरिया में दो डेम दिये हैं, बधाई के पात्र हैं, मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि 4-5 डेम अगर उस झाड़ोल और फलासिया में या कोटड़ा में दिए जाएं तो निश्चित रूप से पानी की समस्या स्थाई समाधान सम्भव होगा। यही मैं मांग करते हुए आज आपने समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। जयहिन्द। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत-बहुत। श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अकाल और पेयजल पर मंत्रीजी से भी इस साल में चर्चा हो चुकी है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके लम्बे राजनीतिक जीवन के अनुभव को देखते हुए, ज्ञान को देखते हुए, आप भी मेरी भावनाओं को पूरी जान रही होंगी, आसन थोड़ा कुपित हो जाता है तो सदस्यों की भावनाएं आहत होती हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा क्योंकि आपकी क्षमताओं को देखते हुए तो ऐसा लगता है..

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट का ही समय है, समाप्त करें अब।

श्री रामचन्द्र सराधना : हां, पांच मिनट, चार मिनट ही लूंगा। आपकी क्षमताओं, अनुभव और योग्यताओं को देखते हुए मुझे लगता है (व्यवधान) वह करना तो मेरे हाथ की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेरी योग्यता की तो छोड़ें।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप गृह मंत्री होतीं तो राजस्थान को भी लाभ मिलता और इस सदन में मेरे जैसे का मामला बैठ जाता. बहुत सारे सदस्य, बहुत कम मौका मिलता है और जब आप कुपित हो जाती हैं तो सारा भूल जाती हैं इसलिए मैं तो मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत-बहुत आपको।

श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, पानी व अकाल की विभिषिक है, उसको देखते हुए आज हम ही नहीं पूरा विश्व चिंतित है और अगर इसक लिए समय रहते सही समाधान नहीं किया गया तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में एक-एक बोतल पानी के लिए तरसना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : रोज बोलते हो आप, आपके सीकर में कहां अकाल पड़ा है औरों को बोलने दो।

श्री हरिसिंह रावत : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, पानी की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। और वैसे जब से हमारी सरकार आई है और जब से हमारी संवेदनशील मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी और हमारे जन स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत संवेदनशील हैं और अकाल राहत मंत्री जी भी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं इसलिए हमें किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ रहा है। हमारी हर समस्या का समाधान हर समय पर हो रहा है आज, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकार, जो दिल्ली में बैठी थी। एन.डी.ए. सरकार, जिसने सपना देखा था कि हर प्रांत को हम नेशनल हाइवे से जोड़ेंगे, वह सपना हमारा पूरा हो रहा है और दूसरा सपना, जो हमारी एन.डी.ए. सरकार का था कि नदी से नदी जोड़कर के पानी का स्थायी समाधान किया जाए लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि यू.पी.ए. सरकार को ऐसी सदबुद्धि दे कि जो हमारी एन.डी.ए. सरकार का सपना अधूरा रह गया उसको पूर्ण करे तो शायद इस पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों में तो नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपने मुझे कम समय बताया है। मैं मेरी जो समस्या है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी.

(श्री हरिसिंह रावत)

मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे भीम की पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 7,41,30,000 का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है उसके लिए मेरे शब्दकोष में शब्द नहीं है जिनमें मैं उनको धन्यवाद दूं। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो मेरी समस्या है, भीम का तो मेरे पानी का स्थायी समाधान हो ही रहा है, दूसरा मेरा देवगढ़ बहुत बड़ा कस्बा है उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है लेकिन उस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जमीन की कुछ समस्या आ रही है। वह जमीन वन विभाग के अन्तर्गत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जमीन आइडेंटीफाई हुई है, उस जमीन को अभयारण्य के अन्तर्गत बताया गया है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वन्य अभ्यारण्य तो बता रखा है लेकिन वहां एक पेड़ का तना भी नहीं है। अगर पानी होगा तो पेड़ भी होंगे और जो वन्य जीव की बातें करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा स्टे लगा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अन्दर आप कोई बांध नहीं बना सकते तो इसका प्रपोजल भी अगर आप दिल्ली तक भेजें और वो प्रपोजल पास हो जाएगा तो मैं सोचता हूं कि देवगढ़ नगर जो पानी से वंचित है, उसका भी समाधान हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरे क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त गांव हैं, वो बहुत ही पेयजल से व्यथित हैं। वहां पर पानी की टंकी तो बनी हुई है लेकिन पाइप अभी तक नहीं पहुंच पायें हैं। मेरे जो गांव हैं उनमें कालादेह, आमनेर, अजीतगढ़, समेलिया, कूकरखेड़ा और बग्गड़ इस प्रकार के गांव हैं वहां टंकी तो बनी हुई है, 2-3 साल हो गये लेकिन वहां पाइप लाइन की व्यवस्था नहीं हुई है। अतः मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पाइप लाइन की व्यवस्था करके अतिशीघ्र वहां पर पाइप लाइन डलवायें ताकि पानी की समस्या का समाधान हो सके।

अध्यक्ष महोदय, आज बहुत खुशी और गर्व के साथ में मैं कहता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 347 हैण्डपम्प और करीब 104 स्कूलों में हैण्डपम्प लगे हैं जो बहुत ही सराहनीय कदम हैं। लेकिन एक निवेदन और करूंगा कि जहां-जहां भी हैण्डपम्प लगते हैं वहां पर कई हैण्डपम्प फेल हो जाते हैं। पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके डिपार्टमेंट के अन्दर अन्डरग्राउण्ड बोर्ड के अन्तर्गत आइडियोलोजिस्ट

(श्री हरिसिंह रावत)

आता है उनसे सर्वे कराकर के इनके द्वारा हैण्डपम्प खुदवायें तो शायद जो हैण्डपम्प फेल होते हैं, उनकी सम्भावना कम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, अब एक नई योजना चलाई है। फ्लोराइड की समस्या पर नियंत्रण के उद्देश्य से इंटिग्रेटेड फ्लोराइड मिटिगेशन प्रोग्राम है, यह अगर मेरे एरिया में क्रियान्वित किया जाए तो मैं समझता हूं कि फ्लोराइड की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। दूसरा, हमारी सरकार ने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम योजना बनाई है, जो रुफ टाप रेट वाटर स्ट्रक्चर के द्वारा जो पानी स्टोरेज किया जाएगा तो यह सिस्टम भी अगर गांव और ढाणी में लागू किया जाए तो इससे भी अपना समाधान हो सकता है।

अंत में, मैं अकाल राहत मंत्री, माननीय श्री मीणा साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो गिरदावरी हुई है, उसमें 87 प्रतिशत खराबा बताया है लेकिन इस 87 प्रतिशत खराबे के अनुसार मेरे वहां लेबर की संख्या नहीं है और वह बहुत ही कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो लेबर की संख्या है, वह बढ़ाई जाए और अभी जो लेबर बना रखी है उसमें तीन हफ्ते में नम्बर आता है, उससे हमारी जनता को पूरा लाभ नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर दो हफ्ते में नम्बर आये तो कुछ लेबर और बढ़ा दी जाए जिससे उसका भी समाधान हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, लेबर की जो समस्या आ रही है इसमें ऐसी भी लेबर लगा रखी है जिसमें एक ही परिवार के 4-4 राशन कार्ड बना रखे हैं और जो चापलूस लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं वे तो हर हफ्ते हर मस्टररोल में लग जाते हैं। एक ही परिवार के 4-4 राशन कार्ड होने से हर रोटेशन में उनके परिवार का नम्बर लगता है लेकिन जो वास्तव में गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.एम., तहसीलदार या दूसरा जो भी अधिकारी है, उन्हें आप निर्देश दें कि गरीब का ध्यान रखे। उनको पहले लगाओ तो गरीब भी दुआ देगा और अभी 2-3 महीने बरसात आने तक का समय है, उसका समय सही ढंग से निकल पायेगा। इसी आशा के साथ जय भारत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू। श्री नानालाल अहारी (अनुपस्थित) श्री जालमसिंह रावलोत (अनुपस्थित), श्री भागीरथ चौधरी (अनुपस्थित), श्री शांतिलाल चपलोत (अनुपस्थित), श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस पर नहीं बोले क्या?

श्री प्रहलाद गुंजल : इस पर नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल और अकाल पर आज चर्चा हो रही है। चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। काफी व्यापक चर्चा सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अकाल और पेयजल के बारे में जो चर्चा का स्वरूप बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सारा पश्चिमी राजस्थान इस बात से प्रभावित है। यह सच भी हो सकता है लेकिन एक बड़ी समस्या, व्यक्तिगत रूप से सरकार में इस बात को रखते रहे हैं, पेयजल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पेयजल और पशु पेयजल के बारे में पश्चिमी राजस्थान के लिए पेयजल के साथ-साथ पशु पेयजल की भी सरकार ने नीति बना रखी है। पश्चिमी राजस्थान के अतिरिक्त राजस्थान के दूसरे हिस्सों में पशु पेयजल की कोई नीति नहीं है, न वहां पर पशु आबादी के हिसाब से हैण्डपम्प लगाये जाते हैं। जब कभी गर्मियों में परेशानी आती है कि टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाए तो उनका मापदण्ड भी केवल इतना सा होता हैं कि गांव की आबादी के हिसाब से टैंकरों की व्यवस्था की जाती है और उस समय वह भीषण समस्या, इस तकलीफ का सामना कोटा जिले में भी, दूसरे जिलों में भी जहां पशु पेयजल की कोई नीति नहीं है, इसका सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि विभाग व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक नजरिये के आधार पर निश्चित रूप से इस तकलीफ का समाधान तो करता है लेकिन वो भी अपने आपको एक परेशानी के दायरे में महसूस करता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि पशु पेयजल की नीति, जो पश्चिमी राजस्थान के सन्दर्भ में बनी हुई है, आज परिस्थितियां बदल गईं, सारे राजस्थान में चाहे वह कोटा जिला हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बारां हो, चाहे झालावाड़ हो, बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, उसका आजीविका का आधार पशुपालन बना है और पश्चिमी राजस्थान की तुलना में प्रांत के अन्य हिस्सों में भी पशुओं की आबादी बढ़ी है, इस दृष्टि से पशु पेयजल की नीति बनाई जानी चाहिए।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एक और गम्भीर सवाल मैं चर्चा की दिशा से विपरीत जाते हुए रखना चाहता हूं। पेयजल के सन्दर्भ में चर्चा चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार गर्मी आती है और कंटीजेंसी के नाम से राजस्थान में हजारों हैण्डपम्प एक साथ लगाये जाते हैं...मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर साल कंटीजेंसी में हजारों हैण्डपम्प लगाये जाते हैं और अब पीएचईडी का नोर्म्स बना कि 250 की आबादी पर एक हैण्डपम्प लगाया जायेगा। अगर हम वास्तव में इस बारे में मूल्यांकन करें तो जो पीएचईडी का और पेयजल विभाग के नोर्म्स हैं, उस हिसाब से राजस्थान में लगने वाले हैण्डपम्पों की संख्या चार गुना हो गई है और चार गुना होने के बावजूद भी हम सबके प्रयास इस दिशा में रहते हैं, हम सब एम.एल.ए. मिलकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि कंटीजेंसी में मेरे इलाके में ज्यादा से ज्यादा हैण्डपम्प लगने चाहिए। लेकिन एक साल बाद आपके कंटीजेंसी में हैण्डपम्प लग गये, दूसरी बार जब वापस गर्मी आती है तो उन हैण्डपम्पों की स्थिति खराब हो जाती है, फिर नये हैण्डपम्प की डिमांड होती जाती है। इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि आज जल स्तर को ऊंचा उठाने के बारे में भी सोचा जाये ताकि जो हैण्डपम्प मौजूद हैं, जितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं। अगर नाकारा हैण्डपम्पों की संख्या को जोड़ दिया जाये तो आबादी के हिसाब से राजस्थान में इतने हैण्डपम्प लग चुके हैं कि जो पर्याप्त हैं, कंटीजेंसी में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम इस बात की आवश्यकता को महसूस कर लें, अब जल स्तर को बढ़ाने के लिए इस बारे में स्ट्रक्चर्स, एनीकटस के बारे में सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। ये तैयार कर दिये तो हैण्डपम्प जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, इन हैण्डपम्पों से राजस्थान में काम चल सकता है और कंटीजेंसी में हजारों हैण्डपम्प के नाम पर जिस प्रकार से सरकार का व्यय हो रहा है, इसमें बचत हो सकती है। इस विषय में वास्तव में सरकार और मंत्रीजी सार्थक प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के पूरे जिलों में विधान सभावार आपने कई एनीकटस के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किये हैं और मैं आज आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पर तो आपकी और आपके विभाग के अधिकारियों की ऐसी मेहरबानी रही है कि इतना पैसा मंजूर किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आप द्वारा मंजूर योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के बाद शत-प्रतिशत गांवों को चम्बल के पानी से पेयजल योजना से जोड़ दिया जायेगा। मैं आज इस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अवसर पर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अमराराम (धोद).

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल और पेयजल पर चर्चा चल रही है। जहां तक अकाल का सवाल है, राजस्थान में हर 10 साल में 6 और 7 साल तक अकाल रहता है और जहां तक अकाल के स्थाई समाधान का सवाल है, इसको राजस्थान की सरकार ने उस प्रायोरिटी पर नहीं रखा और इसका कारण है कि राजस्थान का सरफेस पानी और राजस्थान के हिस्से में आने वाला पानी आज भी 55-56 साल के बाद में केवल हम मात्र 52 प्रतिशत पानी का उपयोग राजस्थान में कर पाये हैं। आज राजस्थान में अकाल और पेयजल की जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी राजस्थान की सरकार की यह प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि राजस्थान के हिस्से का पानी और राजस्थान के सरफेस का जो भी पानी है, उसका हम सर्वोत्तम उपयोग खेती और पेयजल के लिए कर सकें तो मैं समझता हूं, यह बहुत बड़ा उपयोगी होगा और अकाल से बचाने में और पेयजल की समस्या का समाधान करने में हम कर सकते हैं लेकिन यह काम हमारी प्रायोरिटी में नहीं रहा, हमारी राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी और रही है और जहां तक अकाल का सवाल है, मैं समझता हूं, यह अकाल की सबसे बड़ी जो कमी रही है कि राजस्थान में छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक, हमारे लिए टास्क नहीं है लेकिन राजस्थान के वह गरीब जो अकाल की सबसे ज्यादा मार झेलता है और उसमें भी अकाल राहत सहायता मंत्रीजी, अगर आप दौरे पर कभी भी जायें, किसी भी अकाल राहत कार्य को देखें तो मैं समझता हूं, 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं काम करने के लिए आती हैं और उन महिलाओं के साथ, बाकी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए टास्क नहीं है। राजस्थान में जब भी अकाल चलता है उसमें आधी से ज्यादा महिलाएं होती हैं। उनके साथ समय की पाबन्दी भी हैं और उसके साथ टास्क भी है और यह टास्क ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम है। अगर अकाल राहत पर काम करने वाला कुछ हिस्सा उनको देंगे, नाप करने वाले को देंगे तो आपकी मिनिमम मजदूरी आएगी वरना 15 और 20 रुपये आयेगी। जब आपका हर 20 या 30 मजदूरों के ऊपर एक मैट करने वाला है काम, सुबह से लेकर

(श्री अमराराम)

शाम तक आप 8 घंटे तक ड्यूटी ले रहे हैं। अकाल में न्यूट्रिशन भी कम होता है। गरीब आदमी काम पर जायेगा, सक्षम आदमी काम करने पर नहीं जायेगा और उससे आप नपती के आधार पर काम कराते हैं, उस गरीब से जो राजस्थान के आखिरी छोर पर है वह अकाल में और उनमें भी महिलाएं आयें और उनसे आप इस गर्मी में आप टास्क के आधार पर करें तो मैं समझता हूं कि यह टास्क उस राजस्थान के गरीब आदमी के साथ में नहीं होना चाहिए। समय आठ घंटे तक ले रहे हैं, जितना वह काम कर सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, यह आप करेंगे तो इसमें आप उस भ्रष्टाचार को मिटाने का सबसे बड़ा काम करेंगे अकाल राहत में।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि अकाल में जो पशुओं के शिविर हों, गांव की आवारा गायों के रूप में हो, उसमें आप जो भी बिजली का कनेक्शन लेकर हरा चारा पैदा करना चाहते हैं, उनकी तीन गुना रेट है। क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर की रेट पर जो भी गौशाला और आवारा गायों को पालने का गांव में काम करते हैं, निश्चित रूप से हर पांच या सात गांवों के बीच में गौशाला जो गांव के लोगों की है, उसमें हरा चारा पैदा करने के लिए एग्रीकल्चर की रेट पर अगर सामान्य श्रेणी का कनेक्शन देंगे, क्योंकि अकाल हर बार आएगा, इस साल नहीं, अगली साल जमाना होगा और उसके बाद फिर अकाल आएगा इसलिए हरा चारा पैदा करने की बहुत बड़ी सेवा हम पशुओं की कर सकते हैं और हर गांव में या जहां-जहां अकाल पड़ा है, हर साल एक या दो गोचर भूमि हैं, उसमें एग्रीकल्चर का कनेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हरा चारा पैदा हो सकता है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से पीएचईडी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोचर भूमि का कनेक्शन किसको देंगे? गोचर भूमि का कनेक्शन किसको देंगे?

श्री अमराराम (धोद) : उसी गौशाला को देंगे। जब गौशाला को आप 18 रुपये प्रति बड़े पशु और 9 रुपये छोटे पशु के लिए सरकार अनुदान देती है तो कनेक्शन देने में, जो उस गौशाला को चलाता है, पशु शिविर को चलाता है, उसी के नाम से आप कनेक्शन दीजिये...

श्री अध्यक्ष : और गौशाला के अलावा और जो पशु होंगे, वह कहां चरेंगे?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, वहां अगर हरा चारा पैदा होगा तो इसमें कहां दिक्कत है। जब हम पशु शिविर के नाम से, गौशाला के नाम से 18 रुपये और 9 रुपये दे सकते हैं तो कनेक्शन देने में मैं समझता हूं कहां दिक्कत है और आपको परिवहन नहीं करना पड़ेगा और हरा चारा वहीं पैदा होगा, परिवहन नहीं होगा, वहीं का वहीं हो जायेगा और जब भी अकाल पड़े तो उसको चालू करें, बाकी आप काट दें तो मैं समझता हूं कि वह एक स्थाई समाधान जहां भी पानी अवेलेबल है, जहां भी मीठा पानी है, उसके लिए कर सकते हैं।

पीएचइडी. के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मुझे एक ही बात कहनी है पीएचईडी. और सिंचाई मंत्रीजी से, कितना डिफरेंस है, हम जो पैसा लगाना चाहते हैं, जिसको आप अंदाज कीजिये, जिसके अन्दर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मोबाइल जप्त कराओ। (व्यवधान) इनको का मोबाइल बज रहा है, अगर हमारा होता तो आप जप्त करते।

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हैं अब आप यह?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, यह मोबाइल बज रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह मोबाइल बज रहा है। ट्रेजरी बैंचेज का होता तो आप जप्त करते, हमारा तो जब्त करते। अगर हमारा होता तो आप जप्त करते।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत गलत बात है माननीय सदस्य, बहुत गलत बात है।

श्री जोगाराम पटेल : यह तो बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। हम जैसे नये सदस्यों के लिए हो सकती है, हम तो यही सीखेंगे कि मोबाइल स्टार्ट रखें और अपनी बात करें। आपकी व्यवस्था दी हुई है कि मोबाइल यहां जमा करायें।

श्री अध्यक्ष : आपको यह कहा हुआ है कि आप मोबाइल बंद करके आयें। तो फिर यह क्या बात है? आप आसन के निर्देशों को मानते क्यों नहीं हैं?

श्री हीरालाल (निवाई) : यह तो बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं अध्यक्ष महोदय, और फिर मोबाइल चला रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल : यह तो बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह गलती से आ गया है, उसके लिए माफी चाहता हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह टेबल पर रखवाया जाये। सबके पहले भी रखे हैं और परम्परा जो आपने कायम की है, उसको नहीं रोका जाये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये इकलौते हैं, इनको छूट है।

श्री जोगाराम पटेल : इकलौते हैं तो क्या हो गया, बदमाशी करेंगे?

श्री कालूलाल गुर्जर : इकलौतों को ऐसी छूट थोड़े ही मिलती है?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं जितना पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, एक ही गांव की ग्राम पंचायत के (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोबाइल का भी दुरुपयोग हो रहा है, मोबाइल का भी दुरुपयोग हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के उसी गांव में आपका ट्यूबवैल बनता है दो लाख रुपये में और आपका विभाग बनाता है उसी गांव में वही ट्यूबवैल साढ़े चार लाख रुपये में।

श्री अध्यक्ष : पांच लाख रुपये में।

श्री अमराराम (धोद) : पांच लाख रुपये में, मतलब दो गुना से भी ज्यादा। यह पैसा कहां जा रहा है? हम 57 साल से जनता का पैसा खर्च करते जा रहे हैं और जनता के नाम पर करते जा रहे हैं और कुछ लोगों के घर भरते जा रहे हैं। आप अंदाज कीजिये कि प्राइवेट ट्यूबवैल बोर करने के लिए 150 रुपये प्रति मीटर और वाटर वर्क्स की रेट है 800 और 1000 रुपये..

श्री अध्यक्ष : दो लाख रुपये।

श्री अमराराम (धोद) : जनता का पैसा कहां जा रहा है? पम्पसैट

(श्री अमराराम)

खरीदेंगे, अगर प्राइवेट किसान खरीदता है तो 20 साल तक चलता है और आपके विभाग का सबमर्सिबल पम्प लगाने के तीन महीने बाद भी नहीं चलता है। प्राइवेट हैण्डपम्प सीकर और झुन्झुनूं के इलाके में 35,000 रुपये में लगता है और इनका 50,000 रुपये में। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से एक ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि पर जो सहायता है, उसमें भेदभाव किया गया है। गंगानगर और हनुमानगढ में ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसल तबाह हुई, उनको 600 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से कचरा उठाने के लिए दे दिया और बाकी राजस्थान में, सीकर झुन्झुनूं के किसानों की 100 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है, सहायता मंत्रीजी भी गये, आप भी गये, 100 प्रतिशत हो गई, गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को तो 600 रुपये वह मलबा उठाने के लिए प्रति बीघा के हिसाब से सहायता मिलेगी और बाकी राजस्थान के किसान की छह महीने की फसल शत-प्रतिशत हो गई, उसको एक नया पैसा, वह कौनसा भेदभाव है। क्या राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ में सरकार और मंत्रीजी इसलिए सहायता दे रहे हैं कि वहां घड़साना और रावला का आंदोलन है क्या सरकार यह चाहती है, आमंत्रित करती है कि राजस्थान में ओलावृष्टि से जिस किसान की फसल तबाह हुई है उसको एक पैसा नहीं मिले, लघु और सीमांत को, आपने सहायता दी है, लघु और सीमांत के एक भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। छह महीने से, आने वाले छह महीने तक बिल जमा कराये, आपने बड़ी वाहवाही की बात की कि एक बिल हमने माफ कर दिया है। अगर सही सहायता करना चाहती है यह सरकार तो जिस भी किसान की फसल, उस किसान को, ट्यूबवैल के इलाके में उसका हुआ है जिसने ट्यूबवैल पर फसल पैदा कर रखी है। आने वाले छह महीने तक का बिल माफ करते हैं तो बात समझ में आती है वरना वह नहीं दे सकता। जब हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसान को छह सौ रुपये मिल सकता है तो आप या तो आमंत्रित कर रहे हैं कि घड़साना और रावला की तरह राजस्थान का वह किसान भी आंदोलन करे और सरकार उनको भी छह सौ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से दे वरना मंत्रीजी, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है..

श्री अध्यक्ष : बात तो सही है मंत्रीजी।

श्री अमराराम (धोद) : कि आप गंगानगर और हनुमानगढ़ में जब दे

(श्री अमराराम)

सकते हैं तो बाकी राजस्थान के किसान को भी छह सौ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दें।

श्री अध्यक्ष : भेदभाव नहीं होना चाहिए, बात सही है।

श्री अमराराम (धोद) : आप जब जवाब दें, निश्चित रूप से घोषणा करें वरना जो भेदभाव कर रहे हैं, इसके खिलाफ राजस्थान के किसान को मैदान में आना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। पांच मिनट में बात समाप्त करेंगे, पांच मिनट।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मै अकालग्रस्त क्षेत्र से चुनकर आया हूं, मेरा सबसे ज्यादा पीड़ित क्षेत्र होता है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे दो मिनट ज्यादा दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, जो अकाल के हालात पश्चिमी राजस्थान में हर समय छाये रहते हैं, पूर्व के वर्षों के साथ-साथ वर्तमान वर्ष भी अकाल से पीड़ित यह क्षेत्र रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व के हालात जो अकाल के रहते थे, ग्रामीणजन उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था को भी बनाकर रखते थे और बारानी कृषि के अलावा उन्होंने अपने और ऐसे वैकल्पिक जरिये बना रखे थे जिससे कि उनकी आय भी बनी रहती थी और उनकी आजीविका भी चलती रहती थी। लेकिन इन वर्षों में वह अपनी व्यवस्थाओं से दूर होने के कारण अकाल का साया हमारे यहां पर ज्यादा प्रभावी होता रहा है। मुख्य रूप से मैं जिला बीकानेर का निवेदन करना चाहूं कि वहां का आमजन, वहां का काश्तकार पशुपालन के व्यवसाय को भी उसी प्रकार के साथ लेकर के चलता था जिस प्रकार से वह किसानों को लेकर चलता था। दुग्ध व्यवसाय, भेड़ पालना, यह उसकी आजीविका को चलाने का एक बहुत बड़ा जरिया समाप्त हुआ करता था। परिवारों के बंटवारे के साथ-साथ यह व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त होने लगी और पशुपालन का जो कार्य है वह समाप्त सा होने की दिशा में आने लगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार हर बार अकाल राहत के नाम पर जो प्रबंधन पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, वह उस समय बीतने के साथ ही व्यर्थ चला जाता है। आज आवश्यकता है इस प्रकार की सोच की है कि जो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

भी हम व्यवस्था करें वह स्थायी व्यवस्था हो जिससे कि आने वाले समय में जो सरकार ने धन खर्च किया है उस धन के नाम पर आने वाले समय में उसका और उपयोग जाहिर हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जिला बीकानेर में जो सिंचित क्षेत्र है, जो टीबों को काट करके नहरें और खालें बनायें गये हैं, आंधी की एक फटकार के साथ नहरें और खालें भर जाते हैं। यही जरिया है पेयजल भी उपलब्ध कराने का काम दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाले, ढाणी में निवास करने वाले आम किसान का। उसको न सिर्फ पीने के पानी की समस्या आती है वरन पेयजल की भी समस्या आती है। सरकार स्थान विशेष पर हर बार डिसिल्टिंग के नाम पर लाखों का बजट देती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं एक स्थान विशेष इसमें निवेदन करना चाहूंगा, खाजूवाला तहसील में माधोडिग्गी माइनर है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी यहां डिसिल्टिंग के नाम पर राशि स्वीकृत की, वर्तमान सरकार ने भी डिसिल्टिंग के नाम पर यहां पर राशि स्वीकृत की। गत राशि का और इस राशि का अगर जोड़ किया जाय, इतने ही पैसे में वहां पर उस माइनर के ऊपर कवरिंग का कार्य हो सकता था जो कि एक स्थायी समाधान होगा। मेरा यह निवेदन है, इसी प्रकार से जो भी आप कच्चे काम के लिए राशि स्वीकृत करते हैं वह एक तात्कालिक राहत है। इसी स्थान पर अगर हम इन बातों को छोड़ करके, अपनी उन्हीं पुरानी व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान दें और हम अनुदान इस बात का दें कि पशुपालक को हम भेड़ और बकरी के लिए अनुदान प्रदान करें, हम गाय और भैंस के लिए अनुदान प्रदान करें जिससे उसकी यह व्यवस्था बन सके। इसी के साथ-साथ अगर आज हम उसको बिजली का कनेक्शन भी प्राथमिकता से दें, हम उसको पानी की सुविधा प्राथमिकता से प्रदान करें, हम बिजली से कनेक्शन में उसको अनुदान दें तो यह वह व्यवस्थाएं हैं जो हमें अकाल के स्थायी समाधान की ओर मजबूती प्रदान करेगी।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और इस अकाल की मार से जूझ रही जनता को स्थायी समाधान देने की बात करने वाली वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें राजनीति कर रही है। मैं उदाहरण के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान समय में जिला बीकानेर में तहसील लूणकरणसर में 6610 श्रमिक स्वीकृत हैं, वहीं तहसील कोलायत में 26320 श्रमिक स्वीकृत हैं,

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

तहसील नोखा में 20510 श्रमिक स्वीकृत हैं। यह जाहिर करता है कि सरकार वर्तमान में किस दिशा को सोच करके काम कर रही है। वहीं हम चारा डिपो की बात करें, अध्यक्ष महोदय, तहसील नोखा के अन्दर 40 हजार डिपो वर्तमान में कार्यरत हैं, तहसील कोलायत में 56 चारा डिपो कार्यरत हैं, वहीं तहसील लूणकरणसर में महज 4 चारा डिपो कार्यरत हैं। इसी प्रकार आम गौशालाओं की बात करें अध्यक्ष महोदय, तहसील नोखा के अन्दर पांच गौशालाएं हैं। जिनमें 3801 पशु वर्तमान में स्वीकृत हैं, तहसील कोलायत में पांच गौशालाएं स्वीकृत हैं जिनमें 2449 पशु स्वीकृत हैं, वहीं तहसील लूणकरणसर के अन्दर छह गौशालाएं स्वीकृत हैं जिनमें 1700 पशु स्वीकृत हैं। अध्यक्ष महोदय, पशु शिविर की बात भी अगर की जाय, तहसील कोलायत में 37 पशु शिविर स्वीकृत हैं जिनमें आठ हजार पशु स्वीकृत हैं, वहीं तहसील नोखा में आठ पशु शिविर स्वीकत हैं जिनमें 1800 पशु स्वीकृत हैं लेकिन तहसील लूणकरणसर में तीन पशु शिविर स्वीकृत हैं जिनमें 600 पशु स्वीकृत हैं। यह दर्शाता है सरकार की सोच को। माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय स्वयं वहां पर पधारे थे। मौके पर उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं भी देखीं थी, कुछ निर्देश भी दिये थे लेकिन वह निर्देश शायद मंत्री महोदय के कुर्सी छोड़ने के साथ ही समाप्त हो गये, ऐसा महसूस होता है। मैं यही

(समय : 18.47 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

निवेदन करूंगा इसी के साथ-साथ वर्तमान में जो चारा अनुदान दिया जा रहा है, मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि ट्रक पर तो हम परिवहन अनुदान दे रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर ट्राली पर हम अनुदान नहीं दे रहे जबकि ट्रैक्टर ट्राली पर अगर अनुदान दिया जाय तो निश्चित रूप से सरकार की यह राजस्व की बचत होगी और चारा डिपो संचालक को भी सुविधा होगी और आम जो पशुपालक हैं वह भी जो इस चारे को ले जाना चाहता है, उसको भी सुविधा होगी, इस ओर अगर आप ध्यान दें तो उचित होगा। इसी के साथ-साथ मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि हम अकाल के स्थायी समाधान की बात करें तो यह हमारे आने वाले समय के लिए बेहतर होगा।

मैं वर्तमान समय में, इसी के साथ-साथ, पेयजल की जो समस्या है

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में हम गांवों और ढाणियों की बात को तो भूलते हुए कस्बों की अगर बात करें, उसका समाधान भी हो जाय तो बहुत बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर कस्बे में वर्तमान समय में जो पेयजल व्यवस्था की गई है जो पेयजल व्यवस्था चल रही है वह स्लो सेण्ड फिल्टर सिस्टम के ऊपर आधारित है और कस्बे की आपूर्ति के नाम पर जो वहां पर स्टोरेज कैपेसिटी है, वह भी नाकाफी है। इसके अन्दर परिवर्तन किया जाना चाहिए। और इस स्लो सेण्ड फिल्टर सिस्टम को रेपिड ग्रेविटी फिल्टर के अन्दर कन्वर्ट करके इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ कस्बा लूणकरणसर, कस्बा कालू बल्कि उसके आस-पास के अन्य गांव भी लाभान्वित होंगे। इस हेतु राज्य सरकार के पास 780 लाख रुपये की लागत से एक स्कीम भी प्रेषित की गई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर ध्यान देकर के वह स्वीकृत करायें। इसके साथ साथ वर्तमान में 1991 की जनसंख्या को आधार मानते हुए जो सिस्टम यहां पर बनाया गया है, यह सिस्टम नाकाफी है इस सिस्टम को हम 2001 की जनसंख्या और इसको जो प्लस 15 साल करके 2022 को आधार मानते हुए ले करके जो चलते हैं, इस आधार पर इसको बनाया जाए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ कस्बा जैतपुर जो हमारे जिले और विधान सभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित है और हर समय पानी की समस्या से पीडित रहता है। वर्तमान समय में भी कैनाल क्लोजर के कारण यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, वर्तमान समय में यहां पर मंत्री महोदय तो कहीं व्यस्त हो गये, इसमें टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है कस्बे में भी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूरा ध्यान आपकी तरफ ही है मंत्री महोदय का।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अभी वर्तमान में कस्बे की स्थिति यह है कि यहां पर टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस कस्बे की 1991 की जनसंख्या को अगर हम देखें तो चार हजार प्लस इसकी आबादी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यहां पर भी ओवरहैड टैंक सिस्टम और घर-घर नल सप्लाई का सिस्टम अगर यहां पर दें तो यह बेहतर रहेगा। इसके साथ-साथ इसके

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

आस-पास के गांवों को, जो कि लम्बे समय से पानी की समस्या से पीडित है, इसके स्थायी समाधान के लिए एक विभाग की ओर से राज्य सरकार को 760 लाख रुपये की लागत की एक स्कीम प्रेषित की गयी है जिसकी भी स्वीकृति करावें। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हैण्डपम्प अनेक स्थानों पर स्वीकृत तो कर दिये गये हैं लेकिन हैण्डपम्प उपलब्ध नहीं नहीं होने के कारण लग नहीं पा रहे हैं इसके केसिंग पाइप उपलब्ध हो रहे हैं, ए.सी. प्रेशर पाइप भी आर्डर किये गये हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर प्राथमिकता से इनकी उपलब्धता की ओर ध्यान दिया जाए और अगर इसके लिए एर्जेसी विशेष है तो उस बात पर ध्यान दिया जाए कि हम एक पर ही डिपेंड क्यों करें। आज क्राइसेस का टाइम है, अगर आज हम पानी समय पर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो आने वाले चार महीनों बाद इतनी आवश्यकता इसकी महसूस नहीं की जाएगी। इसके साथ-साथ जो पूर्व में वर्ष 1980 में टी.एस.एस. स्कीम थी हमारी ट्रेडिशनल सोर्स स्कीम इसके आधार पर अनेकों गांवों में इसके जरिये पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज भी इसी के जरिये उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत स्तर पर उसको मेन्टेन कर पाना मुश्किल रहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको अगर पुनः विभाग टेकओवर कर सके तो वास्तव में यह स्कीम प्रभावी रूप से काम कर पाएगी और आम जन को राहत मिल पाएगी। मैं इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी बीकानेर यात्रा के दौरान आपने एक आदेश जारी किया था कि जो भी डिग्गियां हैं, जो भी जी.एल.आर. हैं, इन सबकी डिसिल्टिंग की जाए लेकिन इस आदेश की क्रियान्विति बिलकुल भी नहीं हो पा रही है और आज भी स्थिति यह है कि डिग्गियों के अन्दर चार-पांच फुट तक मिट्टी भरी पड़ी है और उनकी डिसिल्टिंग का काम विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जो आदेश जारी किये जाते हैं, वो आदेश प्रभावी हो। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी शासन में है। इस बात को भी सभी लोग जानते हैं लेकिन अकाल पीड़ित आम जन सरकार का मुंह राहत के लिए देखते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि राजनीति के ऊपर उठकर हम आम जन को राहत पहुंचाने के लिए काम करें इसके साथ-साथ माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजे जाएं। देखिये, अब जितने पाइंट्स थे अकाल के ऊपर वो करीब-करीब सब आ चुके हैं मुखबंद भी होना है और उसके बाद दो माननीय मंत्री हैं और अभी उपक्रम पर और आएंगे इसलिए सब पाइंट्स सारे आ गये हैं आप मंत्री महोदय का उत्तर सुन लें उसमें कोई विशेष आपके क्षेत्र की कोई बात हो तो वो ध्यान में आप दिला दें उस समय तो माननीय मंत्री महोदय पता करके उसका समाधान कर देंगे।

श्री तगाराम चौधरी : नहीं-नहीं मेरा तो एक विशेष निवेदन है। मेरा एक विशेष निवेदन है आप सुन लीजिये।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, बाबूलालजी नागर काफी देर से बैठे हुए हैं इनको बोलने का मौका दे दीजिये।

श्री सभापति : रोज ही बोलते हैं कल ही बोले हैं ये तो।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन सुन लीजिये। निवेदन यह है कि बाड़मेर से मैं आया हूं..।

श्री सभापति : आप एब्सेंट थे आपका नाम पुकारा था।

श्री तगाराम चौधरी : और बाड़मेर पिछड़ा क्षेत्र है और मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का भी हूं। आप मेरा निवेदन तो सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नाम पुकार लिया और ये थे नहीं।

श्री सभापति : आपका नाम पुकार लिया माननीय तगाराम जी, आप प्रश्न पूछ लेना जब कोई दिक्कत हो तो मंत्रीजी के जवाब के बाद।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है।

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिये। आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा।...(व्यवधान)..

श्री सभापति : दो-दो मिनट नहीं होता है वो तो फिर... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : दो मिनट का समय दें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब समय आगे नहीं बढ़ेगा। कोई मतलब ही नहीं है। मुखबंद चार बजे का था सात बज गये। अभी 8 बजे होगा मुखबंद फिर भी।

श्री सभापति : श्री सांवर लाल जाट।

श्री बाबूलाल नागर : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है अकाल से लोग पलायन कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में भयंकर अकाल है। मेरे दल ने मेरा नाम बोलने के लिए दिया है। मेरे क्षेत्र की इस तरह से सभापति महोदय, उपेक्षा की गयी है..(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको मौका दूंगा प्रश्न पूछने का। (व्यवधान)..; एक मिनट सुनें आप।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिले से एक भी सदस्य ने नहीं बोला है जयपुर जिले से कम से कम एक को तो बुलवायें। (व्यवधान).;

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, मैं पूरे पाली जिले से एक ही सदस्य हूं।

श्री सभापति : श्री सांवरलालजी जाट।

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय, अकाल राहत और पेयजल के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता प्रकट की...। (व्यवधान)..

श्री सभापति : कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना आप बाद में।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय मंत्री महोदय, दो बातें हैं..(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल : कुछ बहुमूल्य सुझाव समस्या के समाधान के लिए दिये..(व्यवधान)..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, जल नीति के बारे में मेरा एक प्रश्न है आपसे। सभापति महोदय, एक प्रश्न है मंत्री महोदय से मेरा।

श्री सांवर लाल : आसन की तरफ से व्यवस्था होने के बाद में मैं आपसे...।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी कोई समस्या रह जाए तो फिर बता देना।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : जल नीति के बारे में मेरा एक प्रश्न है।

श्री सांवर लाल : आपकी जो भी समस्या हो, आप लिखित में दे देना उस पर विचार करके जो हो सकता है, करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह :....(व्यवधान) .. जल की बात है और मात्र दो बातें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आपसे जल की नीति के बारे में मेरा एक प्रश्न है..(व्यवधान)... जल नीति के बारे में मेरा प्रश्न है। (व्यवधान)..

श्री सभापति : जिनके क्षेत्र में समस्या है आप मंत्रीजी का जवाब सुनकर उसके बाद में पूछ लेना।

श्री सांवर लाल : समस्या का समाधान करेंगे आप सुनें तो सही।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न।

श्री सांवर लाल : बाद में सवाल कर लेना, पहले मत करिये। व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, एक प्रश्न है आपसे।

श्री सभापति : मैं जवाब देने के बाद अलाउ करूंगा विराज जाएं। मैं आपको अलाउ करूंगा ये जवाब दे दें उसके बाद अलाउ करूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : सभापति महोदय, एक प्रश्न। सभापति एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री सभापति : वो जवाब दें दें उसके बाद अलाउ करूंगा आपको सवाल पूछने के लिए बिराज जाएं। मैं कह रहा हूं कि अलाउ करूंगा आपको सवाल पूछने के लिए आई बिल अलाउ यू प्लीज..(व्यवधान)..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, आप जल नीति के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें।

श्री सांवर लाल : साथ ही बता दूंगा जनता के लिए जन नीति है, जो जनता के हित में हो, वो करेंगे।

श्री सभापति : मैं आपको इजाजत दूंगा आप सेटिसफाई नहीं होंगे। तो। आप बिराज जाइये आपको मैं प्रश्न पूछने के लिए अलाउ करूंगा अगर कोई जरूरत पड़ी तो। (व्यवधान)..

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, फिर यहां कोई और आ जाएगा और फिर कह देंगे हमने तो बात ही नहीं कहीं थी.. (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...(व्यवधान)... दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने आज पेयजल और अकाल के सम्बन्ध में अपने-अपने क्षेत्र की चिन्ता प्रकट की। इसके साथ ही बहुमूल्य सुझाव समस्या के समाधान के लिए दिये, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आज का जो भी कार्यवाही विवरण है, उसमें हमारे विभाग से सम्बन्धित जो-जो भी बातें आपने रखी हैं, वो निकाल करके उनके समाधान का प्रयास करूंगा और जो बहुमूल्य सुझाव आपने दिये हैं वो लागू करने का प्रयास मैं करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जल ही जीवन है, जल के बिना जीव का अस्तित्व नहीं है इसलिए रहीमदासजी ने बहुत पहले कहा कि "रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।"

माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि हमारी राज्य व्यवस्थाएं रही हैं प्रजातंत्र आने के बाद सन 1952 के बाद जब जनता का चुना हुआ व्यक्ति वार्ड मैंबर से पार्लियामेंट मैंबर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने लगा, तब जन कल्याण की योजनाएं बनाना शुरू हुई उसमें पेयजल भी एक प्रमुख व्यवस्था शुरू की गयी। पुराने जमाने में पेयजल की समस्या होने पर लोग ही प्याऊ लगाया करते थे सरकारी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, पर आज सरकार के द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी का इरादा है कि पूरा पानी मिले, और प्रेशर से लोगों को पानी

(श्री सांवर लाल)

मिले समय खराब न करना पड़े, इस व्यवस्था में हम लगे हुए हैं और इसको पूरा करके हम रहेंगे। अब आपको पता है सभापति महोदय, राजस्थान में लगातार बरसात कम हो रही है। राजस्थान में जो पानी है सतही जल और भू-जल, भू-जल निरन्तर गिरता जा रहा है। चूंकि बरसात नहीं होती है, कम होती है, समय पर नहीं होती है सरकार ने समय-समय पर बरसात के पानी को रोकने की व्यवस्था की है जिससे भू-जल स्तर ऊपर आये। आज राजस्थान में हम बरसात के पानी को 54 प्रतिशत रोकने की स्थिति में है। जब से माननीय वसुन्धराजी की सरकार आई है हमने विशे . प्रयास किये हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी हमने लगभग 70-75 करोड़ के सैक्शन किये हैं। इसके अलावा माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट 49 हमने पूरे किये हैं। नर्मदा के लिये हमने पैसा दिया है, गंग नहर के लिये हमने पैसा दिया है। मैं यह कह सकता हूं कि माननीय वसुन्धराजी के मुख्य मंत्री बनने के बाद राजस्थान का सिंचाई का जो बजट 400 करोड़ का था, उसको हमने 750 करोड़ रुपये खर्च किया और यह योजनाएं पूरी करके, हमारा जो इरादा है कि जब बरसात का बहता हुआ पानी रोकेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसानों को भी पानी मिलेगा और इसके साथ-साथ जनता को भी पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। आज भू-जल की स्थिति आपको पता है। भू-जल में लगातार गिरावट आ रही है और यह हमारे लिये बड़ी चेतावनी का और सोचने का वि .य है। चाहे हम पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हो, राजस्थान के जो 32 जिले हैं जिनकी 237 पंचायत समितियां हैं उनमें 140 विकास खंडो में भू-जल का अत्यधिक दोहन हो गया है और हालत बड़ी चिंताजनक है। इसी प्रकार 46 खंडों में क्रिटिकल पोजिशन है। केवल 30 विकास खंड ऐसे हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि अभी हाल में हालत सामान्य है।

सभापति महोदय, राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये भी अलग-अलग योजनाएं हैं। भू-जल का लगभग 90 प्रतिशत ड्रिंकिंग वाटर के लिये काम में लिया जाता है। जहां पर भू-जल खराब है वहां पर हमने इंदिरा गांधी नहर का पानी भी पहुंचाया ड्रिंकिंग वाटर के लिये जिसको, हम हिमालय का पानी कह सकते हैं। राजस्थान के कई जिले जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ हिस्सा है, नर्मदा योजना जब पूरी हो जायेगी, 2006 तक पानी आने की सम्भावना है। उसके

(श्री सांवर लाल)

बाद बाड़मेर और जालौर के जिलों में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं उन गांवों को भी हम लाभान्वित करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं को लागू करने के लिये जैसे ही राजस्थान में पानी पहुंचे उसका उपयोग किसान के लिये और ड्रिंकिंग वाटर के लिये हो यह व्यवस्था भी हमने चालू कर दी है।

कई सदस्यों की चिंता थी कि कई योजनाएं, जो पुराने समय से स्वीकृत हैं, उनकी फंडिंग की व्यवस्था नहीं की गई। गुढामलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता, की कि आपने दूसरी सैंक्शन कर दी परन्तु हमारी पहली वाली योजनाओं का क्या होगा? हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। पानी की योजनाएं जनता के लिये बनती है और जनता किसी की नहीं है, जनता उसकी है जो उसका काम करे। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं..(व्यवधान) इसका सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद इस पर भी कार्यवाही करेंगे और जो योजना हमने स्वीकृत की है, उन पर भी कार्यवाही करेंगे। बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट थे, चाहे बीसलपुर दूदू योजना, बीसलपुर जयपुर योजना, बीसलपुर अजमेर योजना, भरतपुर-धौलपुर, नादौती योजना, चाहे आपके चंबल कोटा योजना हो, तो चाहे आपके लूणी की योजना हो सारी योजनाएं हमने टेकअप की हैं और मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पेयजल को पहली प्राथमिकता दी है और हम काफी आगे बढे हैं।

अजमेर से आने वाली माननीया सदस्या की चिंता थी कि बीसलपुर का पानी अगर जयपुर में और दूदू में आयेगा तो कहीं वहां संकट नहीं हो जाये। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अजमेर का पानी सुरक्षित है। 40 टी.एम.सी. का बांध है और आवश्यकता पड़ने पर इसको और भी बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। अजमेर का पानी सुरक्षित है वह किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा इसलिए उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

एक जो मुख्य समस्या है, माननीय सदस्यों की भी चिंता है हैण्डपम्प खुद जाते हैं, समय पर नहीं लगते हैं, समय पर चालू नहीं होते हैं। इसी प्रकार पाइप लाइन टाइम पर चालू नहीं होती है। चालू हो जाती है तो लीकेज

(श्री सांवर लाल)

हो जाती है, पानी समय पर नहीं पहुंचता है, पूरा नहीं पहुंचता है। सभापति महोदय, मैं भी 8-10 महीने से इस विभाग का अध्ययन कर रहा हूं आपकी जो समस्या है वास्तव में जायज समस्या है। मैंने अभी देखा है जो 15-15 वर्ष से सैंक्शन योजनाएं हैं उनका भी पानी टेल एण्ड के गांवों में नहीं पहुंच रहा। अब प्रतिस्पर्द्धा का समय है। कई प्रकार के प्रौडेक्ट बाजार में आते हैं। बेचने वाला तरह-तरह से मार्केटिंग टेक्टिस लगाता है, उनका डेमोस्ट्रेशन करते हैं, इंजीनियर उस पर विचार करते हैं, अपनी राय के आधार पर मैटेरियल खरीदा जाता है तो भी हो सकता है कि जब परीक्षण किया गया उस समय सब स्टेण्डर्ड का पूरा ध्यान नहीं रहा हो और इसकी वजह से कुछ डेफेक्टिव पाइप लाइन या मैटेरियल भी आता है, इसके ऊपर भी हम कार्यवाही कर रहे हैं कि सब स्टेण्डर्ड का माल नहीं आये, स्टेण्डर्ड का माल ही आये और भविष्य में जो भी पेयजल योजना हो उसके संधारण की जिम्मेदारी भी हम, जो ठेकेदार काम करेगा, उस पर डालना चाहते हैं जिससे वह स्वयं क्वालिटी का ध्यान रखें और अच्छा माल वहां काम में लें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पेयजल की जो भी योजनाएं होंगी क्वालिटेटिव होंगी और जनता की अपेक्षा के हिसाब से समय पर पूरा करेंगे। इसकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे और संधारण की जिम्मेदारी भी डालेंगे और क्वालिटेटिव डालेंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।

रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न खड़ा किया कि पीने के पानी की व्यवस्था तो होती है पर पश्चिमी राजस्थान में जानवरों के पीने के पानी की व्यवस्था होती है वह इस एरिये में नहीं होती। सभापति महोदय, इस वर्ष हमने जो टैंकर परिवहन का सर्कुलर जारी किया है, उसमें हमने यह उल्लेख किया कि इतना लीटर पानी आपको देना है। हमने स्पष्ट लिखा है कि जहां पर जितना आवश्यक हो पानी उपलब्ध कराया जाये और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में पशुओं का भी बहुत महत्व है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पशुओं का विशेष प्रभाव है इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि पशुओं के पेयजल के लिये जहां आवश्यकता होगी, राजस्थान सरकार पानी उपलब्ध कराने के लिये चाहे जितना ही पैसा लगे, उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेगी।

(श्री सांवर लाल)

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा चिंता माननीय सदस्यों की मेरे ख्याल से यह है कि गर्मी का समय है उस समय विशेष रूप से पानी का उपयोग होता है। सर्दी में तो कई कमजोर आदमी नहाने से भी कतराते हैं पर जब गर्मी पड़ती है तो नहाने में भी पानी चाहिये, पीने का पानी भी चाहिये इसके अलावा जानवरों को भी पानी चाहिये। पानी का लेवल नीचे जा रहा है। गर्मी में जो-जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं इसमें एक तो टेंकर द्वारा जल परिहवन होगा, राजस्थान में हमने टैंकर लगा दिये। जिला कलक्टर को आदेश दे दिये हैं और चूंकि राजस्थान के काफी हिस्से में अकाल है इसलिए माननीय सहायता मंत्री की तरफ से भी इन टैंकरों का पेमेंट होगा और यह व्यवस्था जारी है। अगर किसी माननीय सदस्य के एरिये में वास्तव में समस्या है और वहां पर इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है, ऐसी जानकारी अगर हमको मिलेगी, तो निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नेग्लीजेंसी को हम बदार्शत नहीं करेंगे जिससे जनता सफर करे।

इसी प्रकार हैण्डपम्प पीने के पानी के लिये बहुत पापुलर है। हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में अभी। मई से जहां पर पंचायात वाइज जितनी गाडियों की आवश्यकता होगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वह व्यवस्था हम करेंगे। सामग्री की व्यवस्था हमने कर रखी है। कुछ जगह से हमारे पास शिकायत आई कि जो मैटेरियल रिपेयर्स में काम में लिया जा रहा है कुछ डिफेक्टिव है तो हमने इसकी जांच कार्यवाही शुरू कर दी है और सबको आदेश दिये हैं कि मैटेरियल स्टेण्डर्ड का होना चाहिये। यह नहीं कि चैन लगाई और टूट गई, वाशर लगाये और टूट जाये। आप जानते हो कि वैराइटी बहुत हो गई। अभी कह रहे थे कि पी.एच.ई.डी. का हैण्डपम्प तो 4-5 लाख में लगता है और दूसरा कोई लगाये तो 2 लाख में लगता है। अब एल.एम.बी. की मिठाई की दुकान पर जाओ तो आपको भाव का पता है। हमारे विभाग में एस्टेब्लिशमेंट है, कई खर्चे हैं, सारी चीजे हैं और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पहली बार मैंने सिंगल टेण्डर की व्यवस्था लागू की। पहले रेट कांट्रेक्ट होता था और आदमी के नाम मिलकर रेट लिया करते थे और उसके बाद वह अलग-अलग आर्डर दिया करते थे। मैंने इसको खतम कर दिया और आपको बताना चाहता हूं कम से कम 10 या 20 प्रतिशत का इससे सरकार को फायदा होगा। ऐसे कोई सुझाव आपके आयेंगे जिससे राज्य सरकार को फायदा

(श्री सांवर लाल)

होगा तो मैं निश्चित तौर से आपको कह सकता हूं कि उसके ऊपर हम विचार करेंगे। इसी प्रकार मोटर सुधार के लिये 5 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था कर रखी है। हैण्ड पम्प के लिये 8 करोड़ की व्यवस्था कर रखी है। हमें माननीय सहायता मंत्रीजी की ओर से भी मिल रहे हैं। अगर यहां से नहीं मिले तो हमारे विभाग के लेवल पर भी करने के आदेश दे दिये हैं। पानी हम उपलब्ध कराएंगे। आपको एक नजारा बताना चाहता हूं, इर्रिगेशन का बजट, 1994-95 में 219 करोड़, 1995-96 में 260 करोड़, 1996-97 में 22 करोड़, 1997-98 में 247 करोड़, 1998-99 में 293 और उसके बाद लगातार घटता गया। 1999-2000 में 239, 2000-2001 में 194, 2001-02 में 241, 2002-03 में 214 और वसुन्धराजी के आने के बाद 722 करोड़ रुपये उस बजट को हमने पहुंचाया। जिसकी वजह से आपका यह नर्मदा का काम हो रहा है जिससे बाड़मेर और जालौर के लोगों को पानी मिलेगा। 2004-05 में हमने लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किये और इस साल हमारा यह बजट 755 करोड़ का है।

वाटर हार्वेस्टिंग, और भी कार्यक्रम हम हाथ में ले रहे हैं। माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां पर आवश्यकता उनके एरिया में है, पानी रोककर फायदा लिया जा सकता है। मैं भरोसा दिलवाता हूं कि उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे।

जो टोटल जल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उपयोगी सतही जल 13.01 एम.एफ. बाहरी जल, बाहरी जल का मतलब मध्य प्रदेश का आ रहा है, यमुना का आयेगा, नहरों के अन्दर जो नहरी एरिया है, उसके अन्दर आ रहा है वह 14.05 एच.एम., भू-जल 9.21 एम.एफ. कुल मिलाकर हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है 36.73 एम.एफ.।

जनगणना 2001 की जनगणना 565 करोड़ और अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 2001 पर आधारित योजना बनानी चाहिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमने यह फैसला ले लिया है और यही फैसला लागू है। कोई भी योजना पी.एस.ई.डी. डिपार्टमेंट से बन रही है 2001 की जनगणना के आधार पर ही बन रही है।

जल का उपयोग है, आंतरिक सतही जल का 54 प्रतिशत उपयोग जैसा मैंने बताया हम कर रहे हैं। बाकी बहकर चला जाता है। वसुन्धराजी का

(श्री सांवर लाल)

और हमारा सपना है कि वर्ष में दो वर्ष हम माइनर इर्रिगेशन, मीडियम इर्रिगेशन, मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम जल्दी ही सारे पानी को नहीं तो 80 प्रतिशत पानी रोकने की स्थिति में होंगे। बाहरी जल का जो वर्तमान में उपयोग हो रहा है 70 प्रतिशत के लगभग हो रहा है, भू-जल का उपयोग है, वह बहुत ज्यादा 103 प्रतिशत हो रहा है।

अब राज्य की जल नीति के बारे में भी माननीय सदस्य ने पूछा तो हमारी जो पहली प्राथमिकता है वह तो आप सबको मालूम है, पेयजल उपलब्ध कराना है। उसके बाद में किसान को खेत के लिए पानी मिले और खेत के पानी का वह अप्टीमम यूटिलाइजेशन करें, उसके लिए हम फव्वारा सैट, इन सब पर सब्सिडी जारी कर रहे हैं। जहां-जहां पर भी आवश्यकता होगी, जो नहरी एरिया है वहां पर भी हम विचार कर रहे हैं। और इस प्रकार कोई सुझाव आएगा..

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : जल नीति के बारे में यह पूछना चाहूंगा कि ..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हमारी जानकारी में तो यह आया है कि वसुन्धराजी का सपना प्रधानमंत्री बनने का है और आपका मुख्यमंत्री बनने का है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, मेरा आपसे प्रश्न है जल नीति के बारे में, जिस तरह बेतहाशा जल का दोहन हो रहा है और पुनर्भरण से लगभग 120 प्रतिशत से अधिक पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए कोई ऐसी आप नीति लागू करना चाहेंगे या सदन की अलग से बैठक बुलाकर बहस करके ऐसी नीति लागू करना चाहेंगे क्या?

श्री सांवर लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, आपको भी पता है मुझे भी पता है लोग-बाग कहते हैं कि अलग वर्ल्ड वार होगा, वह जल के ऊपर होगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मंत्री महोदय, वर्ल्ड वार नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं बता दूंगा, आप सुनो तो सही।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : नहीं होगा, आपस में ही लड़कर के मर जाएंगे। नौबत ही नहीं आएगी वर्ल्ड वार की।

श्री सांवर लाल : लड़ लेंगे..(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अपन आपस में ही लड़कर मर जाएंगे पानी के लिए, वर्ल्ड वार की तो नौबत ही नहीं आएगी।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना यह चाहता हूं कि जब राजस्थान में नोरमल रेनफाल होगी उसके पानी को रोकने की व्यवस्था हमारी पहली नीति का भाग है और इस दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। इससे बढिया और कोई काम नहीं हो सकता है इसलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करो। हमने तो हवन पूजन कराए थे, इस बार फसलें भी बढ़िया हुई। आपका बीसलपुर जो कई वर्षों से खाली था वह भी भर गया। गांधीसागर के लिए सब यहां पर चिंता प्रकट कर रहे थे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बन गए, तालाब बन गए, गांधीसागर में पानी नहीं आएगा, पर हमारी भगवान से प्रार्थना..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : काल कैसे पड़ा फिर (व्यवधान) यह अकाल 22 हजार गांवों में कैसे पड़ गया, आपके पूजा करने के बाद ही सभापति महोदय, अगर पूजा से बरसात होती है तो फिर यह यहां पूजा इन्होंने बरसात नहीं होने के लिए की है क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रोजगार देने के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : यहां पूजा इन्होंने बरसात नहीं होने के लिए की है क्या?

श्री रामप्रताप कासनिया : यह अकाल इसलिए पड़ रहा है कि आप व्यवधान पैदा करते हो ना बीच-बीच में, इसलिए उसके हिसाब से ही अकाल पड़ रहा है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल तो कोई एकाध वर्ष ही ऐसा होगा जब किसी गांव में नहीं पड़ा हो, नहीं तो किसी न किसी गांव में पड़ता ही रहता है। यह हमारे लिए चिंता की बात है पर आपके और हमारे पास इलाज नहीं है उसके बावजूद भी इस बार जो फसल हुई है उसके आंकड़े देखिए, इतने गांवों में वह भी अकाल नहीं पड़ा जितना पिछले पांच वर्षों में पड़ा, यह आपको पता है। हम भी आपके साथ ही बैठा करते थे उस समय में।

(श्री सांवर लाल)

सिंचाई के लिए जो पानी है भू-जल का 90 प्रतिशत पानी पेयजल के लिए काम में आता है। सिंचाई के लिए भी भू-जल का दोहन 70 प्रतिशत पानी, इर्रिगेशन भूजल से होती है यह आपके और हमारे लिए चिंता का विषय है, इसलिए मैं माननीय सभी सदस्यों को भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने सुझाव दीजिए। पहले कितना पानी काम में लेते थे, आज कितना पानी आ रहा है, किस-किस उद्देश्य के लिए आ रहा है। इसका यूज अगर हम ढंग से करेंगे तो निश्यित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

आज जवाई एरिया के अन्दर भी हमने पाइप लाइन की योजना सैंक्शन कर दी। जवाई एरिया में फिडिंग के लिए सही बांध के लिए 10.6 करोड़ रुपये सैंक्शन कर दिए। मैं अगर पूरा डिटेल बताऊं सभापति महोदय, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे माननीय सचेतक महोदय ईसरदा को चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ईसरदा के लिए हमने स्वीकृति जारी कर दी गोफर डेम बनाने के लिए, उसके बाद टेण्डर भी इन्वाइट कर जिस पर एक टैण्डर आया इसलिए अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में भी (व्यवधान) हैण्डपम्प और यह सब चीजों की कोई कमी नहीं है, मैं आप सबकी..(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : हैण्डपम्प नहीं, पेयजल की योजना चाहिए। स्वीकति के लिए आपने निवेदन किया..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ज्यों-ज्यों योजनाएं आपकी आई हुई हैं माननीय सदस्यों की आवश्यकता होगी उनको और बनवा देंगे, मैंने अभी निवेदन किया है, कि आपके विधान सभा की प्रोसिडिंग देखकर जिन-जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्र में कोई योजना होगी उसके ऊपर विचार करके मैं कार्यवाही करूंगा निश्चित रूप से आपसे चर्चा करके।

श्री तगाराम चौधरी : सभापति महोदय, बाड़मेर, मोहनगढ़ लिफ्ट के बारे में घोषणा करें। पहले वालों ने एक पत्थर रोपकर अडंगा फंसा दिया, इसलिए आप कृपया दूर करें। हमारी सुनें और समस्या का हल करें।

श्री सांवर लाल . माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर के बारे में मैं कह चुका हूं कि इसके ऊपर कार्यवाही चल रही है। तगारामजी जल्दी से जल्दी आपकी जनता के लिए हम कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार कई

(श्री सांवर लाल)

योजनाएं हैं, जागासरिया, सुमेरसर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, आपने बताई है, इनके ऊपर भी हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

यह तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि हैण्डपम्प एम.एल.ए., एम.पी. कोटे से, टयूबवैल, हैण्डपम्प या कोई भी योजना बनाए तो वह योजना पंचायत समिति से कराये, हमको कोई एतराज नहीं है। पंचायत समिति उसका संधारण करें। मैं इस बात से सहमत हूं। अब वह चाहे कम लागत में बने चाहे वहां पर कार्यवाही कराये उसमें सारी व्यवस्था पंचायत समिति ही करें, यह इस प्रकार की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों को पीने के पानी के हैण्डपम्प के लिए, कोई योजनाओं के लिए, एस.टी., एस.सी. बस्तियों के लिए जिस प्रकार पिछले पांच वर्षों में गिड़गिड़ाते थे, वह गिड़गिडाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं, कि जहां-जहां आवश्यकता होगी मैं आपको स्वीकृति प्रदान करवाऊंगा और आपके सारे काम इस योजना से होंगे।

एक समस्या सबसे पहले ज्यादा आती है, जहां पर एक ही मोटर लगी हुई है, किसी गांव के अन्दर। वह मोटर अगर जल जाती है तो वह गांव प्रभावित हो जाता है। मैं आपके माध्यम से यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसी मोटर की 24 घंटे के अन्दर मरम्मत की जाएगी या रिप्लेस की जाएगी। नहीं होगा तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

माननीय सदस्यों की चिंता को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि पीने के पानी के सम्बन्ध में कुछ सीधा अधिकार जिस प्रकार सात लाख का है, इस प्रकार माननीय सदस्यों को मिले और वह विनियोजन का बिल, एप्रोप्रियेशन का जवाब देगी, मुख्य मंत्रीजो से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बारे में आप सबको कुछ न कुछ कहें जिससे आये दिन की जनता की समस्या आपको झेलनी पड़ती है। मैं आपको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे जो भी काम होगा टाइम बाउण्ड होगा। सामग्री की बार-बार चिंता होती है, हमारे अधिकारियों से भी हमने चर्चा की है और इनकी भी यही मंशा है कि सामग्री के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए। अजमेर के बारे में भी माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं। अजमेर का सैकिण्ड फेज हमने सेंक्शन कर दिया। आपके एरिये की जो 3 टंकियां ऊंची

(श्री सांवर लाल)

बनानी हैं वह भी हम जल्दी सैंक्शन कर देंगे और जहां भी जो आवश्यकता होगी, मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि पीने के पानी का संकट इन तीन महीनों में नहीं आने देंगे और आने वाले समय में स्थायी समाधान हम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि निवाई विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर फ्लोराइड युक्त एरिया है तो ईसरदा काफर डेम है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कृपा करें, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : बता दिया इन्होंने पैसा अलाट कर दिया।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मंत्री महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देती हूं। लेकिन आपने एक बात कही है कि प्रोसिडिंग देखकर के आपका निवारण कर देंगे। मेरे तो प्रोसिडिंग में केाई आया ही नहीं इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रोसिडिंग के अलावा भी हमारा निदान करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारे सब काम करावें। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) नागौर में इंदिरा गांधी नहर का क्या किया है..(व्यवधान) इंदिरा नहर कब से..(व्यवधान)

श्री सभापति : आप पूछ चुके ना पहले। (व्यवधान) पहले दोनों मंत्रियों का जवाब हो जाए, उसके बाद पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर : सभापति महोदय, मेरी बात नहीं हुई, मेरा एक सवाल था...(व्यवधान)

श्री सभापति : दोनों मंत्रियों का जवाब हो जाए, फिर। (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर : नहीं, नहीं, एक मेरा सवाल था। (व्यवधान)

श्री सभापति : पहले माननीय मंत्रियों का जवाब हो जाए, उसके बाद पूछ लीजिए आप, मंत्रियों का जवाब हो जाए, उसके बाद।

श्री सांवर लाल : अभी एक सुझाव आया था, सभापति महोदय, कि

(श्री सांवर लाल)

जिन सदस्यों ने इस डिबेट में चर्चा में भाग नहीं लिया तो उनसे हमारा निवेदन है कि वे बताएंगे उनके क्षेत्र की समस्या का समाधान करेंगे। अब मैंने तो यही कहा कि सारी मैं लिख नहीं पाया तो उनको निकालकर देखकर उनके ऊपर विचार करेंगे। अब ईसरदा के बारे में चिन्ता कर रहे हैं। ईसरदा की मुझे भी चिन्ता है। जयपुर वालों को, सब चिन्ता है तो इसके लिये कार्यवाही चल रही है, जल्दी बनावायेंगे। बाकी फ्लोराइड जहां पर है 5 पी.पी.एम. से ज्यादा है, उन गांवों को हमने सलेक्ट किया है, उनमें से 500 गांवों में तो हमने ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगा दिये, दे दिये हैं और बाकी को इस साल टेक-अप करेंगे साढ़े 34 करोड़ की योजना है।

श्री सभापति : डा. किरोड़ीलालजी, सहायता मंत्री, उत्तर देंगे।

डा. किरोड़ी लाल (आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री) : माननीय सभापतिजी, राहत और पेयजल पर सारगर्भित चर्चा हुई और 25-30 माननीय सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा सदन जानता है कि हमारा राजस्थान प्रदेश आपदाओं से घिरा हुआ प्रदेश है और अब की बार तो, सभापति महोदय, ऐसा हुआ है, हमारी परीक्षा भगवान ने भी ली। भारी बरसात हुई और आपको पता है कई जिलों में भारी वर्षा के कारण भारी नुकसान भी हुआ, कुछ को हमने मुस्तैदी के साथ सम्भाला और कई जिलों में जहां से सुझाव आये, अनावृष्टि हुई। सभापति महोदय, 32 से 25 जिलों में अकाल की छाया है, उसके बाद अनावृष्टि का कहर बरसा जिसके कारण किसान की फसल नष्ट हो गयी और 2 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंहजी का एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाऊंगा, 11.3.2005 को अखबार में छपा था। प्रदेश में आपदा प्रभावित किसानों को पहली बार मुआवजा राशि, स्पीकर साहब ने कहा। यह सभी जानते हैं कि हमने पहली बार बहुत अच्छी मदद करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं किया है, सभापति महोदय, जो 25 जिले प्रभावित हैं उन 25 जिलों में से 6 जिलों में मुख्य मंत्री महोदया गयी हैं। उस गरीब मजदूर से जानकर पूछा है उसको मजदूरी समय पर मिल रही है कि नहीं, इसकी जानकारी ली है। गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, गेहूं की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, छाया की व्यवस्था कैसी है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं। राजस्थान की मुख्य मंत्री ऐसे 6 जिलों

(डा. किरोड़ी लाल)

में जाकर आयी हैं। मैं बाड़मेर में था, बाड़मेर में माननीय सदस्य साथ में थे। वहां पर नाड़ियों में तपती धूप में मुख्य मंत्रीजी गयीं। 21 जिलों में सभापति महोदय, मैं जाकर आया हूं कि 4-5 जिले रह गये, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जिनमें 25, 26, 27, 28 के प्रोग्राम तय हैं।

श्री जीतमल खांट : कब आने का तय कर रहे है?

डा. किरोड़ी लाल : तय है, 25 से 28 तक वहीं रहूंगा।

सभापति महोदय, 14 जिले ऐसे हैं जिनके जिले की मैं बैठक लेकर आया हूं और पूरी समीक्षा की है। यह लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि अकाल के कार्मो में राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है और किसी ने नहीं कहा, इतने लोग यहां पर हैं। (व्यवधान) हां, आपने भी, रघुवीरसिंहजी ने भी कहा। बीकानेर में माननीय राजेन्द्रजी और मैं मीटिंग लेने के लिये गये, जिला अधिकारियों की बैठक थी। तो हमने सारा, जब वह हो गया तो हमने माननीय सदस्य से कहा, माननीय सदस्य, आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। तो इन्होंने कहा किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, अकाल का प्रबन्धन बहुत अच्छा है। फिर भी, फिर भी.. (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मंत्री महोदय, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी जनता को है। जनता की परेशानी के निदान की बात करने के लिये यहां आते हैं और जिसकी बात उस वक्त भी की गयी थी, आन रिकार्ड है, उस वक्त मैंने आपको यह निवेदन किया था कि 2 चारा डिपो महज वहां चल रहे हैं। आज की तारीख में 4 चारा डिपो हैं, आप रिकार्ड उठाकर देखिये। मेरे घर में चारे की आवश्यकता मुझे नहीं, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : जनता की बात करते हैं अपन।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : जनता की बात है तो आप यह बात आन रिकार्ड फरमा रहे हैं, मैंने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, देखिये, वैसे तो मुझे टोकना नहीं चाहिए। परन्तु उस बैठक में मैं भी था। उस वक्त जब आपने कहा चारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डिपो नहीं है, जब हमने कहा चारा डिपो के प्रस्ताव कितने लम्बित हैं उस वक्त आप खुद ही बता दो, कितने लम्बित थे। जब प्रस्ताव ही नहीं तो चारा डिपो खोले कौन? ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं, सरकारी समिति का प्रस्ताव नहीं, उसके बाद भी मंत्री महोदय खुद कहकर आये थे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मंत्री महोदय, आप का खुद का यह वहां पर स्टेटमेंट था कि चारा डिपो इसलिये नहीं खुल रहे हैं कि पहले वहां पर बंगलिंग हुई है, वह आपका स्टेटमेंट था। वह आपने खुद फरमाया है। अगर बंगलिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। पीड़ित आदमी जिसको वहां पर समस्या है, वह समस्या का समाधान चाहता है, स्टेटमेंट नहीं चाहता है।

श्री हेमराज मीणा : माननीय मंत्रीजी, मैं एक जानकारी और चाहूंगा कि सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मंत्रीजी ने +++ छोड़ रखे हैं, वह भी बता दीजिए, अब आपके कौन से +++ वहां सराड़ा में, उदयपुर में, यह तो बता दीजिए। आपके जो सारे मस्टररोल हैं उनके हाथ में हैं और सारा काम वह करा रहे हैं, वह कौन मजदूर लगा रहे हैं?

श्री सभापति : पहले स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे साथ बैठक में थे। इनके इलाके से कोई प्रस्ताव नहीं आये थे, वास्तव में उस दिन हमने सभा की थी। सभापति महोदय, उन्होंने बताया, अब ये बतायें कि लूणकरणसर, कोलायत और नोखा में गौशाला खोलने में, चारा डिपो खोलने में, कैटल कैम्प खोलने में भारी भेदभाव किया, मजदूर बढ़ाने में। इनके 75 से 100 प्रतिशत के जो खराबे के गांव हैं, सभापति महोदय, इनका इन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, लूणकरणसर में 4 गांव हैं। कोलायत में 208 गांव हैं, नोखा में 107 गांव हैं। 4 गांव मात्र इनके इलाके में हैं तो किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव हमने किसी के साथ नहीं किया। यह इन्होंने जो चार्ज लगाया है, यह निराधार है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन यह स्पष्टीकरण आवश्यक है।

श्री सभापति : नो, नो इण्टरप्शन प्लीज, नो इण्टरप्शन। बीच में नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। यह जिला प्रशासन की रिपोर्ट है लूणकरणसर में 4 गांव नहीं है, 137 गांव हैं।

श्री सभापति : प्लीज नो इण्टरप्शन, पहले रिप्लाई आने दीजिए। माननीय सदस्य, नो, नो, नथिंग बिल गो आन रिकार्ड।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : +++

श्री सभापति : नो, नो, बाद में, पहले रिप्लाई आने दीजिए, उसके बाद, सिट डाउन।

डा. किरोडी लाल : सभापति महोदय, कल की बात है या परसों की बात है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य रूठ कर चले गये, यह कहते हुए कि राजस्थान की सरकार अकाल का प्रबन्धन ठीक नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है। कल्लाजी, प्रतिपक्ष के नेताजी ने हमारी बात सुनी भी नहीं, हमने कोशिश की कि वे हमारी बात सुनें। लेकिन उनको तो चूंकि घड़ियाली आंसू फेंकने थे और जनता को बताना था कि हम चिन्ता बहुत कर रहे हैं, सभापति महोदय, मैं आंकड़ों सहित प्रूव करूंगा कि अपने राजस्थान में अफेक्टेड पापुलेशन है 1 करोड़ 69 लाख, और सभापति महोदय, अफेक्टेड नम्बर आफ द फैमिलीज है 33.80 लाख। सभापति महोदय, लेबर सीलिंग है अकाल में 1148250 और एस.जी.आर.वाई. एफ.एफ.डब्ल्यू. में है 80 हजार, 799079 और नम्बर आफ द फैमिलीज, जो एम्प्लायमैंट हमने दे रखा है वह हमने दे रखा है 36 लाख।

सभापति महोदय, मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि हमने जो टोटल लेबर एंगेज कर रखा है वह है 12 लाख 30 हजार और तीन पखवाड़ा जो हमने कर रखा है, सभापति महोदय, उस हिसाब से हमने 36 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। देना चाहिए 30 लाख को, हमने 36 लाख को दे रखा है। दूसरा, मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा कि 25 जिलों की जो जनसंख्या है, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, आप आये दिन एस.सी., एस.टी., की ज्यादा चिन्ता करते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। 25 जिलों की जो जनसंख्या है जो अकाल से प्रभावित है उसमें एस.सी. की है 60 लाख और एस.टी. की है

(डा. किरोड़ी लाल)

प्रभावित जनसंख्या 12 लाख, 43 हजार और बी.पी.एल. फैमिलीज जो प्रभावित हुई हैं वह है 17.32 लाख। हम इनके परिवारों की गिनती करते हैं, सभापति महोदय, तो परिवार 12 लाख तो होते हैं एस.सी. के, 8 लाख होते हैं एस.टी. के, 12 और 8 हो गये 20 और 3 लाख होते हैं बी.पी.एल. के और इस जयपुर जैसे बड़े जिले में बहुत कम गांव हैं, उनको निकाल दिया जाए तो यह संख्या बैठती है 20 लाख। बीस लाख की संख्या एस.टी., एस.सी., बी.पी.एल., 20 लाख की संख्या, इनको तो काम हम रहे हैं लेकिन जो 36 लाख का मैंने आपको आंकडा दिया है उनसे हटकर हम 16 लाख दूसरे लोगों को काम दे रह हैं और आप मेरे को बता दो हम हर महीने में 10 दिन का काम हर व्यक्ति को दे रहे हैं। मैं आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं, यह जो 36 लाख की हमने व्यवस्था कर रखी है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभापति महोदय, गरीब और मजदूर, वह किसी पार्टी का नहीं है। उसमें कोई राजनीति करेगा तो वह छिछली राजनीति करेगा, न तो उनका ऐसे हाल होंगे जैसे इन्होंने की और वह वहां जाकर बैठ गये। हम छिछली राजनीति नहीं करना चाहते।

सभापति महोदय, आज मैं चुनौती के साथ, आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का जो गरीब जरूरतमंद आदमी है, आज राजस्थान की धरती में जो 18661 गांव हमने घोषित कर रखे हैं, वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको दस दिन का रोजगार नहीं मिल रहा हो, यह मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया? मैं जैसलमेर गया। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य शायद चले गये दिखते हैं। जैसलमेर में मैं गया तो, सभापति महोदय, वहां मैंने एक भादरिया आश्रम देखा और भादरिया आश्रम देखकर मैं चकित हो गया। क्षमा करिये, ज्यादातर माननीय सदस्य वहां जाकर देखें, माननीय सभापति महोदय, वहां एक ऐसा पुस्तकालय है जो विश्व का ऐसा कोई दुर्लभ ग्रंथ नहीं है जो वहां भादरिया में उपलब्ध नहीं है। इतना बड़ा पुस्तकालय है। मैं दो घंटे तक उस पुस्तकालय को देखता रहा और अकाल राहत के काम में वह पुस्तकालय बनाया गया। अकाल राहत से पुस्तकालय बनाया गया।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक हरवंत सिंहजी निर्मल महात्माजी हैं जो 1972 से 81 तक 9 वर्ष 5 माह तक भूमिगत रहे और केवल पानी पर रहे और अब मैं गया था उस वक्त भी थे, 3.12.2002 से लगातार

(डा. किरोड़ी लाल)

एकान्तवास में हैं। मैंने कोशिश की मिलने की लेकिन मिलना तो अलाऊ ही नहीं और उस महापुरुष ने दस हजार गायों के लिए एक दर्जन से ज्यादा ट्यूबवैल करा रखें हैं। 1005-125 से ज्यादा आदमी वहां पर सेवा करने को लगे हुए हैं। चारे की पूरी व्यवस्था वहां उनकी तरफ से है और इतनी बड़ी लाइब्रेरी उस महापुरुष ने बना रखी है। उनकी दस हजार गायों का भुगतान आपने इसलिए रोक दिया कि वह धर्म-प्रधान स्थान है। सभापति महोदय, जब मैं यह देखकर आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और लौटते ही मैंने यह फाइल निकलवायी और फाइल पर भुगतान नहीं किया जाए..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन बिराज रहे थे?

डा. किरोड़ीलाल : यहीं बिराज रहे थे जो उधर बैठे हैं। कोई कारण नहीं। सम्भागीय आयुक्त की रिपोर्ट कि उनका भुगतान वाजिब है, किया जाना चाहिए लेकिन राजनीति के कारण से इन्होंने भुगतान रोका दस हजार गायों का और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने मेरे हाथ से दस हजार गायों का कल्याण किया, उस फाइल को निकाल कर।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माननीय सभापति महोदय, जो बात जिसका जिक्र माननीय मंत्रीजी कर रहे हैं उन महापुरुष से मैं व्यक्तिगत मिला हूं। जैसलमेर मेरा दौरा था और उस लाइब्रेरी को देखा और मैंने अपने जीवन में क्योंकि मैं, शिक्षा का मैं व्यक्ति हूं, पूरे देशभर में लाइब्रेरीज बगैरह मैंने देखी हैं, ऐसी लाइब्रेरी हिन्दुस्तान के अन्दर मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी है और इतने बढ़िया महापुरुष हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, यह जवाब बिलकुल असत्य है कि कांग्रेस के राज में, जहां करोड़ों रुपये अनुदान दिया गया है और आप बता दीजिए फाइल पर, किसने पेमेंट रोका है। फाइल पर किस अधिकारी या मंत्री ने आदेश दिया पेमेंट रोकने के? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ : कांग्रेस के जमाने में..(व्यवधान) गौशालाओं को कांग्रेस ने रोकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : भारत सरकार ने रोकी थी। हाउस में यह कह रहे हैं उससे बड़ी और क्या बात होगी? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिट डाउन, बैठिये आप। बीच में नहीं उठें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं। मंत्रीजी से पूछा है मैंने। माननीय सदस्य क्या हैसियत रखते हैं यह जानते होंगे? यहां सरकार जो उत्तर दे रही है, मेरा मंत्रीजी से सवाल है।

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से आपकी अनुमति से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा उप सचेतक महोदय, कि पिछली बार पिछली सरकार ने जो जनता से पैसे इकट्ठा किया था, महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से, अन्य साधनों से, केन्द्रीय सहायता मिली थी, वह पैसा गौशालाओं को देना था, उसमें से भी कटौती की है जो आपको पूर्व में मिल चुका है, यह आप देखें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तथ्य निराधार है। कांग्रेस ने 6 से 12 रुपये बढ़ाया था। जैसे आपने अभी बढ़ाया है। हमने भी 6 से 12 रूपये बढ़ाया था। 13 से 6 रुपये किये थे और तमाम गौशालाओं को अनुदान दिया था। भादरियाजी के मंदिर में भी कांग्रेस के वक्त में आप बतायें कि कितना करोड़ों रुपये का अनुदान उस संस्था को मिला है। मान लीजिए कि किसी अधिकारी के स्तर पर यदि कोई रोका गया हो पेमेंट, मेरी जानकारी के अनुसार में दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मंत्री ने उसके पेमेंट को रोकने के आदेश नहीं दिये।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप यह तो जानते हैं कि भादरिया एक बहुत अच्छी जगह है, गायें बहुत अच्छी हैं, सेवा-चाकरी भी बहुत अच्छी होती है वहां पर। वह पुस्तकालय भी बहुत अच्छा है। महात्माजी भी बड़े अच्छे हैं। फिर गुलाब सिंहजी शक्तावत ने क्यों रोकी?

डा. बुलाकीदास कल्ला : बता दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बता दूंगा। जब चाहेंगे तब बता दूंगा और फाइल मेरे हस्ताक्षरों से निकली है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बता देंगे तो क्या करेंगे?

डा. किरोडी लाल : माननीय सभापति महोदय, पिछली बार बड़े

(डा. किरोड़ी लाल)

किस्से सुनें। अपन चुनावों में गये, आप भी गये और यह माननीय सदस्य जितने भी बैठे हैं सब गये चुनाव लड़ने के लिए तो वहां पर हर जगह कूपनधारी मिलते थे हमारे कूपन का गेहूं नहीं मिला, हमें गेहूं दो। सभापति महोदय, कूपनों में गडबड़ घोटाला था। चित्तौडगढ़ में तो फर्जी कूपन भी पकड़े गये। 7000 बोरे काहे से कटे? सभापति महोदय, यह पकड़े और हमने अबकी बार क्या व्यवस्था की है कि कोई चोरी नहीं कर सके इसलिए सम्वत् 2059 के अकाल में गेहूं की अनियमितताएं हुई थी, उन अनियमितताओं को रोकने के लिए इस वर्ष कूपनों के प्रिन्टिंग के समय ही माननीय कल्लाजी, प्रिन्टिंग के समय ही प्रिन्ट में सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर के लघु हस्ताक्षर करवाये हैं। मास्टर प्रिन्ट, जिला कलक्टर के लघु हस्ताक्षर करवायें हैं जिससे कि फर्जी कूपन नहीं बनाये जा सकें और मास्टर प्रिन्ट कलक्टर के पास रहेंगे और जब कूपन खतम हो जाएंगे या अकाल राहत का कार्य खतम हो जाएगा तो कलक्टर उस मास्टर प्रिन्ट को नष्ट कर देगा। प्रत्येक कूपन में मजदूर का नाम तथा गेहूं की मात्रा का अन्दाज अंकों में लिखने के साथ शब्दों में भी लिखा जायेगा। 35 किलो, पैंतीस किलो तथा कूपन पर मजदूर के हस्ताक्षर भी होंगे। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग एवं सहायता विभाग के लेखा शाखा के कर्मचारियों की टीमों का गठन कर दिया गया है, जो जिलों में जाकर प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को चैक करेगी कि उन्हें कितना गेहूं दिया गया तथा कितने कूपन जारी किये गये। इसका मिलान करेंगे कि दुकानदार ने गेहूं कूपनों के आधार पर ही दिया है। यदि कोई अनियमितता होगी तो उसे जिला कलक्टर एवं विभाग के नोटिस में उनके द्वारा लाया जायेगा। तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। हमने टीम बना दी। वह कूपन को जा-जाकर चैक करेगी और आपने क्या किया? आप तो गेहूं को डकार गये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : हमने यह मांग रखी थी कि इसी विधान सभा में, यही से हमने मांग रखी थी कि लोग कूपन लिये फिर रहे हैं। उनका गेहूं बेच दिया गया है। आपने यह कहा था छानबीन करेंगे, कार्यवाही करेंगे। बता दीजिये आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की?

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कितने लोगों के खिलाफ आपने पिछले डेढ़ साल में कार्यवाही की? ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन्होंने लोगों के गेहूं बेच दिये। (व्यवधान)

डा. किरोडी लाल : जवाब दें रहा हूं। तसल्ली से सुन लो। सभापति महोदय, यह गरीबों के गेहूं को डकार गये और जब गरीबों का गेहूं डकार गये तो जैसे ही यह विभाग मेरे को मिला। इस विभाग में, सभापति महोदय, मैंने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई 168 और सभापति महोदय, दर्ज सूचना में गेहूं के गबन की स्थिति है 84,913 मीट्रिक टन। और फिर हमने लट्ठ मारकर वसूल किया सभापति महोदय। वह किया 13,00 हजार मीट्रिक टन, जिसकी कीमत है 23,44,305 रुपये, इतना हमने वापस ले लिया। मुंह से खाया हुआ नाक में होकर निकलवा लिया। सभापति महोदय, शेष वसूली जो गेहूं की करनी है, वह 71,196 मीट्रिक टन है। अब वह हम कर रहे हैं। 168 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हमने मुकदमा दर्ज करा दिया और हम दूसरी कार्यवाही भी कर रहे हैं। यह बकाया कूपनों की कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चुनाव प्रचार में गये तो यह आपको भी जानकारी आई होगी कि वहां पर कूपनधारी मिले। हम राज में आ गये, राज में आ गये तो कूपन वालों की समस्या का समाधान तो हमको ही करना था, क्योंकि यह तो डकार गये तो अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी से प्रार्थना की कि कूपन का गेहूं गरीबों का दायां-बायां हो गया, हमें गेहूं दो। मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा, सदन में धन्यवाद देना चाहूंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को, कि वह कूपनों के पैसों के लिये मुख्य मंत्रीजी गेहूं लेकर आई 51,250 मीट्रिक टन। हम लाये। आप इसका जवाब दे दो। दिल्ली की सरकार से, अटल बिहारीजी से प्रार्थना करके मुख्य मंत्रीजी ने इतना गेहूं लाकर इन जिलों में गेहूं बांटा। आप कहो तो आंकडे बता दूं जिलेवार।

एक माननीय सदस्य : आज तो सिक्स पर सिक्स हो रहा है।

डा. किरोडी लाल : आप कहो तो आंकड़े बता दूं। अध्यक्ष महोदय, हमने यह 19+9=28 जिलों में 51,250 मीट्रिक टन गेहूं हमने बांटा है। कूपन का भुगतान हमने किया है। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे,

(डा. किरोड़ी लाल)

उनका मामला, यह और कबाड़े बाकी रह गये कूपनों के जो भुगतान योग्य नहीं है। उनको हम किसी स्थिति में भुगतान नहीं करेंगे। उनसे तो हम लट्ठ मार-मारकर पैसा लेंगे, कानून के घेरे में हमने मुकदमा दर्ज करा दिया। हम किसी को नहीं बख्शेंगे।

एक माननीय सदस्य : वैरी गुड, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, संयमजी आज हैं नहीं, यहां पर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य अभी हैं नहीं।

श्री जुबेर खान : अच्छी बात है मंत्रीजी, कार्यवाही करो। लेकिन तकलीफ यह है कि डण्डा डेढ़ साल से चला क्यों नहीं? हम देख रहे हैं हमारे इलाके में गेहूं डकार गये। यह सही है कि चुनाव से पहले जो गेहूं डकार गये, अभी भी डकार रहे हैं। वह डेढ़ साल से डण्डा लग रहा है, कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चलेगा, जोरदार चलेगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : चलना शुरू हो गया। आप तक आते-आते थोड़ी देर लगेगी।

श्री माननीय सदस्य : मुंह से खाया नाक से निकालेंगे। मुंह से खाया हुआ नाक से निकालेंगे। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : जिसके घर से एक ट्रक गेहूं गया। रात में निकाला, कहां गया? नोट करके निकालो और आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, आपकी सरकार बनने के बाद हम शिकायत कर रहे थे अधिकारियों को, तहसीलदार को फलानी जगह इतने ट्रक डीलर ने गेहूं खा लिया तो वह बोले? क्या बोलता है कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं साहब। क्या एडजस्टमेंट कर रहे हो?

डा. किरोडी लाल : मैं आ ही रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : चोर है तो पकड़ो और जेल भेज दो। तब तो यह कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : जवाब पूरा होने दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : चोर की कोई जात नहीं होती है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य : पूरी कार्यवाही कर रहे हैं, सुन लो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : अपराधी अपराधी होता है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग हैं, उनको पकड़िये, जेल भेजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जवाब होने दीजिये पूरा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कोई ट्रक की चर्चा कर रहे हैं। ट्रक गायब हो गया बताया। मैं 25-26-27-28 को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के गांवों में घूमूंगा। जिला अधिकारियों की मीटिंग भी लूंगा। मैं जाऊंगा तब तक ट्रक आ जायेगा। आप मेरे को पूछ लेना मीटिंग में। पता कर लेना। आपने मुझे बताया नहीं पहले। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सिफारिश मत करवाना फिर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हम तो पहले रात में घूमा करते थे, आपको पता है। आप भी घूमा करते थे। सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चार्ज लगाया कि मैंने आन्दोलन किया सिरोही में जब जाकर गौशाला का भुगतान हुआ।

(समय : 19.40 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, देखकर अफसोस होता है इनकी बात मानें और उसका अहसान भी नहीं मानें। 11 तारीख को उनका फोन मेरे पास आया। उस समय मैं झुन्झुनूं में था। मैंने तुरन्त सैक्रेटरी साहब को फोन किया। सैक्रेटरी साहब ने कलक्टर साहब को फोन किया और कलक्टर साहब ने बात मानकर, इनकी कलक्टर ने बात नहीं मानी। सी.डी. देवल साहब अभी हैं नहीं, चले गये, मैं अभी पाली के दौरे पर गया था तो वहां पर मुझे महिलाओं ने घेर लिया कहा, पटवारी हमारे भुगतान में अनियमितता करता है, गड़बड़ी करता है।

(डा. किरोड़ी लाल)

उन्होंने मेरी गाड़ी को घेर लिया। मेरे पास न कोई कागज था, न कुछ था। मैंने पैन से, ध्यान से सुन लो आप। एक महिला के हाथ पर यह लिख दिया था कलक्टर साहब पाली, इस पटवारी को तुरन्त ट्रांसफर करें। उस महिला ने कलक्टर को उस हाथ को दिखाया, ट्रांसफर ही नहीं किया पाली में, उस पटवारी को सस्पैण्ड कर दिया। आपका यह कहना गलत है। हमने कलक्टर को कहा, इसलिये भुगतान हो गया। आपने आन्दोलन किया तो और आगे आन्दोलन करते रहना, देख लेंगे क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने चार्ज लगाया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके राज में बिना ब्लैक एण्ड व्हाइट के ही काम हो रहे हैं क्या? बिना लिखे ही?

डा. किरोडी लाल : हमारे तो ऐसे ही होते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कांग्रेस के टाइम में कुम्भारामजी ऐसे लोगों को जमीन अलाट कर देते थे। आप भी कुछ करा दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : मैंने कर दिया न कस्टोडियन लैण्ड का। हो गया न। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा, इन्होंने पैसे का उपयोग नहीं किया और इस पर नाराज होकर परसों बाहर चले गये थे। सभापति महोदय, उनमें 2059 में..

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह डिवोट करेंगे हमेशा ही। आदत है उनकी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 2059 में हमने कैश डिमांड किया था, सामने वालों ने 7,519.76 करोड़, व्हिट 56 सी.आर.एफ. में 179.72 करोड़ एण्ड सी.सी.एफ. में 772.08 इस ढंग से इनको मिला 951.80 करोड़। प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी, आपको इतना पैसा मिला और आपने खर्च किया 805.35 करोड़, 146 करोड़ रुपये तो आप ही खर्च नहीं कर पाये, छोड़ गये और 32.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं दिया और पी.एम. रिलीफ फण्ड से 4.58 करोड़ अलग से दिया और हमने इनसे मांगा 2378.64 करोड़ रुपये कैश और गेहूं मांगा 28.80 मीट्रिक टन और सी.आर.एफ. का पैसा मांगा हमने 251.61, एन.सी.सी.एफ. में 216.79..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 28 मीट्रिक टन नहीं, 28 लाख मीट्रिक टन..(व्यवधान)

डा. किरोडी लाल : 28 लाख मीट्रिक टन। अध्यक्ष महोदय, यह हुआ 468.40 अब इसमें हमने खर्च कर दिया, प्रतिपक्ष के नेताजी लिख लो, 197 करोड़ हमने खर्च कर दिया। अब 291 से 197 खर्च हो गया, 44 करोड़ की सेविंग है सी.आर.एफ. के तहत तो आज की तारीख में जीरो है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमने जो व्यवस्थाएं की हैं आपदा प्रबन्धन में, उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य में एक दिसम्बर से अकाल राहत कार्य शुरू कराये गये। माह मार्च में 8 लाख श्रमिक सीमा के विरूद्ध 7,57,580 लोगों को रोजगार दिया गया। माह अप्रैल की श्रमिक सीमा 10 लाख की गयी थी परन्तु विभिन्न जिलों के जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर इसके बढ़ा कर 11 लाख..

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहाड़िया साहब, हम तो उधर देखना चाहते हैं आपको।

डा. किरोड़ी लाल : महावीरजी, बैठो-बैठो।

श्री अध्यक्ष : आप पता नहीं किस को कहां-कहां देखना चाहते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम आपको आगे देखना चाहते हैं, आपके आगे वाली सीट पर।

श्री अध्यक्ष : और आप स्वयं को कहां देखना चाहते हैं, वह भी बताओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं वहां चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो हमने कदम उठाये... (व्यवधान)... बता रहा हूं, बता रहा हूं।

विभिन्न जिलों के जन-प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर हमने उसको बढ़ा कर 10 लाख को 11 लाख 48 हजार कर दिया। राज्य में अकाल प्रभावित जिलों में आवारा पशुओं के लिए कैटल कैम्प रखे जाने वाले पशुओं की सीमा को मांग के अनुसार अब बढ़ा कर 2,43,500 कर दी तथा 578 गौशालाओं में 1,94,404, कितनी होती है, गायों को अनुदान पहले से ही दे दिया गया है।

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं यहां सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य में किसी भी इच्छुक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने तथा पशुओं के संरक्षण एवं पेयजल उपलब्ध करवाने में हमारी सरकार कभी भी पीछे नहीं रहेगी।

राज्य सरकार ने अब तक के बजटों में सर्वाधिक धनराशि, 514 करोड़ रुपये का प्रावधान पहली बार किया है तथा राज्य में पहली बार ही राजस्थान राहत कोष का गठन किया है। पहली बार राज्य सरकार ने अकाल राहत में पहली बार, जो आप पूछ रहे थे और यह भी पूछ रहे हैं, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर में 500 डिग्गी एवं फव्वारे का कार्यक्रम हाथ में लिया है। आप पक्के कामों की बात कर रहे थे। राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि से प्रभावित हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों पर खेत साफ करने के लिए एक बीघा पर 600 रुपये की मजदूरी पेटे के रूप में दी है।

श्री अध्यक्ष : धोद वाले माननीय सदस्य का यही तो एतराज है और क्या एतराज है, सुना नहीं आपने।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बता रहा हूं। वहां सेमग्रस्त इलाका है, नहरी क्षेत्र है, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट होकर उसमें गिर जाने के कारण सड़ांध पैदा हो गयी और सडांध पैदा होने के कारण महामारी की स्थिति बन गयी थी इसलिए हमको स्पेशल पैकेज उस इलाके के लिए देना पड़ा। इसमें किसी प्रकार का हमने भेदभाव नहीं किया। आपका इलाका और धोद का इलाका मैं देखकर आया हूं, वह रेतीला इलाका है, पानी बरसा और पानी गायब।

श्री अमराराम (धोद) : वहां गंगानगर में तो खड़ा है क्या पानी?

डा. किरोडी लाल : हां, खड़ा है। मैं मेरी आंखों से देख कर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : तो नुकसान तो वहां भी हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जहां सीपेज होता है वहां फसल होती ही नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर, बीकानेर में डिग्गियां बना रहे हो तो जैसलमेर में क्यों नहीं बना रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जहां सीपेज होती है वहां फसल उगती ही नहीं, कहां फसल हो जायेगी? जहां सीपेज नहीं होती वहां फसल होती है और ओलावृष्टि से केवल यह बहाना बना कर कि महामारी हो जायेगी, जो फसल बर्बाद हुई है उसको हटाने के लिए अगर आप गंगानगर, हनुमानगढ़, और बीकानेर में देते हो और बाकी राजस्थान में नहीं देते हैं तो इससे बड़ा भेदभाव नहीं हो सकता। सीपेज में फसल पैदा नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टी.टी. (कृषि राज्य मंत्री) : अमरारामजी, वहां जमीन हाडपैच है।

श्री जुबेर खान : वहां किस चीज की सफाई करायी, किसानों का खून बहाया था कहीं उसको साफ करने के लिए तो नहीं दिये पैसे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टी.टी. : अमरारामजी, वहां जमीन हाडपैच है, पानी थोड़ा सा बरसे तो दस दिन सूखता नहीं और उसके कारण उसमें सड़ांध मारती है। आप के तो यहां एक मिनट में बरसात का पानी, चला जाता है। आप अब भी जाकर देखो, अब तक सड़ांध मार रही है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आप गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में 500 डिग्गियां बना रहे हो तो जैसलमेर में आप डिग्गियां क्यों नहीं बना रहे?

डा. किरोड़ी लाल : अभी बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह दोनों चीज पहली बार की हैं। तीसरा, राज्य सरकार ने बीकानेर, एवं जैसलमेर में खाले कवर करने का कार्यक्रम पहली बार अकाल राहत के तहत लिया है जिसके परिणामस्वरूप बीकानेर जिले में लगभग 9 किलोमीटर लम्बाई के खाले को कवर कर चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : जैसलमेर में डिग्गियां नहीं बन सकतीं क्या? आपने बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर का नाम लिया, वहां 500 डिग्गियां बना रहे हो तो जैसलमेर में डिग्गियां नहीं बन सकतीं क्या? (व्यवधान) नहीं, अभी आपने उल्लेख नहीं किया। दी होगी आपने, बताओ न दी तो, वही तो पूछ रहा हूं।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री) : अकाल राहत में जैसलमेर में डिग्गियां 50 दी गयी हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आ रहे हैं, आगे आ रही है वह तो।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, वहां तीन जिलों में 500 डिग्गियां दी हैं तो जैसलमेर में 50 ही दी, सबसे बडा भू-भाग है जैसलमेर में।

डा. किरोड़र लाल : आ रहा हूं, आ रहा हूं, वह चीज भी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सुनो आप तसल्ली से, सब बतायेंगे आपको।

डा. किरोड़ी लाल : वह प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय का क्षेत्र है तो थोड़ा वहां का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप में और इनमें फर्क है।

श्री जुबेर खान : लेकिन आपको डाक्टर साहब ने मना किया है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें आपकी सेहत का ध्यान है, अब इसको समाप्त करो।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बुजुर्ग हूं? यह गलतफहमी है आपको। अब सुन लो आप।

चौथा, राज्य सरकार ने पहली बार अकाल राहत में मैटेरियल कम्पोनेंट के लिए 50 करोड़ का प्रावधान आयोजना मद में किया है जिसमें 30 करोड़ एनीकट निर्माण, खाळे निर्माण तथा रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 15 करोड़ और सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान और सीनियर सैकण्डरी स्कूल वगैरह के अतिरिक्त कमरों में शौचालय तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जायेगा। आपने रखा नहीं था क्या आयोजना में प्रावधान?

श्री तगाराम चौधरी : जैसलमेर में डिग्गियों के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां पर पानी कम जा रहा है, इसलिए डिग्गियां ज्यादा बनेंगी तो ही काश्त होगी। जैसलमेर के लिए डिग्गियों की संख्या बढाएं, मेरा यह निवेदन है

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

डा. किरोड़ी लाल : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, सुन लेना। राज्य सरकार ने पहली बार अकाल राहत से ग्रामीण सेनिटेशन हेतु शौचालय निर्माण को अकाल राहत से डवटेल किया है। (व्यवधान) बोल रहा हूं, सुनते जाओ। सब चीज होगी पूरी।

(डा. किरोड़ी लाल)

राज्य सरकार ने पहली बार, पहली बार घो .णा है, आज तक के इतिहास में, सुन लो।

श्री हेमारामं चौधरी : सब पहली बार ही हो रहा है।

डा. किरोड़ीलाल : हां, हां।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरी बात तो कैसे होगा? होने के बाद में दोबार तो हो ही नहीं सकता। एक बार शौचालय बन गया, दोबारा कैसे बनेगा? दोबार तो बनने का सवाल ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जनसंख्या बढ़ेगी नहीं क्या? जनसंख्या बढ़ेगी और बनेगा.

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप सुनें।

डा. किरोड़ी लाल : राज्य सरकार ने पहली बार व्यक्तिगत लाभ योजना में, उदयपुर संभाग में, सुन लो..

श्री अध्यक्ष : आप इशारे नहीं करें, बोलें।

डा. किरोड़ी लाल : उदयपुर संभाग में रतनजोत तथा आंवले के पेड़ लगाने के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वीकृति प्रदान की है तथा शाहबाद और किशनगंज में वनों के विकास हेतु पेड़ लगाने के कार्य को अकाल से डवटेल किया है।

राज्य सरकार ने ओलावृष्टि में पहली बार सीमांत एवं लघु किसानों के दो माह के बिजली के बिल को, यह तो मैंने पहले ही बता दिया था।

राज्य सरकार ने ओलावृष्टि में राहत हेतु 40 करोड़ रुपये जिला कलक्टर को दिये हैं जिसमें से 21 पाइंट मैंने बताया था, इतना देय है वह हमने दे दिया है। राज्य सरकार ने तुरन्त 50 प्रतिशत से अधिक ओलावृष्टि के खराब वाले 1201 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है और उनमें राहत के कार्य हमने बड़े पैमाने पर चालू कर दिये हैं जिस पर 61 हजार लेबर एंगेज्ड है।

प्राकृतिक आपदा से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को पहली बार 50

(डा. किरोडी लाल)

हजार रुपये प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता दी गयी है, जिसमें आसमानी बिजली हो, अन्य प्राकृतिक आपदा हो, ऐसे मामले।

राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से नुकसान, सड़क टूट गयी हो, नहर टूट गयी हो, पाइप लाइन टूट गयी हो, बिजली के तार टूट गये हों, कोई खम्भा टूट गया हो, नगर पालिका की सड़क नष्ट हो गयी हो, कहीं दवाइयों की जरूरत हो, कहीं मकान गिर गया हो, उसके लिए 133 करोड़ 37 लाख रुपये अब तक की सर्वाधिक राशि दी है।

भ्रष्टाचार, अनियमितताओं को रोकने के लिए मैंने आपको बता ही दिया। मजदूर कूपन का भुगतान हम सात दिन में करा रहे हैं, सात से आठ दिन की शिकायत मिल जाए तो हमको बता देना, हम कार्यवाही करा देंगे।

गौशाला सब्सिडी हमने बता ही दी, 18 कर दी, 9 कर दी.. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में व्यवधान नहीं डालें, सुन लें पहले आप।

डा. किरोड़ी लाल : ठहर जाओ, जवाब दे रहा हूं, बैठो।

श्री हेमराज मीणा : 25 हजार की सीलिंग थी और 5 हजार ही मजदूर लगे हैं, इसका कारण तो बताएं आप, बारां डिस्ट्रिक्ट में, क्यों नहीं काम हुआ, क्या कारण रहा? यह तो बताइये आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में व्यवधान नहीं डालें।

डा. किरोड़ी लाल : बता रहा हूं, बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, बड़े पशुओं को पशु आहार एक किलो पौष्टिक। तथा छोटे पशुओं को आधा किलो, एक किलो का छह रुपया और आधा किलो का तीन रुपया हमने दिया है। चारा परिवहन पर सब्सिडी इनके समय में पचास रुपए थी उसे बढ़ाकर हमने सा से सौ रुपए तक कर दिया है और बोलने को बहुत कुछ है आपकी इजाजत मिल जाए तो और बोल लें।

श्री अध्यक्ष : ना, बस अब तो आप बहुत बोल लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी यह जानना चाहता हूं कि आपने दिसम्बर में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिए और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में धीरे-धीरे आपने लेबर सीलिंग बढ़ाई पूरे राजस्थान में। अलवर और भरतपुर ने क्या बिगाड़ा था आपका, कि वहां आपने लेबर सीलिंग कम क्यों कर दी। जनवरी फरवरी से आपने मार्च और अप्रैल में घटा दी। इसका क्या कारण रहा, मैं यह जानना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अलवर में तो मैं अभी मीटिंग करके आया हूं जिला अधिकारियों की, अध्यक्ष महोदय, वहां जितनी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसका 3/4 ही एंगेज्ड हुआ है। बाकी जिला कलक्टर साहब कह रहे थे कि मेरे पास गेहूं ज्यादा आ गया इसको मैं वापस सरेण्डर करना चाहता हूं। भरतपुर में, मैं कल जा रहा हूं, पता कर लूंगा और कोई ऐसा नहीं है आपको मजदूर ज्यादा चाहिए तो आप मेरे को लिखकर दे देना जितने चाहिए उतने दे दूंगा, कमी नहीं है।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, आप कलक्टर महोदय को यह कहिए अकाल के काम स्वीकृत करें। जब स्वीकृत ही नहीं करेंगे तो लेबर कहां से लगाएंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी अपने जवाब के अन्दर इस बात को मेंशन किया है कि तहसील लूणकरणसर के चार गांव अभावग्रस्त हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है यह सदन को गुमराह करने वाला जवाब है। इस जवाब के साक्ष्य में मंत्री महोदय की स्वयं की उपस्थिति में जो मीटिंग वहां पर आयोजित की उस मीटिंग के मैं इस डाक्यूमेंट को टेबल करना चाहूंगा जिसके अन्दर दिनांक 19 मार्च, 2005 को कलक्टर ने जो अपनी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रिपोर्ट दी है उसमें मेंशन किया है तहसील लूणकरणसर के 137 में से 99 गांव अभावग्रस्त हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर हुए होंगे।

डा. किरोड़ी लाल : मैं इनका जवाब दे दूं। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने बताया था 75 से 100 पर्सेण्ट से ऊपर के खराबे के आपके इलाके में चार गांव हैं और 50 से 75 में आपके इलाके में 95 गांव हैं। आपने ढंग से नहीं सुना।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : मैंने जो सुना, मेरा निवेदन यह है मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैडम, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : यहां, मैडम नहीं, अध्यक्ष कहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पहले यह पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : आप बीच-बीच में बहुत बोल चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने (व्यवधान) समस्याएं बताई और इनका जवाब इन्होंने दिया।

श्री हेमाराम चौधरी : पहले टास्क, प्रति मजदूर प्रतिदिन दो (व्यवधान) क्यूबिक लीटर था। वह टास्क इन्होंने बढ़ाकर के चार क्यूबिक मीटर प्रति श्रमिक कर दिया उसकी वजह से मजदूरी बहुत कम आ रही है। टास्क बढ़ा दिया उसकी मजदूरी कम आ रही है।

डा. किरोड़ी लाल : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। आपकी मैं हर मांग का ध्यान रखता हूं। मैंने मन बना लिया है कि टास्क को हम कम कर देंगे।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान अपनी फसल को काटकर के जब खलिहान में लाता है और खलिहान में लाने के बाद अचानक आग लग जाती है उसमें कोई प्रावधान नहीं है। एक नया पैसा काश्तकार को नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा क्या उसमें कोई प्रावधान करने की व्यवस्था करेंगे।

डा. किरोडी लाल : खलिहान में जो फसल नष्ट हो जाती है उसका प्रावधान है माननीय विधायक महोदय मेरे को लिखकर दे दें। नियमानुसार सी.आर.एफ. की गाइड लाइन्स में जितना होगा, उतनी मदद करा दी जाएगी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो बिल माफ करने की बात कही है दो महीने का वह केवल लघु और सीमान्त की, की है जबकि दो प्रतिशत किसान लघु और सीमान्त में हैं। जबकि नुकसान सबका हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों का हुआ है। केवल घोषणा कर रहे हैं लघु और सीमान्त की और जो सहायता देने की बात कर रहे हैं वह भी उनको मिली है जिसके बहुत कम, रेयर केसर में जिनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है 90-95 प्रतिशत, उनको एक नया पैसा न सहायता का मिला है और न पूरे राजस्थान में तीन जिलों को छोड़कर के वह सहायता 600 रुपये पर बीघा के लिए दे रहे हैं। क्या तमाम किसान जो ओला प्रभावित हैं, जिनकी फसल शत-प्रतिशत नष्ट हो गयी क्या उनका भी बिल आप माफ करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो 19 करोड़ रुपया पड़ा है आपका। आपने कहा ना..

श्री जुबेर खान : वह विद्युत विभाग के आदेश नहीं पहुंचे हैं अभी। आपसे निवेदन करेंगे ए.ईएन. आफिस में इनके यहां से आदेश नहीं पहुंचे। उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है।

डा. किराड़ी लाल : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जिस दिन मैं अलवर गया था विद्युत विभाग के आदेश मेरे आगे-आगे पहुंच गए। मैं जब गया तब अधिकारियों ने कहा यह रहे साहब आदेश। आप पता कर लेना।

श्री अध्यक्ष : आदेश आप साथ लेकर गए?

डा. किरोड़ी लाल : हां, हां, आगे आगे।

श्री हेमाराम चौधरी : आगे-आगे आदेश, पीछे पीछे मंत्री।

डा. किरोड़ी लाल : आपने कहा लघु और सीमान्त कृषकों को ही आप पैसा दे रहे हो अध्यक्ष महोदय, सी.आर.एफ. की गाइड लाइन्स में यही है और हमने भारत सरकार को 22.3.2005 को जो ज्ञापन दिया है उसमें यह मांग की है कि हम सभी किसानों को चाहे वह बड़ा है चाहे छोटा है, हम उसको मदद देना चाहते हैं इसलिए हमको 218 करोड़ रुपये दे दिए जाएं।

दूसरा, आपने लघु सीमान्त के अलावा ध्यान नहीं दिया नोशनल शेयर वाला। काश्तकार को भी हमने इन्क्लूड किया है इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान को शामिल करके हमने 21.63 करोड़ रुपए ओलावृष्टि में बांट दिए।

श्री अध्यक्ष : मैं भी एक बात का स्पष्टीकरण चाह रही हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप तो हमारे बाद में ही पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : आपको तो दूंगी मौका मैं। ऐसा है जिन लोगों ने काश्त नहीं की है आपका खाता एक है और खाते में तीन व्यक्तियों का नाम है, काश्त की केवल एक ने, दो ने काश्त ही नहीं की और आपने उनको भी ओलावृष्टि में कम्पनसेशन दिया है। यह बात सही है क्या?

डा. किरोडी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर खतौनी में नाम है..

श्री अध्यक्ष : चाहे काश्त करो, चाहे न करो।

डा. किरोड़ी लाल : किरोडी लाल, सांवरलाल, राजेन्द्र राठौड़, गुलाबचन्द कटारिया, ओम बिड़ला तो पूरी जमीन सबमें बंटकर पैसा मिलेगा। वह भी लघु सीमान्त और सीमान्त की परिभाषा में आ जाएंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपको केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितना गेहूं मार्च तक अलाट किया उसमें से कितना गेहूं आपने उपयोग में लिया और कितना गेहूं नहीं उठाया?

श्री अध्यक्ष : वह बता दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं बताया। पूरा सुन लें मुझे। एक, आपने पशु सेवा शिविर कब से स्टार्ट किए और आज कितने पशु सेवा शिविरों में कितने पशु वहां पर आपने रख रखे हैं? दूसरा, मेरा यह कहना है कि राज्य में आपने किन-किन जिलों में स्वीकृत कार्यों को अस्वीकृत किया? मेरी जानकारी के अनुसार जैसलमेर में पांच करोड़ के स्वीकृत काम अस्वीकृत किये गये। ऐसे और अन्य जिले कितने हैं जहां पर आपने स्वीकृत कार्यों को अस्वीकृत किया?

डा. किरोड़ी लाल : प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी ने कहा कि गेहूं कितना मिला, हमको 6.99 मिला और 0.99 उठाना बाकी है, छह उठा लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौनसी इकाई में?

डा. किरोड़ी लाल : लाख मैट्रिक टन।

श्री जुबेर खान : इस्तेमाल कितना किया?

डा. किरोड़ी लाल : चल रहा है अभी तो प्रोसेस में है। दूसरा इन्होंने पूछा है कि वहां स्वीकृत कार्य थे जैसलमेर में पांच करोड़ के, उन पांच करोड़ के स्वीकृत कार्यों को आपने निरस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वह माननीय कल्लाजी के बहुत नजदीक हैं जिनके काम निरस्त हुए हैं इनको इसलिए वेदना भी हो रही होगी, दुःख भी हो रहा होगा। वह सारे काम अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) आपके भी नजदीक हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नजदीक और दूर की क्या बात है अकाल राहत में?

डा. किरोड़ी लाल : आपके भी नजदीक हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : गांव के गरीब लोग हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यूं कहो ना कि वो कांग्रेस में हैं।

डा. किरोड़ी लाल : वह सारे के सारे काम, अध्यक्ष महोदय, निजी खातेदारी की जमीन में स्वीकृत करा लिए, निजी खातेदारी की जमीन की जमीन में काम करना चाहते थे। हमारे नोटिस में आया उनको हमने सबको निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, माइनोरिटीज के और शिडयूल्ड कास्ट के गांवों में स्वीकृत कार्य अस्वीकृत हुए हैं उनको आप अपने स्तर पर दिखवाइये। आप यह कहकर मत टालिए कि यह वहां पर हुए (व्यवधान) कम से कम तीस-चालीस गांव के काम हैं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं..

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं समझता हूं इसका प्रस्ताव करके इसको पारित भी करें।

श्री नरपत सिंह राजवी : कि मांग संख्या–40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,93,06,000 (दस करोड़, तिरानवें लाख, छह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहेंगे (व्यवधान) ठीक है, नहीं बोलना चाहते। अब आपको कुछ कहना है।

श्री जुबेर खान : जवाब क्या दिलाना, पास कराओ।

श्री अध्यक्ष : जब कोई बोल ही नहीं रहा तो क्या जवाब देंगे।

श्री जुबेर खान : जब चर्चा ही नहीं हो रही तो जवाब क्या दिलाना, पास कराओ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बार मैं बधाई देना चाहता हूं पहले तो प्रतिपक्ष के नेताजी को और हमारे संसदीय कार्य

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मंत्री राजेन्द्रजी को और उसके साथ में उप मुख्य सचेतक (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उप मुख्य सचेतक कौन है यहां? कोई है ही नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी : मुख्य सचेतक। उन्होंने मिलकर एक इतिहास रचा है कि 1988 के बाद पहली बार राजकीय उपक्रम के बारे में किसी ने सोचा। नहीं तो आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। इसमें फेहरिस्त तो बहुत लम्बी है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सभी उपक्रमों के अलग-अलग हैं।

बीकानेर वूलन मिल, प्रतिपक्ष के नेता अच्छी तरह से जानते हैं 2003 में बिक चुकी। टोंक टेनेरीज, लगभग 15-20 साल पहले बिक चुकी। पचपदरा साल्ट पर चर्चा हो सकती है..

श्री अध्यक्ष : किसी ने वाद-विवाद किया ही नहीं, अब आपको उत्तर की आवश्यकता ही नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी : हुकूम, तो इसीलिये कह रहा हूं, दिनभर कागज लिये डोल रहा हूं.;

श्री अध्यक्ष : ही इज नाट टू रिप्लाई।

श्री नरपत सिंह राजवी : इनको धन्यवाद तो दे दूं। प्रतिपक्ष के नेता को, हमारे संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद तो दे दूं, कि कम से कम इस विभाग के बारे में सोचा।

यहां पर दस करोड़ रुपये तो सिर्फ वह लोन दिया है गंगानगर शुगर मिल का इस हैड के माध्यम से, जिसका कण्ट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ कम्पालइलेशन करके और कम्पाइलोशन हम वर्षवार यहां पुट-अप करते हैं जो आडिटेड अकाउंटस में कम्पाइलेशन होता है। सितम्बर तक स्टैटयुटरी आथोरिटी है और समय देना पड़ता है। दिसम्बर, मार्च के बीच में आती है। अगले महीने तक पिछले वर्ष के अकाउंट हो जायेंगे, वह अकाउंटस पूरा एज इट इज यहां पर पुट अप कर देंगे। उसके अलावा उसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश इस मंत्रालय की नहीं है; एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंटस की जहां चर्चा हुई है, उसमें सम्मिलित है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

जैसे उद्योग विभाग की हुई है तो रीको और आर.एफ.सी. यह सारी इसमें आयी हैं, राजसीको भी आया है।

इसलिये आपको मैं स्थाई बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं, समय लेने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो इनको थी।

श्री नरपत सिंह राजवी : हां इनकी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने तो इसीलिये अकाल राहत और पी.एच.ई.डी. को डाल दिया। इसीलिये हमने आज अकाल और पेयजल पर चर्चा की।

श्री नरपत सिंह राजवी : आपके बिना मैं धन्यवाद दे नहीं सकता।

श्री जुबेर खान : तो पता चला कि आपने बहुत तैयारी की है तो पेयजल और अकाल डाल दिया। (व्यवधान)

मांग संख्या- 40 राजकीय उपक्रम का पारण

श्री अध्यक्ष : हां-हां, मुझे मालूम है भाई।

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40 - राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,93,0600/- (दस करोड़ तिरानवें लाख छह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1 राज्य विधान मंडल

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1- राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 15,51,26,000/- (पन्द्रह करोड़ इक्यावन लाख छब्बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकावर की गयी।

मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2- मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,10,67,000/- (पांच करोड़ दस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3 सचिवालय

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,72,16,000/- (दो अरब पचपन करोड़ बहत्तर लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4 जिला प्रशासन

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,29,84.11,000/- (एक अरब उनतीस करोड़ चौरासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि

(श्री अध्यक्ष)

भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,75,68,000/- (तैंतालीस करोड़ पचहत्तर लाख अड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,45,73,17,000/- (एक अरब पैंतालीस करोड़तिहत्तर लाख सत्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-7 निर्वाचन

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7- निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,76,03,000/- (ग्यारह करोड़ छिहत्तर लाख तीन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि, भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8 राजस्व

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,18,80,86,000/- (दो अरब अठारह करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10- विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,71,55,000/- (बारह करोड़ इकहत्तर लाख पचपन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,15,02,000/- (तेरह करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-12 अन्य कर

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,33,24,000/- (इक्यावन करोड़ तैंतीस लाख चौबीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13 आबकारी

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13- आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,72,32,000/- (तेईस करोड़ बहत्तर लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-14 बिक्री कर

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,07,58,40,000/- (एक अरब सात करोड़ अठावन लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15- पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,19,11,78,000/- (सोलह अरब उन्नीस करोड़ ग्यारह लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18 जन सम्पर्क

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18- जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,38,74,000/- (दस करोड़ अड़तीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19- लोक निर्माण के कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,12,14,45,000/- (तीन अरब बारह करोड़ चौदह लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20 आवास

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को रुपये 76,67,38,000/- (छिहत्तर करोड़ सडसठ लाख अडतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21- सड़के एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,40,85,67,000/- (आठ अरब चालीस करोड़ पिचासी लाख सडसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22- क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,48,77,67,000/- (दो अरब अड़तालीस करोड़ सतहत्तर लाख सडसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग-23 श्रम संख्या और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 66,01,40,000/-(छियासठ करोड़ एक लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25- कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 47,23,03,000/-(सैंतालीस करोड़ तेइस लाख तीन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-31 पुनर्वास एवं सहायता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31- पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 11,73,000/-(ग्यारह लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

मांग संख्या-32- नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने ,व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 38,33,37,000/-(अड़तीस करोड़ तैंतीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि मांग-33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 6,29,50,48,000/-(छह अरब अनतीस करोड़ पचास लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,75,41,32,000/- (एक अरब पचहत्तर करोड़ इकतालीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36 सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 80,59,68,000/-(अस्सी करोड़ अनसठ लाख उड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,61,94,18,000/-(एक अरब इकसठ करोड़ चौरानवे लाख अठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 8,48,01,60,000/-(आठ अरब अड़तालीस करोड़ एक लाख साठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण

प्रश्न है कि मांग संख्या-44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 13,76,52,000/-(तेरह करोड़ छिहत्तर लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45- राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46- सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 19,64,31,99,000/- (उन्नीस अरब चौंसठ करोड़ इकत्तीस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है; प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48 विद्युत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपंए 20,77,13,77,000/- (बीस अरब सतहत्तर करोड़ तेरह लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि. जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न है कि मांग संख्या-49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपए 2,90,38,000/- (दो करोड़ नब्बे लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या -50- ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपए 81,30,81,000/- (इक्यासी करोड़ तीस लाख इक्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपए 1,86,57,16,000/-(एक अरब छियासी करोड़ सतावन लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005

चूंकि मुख्य मंत्रीजी एन.डी.सी. की मीटिंग में दिल्ली हैं, इसलिए मैं पी ए डी मिनिस्टर, राजेन्द्र राठौड़ से निवेदन करूंगी कि वे विधेयक को पुर:स्थापित करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनयोग (संख्या-3) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, करेड़ा के बारे में आपने व्यवस्था दी थी कि जानकारी लेकर जवाब देंगे, गृह मंत्रीजी आ गए हैं, वह एक मिनट में वस्तुस्थिति से अवगत करा दें।

शासकीय वक्तव्य

करेड़ा (भीलवाड़ा) में साम्प्रदायिक तनाव बाबत

श्री अध्यक्ष : आज देने की स्थिति में हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, करेड़ा में 5 मंदिर हैं, पिछली गई रात को वहां किसी ने हड्डियां पांचों मंदिरों में डाली और उन पर हरा झण्डा लगा दिया। पुलिस को प्रात: काल जैसे ही ध्यान में आया, चार मंदिरों में से तो उन्होंने सफाई कर दी और झण्डा भी हटा दिया लेकिन एक मंदिर में वह रह गया था उसको देखकर लोग उत्तेजित हुए। लगभग 250-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

300 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सारा बाजार बंद किया और आपने विरोध का इजहार किया। उनहोंने जो ज्ञापन दिया उसमें यही है कि इस प्रकार के शरारती तत्वों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए। अभी तक स्थिति सामान्य है वहां पर लेकिन असंतोष जरूर है जनता के बीच में, वार्तालाप चल रहा है, मैं समझता हूं कि कोई न कोई रास्ता उसमें से निकलेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आगजनी भी हुई, दुकानें वगैरह भी जलाई, वह तो आपने बताया ही नहीं? (व्यवधान) जब वह बता रहे हैं तो आप कैसे बता रहे हैं, आप दोनों कैसे खड़े हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर (पंचायतीराज मंत्री) : मेरा विधान सभा क्षेत्र है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अभी स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जनता में आक्रोश जरूर है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : गृह मंत्रीजी, यह पता करिए कि ऐसी हरकत कौन करता है क्योंकि जान बूझकर कैसे करेगा ऐसी कोई हरकत जबकि वहां आबादी में 15 के ही घर हैं। हड्डियां फैंकने का काम कोई न कोई शरारती तत्व है उस इलाके में जो शांति भंग करना चाहते हैं और भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। आप मामले की तह तक जाइए और जो समाजकंटक हैं, जो ऐसी स्थिति बना रहे हैं उन्हें ढूंढ निकाल कर उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय गृह मंत्रीजी, मेरा तो एक ही अनुरोध है कि चूंकि यह मामला सैंसेटिव है, इसलिए कृपा करें इसमें जो फिंगर प्रिंट आए हैं, हड्डियों के भी आए हैं तो आप उनको लेकर रखिए, आज आधुनिक जमाना है, कल को कलप्रिट्स पकड़ में आएंगे तो इनसे उनको सजा दिलाने मे सहूलियत मिलेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम कर दीजिए ताकि पुनरावृत्ति न हो।

श्री अमराराम (गृह राज्य मंत्री) : चिंता मत करो, मरने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2005 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.35 बजे, मंगलवार, 19 अप्रैल, 2005 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदस्य सूची

शनिवार, 16 अप्रैल, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

मांगें

अनुदान की मांग

-राजकीय उपक्रम-मांग संख्या 40 का पारण 257

मुखबंद

अनुदान की मांग

-अनुसूचित जाति के विकास हेतु विशिष्ट संघटक योजना-मांग संख्या 51 268

-अन्य कर-मांग संख्या 12 261

-आबकारी-मांग संख्या 13 261

-आवास-मांग संख्या 20 262

-कोषागार व लेखा प्रशासन-मांग संख्या 25 264

-क्षेत्र का विकास-मांग संख्या 22 263

-ग्रामीण रोजगार-मांग संख्या 50 268

-जन सम्पर्क-मांग संख्या 18 262

-नागरिक आपूर्ति-मांग संख्या 32 264

-निर्वाचन-मांग संख्या 7 259

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 259

-पुनर्वास एवं सहायता-मांग संख्या 31 264

-पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ-मांग संख्या 15 262

-प्रशासनिक सेवाएं-मांग संख्या 5 259

-बिक्री कर-मांग संख्या 14 261

नाम	पृष्ठ संख्या
-मंत्री परिषद-मांग संख्या 2	258
-राजस्व-मांग संख्या 8	260
-राज्य कर्मचारियों को ऋण-मांग संख्या 45	267
-राज्य विधान मंडल-मांग संख्या 1	257
-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण-मांग संख्या 38	266
-लेखन सामग्री एवं मुद्रण-मांग संख्या 44	266
-लोक निर्माण कार्य-मांग संख्या 19	262
-विद्युत-मांग संख्या 48	267
-विविध सामाजिक सेवाएं-मांग संख्या 11	260
-विविध सामान्य सेवाएं-मांग संख्या 10	260
-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं-मांग संख्या 35	265
-श्रम और रोजगार-मांग संख्या 23	263
-सचिवालय-मांग संख्या 3	258
-सड़कें एवं पुल-मांग संख्या 21	263
-सहकारिता-मांग संख्या 36	265
-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-मांग संख्या 33	265
-सामुदायिक विकास-मांग संख्या 41	266
-सिंचाई-मांग संख्या 46	267
-स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन-मांग संख्या 49	268
शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि	
-ईसाई धर्मगुरू और वेटिकनसिटी के राष्ट्राध्यक्ष के निधन पर	1
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)	
मुखबंद	
अनुदान की मांग	
-जिला प्रशासन-मांग संख्या 4	258

नाम	पृष्ठ संख्या
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पयजल की स्थिति पर विचार	152
श्री अमराराम (धोद)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	208
श्री अर्जुन लाल मीणा (मलूम्बर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	186
श्री उपाध्यक्ष	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005	92
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005	8
डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	232
श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	117
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
शासकीय वक्तव्य	
-करेड़ा (भीलवाड़ा) में साम्प्रदायिक तनाव बाबत्	269

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	179
श्री जीतराम खांट (मालपुरा)	
याचिका	
-मालपुरा जिला टोंक में ए.डी.एम. कार्यालय खोलने बाबत्	3
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
शासकीय वक्तव्य	
-करेड़ा (भीलवाड़ा) में साम्प्रदायिक तनाव बाबत्	270
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़)	
मांगें	
अनुदान की मांग	
-राजकीय उपक्रम-मांग संख्या 40 की प्रस्तुति	255
श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	199
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005	32
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	206
श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	200

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	92
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
याचिका	
-जलमहल, जयपुर में खेती कर रहे किसानों को मुआवजा	2
डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	188
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	109
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि	149
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	149
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
शासकीय वक्तव्य	
-करेड़ा (भीलवाड़ा) में साम्प्रदायिक तनाव बाबत्	270
श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)	
विभिन्न विषयों पर विचार	
-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार	165

नाम पृष्ठ संख्या

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 144

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

विधेयक का पारण

-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 92

विधेयक का पुरःस्थापन

-राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2005 269

विधेयक पर विचार

-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 7

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 202

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

शासकीय वक्तव्य

-करेड़ा (भीलवाड़ा) में साम्प्रदायिक तनाव बाबत् 270

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 140

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 156

नाम	पृष्ठ संख्या

श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 160

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 213

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 162

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

विधेयक पर विचार

-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 21

सूचना

-करेड़ा जिला भीलवाड़ा में साम्प्रदायिक दंगा 183

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 193

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 107

श्री सांवर लाल (भिनाय), नेता, प्रतिपक्ष

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 221

नाम	पृष्ठ संख्या

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

विधेयक पर विचार

-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 39

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 124

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

विधेयक पर विचार

-राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध विधेयक, 2005 58

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 203

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 196

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

विभिन्न विषयों पर विचार

-राज्य में अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार 127